

- (झ) "अनुज्ञाक्षेत्र" से िह क्षेत्र, नजसके लिए अनधननयम और उसके अधीन बनाए गए ननयमों के उपबंधों के अनुसार संयुि अनुज्ञाक्षेत्र प्रदान की गई है, अनभप्रेत है;
- (ञ) "निनहत पदार्थ" से परमाणु ऊजा अनधननयम, 1962 (1962 का 33) के अधीन निनहत पदार्थों की सूची में सक्त मनिनत खननज अनभप्रेत है;
- (ट) "रन-ऑफ-माइन" से पट्टा क्षेत्र के खननजयुि क्षेत्र से डरेनजंग या खनन के बाद प्राप्त प्राकृतिक अिस्था में कच्ची, अप्रसंस्कृत या अपररष्कृत सामग्री अनभप्रेत है;
- (ठ) "अनुसूची" से इन ननयमों की अनुसूची अनभप्रेत है; और
- (ड) "परमाणु खननजों के संबंध में प्रारंभक मूल्य" से परमाणु खननज का िह ग्रेड अनभप्रेत है, जो अयस्क में नननहत निनहत पदार्थों के भार के प्रनतशत के रूप में निनननदाष्ट है, जैसा नक परमाणु खननज ररयायत ननयम, 2016 की अनुसूची क में निनननदाष्ट और अनधसूनचत नकया गया है, जो उस निशेष परमाणु खननज के लिए प्रारंभक मूल्य है जो उस रूप में या एक या अनधक खननजों के साथ पाया जाता है; और
- (2) इन ननयमों में प्रयुि शब्ों और अनभव्यक्तियों के, जो इसमें पररभानषत नहीं हं, नकन्तु उन शब्ों और पदों के, जो इसमें प्रयुक् त है और पररभानषत नहीं है नकतु परमाणु ऊजा अनधननयम, 1962 (1962 का 33) में पररभानषत है, िही अथा होंगे, जो उनके इस अनधननयम या उनके अधीन बनाए गए ननयमों में है।

3. लागू होना.—(1) ये ननयम केिि ऐसे परमाणु खननजों से संनिया संबंधी अनधकारों पर िंगू होंगे जो इस रूप में या एक या एक से अनधक अन्य खननजों के साथ पाए जाते हं, परंतु, ऐसे परमाणु खननजों का ग्रेड परमाणु खननजों के संबंध में प्रारंभक मूल्य के बराबर या उससे अनधक हो।

- (2) परमाणु खननजों से संबंनधत संनिया संबंधी अनधकार, जहां अयस्क में नननहत परमाणु खननज का ग्रेड परमाणु खननजों के संबंध में प्रारंभक मूल्य से कम है, को यथािश्यक पररितानों सनहत, िंगू अपतट

[भागII—खण् ड3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण

3

क्षेत्र संनिया संबंधी अनधकार ननयम, 2024 के उपबंधों द्वारा ननयनत्रत नकया जाएगा।

- (3) खननज संसाधनों की निद्यमानता हेतु परमाणु खननजों के संबंध में प्रारंभक मूल्य के आकिन के अनुसरण में इन ननयमों के िंगू होने का अधारण ननदेशािय द्वारा ननयम 4 के उप-ननयम (5) या ननयम 6 के उप-ननयम (6) या ननयम 7 के उप-ननयम (6) के उपबंधों, जैसा भी मामि हो, के अनुसार नकया जाएगा।
- (4) यनद एक या एक से अनधक परमाणु खननज अन्य खननजों के साथ पाए जाते हं, िेनकन परमाणु खननजों का ग्रेड परमाणु खननजों के संबंध में प्रारंभक मूल्य से कम है, तो उत्पादन संनिया, प्रसंस्करण या सज्जीकरण से उत्पन्न नकसी भी परमाणु खननज को परमाणु खननजों के संरक्षण के संबंध में निभाग द्वारा जारी ननदेशों और रेनडयोिॉनजकि सुरक्षा के संबंध में बोडा द्वारा जारी ननदेशों के अनुसार कारािई की जाएगी और उनका ननपटान नकया जाएगा।

अध्याय 2

परमाणु खननजों के भलए अवीिण संभिया या खोज संबंधी संभिया

- 4. अभधननयम की धारा 5 की उप-धारा (1) के परंतुक के अधीन परमाणु खननजों के भलए अवीिण संभिया या खोज संबंधी संभिया.**—(1) अनधननयम की धारा 5 की उप-धारा (1) के परंतुक के अधीन अनुमनत प्राप्त एजेनसयां, संनिया संबंधी अनधकार के नबना परमाणु खननजों के लिए आीक्षण संनिया या खोज संबंधी संनिया कर सकती हं; और ऐसी संनियाएं अनुसूची क के अनुपािन में की जाएंगी:

परंतु, जहां इस उप-ननयम के अधीन आीक्षण संनिया या खोज संबंधी संनिया की जानी हो, िहां ऐसी संनियाएं करने की इच्छुक एजेनसयां, आीक्षण संनिया या खोज संबंधी संनिया के लिए अपेनक्षत क्षेत्र और अनध के ब यौरा सनहत प्रशासननक प्रानधकारी को अनुरोध प्रतुतुत करेंगी।

- (2) प्रशासनिक प्राधिकारी, निभाग के साथ पूर्ण परामर्श करके, अनुरोध प्राप्त होने के तीस नदन की अनिध के भीतर राजपत्र में अनधसूचना जारी करेगा।
- (3) अनधसूचना जारी होने पर, प्रशासनिक प्राधिकारी नकसी अन्य व्यक्ति या एजेंसी को उस क्षेत्र या उसके नकसी भाग के लिए कोई संनिया संबंधी अनधिकार नहीं देगा नजसके संबंध में अनधसूचना जारी की गई है।
- (4) उप-ननयम (1) के अधीन अधीक्षण संनिया या खोज संबंधी संनिया के पूरा होने पर, ऐसी संनियाएं करने वाली एजेंसी अनुसूची क में निनननदाष्ट प्रारूप में निभाग, ननदेशािय और प्रशासनिक प्राधिकारी को अपने ननष्कषों की भूिज्ञानिक ररपोटा प्रतुतुत करेगी।
- (5) उप-ननयम (4) के अधीन भूिज्ञानिक ररपोटा प्राप्त होने पर ननदेशािय परमाणु खननजों के संबंध में प्रारंभिक मूल्य सनहत उस क्षेत्र में परमाणु खननजों के ग्रेड की तुनि करेगा जहां अधीक्षण संनिया या खोज संबंधी संनिया की गई है और, यनद—
 - (क) परमाणु खननजों का ग्रेड परमाणु खननजों के संबंध में प्रारंभिक मूल्य से कम है, तो ननदेशािय भूिज्ञानिक ररपोटा की एक प्रनत के साथ एक निक्तखत सूचना केंद्रीय सरकार को प्रदान करेगा, जो अनधननयम की धारा 8, धारा 12 या धारा 13 के अनुसार, और इसके अधीन बनाए गए ननयमों के अनुसार ऐसे क्षेत्र पर संनिया संबंधी अनधिकार प्रदान कर सकता है:

परंतु, खोज संबंधी संनियाओं या उत्पादन संनियाओं के दौरान ननष्कनषात परमाणु खननजों को परमाणु खननजों के संरक्षण के संबंध में निभाग द्वारा जारी ननदेशों और रेनडयोिन्नजकि सुरक्षा के संबंध में बोडा द्वारा जारी ननदेशों के अनुसार कारािई की जाएगी और उनका ननपटान नकया जाएगा;
 - (ख) परमाणु खननजों का ग्रेड परमाणु खननजों के संबंध में प्रारंभिक मूल्य के बराबर या उससे अनधिक है और,—
 - (i) संकेनतत खननज संसाधन (332) नसद्ध करने के लिए कम से कम सामान्य खोज (जी2) पूरा हो चुकी है, तो प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा केि इन ननयमों के अनुसार ही उत्पादन पट्टा प्रदान नकया जाएगा, या
 - (ii) यनद अधीक्षण खननज संसाधन (334) का आकिन करने के लिए कम से कम अधीक्षण सिक्षण (जी4) पूरा हो गया है या उपिब्ध भूनिज्ञान आंकडों के आधार पर खननज ब्लॉक की खननज क्षमता की पहचान कर िी गई है, िेनकन संसाधनों को अभी नसद्ध नकया जाना है, तो प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा केि इन ननयमों के अनुसार ही संयुि अनुज्ञक्तप्त प्रदान की जाएगी।
- (6) ननदेशािय, ननदेशािय द्वारा तैयार की गई अधीक्षण संनिया या खोज संबंधी संनिया के लिए भूिज्ञानिक ररपोटों की उप-ननयम (5) में यथा निनननदाष्ट समान जांच करेगा और उप-ननयम (5) के खंड (क) और (ख) के अधीन अपेनक्षत कारािई के लिए आंकडा को प्रशासनिक प्राधिकारी को सौप देगा।
- (7) यनद ननदेशािय को उप-ननयम (4) के अधीन प्रतुतुत भूिज्ञानिक ररपोटा उप-ननयम (5) के अधीन ननधारण करने के लिए अपयाप्त िगती है, तो िह ननदेशािय द्वारा निनननदाष्ट अनतररि आंकडों के संबंध में अनतररि सूचना मांग सकता है या आगे अधीक्षण संनिया या खोज संबंधी संनिया तथा ननष्कषा प्रतुतुत करने का ननदेश दे सकता है और ऐसे ननष्कषों ि आंकडों की प्राक्तप्त के पश्चात् ननदेशािय उप-ननयम (5) में यथा निनननदाष्ट कारािई करेगा।
- (8) यनद ननदेशािय निक्तखत रूप में सूनचत करता है नक अधीक्षण संनिया या खोज संबंधी संनिया पूरी हो गई है, तो प्रशासनिक प्राधिकारी उप-ननयम (2) के अधीन दी गई अनधसूचना को रद्द कर सकता है।

अध्याय 3

खोज और संभिया संबंधी अभधिकार प्रदान करना

5. **भवभाग के अनुरोध पर संभिया संबंधी अभधकार प्रदान करना.**—जहां ननदेशािय द्वारा ननयम 4 के उप- ननयम (5) के उपबंधों के अनुसार अनुसूचीक में निनननदाष्ट मापदंडों के अनुरूप तैयार कीगई भूिज्ञाननक ररपोटा की जांच से यह पता चिता है नक परमाणु खननजों का ग्रेड परमाणु खननजों के संबंध में प्रारंभक मूल्य के बराबर या उससे अनधक है, िहां प्रशासननक प्रानधकारी,—

(क)

उसक्षेत्रकीपहचानऔरसीमांकनकरनाजहां,यथाक्तस्थनत,संयुिअनुज्ञक्तप्तयाउत्पादनपट्टाप्रदानन कयाजानाप्रतुतानितहै;

(ख)

खंड(क)केअधीनपहचानेगएऔरसीमांकनकक्षेत्रपरसंयुिअनुज्ञक्तप्तयाउत्पादनपट्टाप्रदानकरने केनिएसटीकक्षेत्रोंकेसाथदेशांतरऔरअक्षांशसनहतएकप्रतुतािनिभागऔरकेंद्रीयसरकारकोइ सअनुरोधकेसाथप्रतुतुतकरनानकऐसेउत्पादनपट्टेयासंयुिअनुज्ञक्तप्तप्रदानकरनेकेनिएसरकार ,नकसीसरकारीकंपनीयाननगमकोनानमतनकयाजाए।

[भागII—खण् ड3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण

5

6. **संयुक्त अनुज्ञप्तप्त प्रदान करने की प्रभिया.**—(1)ननयम 5 के खंड (ख) के अधीन प्रशासननक प्रानधकारी

द्वारा नकए गए अनुरोध के प्रत्युत्तर में, निभाग केन्द्रीय सरकार से परामशा करके ननदेशािय और भािी अनुज्ञक्तप्तधारी के प्रशासननक प्रानधकारी को निक्तखत रूप में सूनचत करेगा, साथ ही ऐसे क्षेत्र में परमाणु खननजों

के ग्रेड के बारे में पुनष्ट भी करेगा जो परमाणु खननजों के संबंध में प्रारंभक मूल्य के बराबर या उससे अनधक है।

(2) उप-ननयम (1) के अधीन सूनचत करने पर, केन्द्रीय सरकार, प्रशासननक प्रानधकारी से परामशा करके, अनधननयम की धारा 8 की उप-धारा (1) के अनुसार ऐसे क्षेत्र को राजपत्र में अनधसूचना द्वारा आरनक्षत कर सकेगी।

(3) केन्द्रीय सरकार उप-ननयम (2) के अन्तगात नकसी अपतट क्षेत्र को अनधसूनचत करने से पूर्िा निभाग; रक्षा मंत्रािय, पयाारिण, िन और जििायु पररितान मंत्रािय; गृह मंत्रािय; निदेश मंत्रािय; अंतररक्ष निभाग; दूरसंचार निभाग; मत्स्यपािनि, पशुपािनि और डेयरी मंत्रािय के अधीन मत्स्यपािनि निभाग; पृथ्वी निज्ञान मंत्रािय; पत्तन, पोत पररिहन और जिमागा मंत्रािय; पेटरोनियम और प्राकृतक गैस मंत्रािय; निज्ञान और प्रौद्योगकी मंत्रािय; निीन एि निीकरणीय ऊजाा मंत्रािय और नकसी अन्य मंत्रािय या निभाग, नजसे केन्द्रीय सरकार आिश्यक समझे, से परामशा करेगी।

(4) उप-ननयम (1) में निनननदाष्ट सूचना को अनधननयम की धारा 6 के खंड (ख) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनों के निए क्षेत्र में परमाणु खननजों के निए खननज संसाधनों की निद्यमानता को दशाने के निए साक्ष्य माना जाएगा।

(5) उप-ननयम (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्र को अनधसूनचत नकए जाने पर उप-ननयम(1) में निनननदाष्ट सूचना की एक प्रनत प्रशासननक प्रानधकारी द्वारा भािी अनुज्ञक्तप्तधारी को भेजी जाएगी।

(6) उप-ननयम (1), उप-ननयम (2) और उप-ननयम (4) में नननहत नकसी भी बात के बािजूद, निभाग, जहां भी आिश्यक हो, यूरेननयम और थोररयम युि खननजों के मामि में क्षेत्र और ननक्षेप-निनशष्ट प्रारंभक मूल्यों को अनतररि रूप से अनधसूनचत करने के अपने अनधकारों को सुरनक्षत रखेगा और निभाग द्वारा निनननदाष्ट ननबंधनों और शतों के अधीन, परमाणु खननजों से जुडे एक या अनधक निनशष्ट खननजों के निए संयुि अनुज्ञक्तप्त प्रदान करने हेतु प्रशासननक प्रानधकारी को अनधक्त करेगा।

(7) भािी अनुज्ञक्तप्तधारी, उप-ननयम (5) के अधीन सूचना की एक प्रनत प्राप्त होने से दो मास की अनध के भीतर, निभाग द्वारा निनननदाष्ट प्रारूप में एक संयुि अनुज्ञक्तप्त प्रदान करने के निए

- प्रशासननक प्राणधकारी को एक अिदन प्रतुतुत करेगा, साथ ही प्रनत मानक ब्लॉक दस हजार रुपये का अिदन शुल्क भी देना होगा।
- (8) प्रशासननक प्राणधकारी उप-ननयम (7) के अधीन स यक पूणा अिदन प्राप्त होने के न्े नदन की अनध के भीतर, संभानित अनुज्ञक्तप्तधारी को संयुि अनुज्ञक्तप्त प्रदान करने के लिए, अनुमोनदत गिषण योजना और संबंधत सरकारी एजेंसयों से अपेनक्षत अन्य आश्यक मंजूरी प्रतुतुत करने के लिए सूनचत करेगा;
- (9) **उप-ननयम (8) के अधीन प्रशासननक प्राणधकारी से ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, भावी अनुज्ञक्तप्तधारी—**
- (क) अध्याय 4 के उपबंधों के अनुसार गिषण योजना तैयार करेगा और उप-ननयम (8) के अधीन प्रशासननक प्राणधकारी से सूचना जारी करने की तारीख से बारह मास की अनध के भीतर ननदेशािय के अनुमोदन के लिए प्रतुतुत करेगा;
- (ख) अनुमाननत संसाधनों के मूल्य के 0.25 प्रनतशत के समतुल्य रानश के लिए प्ररूपक में ब;कप्रत् या भूनत या प्रनत भूनत जमा के रूप में प्रशासननक प्राणधकारी को ननष्पादन प्रनत भूनत प्रदान करेगा, नजसननष्पादन प्रनत भूनत को प्रशासननक प्राणधकारी द्वारा गिषण अनुज्ञक्तप्त नििेख या संयुि अनुज्ञक्तप्त की ननबंधन और शतों के अनुसार गूनक या जासकता है;
- (ग) खोज संबंधी संनयाएं प्रारंभ करने के लिए तत् समय प्रित् तनिनध के अधीन अपेनक्षत सरकारी प्राणधकाररयों से अनुमोदन, अनुज्ञापत्र या अनापनत्त आनद प्राप्त करना;
- (घ) यथानननदाष्ट अन्य शतों को पूरा करेगा।
- (10) भािी अनुज्ञक्तप्तधारी उप-ननयम (9) में निनननदाष्ट शतों की पूनता के समथान में दतुतािेज प्रतुतुत करेगा और ऐसे दतुतािेजों की प्राक्तप्त के न्ेनदन की अनध के भीतर प्रशासननक प्राणधकारी अनधननयम की धारा 8 की उप-धारा (3) के अधीन संयुि अनुज्ञक्तप्त प्रदान करने के लिए भािी अनुज्ञक्तप्तधारी को आदेश जारी करेगा।
- (11) भािी अनुज्ञक्तप्तधारी उप-ननयम (10) के अनुसार अनुज्ञक्तप्त प्रदान करने के आदेश की प्राक्तप्त से न्े नदन की अनध के भीतर गिषण अनुज्ञक्तप्त नििेख या संयुि अनुज्ञक्तप्त ननष्पानदत करेगा और यनद भािी अनुज्ञक्तप्तधारी की ओर से नकसी चूक के कारण ि अनध के भीतर ऐसा कोई नििेख ननष्पानदत नहीं नकया जाता है तो प्रशासननक प्राणधकारी संयुि अनुज्ञक्तप्त प्रदान करने िािे आदेश को रद्द कर सकेगा और उस क्तस्थनत में उप-ननयम (7) के अधीन भुगतान नकया गया शुल्क प्रशासननक प्राणधकारी द्वारा समपहत कर निया जाएगा।
- (12) **संयुक्त अनुज्ञक्तप्त का गवेषण अनुज्ञक्तप्त भवलेख भनम्रभलप्तखत शतों के अध्यधीन होगा, अथात्:—**
- (क) संयुि अनुज्ञक्तप्त का गिषण अनुज्ञक्तप्त नििेख प्ररूपख में होगा;
- (ख) ऐसी संयुि अनुज्ञक्तप्त का क्षेत्र िही होगा जो ननयम 5 के खंड (क) में प्रशासननक प्राणधकारी द्वारा निनननदाष्ट नकया गया है;
- (ग) निभाग के पूर्ाानुमोदन के नबना प्रशासननक प्राणधकारी द्वारा क्षेत्र में कोई पररितान नहीं नकया जाएगा;

परंतु, निभाग से परामशा के पश्चात् केंद्रीय सरकार का यह मत है नक परमाणु खननज या उद्योग के निकास के नहत में ऐसा करना आश्यक है, तो िह निक्तखत में अनभनिक्तखत नकए जाने िािे कारणों से, अनधननयम की धारा 13क के अनुसार, नकसी खननज या ऐसे खननज के ननक्षेपों की नकसी निनननदाष्ट श्रेणी या सहबद्ध खननजों के ऐसे समूह के संबंध में ि क्षेत्र सीमा को बढा या घटा सकेगी।

- (घ) यनदपरमाणुखननजोंकेसंबंधमेंननधाररतप्रारंभकमूल्यकेबराबरयाउससेअनधक ग्रेडिं परमाणुखननजअन्यखननजोंकेसाथनिद्यमानह; तोपरमाणुखननजोंसनहत ऐसेसभीखननजोंकेलिएएकहीअनुज्ञक्तप्तधारीकोसंयुि अनुज्ञक्तप्तप्रदानकीजाएगी।
- (13) िह अनध नजसके लिए संयुि अनुज्ञक्तप्त प्रदान की जाती है, प्रारंभ होने की तारीख िह तारीख होगी नजसको संयुि अनुज्ञक्तप्त का सम्यक् रूप से ननष्पानदत गिषण अनुज्ञक्तप्त निंख रनजस् टरीकृत नकया जाता है।
- (14) इन ननयमों के अधीन प्रदत्त सभी संयुि अनुज्ञक्तप्तयां, संयुि अनुज्ञक्तप्त प्रदान नकए जाने की तारीख से तीन िषा की अनध के लिए होंगे:

परंतु, प्रशासननक प्रानधकारी, ि अनध की समाक्तप्त से पूर्ा तीन मास की अनध के भीतर अनुज्ञक्तप्तधारी द्वारा नकए गए आेदन पर, कारणों को निक्तखत रूप में अनभनिक्तखत करके तथा यथा नननदाष्ट शतों के अधीन अनुज्ञक्तप्तधारी को खोज संबंधी संनियाओं के संतोषप्रद समापन के लिए दो िषा की अनध के लिए बढ़ाया जा सकेगा:

आगे यह भी उपबंध है नक प्रथम परंतुक के अधीन बढ़ाई गई अनध, यनद कोई हो, की समाक्तप्त पर उसे और आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

[भागII—खण् ड3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण

7

- (15) प्रशासननक प्रानधकारी, निभाग का पूर्ाानुमोदन प्राप्त नकए नबना सरकार, सरकारी कंपनी या ननगम को नदए गए निद्यमान अनुज्ञक्तप्त क्षेत्र में पाए गए नकसी भी नए खननज को सक्त मनिन नहीं करेगा:

परंतु, प्रशासननक प्रानधकारी से अनुमोदन प्राप्त होने पर अनुज्ञक्तप्तधारी नए खननजों सनहत गिषण योजना को संशोधन करेगा तथा ननदेशािय से अनुमोदन प्राप्त करेगा:

परन्तु यह और नक, जहां संयुि अनुज्ञक्तप्त प्रदान नकए जाने के पश्चात्, अनुज्ञक्तप्त क्षेत्र में एक या एक से अनधक खननज पाए जाते ह; और ऐसे खननज संयुि अनुज्ञक्तप्त में सक्तिनित ह; िहां ऐसे खननज के लिए संयुि अनुज्ञक्तप्त की अनध, जो संयुि अनुज्ञक्तप्त में सक्तिनित की गई है, िही होगी नजसके लिए प्रथम संयुि अनुज्ञक्तप्त मूर्ि रूप से प्रदान की गई थी।

- (16) संयुि अनुज्ञक्तप्त धारक संयुि अनुज्ञक्तप्त के अधीन क्षेत्र में खोज संबंधी संनिया करेगा नजससे खननज संसाधनों की निद्यमानता का पता िगाया जा सके और खोज संबंधी संनियाओं के लिए िागू आिनधक ररपोटा प्रतुतुत करेगा तथा संयुि अनुज्ञक्तप्त के अधीन क्षेत्र में खोज संबंधी संनियाओं से संबंनधत सभी ररपोटा, अध्ययन और अन्य दतुतांिज ननदेशािय और प्रशासननक प्रानधकारी को प्रतुतुत नकए जाएंगे।

- (17) **यभद कोई संयुक्त अनुज्ञप्तप्तधारक,—**

(क) खोजसंबंधीसंनियाओंकोपूराकरनेमेंनिफिरहताहैयाअनुसूचीककेउपबंधोंके

अनुसारपरमाणुखननजसंसाधनोंकीनिद्यमानताकोनसद्धकरनेमेंनिफिरहताहै,या संयुिअनुज्ञक्तप्तकीशतोंयाअनधननयमकीआश्यकताओंऔरइसकेअधीनबनाएगए ननयमोंकापािनकरनेमेंनिफिरहताहै,ऐसाधारकउत्पादनपट्टाप्राप्तकरनेकेलिए पात्रनहींहोगाऔरसंयुिअनुज्ञक्तप्तव् यपगतकरदीजाएगी;

(ख) खोजसंबंधीसंनियाओंकोपूराकरताहैऔरखोजसंबंधीसंनियाओंकेपररणामको

भूर्िज्ञाननकररपोटाकेरूपमेंननदेशाियऔरप्रशासननकप्रानधकारीकोप्रतुतुतकरताहै, नजसमेंअनुसूचीककेअनुरूपखननजसंसाधनोंकीनिद्यमानताकोप्रदनशातनकयाजाता है,औरननदेशाियभूर्िज्ञाननकररपोटाकीप्राक्तप्तकीतारीखसेन्े नदनोंकेभीतर प्रशासननकप्रानधकारीकोनिक्तखतरूपमेंभूर्िज्ञाननकररपोटाकेअधीनअनुज्ञक्तप्तधारीके

ननष्कषोंकीपुनष्टकरेगा।

परंतु, भूिज्ञाननक ररपोटा में उत्पादन पट्टा प्रदान करने के लिए आिश्यक क्षेत्र को निनननदाष्ट करने िािे ब यौरा सक्त मनिह होंगे

परंतु, ननदेशािी को खंड (ख) के अधीन प्रतुतुत भूिज्ञाननक ररपोटा ननधारण करने के लिए अपयाप्त िगती है, तो िह अनतररि जानकारी मांग सकता है या ननदेशािी द्वारा यथा नननदाष्ट अनतररि आंकडों के संबंध में आगे खोज संबंधी संनिया और ननष्कषा प्रतुतुत करने का ननदेश दे सकता है तथा ऐसे ननष्कषों और आंकडों की प्राक्तप्त पर ननदेशािी खंड (ख) में यथा नननदाष्ट कारािाई करेगा:

परंतु, ननदेशािी द्वारा अनतररि सूचना या ननष्कषा प्रतुतुत करने की अपेक्षा के बािजूद,

खोज संबंधी संनियाएं पूरी करने के लिए अनुज्ञक्तप्तधारी को उपिब्ध अनधक्तम समयािनध उप-ननयम (14) में निनननदाष्ट अनुसार होगी।

(18) ननदेशािी से पुनष्ट प्राप्त होने पर, प्रशासननक प्रानधकारी अनुज्ञक्तप्तधारी को ननयम 7 के उप-ननयम

(7) के अनुसार उत्पादन पट्टा प्रदान करने के लिए आिेदन करने हेतु अपनी पात्रता की सूचना देगा।

(19) उपननयम (17) के खंड (ख) के अधीन ननदेशािी और प्रशासननक प्रानधकारी को भूिज्ञाननक ररपोटा

प्रतुतुत नकए जाने पर, संयुि अनुज्ञक्तप्त धारक इस ननयम के अनुसार संपूणा क्षेत्र का त्याग कर सकेगा

और ऐसे मामि में प्रशासननक प्रानधकारी यह संतुनष्ट हो जाने के पश्चात नक भूिज्ञाननक ररपोटा अनुसूची क के अनुरूप तैयार की गई है, ननष्पादन प्रनतभूनत िापस कर देगा।

7. **उत्पादन पट्टा प्रदान करने की प्रभिया.**—(1)ननयम 5 के खंड (ख) के अधीन प्रशासननक प्रानधकारी द्वारा

नकए गए अनुरोध के प्रत्युत्तर में, निभाग, केन्द्रीय सरकार के परामशा से, भािी पट्टेदार के ननदेशािी और

प्रशासननक प्रानधकारी को निक्तखत रूप में सूनचत करेगा, साथ ही इस बात की पुनष्ट भी करेगा नक ऐसे क्षेत्र में

परमाणु खननजों का ग्रेड परमाणु खननजों के संबंध में प्रारंभक मूल्य के बराबर या उससे अनधक है।

(2) उप-ननयम (1) के अधीन सूचना के पश्चात्, केन्द्रीय सरकार, प्रशासननक प्रानधकारी के परामशा से, राजपत्र में अनधसूचना द्वारा, अनधननयम की धारा 8 की उप-धारा (1) के अनुसार ऐसे क्षेत्र को आरनक्षत करेगी।

(3) केन्द्रीय सरकार उप-ननयम (2) के अन्तगात नकसी अपतट क्षेत्र को अनधसूनचत करने से पहि रक्षा मंत्रािी; पयाारिण, िन ँ जिािांयु पररितान मंत्रािी; गृह मंत्रािी; निदेश मंत्रािी; अंतररक्ष निभाग; दूरसंचार निभाग; मत्स्य पािनि, पशुपािनि और डेयरी मंत्रािी के अन्तगात मत्स्यपािनि निभाग; पृथ्वी निज्ञान मंत्रािी; पत्तन, पोत पररिहन और जिमागा मंत्रािी; पेटरोनियम और प्राकृतक गैस मंत्रािी; निज्ञान और प्रौद्योगकी मंत्रािी; निीन और निीकरणीय ऊजाा मंत्रािी और केन्द्रीय सरकार आिश्यक समझे जाने िािे नकसी अन्य मंत्रािी या निभाग से परामशा करेगी।

(4) उप-ननयम (1) में निनननदाष्ट सूचना को अनधननयम की धारा 6 के खंड (ख) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनों के लिए क्षेत्र में परमाणु खननजों के लिए खननज संसाधनों की निद्यमानता को दशाने के लिए साक्ष्य माना जाएगा।

- (5) उप-ननयम (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्र को अनधसूनचत नकए जाने पर, उप-ननयम (1) में निनननदाष्ट सूचना की एक प्रनत प्रशासननक प्रानधकारी द्वारा भािी पट्टेदार को भेजी जाएगी।
- (6) उप-ननयम (1), (2) और (4) में नननहत नकसी भी बात के बािजूद, निभाग, जहां भी आश्यक हो, यूरेननयम और थोररयम युि खननजों के मामि में क्षेत्र और ननक्षेप-निनशष्ट प्रारंभक मूल्यों को अनतररि रूप से अनधसूनचत करने के अपने अनधकारों को सुरनक्षत रखेगा और निभाग द्वारा निनननदाष्ट ननबंधन और शतों के अधीन, परमाणु खननजों से जुडे एक या अनधक निनशष्ट खननजों के लिए उत्पादन पट्टा देने हेतु प्रशासननक प्रानधकारी को अनधकृत करेगा।
- (7) भािी पट्टेदार उप-ननयम (5) के अधीन सूचना की प्रनत प्राप्त होने से दो मास की अनध के भीतर, या ननयम 6 के उप-ननयम (18) के अधीन सूचना की प्रनत प्राप्त होने से दो मास की अनध के भीतर निभाग द्वारा निनननदाष्ट प्रारूप में उत्पादन पट्टा प्रदान करने के लिए प्रशासननक प्रानधकारी को आिेदन प्रतुतुत करेगा, नजसके साथ प्रनत मानक ब्लॉक दस हजार रुपये का आिेदन शुल्क भी होगा।
- (8) प्रशासननक प्रानधकारी उप-ननयम (7) के अधीन स यक् रूप से पूणा आिेदन प्राप्त होने के न्े नदन की अनध के भीतर, उत्पादन पट्टा प्रदान करने के लिए संभानित पट्टेदार को अनुमोनदत उत्पादन योजना और संबंनधत सरकारी एजेंसियों से अपेनक्षत अन्य आश्यक मंजूरी प्रतुतुत करने के लिए सूनचत करेगा;
- (9) **उप-ननयम (8) के अधीन प्रशासननक प्राधकारी से ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, भावी पट्टेदार—**
- (क) अध्याय 4 के उपबंधों के अनुसार उत्पादन योजना तैयार करेगा और उप-ननयम (8) के अधीन प्रशासननक प्रानधकारी से संचार जारी करने की तारीख से बारह मास की अनध के भीतर ननदेशािय के अनुमोदन हेतु प्रतुतुत करेगा;
- (ख) प्ररूपग में ब; क प्रत् या भूनत के रूप में या प्रनत भूनत जमा के रूप में, अनुमाननत संसाधनों के मूल्य के 0.50 प्रनत शत के बराबर ननश के लिए प्रशासननक प्रानधकारी को एक ननष्पादन प्रनत भूनत प्रदान करेगा, नजसे प्रशासननक प्रानधकारी द्वारा अपतट खननज निकास तथा उत्पादन करार और उत्पादन पट्टा नििेख की शतों के अनुसार गिनकया जा सकता है;
- [भाग III—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण
- 9
- (ग) ननष्पादन प्रनत भूनत को प्रत्येक पांचिषा में समायोनजत करे तानक यह अनुमाननत संसाधनों के पुनमूल्यांकन के मूल्य के 0.50 प्रनत शत के अनुरूप बनी रहे;
- (घ) उत्पादन संनियाएं प्रारंभ करने के लिए तत् समय प्रित् तनिनध के अधीन अपेनक्षत सरकारी प्रानधकारर्यों से अनुमोदन या अनुज्ञापत्र या अनापनत्त आनद प्राप्त करेगा;
- (ङ) इस उप-ननयम के खंड (क), (ख), (ग) और (घ) में निनननदाष्ट शतों के अनुपािन के बाद केन्द्रीय सरकार द्वारा निनननदाष्ट प्रारूप के अनुसार प्रशासननक प्रानधकारी के साथ अपतट खननज निकास और उत्पादन करार पर हतुताक्षर करेगा; और
- (च) यथानननदाष्ट अन्य शतों को पूरा करेगा।
- (10) भािी पट्टेदार उप-ननयम (9) में निनननदाष्ट शतों की पूनता के समथान में दतुतािेज प्रतुतुत करेगा और ऐसे दतुतािेजों की प्राक्तप्त के न्े नदन की अनध के भीतर प्रशासननक प्रानधकारी अनधननयम की धारा 8 की उप-धारा (3) के अधीन उत्पादन पट्टा प्रदान करने के लिए भािी पट्टेदार को आदेश जारी करेगा।

(11) भांिी पट्टेदार उप-ननयम (10) के अनुसार पट्टा प्रदान करने के आदेश की प्राक्तप्त से न्े नदन की अनध के भीतर उत्पादन पट्टा नििेख ननष्पानदत करेगा और यनद भांिी पट्टेदार की ओर से नकसी चूक के कारण उि अनध के भीतर ऐसा कोई नििेख ननष्पानदत नहीं नकया जाता है, तो प्रशासननक

प्रानधकारी उत्पादन पट्टा प्रदान करने के आदेश को रद्द कर सकता है और उस क्तस्थनत में उप-ननयम (7) के अधीन भुगतान नकया गया शुल्क प्रशासननक प्रानधकारी के लिए समपहत कर लिया जाएगा।

(12) उत्पादन पट्टा नििेख ननम्ननिक्तखत शतों के अधधीन होगा, अथात्:—

(क) उत्पादनपट्टानििेखप्ररूपघमेंहोगा;

(ख) ऐसेउत्पादनपट्टेकाक्षेत्रिहीहोगाजोननयम5केखंड(क)मेंप्रशासननकप्रानधकारी द्वारा निनननदाष्टनकयागयाहै;

(ग) निभागकेपूिाानुमोदनकेनबनाप्रशासननकप्रानधकारीद्वाराक्षेत्रमेंकोईपररिताननहीं नकयाजाएगा:

परंतु, यनद निभाग से परामशा के पश्चात् केंद्रीय सरकार का यह मत है नक परमाणु खननज या उद्योग के निकास के नहत में ऐसा करना आिश्यक है, तो िह निक्तखत में अनभनिक्तखत नकए जाने िािे कारणों से, अनधननयम की धारा 13क के अनुसार, नकसी खननज या ऐसे खननज के ननक्षेपों की नकसी निनननदाष्ट श्रेणी या सहबद्ध खननजों के ऐसे समूह के संबंध में उि क्षेत्र सीमा को बढ़ा या घटा सकेगी।

(घ) यनदपरमाणुखननजोंकेसंबंधमेंप्रारंभकमूल्यकेबराबरयाउससेअनधकग्रेडिािे परमाणुखननजअन्यखननजोंकेसाथमौजूदह; तोपरमाणुखननजोंसनहतऐसेसभी खननजोंकेलिएउत्पादनपट्टाउसीपट्टेदारकोप्रदाननकयाजाएगा।

(13) नजस अनध के लिए उत्पादन पट्टा प्रदान नकया जाता है, उसके प्रारंभ की तारीख िह तारीख होगी नजस नदन निनधित् ननष्पानदत उत्पादन पट्टा रनजस् टरीकृत नकया जाता है।

(14) इन ननयमों के अधीन प्रदत्त सभी उत्पादन पट्टे, उस अनध के लिए प्रदान नकए जाएंगे जब तक नक खान में ऐसे खननजों का सम्पूणा भंडार व् यपगत नहीं हो जाता।

(15) प्रशासननक प्रानधकारी, निभाग के पूिाानुमोदन के नबना सरकार, सरकारी कंपनी या ननगम को प्रदत्त मौजूदा पट्टा क्षेत्र में पाए गए नकसी भी नए खननज को सक्त मनित नहीं करेगा:

परंतु, निभाग से अनुमोदन प्राप्त होने पर पट्टेदार नये खननजों सनहत उत्पादन योजना को संशोनधत करेगा तथा ननदेशािय से अनुमोदन प्राप्त करेगा:

आगे यह भी उपबंध है नक जहां उत्पादन पट्टा नदए जाने के पश्चात् पट्टा क्षेत्र में एक या एक से अनधक खननज पाए जाते ह; और ऐसे खननज उत्पादन पट्टे में सक्तिनित ह; िहां ऐसे सक्तिनित खननज के लिए उत्पादन पट्टे की अनध िही होगी नजसके लिए प्रथम उत्पादन पट्टा मूित: स्वीकृत नकया गया था।

8. संभिया संबंधी अभधकारधारक द्वारा परमाणु खननजों की खोज.—(1)यनद अपतट क्षेत्र संनिया संबंधी अनधकार ननयम, 2024 के अधीन प्रदान नकए गए संनिया संबंधी अनधकार का धारक नकसी परमाणु खननज

की खोज करता है, तो उसे निभाग, ननदेशािय और प्रशासननक प्रानधकारी को निभाग द्वारा निनननदाष्ट प्रारूप

में इसकी ररपोटा देनी होगी।

(2) उप-ननयम (1) के अधीन ररपोटा प्राप्त होने पर ननदेशािय उस क्षेत्र में परमाणु खननजों के ग्रेड की तुिना परमाणु खननजों के संबंध में प्रारंभक मूल्य के साथ करेगा नजसके लिए संनिया संबंधी अनधकार प्रदान नकया गया है, और—

- (क) यनदपरमाणुखननजोंकाग्रेडपरमाणुखननजोंकेसंबंधमेंप्रारंभकमूल्यसेकमहै,तो संनियसंबंधीअनधकारधारकअपतटक्षेत्रसंनियसंबंधीअनधकारननयम,2024के उपबंधोंकेअनुसारअपनेसंनियसंबंधीजारीरखसकताहै;
- (ख) यनदपरमाणुखननजोंकाग्रेडपरमाणुखननजोंकेसंबंधमेंप्रारंभकमूल्यकेबराबरया उससेअनधकहै,तो,
- (i) धारा 12 के अधीन संयुि अनुज्ञक्तप्त के मामि में, ऐसा संयुि अनुज्ञक्तप्त धारक निभाग के परामशा के पश्चात् प्रशासननक प्रानधकारी द्वारा, केिि तभी संयुि अनुज्ञक्तप्त प्राप्त करने का पात्र होगा, जब िह सरकार, सरकारी कंपनी या ननगम है; या
- (ii) उत्पादन पट्टे के मामि में, पट्टेदार उस निशेष खननज के लिए उत्पादन संनिय जारी रखेगा, नजसके लिए उत्पादन पट्टा निभाग के पूर्ाानुमोदन से प्रदान नकया गया था और निभाग द्वारा अस्वीकृत नकए जाने की क्तस्थनत में, प्रशासननक प्रानधकारी के परामशा के पश्चात्, केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्पादन पट्टा व् यपगत कर नदया जाएगा:

परंतु, उत्पादन संनियाओं के दौरान इस प्रकार खोजे गए परमाणु खननजों का, परमाणु खननजों के संरक्षण के संबंध में निभाग द्वारा जारी ननदेशों तथा निनकरण सुरक्षा के संबंध में बोडा द्वारा जारी ननदेशों के अनुसार प्रयोग और ननपटारा नकया जाएगा:

परंतु, केन्द्रीय सरकार संयुि अनुज्ञक्तप्त को व् यपगत कर दे या यनद केन्द्रीय सरकार निभाग द्वारा अस्वीकृत करने के आधार पर उत्पादन पट्टे को व् यपगत कर दे तो केन्द्रीय सरकार खोज संबंधी संनिया के धारक को ऐसी रानश का भुगतान करेगी जो उसकी राय में, यथाक्तस्थनत, ऐसी खोज संबंधी संनिया या उत्पादन संनिया पर नकए गए व्यय का उनचत अनुमान होगी।

- (3) यनद ननदेशािय को उप-ननयम (1) के अधीन प्रतुतुत ररपोटा उप-ननयम (2) के अधीन ननधारण करने के लिए अपयाप्त िगती है, तो िह संनिया संबंधी अनधकार धारक से अनतररि सूचना मांग सकता है या संनिया संबंधी अनधकार धारक को खोज जारी रखने तथा ननदेशािय द्वारा यथा नननदाष्ट अनतररि आंकडों के संबंध में ननष्कषा प्रतुतुत करने का ननदेश दे सकता है।
- (4) उप-ननयम (3) में निनननदाष्ट ननष्कषा और आंकडा प्राप्त होने पर ननदेशािय उप-ननयम (2) में यथा नननदाष्ट कारािई करेगा।

अध्याय 4

परमाणु खननजों के भलए गवेषण योजना और उत्पादन योजना

9. **गवेषण योजना.**—ननयम 6 के उप-ननयम (10) के अधीन दी गई संयुि अनुज्ञक्तप्त के संबंध में कोई भी खोज

संबंधी संनिया नहीं की जाएगी, नसिय उस गिषण योजना के अनुसार जो अपतट क्षेत्र खननज संरक्षण और निकास ननयम, 2024 के अधीन तैयार, प्रतुतुत, अनुमोनदत, संशोनधत और समीक्षा की गई हो।

[भागII—खण् ड3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण

11

- (2) यनद ननयम 6 के उपननयम (10) के अधीन प्रदत्त संयुि अनुज्ञक्तप्त, उपननयम (12) के खंड (ग) या ननयम 6 के अनुसार परमाणु खननजों से नभन्न खननजों के लिए भी है, तो अनुज्ञक्तप्तधारी संयुि अनुज्ञक्तप्त में निनननदाष्ट परमाणु खननजों सनहत सभी खननजों के संबंध में खोज संबंधी संनियाएं करने के लिए एक संयुि गिषण योजना तैयार करेगा।

10. उत्पादन योजना.—ननयम 7 के उप-ननयम (10) के अधीन प्रदत्त उत्पादन पट्टे के संबंध में कोई भी उत्पादन काया नहीं नकया जाएगा, नसिया उस उत्पादन योजना के अनुसार जो अपतट क्षेत्र खननज संरक्षण और निकास ननयम, 2024 के अधीन तैयार, प्रतुतुत, अनुमोनदत, संशोनधत और समीक्षा की गई हो।

(2) यनद ननयम 7 के उपननयम (10) के अधीन प्रदत्त उत्पादन पट्टा, ननयम 7 के उपननयम (12) के खण्ड (ग) के अनुसार, परमाणु खननजों से नभन्न खननजों के लिए भी है, तो पट्टेदार, परमाणु खननजों सनहत, उत्पादन पट्टे में निनननदाष्ट सभी खननजों के संबंध में उत्पादन संनियाएं करने के लिए एक संयुक्ति उत्पादन योजना तैयार करेगा।

अध्याय 5

संयुक्त अनुज्ञप्तपत और उत्पादन पट्टा की भनबंधन और शतें

11. संयुक्त अनुज्ञप्तपत के भनबंधन और शतें.—(1) प्रत्येक संयुक्ति अनुज्ञक्तपत ननमननक्तखत शतों के अधधीन होगी,

अथात्:—

- (क) अनुज्ञक्तपत क्षेत्र के लिए अनुज्ञक्तपतधारी िानणक्तिक प्रयोजनों के अनतररक् त
 - (i) अनुसूची ख के तुतंभ (3) में निनननदाष्ट सीमाओं के भीतर ऐसे परमाणु खननजों की नबना नकसी भुगतान की कोई मात्रा;
 - (ii) ऐसे खननजों की कोई मात्रा जो अनुसूची ख के तुतंभ (4) में निनननदाष्ट सीमाओं से अनधक न हो, उन खननजों के संबंध में अनधननयम की प्रथम अनुसूची में निनननदाष्ट स् िानमस् ि के भुगतान पर अ् य प्रयोजनों के लिए खननज नन्कासन कर सकता है और िे जा सकता है:

परंतु, यनद इस खंड में निनननदाष्ट मात्रा से अनधक कोई मात्रा जीती है और िे जाई जाती है, तो प्रशासननक प्रानधकारी जीती और िे जाई गई खननजों की अनधक मात्रा का कीमत िसूि करेगा और अनधननयम की धारा 23 के अधीन कारािाई प्रारंभ कर सकेगा;
- (ख) प्रशासननक प्रानधकारी के पूिा अनुमोनदत से, अनुज्ञक्तपतधारी, रासायननक, धातुकमा, सज्जीकरण या अयस्क की डरेनसंग करने तथा अन्य परीक्षण प्रयोजनों के लिए अनधननयम की प्रथम अनुसूची में निनननदाष्ट स् िानमस् ि के भुगतान पर, अनुसूची ख में निनननदाष्ट सीमाओं से अनधक मात्रा में परमाणु खननजों को िे जा सकता है;
- (ग) यनद अनुज्ञक्तपतधारी िैध खनन के लिए दोषनसद्ध हो जाता है और ऐसी दोषनसक्तद्ध के आदेश के निया् ियन को ननक्त बत करने िािा नकसी न्यायाििय के कोई आदेश नहीं ह्, तो केंद्रीय सरकार, निभाग के परामशा से और प्रशासननक प्रानधकारी को सूचना देकर, अनधननयम या उसके अधीन बनाए गए ननयमों के अधीन प्रारंभ की जाने िािी नकसी अन्य कायािाही पर प्रनतकूि प्रभाि डाििे नबना, ऐसी संयुक्ति अनुज्ञक्तपत को व् यपगत कर सकेगी और अनुज्ञक्तपतधारी को सुनिाई का असर देने के पश् चात तथा कारणों को नक्तखत रूप में अनभनक्तखत करके अनुज्ञक्तपतधारी को सूनचत करने के पश् चात, प्रशासननक प्रानधकारी को अनुज्ञक्तपतधारी द्वारा प्रतुतुत संपादन प्रनतभूनत को समपहत कर सकेगी;
- (घ) अनुज्ञक्तपतधारी खोज संबंधी संनियाओं से प्रभानित समुद्र ति के प्राकूनतक पुन्यास को समथा बनाने के लिए सभी आिश्यक कदम और उपाय करेगा, नजसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा नननदाष्ट कोई भी उपाय सक्त मनित होंगे;
- (ङ) अनुज्ञक्तपतधारी परमाणु ऊजाा अनधननयम, 1962 (1962 का 33) सनहत अनधननयम, ननयमों और तत् समय प्रित् त निनधयों के उपबंधों का अनुपािन करेगा;
- (च) अनुज्ञक्तपतधारी सभी खोज आंकडे, ररपोटा, नमूने, नजसमें खननज नन्कासन और ननकािे गए ऐसे नमूनों की मात्रा से संबंनधत आंकडे और खोज संबंधी संनिया के दौरान उसके

द्वारा एकत्र की गई अन्य सुसंगत जानकारी सक्त मनित है, भारतीय भू-ज्ञाननक सिंक्षण ननदेशािय, निभाग, प्रशासननक प्रानधकरी और यथा नननदाष्ट ऐसे अन्य प्रानधकारी को उपिब्ध कराएगा और ननम्रनिक्तखत ररपोटें प्रतुतुत करेगा, अथात्:—

(iii) नतमाही की समाक्तप्त के पश्चात तीस नदन की अनिध के भीतर नत्रमानसक ररपोटा;

(iv) िषा की समाक्तप्त के पश्चात साठ नदन की अनिध के भीतर िानषाक ररपोटा;

(v) संयुि अनुज्ञक्तप्त में निनननदाष्ट कोई अन्य ररपोटा;

(छ) अनुज्ञक्तप्तधारी खोज संबंधी संनियाओं के दौरान एकनत्रत नकसी भी आंकडा को प्रशासननक प्रानधकारी की पूर्िा स्िीकृत के नबना भंडारकरण, प्रसंस्करण या ननिाचन के लिए नकसी तृतीय पक्षकार के साथ साझा नहीं करेगा;

(ज) अनुज्ञक्तप्तधारी उसका ननरीक्षण करने के प्रयोजन के लिए अनुज्ञक्तप्त क्षेत्र में नकसी जियान, प्ेटफामा, स् थापना या नकसी अ्य असंरचना में प्रिश करने िािे निभाग या ननदेशािय या प्रशासननक प्रानधकारी या के द्रीय सरकार द्वारा नकसी प्रानधकृत प्रानधकारी को अनुज्ञात करेगा;

(झ) अनुज्ञक्तप्तधारी खोज संबंधी संनियाओं पर उसके द्वारा नकए गए सभी व्ययों का सटीक और सही िेखा रखेगा, तथा ऐसी संनियाओं के दौरान प्राप्त सभी खननजों की मात्रा और अन्य ब्यौरे और उनके प्रेषण का िेखा भी रखेगा;

(ञ) अनुज्ञक्तप्तधारी, उस जियान या संस् थापन पर खोज संबंधी संनियाओं के दौरान एकनत्रत आंकडों का दैननक िांग बनाएगा नजसके द्वारा अनुज्ञक्तप्त क्षेत्र में ऐसी संनियाएं की जा रही ह; और निभाग या ननदेशािय या केंद्रीय सरकार या इस संबंध में प्रशासननक प्रानधकारी द्वारा इस संबंध में प्रानधकृत नकसी अनधकारी को ऐसे आंकडा िांग का ननरीक्षण करने की अनुमनत देगा और अनुज्ञक्तप्तधारी, संयुि अनुज्ञक्तप्त में निनननदाष्ट नकसी भी अन्य ररपोटा देने से संबंनधत आश्यकताओं का भी अनुपाििन करेगा;

(ट) अनुज्ञक्तप्तधारी को जियानों, डरोनों को तैनात करने और अनुज्ञक्तप्त क्षेत्र में ऐसे सभी अस्थायी बोया, संरचनाओ, भाप और अन्य इंजनों, मशीनरी, सुनिधाओं और मािमत् ता को िाने का अनधकार होगा, नजन्हें उसकी खोज संबंधी संनियाओं को प्रभािी ढंग से चिाने या िहां कामगारों के रोजगार के लिए उनचत और आश्यक समझा जा सकता है;

(ठ) अनुज्ञक्तप्तधारी को अपतट क्षेत्रों में जियानों, प्रनटठानों, मशीनरी, इंजनों, लेटेटफामों, डरोनों और अन्य प्रनटठानों या उपस् करों की आजाही और तैनाती से संबंनधत सभी िागू निनधयों और निननयमों का पाििन करना होगा;

(ड) अनुज्ञक्तप्तधारी यह सुनननश्चत करेगा नक कोई भी जियान, स् थापना, मशीनरी, इंजन, लेटेटफॉमा, डरोन और अन्य स् थापनाएं या उपस् कर जो उसके द्वारा अपतट क्षेत्रों में तैनात नकए गए ह, उन

[भागII—खण् ड3(i)]

भारत का रपित्र : असाधारण

13

पर उपग्रह टरेनकंग उपस् कर और यात्रा आंकडा ररकॉडार जैसे उपस् कर िगे हों और उनका उपयोग नकया जाए, जो उनके नियाकिािों पर मॉनीटरि रखते ह; और ररपोटा करते ह;

(ढ) अनुज्ञक्तप्तधारी, संयुि अनुज्ञक्तप्त की समाक्तप्त या अिसान या संनिया संबंधी के पररत्याग या अनतररि क्षेत्र के अभ् यपाण की तारीख के पश्चात छह मास की अनिध के भीतर, जो भी पहि हो,—

(i) खोज संबंधी संनियाओं से प्रभानित समुद्र ति के प्राकृतक पुनिास को समथा बनाने के लिए सभी आश्यक कदम उठाएगा, नजसमें केंद्रीय सरकार द्वारा यथानननदाष्ट कोई भी उपाय सक्त मनित है; और

(ii) अनुज्ञक्तप्तधारी द्वारा अनुज्ञक्तप्त क्षेत्र में या उसके भीतर बनाए गए या िाए गए सभी जियानों, संरचनाओं, उत्प ििो, इंजनों, मशीनों, औजारों, उपस् करों और अन्य संपन्न और मािमत् ता को अनुज्ञक्तप्तधारी द्वारा खननज न् कासन के अनजात सभी खननजों के साथ अपनी िागत शीघ्रता से हटाएगा:

परंतु, इस खंड के उपबंध उस क्षेत्र के मामि में िागू नहीं होंगे, नजस पर अनुज्ञक्तप्तधारी को संयुि अनुज्ञक्तप्त की समाक्तप्त या समाक्तप्त पर या उससे पहि उत्पादन पट्टा नदया गया हो, जैसा भी मामि हो;

- (ण) अनुज्ञक्तप्तधारी खोज संबंधी संनिया प्रारंभ करने से कम ये कम दो मास पहि निभाग, ननदेशािय, प्रशासननक प्रानधकारी, भारतीय खान ब्यूरो और नौसेना मुख्यािय (नौसेना आसूचना ननदेशािय), रक्षा मंत्रािय को नोनटस देगा, तानक यह सुनननश्चत नकया जा सके नक ऐसी संनियाओं से संनिया संबंधी क्षेत्र में नकसी भी नौसैननक अभ् यास में बाधा न आए;
- (त) यनद निदेशी अनधिनसत इकाईयां या निदेशी ईकाईयां या ठेकेदार, कानमाक, जियान या उपस् कर खोज संबंधी संनियाओं के निे ननयुि या तैनात नकए जाते हः, तो सरकारी प्रानधकारर्यों से पूिा अनुमोदन प्राप्त नकया जाएगा, नजसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा अननिया घोनषत नकए गए कोई निनश ट अनुमोदन भी सक्त मनित है; एकत्र नकया गया कोई भी आंकडा और नन्पानदत काया अनुज्ञक्तप् तधारी के भारतीय प्रनतननधयों के पयािेक्षण और ननयंत्रण में होगा, जो उनचत सुरक्षा उपाय सुननक्तश् चत करेंगे;
- (थ) अनुज्ञक्तप्तधारी यह सुनननश्चत करेगा नक खोज संबंधी संनियाओं के दौरान उत्पन्न आंकडा, नजसमें कोई भी भूिैज्ञाननक आंकडा भी सक्त मनित है, भारत में निदेशी इकाईयों या ठेकेदारों द्वारा संसानधत नकया जाता है तथा ऐसा संसानधत और गैर-संसानधत आंकडा नकसी निदेशी इकाई को केिि प्रशासननक प्रानधकारी के पूिा अनुमोदन से ही नदया जा सकता है;
- (द) खोज संबंधी संनियाओं के निे अनुज्ञक्तप्तधारी द्वारा स्वयं या अनुबंनधत कंपननयों द्वारा तैनात नकए जाने िािे सभी जियानों और स्थानपत नकए जाने िािे प्रनतष्ठानों को उनकी तैनाती से पहि संबंनधत नौसेना कमान के फ्लैग अफसर कमानडंग-इन-चीफ और फ्लैग अफसर, अपतट रक्षा साहकार समूह के तत्वािधान में भारतीय नौसेना के सुरक्षा ननरीक्षण से गुजरना होगा और उसे मंजूरी देनी होगी और ऐसे ननरीक्षण और मंजूरी को सुकर बनाने के निे अनुज्ञक्तप्तधारी द्वारा ि अनधकारर्यों को एक मास का स्पष्ट नोनटस नदया जाएगा;
- (ध) अनुज्ञक्तप्तधारी द्वारा खोज संबंधी संनियाओं के निे तैनात नकए जाने िािे सभी जियानों को िानणज् य पोत पररिहन अनधननयम, 1958 (1958 का 44) और उसके अधीन बनाए गए ननयमों के अनुसार नौिहन महाननदेशािय से पूिा मंजूरी प्राप्त करनी होगी;
- (न) अनुबंनधत कंपननयों या व्यक्तियों को संनिदा अनधननणीत करने के संबंध में सूचना, संनिदा इकाई का नाम, संनिदा की अनध, संनिदा की निषय-ितुतु, प्रयुि उपस् करों की प्रकृनत और एकत्र नकए जाने िािे आंकडा, यनद कोई हो, सनहत अनुबंधों के सुसंगत ब यौरा के साथ, अनुज्ञक्तप्तधारी द्वारा प्राचिन प्रारंभ करने के पूिा, प्रशासननक प्रानधकारी को एक प्रनत के साथ नौसेना मुख्यािय (नौसेना आसूचना ननदेशािय), रक्षा मंत्रािय को भेजा जाएगा, नजसमें संनिया संबंधी कंपननयों द्वारा जियानों की तैनाती पर छह मास िंबा मामि उपिब्ध कराया जाएगा;
- (प) जियानों पर सार सभी निदेशी कानमाकों के निे िीजा और अ् य अनुमनतयां जो तत् समय प्रिनत निनध के अधीन आि् यकता हो सकती है, सरकारी प्रानधकारी से प्राप्त करनी होंगी;
- (फ) अनुज्ञक्तप्तधारक खोज संबंधी संनियाओं के निे तैनात सभी जियानों और उपस् करों तथा जियानों पर सार कनमायों की सुरक्षा के निे सभी पूिािधानी उपाय करेगा;

- (ब) अनुज्ञक्तप्तधारी समुद्री सुरक्षा चेतानिनयां जारी करने के लिए, अनुज्ञक्तप्त क्षेत्र के भीतर तैनात सभी जियानों, मौजूदा और ननमाणाधीन अपतट प्रनतष्ठानों या लेटेटफामों, उपस् करों और मशीनरी के ननदेशांकों को दशाते हुए स्थान की सूचना तुरंत फ्लैग अफसर, अपतट रक्षा सिहकार समूह और प्रशासननक प्रानधकारी को देगा और उसके बाद जब भी इसे स्थानांतरत नकया जाता है, इसके नए स्थान की सूचना देगा;
- (भ) अनुज्ञक्तप्तधारी नौहिन के प्रयोजनों या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रानधकृत नकसी अन्य उद्देश्य के लिए मान्यता प्राप्त समुद्री मार्गों में नकसी भी मार्ग के अनधकार में हतुतक्षेप नहीं करेगा;
- (म) अनुज्ञक्तप्तधारी, अन्य अनुज्ञक्तप्तधाररयों या पट्टेधाररयों को नकसी ऐसे क्षेत्र में पहुंच की उनचत सुनिधाएं देगा जो अनुज्ञक्तप्तधारी द्वारा धाररत अनुज्ञक्तप्त क्षेत्र में समानहत है या उससे सटा हुआ है या उससे पहुंचा जा सकता है:

परंतु अनुज्ञक्तप्तधाररयों या पट्टेधाररयों द्वारा अनुज्ञक्तप्तधारी के संनिया संबंधी में कोई सारभूत बाधा या हतुतक्षेप नहीं नकया जाएगा और उनचत प्रनतकर, जैसे नक पारस्पररक रूप से सहमत हो सकता है या असहमत की क्तस्थनत में जैसा नक प्रशासननक प्रानधकारी द्वारा तय नकया जा सकता है, अनुज्ञक्तप्तधारी को अनुज्ञक्तप्तधारी द्वारा उठाए गए नकसी भी नुकसान या क्षनत के लिए भुगतान नकया जाएगा;

- (य) अनुज्ञक्तप्तधारी अनुज्ञक्तप्त क्षेत्र के भीतर सरकारी प्रानधकारी द्वारा निनधित प्रानधकृत नकसी प्रचािक द्वारा नकए जा रहे या नकए जाने के लिए प्रतुतानित नकसी भी पेटरोनियम संनिया संबंधी या अपतट पिन ऊजाा पररयोजनाओं से संबंनधत नकसी संनिया संबंधी या ऐसे अन्य पररचािनों में बाधा या हतुतक्षेप से बचने के लिए अपने सित्तम प्रयास करेगा;
- (यक) अनुज्ञक्तप्तधारी यह सुनननश्चत करेगा नक अनुज्ञक्तप्त क्षेत्र में खोज संबंधी संनियाओं के प्रयोजनों के लिए तैनात सभी कानमाक, जियान, संस् थापन, उपस् कर और असंरचना का, संयुि अनुज्ञक्तप्त की अनध के दौरान, हर समय अनुज्ञक्तप्तधारी द्वारा तत् समय प्रित नकसी निनध के अधीन िागू ऐसी निननयामक अपेक्षाओं और अन्य ननबंधनों और शतें, जो केन्द्रीय सरकार या प्रशासननक प्रानधकारी द्वारा निनननदाष्ट की जाए, के अनुसार बीमा कराया जाएगा;
- (यख) केन्द्रीय सरकार या निभाग को हर समय उस अनुज्ञक्तप्त क्षेत्र से ननकािे गए खननजों के अग्रिय का अनधकार होगा, नजसके संबंध में संयुि अनुज्ञक्तप्त प्रदान की गई है:
- परंतु, अग्रिय के समय प्रचनित ननदेशािय द्वारा प्रकानशत औसत नितिय कीमत का भुगतान अनुज्ञक्तप्तधारी को ऐसे सभी खननजों के लिए नकया जाएगा;

[भागII—खण् ड3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण

15

- (यग) अनुज्ञक्तप्तधारी, सक्षम प्रानधकारी और इस संबंध में प्रशासननक प्रानधकारी या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रानधकृत नकसी अनधकारी के अनुमोदन के अधीन और उसके अनुसार नकसी भी दूरसंचार केबि, अपतट पिन चक्की जनरेटर, अपतट नबजीी उप-स्टेशन, तेि लेटेटफामा या पाइपिाइन, पानी के नीचे के पुराताक्त्वक स्थिों, रक्षा स् थापनों या नकसी पत् तन क्षेत्र से पांच सौ मीटर की दूरी के भीतर नकसी भी नबंदु पर कोई खोज संबंधी संनिया नहीं करेगा या करने की अनुमत नही देगा, और पांच सौ मीटर की डि दूरी यथाक्त्वस्थनत, सुसंगत जियान, संरचना या स्थापना के बाहरी नकनारे से मापी जाएगी;
- (यघ) केन्द्रीय सरकार, या उस संबंध में प्रशासननक प्रानधकारी या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रानधकृत नकसी पट्टेदार या व्यक्ति को, कोई पाइपिाइन, केबि, अपतट पिन चक्की जनरेटर, अपतट निद्युत उप-स्टेशन नबछाने या उसका रख रखाि करने, उसकी मर मत करने या

उसे बढिने के निऐ उसके ऊपर या उसके माध् यम से या, यथाक्त्स्थनत, केन्द्रीय सरकार या प्रशासननक प्रानधकारी द्वारा प्रानधकृत नकसी अन्य प्रयोजन के निऐ अनुज्ञक्त्प त क्षेत्र में करने का अनधकार होगा:

परंतु, अनुज्ञक्त्पतधारी की स्वतंत्रता, शक्तियों और निशेषानधकारों में कोई सारभूत बाधा या हतुतक्षेप नहीं नकया जाएगा, और उनचत प्रनतकर, नजस पर परस्पर सहमनत हो, या असहमनत की क्त्स्थनत में, जो प्रशासननक प्रानधकारी द्वारा तय नकया जाए,—

- (i) अनुज्ञक्त्पतधारी को ऐसे अ् य पट्टेदार या यथाक्त्स्थनत, प्रशासननक प्रानधकारी या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रानधकृत व्यक्ति, सारभूत, द्वारा अनुज्ञक्त्पतधारी को पहुंचाई गई सभी हानन या नुकसानी या सारभूत बाधा या हतुतक्षेप के निऐ; या
- (ii) अनुज्ञक्त्पतधारी द्वारा ऐसे अन्य पट्टेदार या यथाक्त्स्थनत प्रशासननक प्रानधकारी या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रानधकृत व्यक्ति को, अनुज्ञक्त्प तधारी द्वारा पहुंचाई गई सभी हानन या नुकसानी या सारभूत बाधा या हतुतक्षेप के निऐ, नदया जाएगा;
- (यङ) अनुज्ञक्त्पतधारी, खोज संबंधी संनियाओं के दौरान होने िािी नकसी दुघाटना की ररपोटा, जो मृत्यु या गंभीर शारीररक क्षनत या संपनत्त को गंभीर क्षनत पहुंचाती हो या जीििन या संपनत्त को गंभीर रूप से प्रभानित या खतरे में डाििती हो, नबना नकसी देरी के, पोत पररिहन महाननदेशािय, महाननदेशक, भारतीय तटरक्षक, प्रशासननक प्रानधकारी और नकसी अन्य सरकारी प्रानधकारी को अग्रेनषत करेगा;
- (यच) अनुज्ञक्त्पतधारी, खोज संबंधी संनियाओं के संबंध में, प्रशासननक प्रानधकारी की पूिा स् िीकृत के नबना, नकसी ऐसे व्यक्ति को ननयुि नहीं करेगा जो भारतीय नागररक नहीं है;
- (यछ) अनुज्ञक्त्पतधारी अपने अभयानों को इस प्रकार नहीं करेगा नजससे नकसी व्यक्ति को क्षनत पहुंचे या नकसी संस् थापन, जियान, संकमा, संपनत्त या अन्य व्यक्तियों के अनधकारों पर प्रनतकूि प्रभाि पडे तथा अनुज्ञक्त्पतधारी द्वारा खोज संबंधी संनियाओं के निऐ नकसी अपतट क्षेत्र का उपयोग नहीं नकया जाएगा, जो संयुि अनुज्ञक्त्पत में सक्त् मनित नहीं ह;
- (यज) अनुज्ञक्त्पतधारी, यथाक्त्स्थनत, अनुज्ञक्त्पत प्रशासननक प्रानधकारी या नकसी अन्य सरकारी प्रानधकारी के समाधान के निऐ अनुज्ञक्त्पत क्षेत्र में जियानों, संस् थापनों या अन्य उपस् करों की सुरक्षा, सुननक्त्श् चत करेगा; तथा;
- (यझ) अनुज्ञक्त्पतधारी खोज संबंधी संनियाओं को उनचत रुप से, कुशि और कुशिता करेगा।
- (2) अनधननयम और उसके अधीन बनाए गए ननयमों या संयुक् त अनुज्ञक्त्पत के अधीन नकसी भी ननयम और शता को पूरा करने में अनुज्ञक्त्पतधारी की ओर से निफिता से केन्द्रीय सरकार या

प्रशासननक प्रानधकारी या निभाग को अनुज्ञक्त्पतधारी के निरुद्ध कोई दािा प्राप्त नहीं नमिगा या इसे संयुि अनुज्ञक्त्पत का उलंघन नहीं माना जाएगा, जहां तक ऐसी निफिता को केन्द्रीय सरकार या प्रशासननक प्रानधकारी या निभाग द्वारा नकसी अप्रत् यानशत घटना कारण से उत्पन्न माना जाता है और नकसी अप्रत् यानशत घटना के कारण अनुज्ञक्त्पतधारी द्वारा अनधननयम और उसके अधीन बनाए गए ननयमों या संयुि अनुज्ञक्त्पत के अधीन नकसी भी ननयम और शता को पूरा करने में पट्टेदार द्वारा नकसी नििंब की क्त्स्थनत में, ऐसे नििंब की अनध को इन ननयमों या संयुि अनुज्ञक्त्पत द्वारा ननधाररत अनध में जोड नदया जाएगा;

स्पष्टीकरण.— इस खंड के प्रयोजनों के निऐ, अनभक् व्यक्ति “अप्रत्यानशत घटना” से दैिीय कृत्य, युद्ध, निप् िि, बििा, नसनिि अशांनत, हडताि, भूकंप, तूफान, ज्वारीय िहर, बाढ, आकाशीय निद्युत, निस्फोट, आग और नकसी अन्य घटना अनभप्रेत है नजसे अनुज्ञक्त्पतधारी उनचत रूप से रोक या ननयनत्रत नहीं कर सकता है।

- (3) उप-ननयम (1) में निम्नलिखित शर्तों के अनुरारि, संयुि अनुज्ञत्तपत्त में ननम्ननिक्त्तखत्त शर्तें अन्तिन् ट हो सकती हः, नजन्हें निभाग या ननदेशािय या प्रशासननक प्रानधकारी या केंद्रीय सरकार, अनधरोनपत्त करना उपयुक् त समझे, अथात्:—
- (i) तीसरे पक्ष के दािों के निरुद्ध केंद्रीय सरकार, निभाग और प्रशासननक प्रानधकारी को क्षनतपूनता;
 - (ii) समुद्री क्षेत्रों, नजसके अधीन समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री अभयारण्य या कोई अ् य क्षेत्र भी है, केंद्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित नकए जाए, में समुद्री पाररक्त्तस्थनतकी तंत्र के संरक्षण के ननिरण और ननयंत्रण तथा उसके संरक्षण से संबंनधत्त उपाय;
 - (iii) नकसी भी सक्षम प्रानधकारी द्वारा प्रनतनषद्ध नकसी भी क्षेत्र में खोज संबंधी संनियाओं पर ननबाधन;
 - (iv) दुघाटनाओं की ररपोनटिंग;
 - (v) अपत्त क्षेत्रों के कनतपय नहस्ों में प्रिश के संबंध में शर्तें;
 - (vi) अनुज्ञत्तपत्तधारक द्वारा अनुज्ञत्तपत्त क्षेत्र या आरुन क्षेत्रों में अन्य खननजों, खननज तेि और हाइडरोकाबान संसाधनों पर काम करने के निए दी जाने िािी सुनिधाएं; और
 - (vii) संयुक् त अनुज्ञत्तपत्त प्रदान करने हेतु नीिामी के निए नननिदा दत्तुतािेज में निम्नलिखित अन्य शर्तें।
- (4) प्रशासननक प्रानधकारी, निभाग या केन्द्रीय सरकार के अनुरोध पर निभाग या केन्द्रीय सरकार के पूिा अनुमोदन से, और शर्तें अनधरोनपत्त कर सकेगा, जो खननजों के संरक्षण और निकास के नहत में आिश्यक हों।
- (5) अनधननयम और उसके अधीन बनाए गए ननयमों के अधीन नकसी अनुज्ञत्तपत्तधारी पर िगार्ई गई नकसी शता के भंग की क्त्तस्थनत में, केन्द्रीय सरकार निभाग के परामशा के बाद और प्रशासननक प्रानधकारी को सूचना देकर निक्त्तखत्त आदेश द्वारा संयुि अनुज्ञत्तपत्त को व् यपगत कर सकती है और प्रशासननक प्रानधकारी को अनुज्ञत्तपत्तधारी द्वारा प्रत्तुत्त पाििन प्रनतभूत को पूणात्तः या भागतः रूप से समपहत कर सकेगी तथा अनधननयम और उसके अधीन बनाए गए ननयमों के अनुसार ऐसी अन्य कारािाई कर सकेगी:
- परंतु, अनुज्ञत्तपत्तधारी को सुनिाई का समुनचत्त असर नदए नबना तथा निक्त्तखत्त में कारण अनभनिक्त्तखत्त नकए नबना ऐसा कोई आदेश नहीं नदया जाएगा।

[भागII—खण् ड3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण

17

12. उत्पादन पट्टे की शर्तें और भनबंधन.—प्रत्येक उत्पादन पट्टा ननम्ननिक्त्तखत्त शर्तों के अधीन होगा, अथात्: —

- (क) पट्टेदार को सदैि अनधननयम, ननयमों और परमाणु ऊजाा अनधननयम, 1962 (1962 का 33) सनहत तत् समय प्रित सभी अ् य निनधयों के उपबंधों का पाििन करना होगा;
- (ख) पट्टेदार, उत्पादन पट्टा अनध के प्रत्येक िषा के निए, अनधननयम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित दरों पर ऐसा िानषाक ननयत्त नकराया संदत्त करेगा, और यनद उत्पादन पट्टा एक ही क्षेत्र में एक से अनधक खननजों के खनन की अनुमनत्त देता है, तो केन्द्रीय सरकार प्रत्येक खननज के संबंध में अिग-अिग ननयत्त नकराया प्रभाररत्त नहीं िेगी:

परंतु, पट्टेदार प्रत्येक खननज के संबंध में ननयत्त नकराया या स्िानमस्ि, जो भी अनधक हो, का भुगतान करने के निए उत्तरदायी होगा;

- (ग) पट्टेदार उत्पादन संनियाओं के प्रयोजनों के निए उसके द्वारा उपयोग नकए जाने िािे नकसी क्षेत्र के निए सतह नकराया और अन्य िागू प्रभार, फीस, कर, उपकर, शुल्क और

उदग्रहणों का भी भुगतान करेगा, जो ऐसे क्षेत्र के लिए िागू हो, जो केंद्रीय सरकार द्वारा निनननदाष्ट या अनधरोनपत नकया जाए;

- (घ) पट्टेदार उत्पादन पट्टा नििेख के संपादन की तारीख से अनधननयम की धारा 14 के खंड
(ग) के अधीन यथा नननदाष्ट दो िषा की अनध के भीतर उत्पादन संनिया संबंधी प्रारंभ करेगा
और उसके पश्चात् इन उनचत रूप से, कौशि और कुशिता से ऐसी संनियाओं का संनिया संबंधी संचानित करेगा;

स्पष्टीकरण.—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, “उत्पादन संनिया संबंधी” में नकसी भी जियान की तैनाती, बोया का पररननमाण, इंजन या मशीनरी का संनिया संबंधी, उपस् करों का कायान्वयन, पट्टा क्षेत्र में कृन्त्रम द्वीप या मंच का संननमाण या खननजों को प्राप् त करने के उद्देश्य से नक गई कोई भी अन्य संबंधी संनिया सक्त मनित होगा;

- (ङ) पट्टेदार, सक्षम प्रानधकारी और इस संबंध में प्रशासननक प्रानधकारी या केंद्रीय सरकार द्वारा प्रानधकृत नकसी अनधकारी के पूर्ा अनुमोदन के अधीन और उसके अनुसार के नसाय नकसी भी दूरसंचार केबि, अपतट निद्यतु उप-स् टेशन, तेि मंच या पाइपाइनों, पानी के नीचे के पुराताक्तत्वक स्थिों, रक्षा स् थापनों या नकसी पत् तन क्षेत्र से पांच सौ मीटर की दूरी के भीतर नकसी भी नबंदु पर कोई उत्पादन संबंधी संनिया नहीं करेगा या करने की अनुमनत नहीं देगा, और पांच सौ मीटर की डि दूरी यथा िागू, सुसंगत जियान, संरचना या स्थापना के बाहरी नकनारे, से मापी जाएगी;

- (च) पट्टेदार ननमृनिक्तखत की पररमाप और अन्य निनशक्तयां दनशात करते हुए, सटीक और सही िेखा रखेगा—

- (i) पट्टा क्षेत्र से प्राप्त और भेजे गए सभी खननज;
- (ii) पट्टा क्षेत्र से उत्खननत अपनशष्ट पदाथा;
- (iii) उसमें ननयोनजत व्यक्तियों की संख्या और राष्ट्रियता;
- (iv) पट्टा क्षेत्र की पूर्णा योजनाएं, तथा निभाग या ननदेशािय या केन्द्रीय सरकार या प्रशासननक प्रानधकारी द्वारा इस नननमत्त प्रानधकृत नकसी अनधकारी को उसके द्वारा रखे गए नकसी खाते, योजना, डाटा िॉग और अनभिखों की नकसी भी समय जांच करने की अनुमनत देगा और प्रशासननक प्रानधकारी को ऐसी जानकारी और

नििरनणयां प्रदान करेगा, नजनकी िह या उसके द्वारा इस नननमत्त प्रानधकृत कोई अनधकारी अपेक्षा करें; और

- (v) उत्पादन पट्टे में निनननदाष्ट कोई अन्य ररपोनटिंग अपेक्षाएं;
परंतु निनहत पदार्थों िािे खननजों के मामि में ऐसी जानकारी और नििरनणयां केिि ननदेशािय के ननदेशक को ही प्रतुतुत की जाएंगी;

- (छ) पट्टेदार उत्पादन पट्टे के अधीन पट्टेदार द्वारा नकए गए उत्पादन संनियाओं के दौरान पट्टेदार द्वारा नकए गए सभी उत्खनन, गड्ों और नडरनिंग का सटीक अनभिख रखेगा और निभाग या ननदेशािय या केंद्रीय सरकार या प्रशासननक प्रानधकरण द्वारा प्रानधकृत नकसी अनधकारी को उनका ननरीक्षण करने की अनुज्ञा देगा और ऐसे अनभिख में ननमृनिक्तखत निनशक्तयां सक्त मनित होंगी, अथात:—

- i. समुद्र ति के नीचे की उप-भून्म और परत नजसके माध्यम से ऐसा उत्खनन, गड्े या नडरनिंग गुजरती है;
- ii. पाए गए नकसी भी खननज का ब यौरा; और
- iii. ऐसे अन्य ब यौरा नजनकी निभाग या ननदेशािय या केन्द्रीय सरकार या प्रशासननक प्रानधकारी को अपेक्षा हो;

- (ज) पट्टेदार अपतट क्षेत्रों में जियानों, स्थापनों, मशीनरी, इंजन, लेटेफामा, डरोन और अन्य स्थापनों या उपस्करणों की आजाही और तैनाती से संबंधित सभी विंगू निनधियों और निननयमों का पालन करेगा;
- (झ) पट्टेदार यह सुनिश्चित करेगा कि अपतट क्षेत्रों में उसके द्वारा तैनात नकया गया कोई भी जियान, स्थापन, मशीनरी, इंजन, लेटेफामा, डरोन और अन्य स्थापनों या, उपस्करणों में उपग्रह टरैनकंग उपस्करणों और यात्रा आंकड़ा ररकॉडर जैसे उपस्करणों विंगे हों और उनका उपयोग नकया जाए, जो उनके नियाकिपों की मॉनीटरी, और ररपोटा करते हों;
- (ञ) पट्टेदार, निभाग या ननदेशीय या केन्द्रीय सरकार या प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत नकसी अनधिकारी को ननरीक्षण करने के उद्देश्य से पट्टा क्षेत्र में नकसी भी जियान, लेटेफामा, स्थापना या नकसी अन्य बुननयादी ढांचे में प्रिश करने की अनुमति देगा;
- (ट) जब कभी भी तटीय बाह्य खननज भंडारों या भारी खननज भंडारों या अन्य खननजों के साथ परमाणु खननज युक्त क्षेत्रों के लिए उत्पादन संनिया की जाती है, तो पट्टेदार को खनन नकए गए खननजों की सूची के अनभिख और बयौरा, इन खननजों के उत्पादन पद्धति और भंडारण स्थान का बयौरा, ऐसे खननजों का टन भार, खननज निज्ञान, इन खननजों के संरक्षण के लिए पूणा सामग्री संतुलन को यथास्थान खननज सामग्री के संबंध में बनाए रखना होगा:
- परंतु, समुद्र तट की रेत के खननजों के मामि में, समुद्र तट की रेत के खननजों से विानणक्तिक नहत के एक या अनधिक भारी खननजों को तरजीही रूप से अिग करने से अननिया रूप से शेष समुद्र तट की रेत में मोनाजाइट सनहत अन्य खननजों और परमाणु खननजों की सापेक्ष सामग्री में विृक्तद्ध होगी और पट्टेदार—
- (i) उत्पादन संनियाओं और खननज सज्जीकरण कायाकिपों के दौरान उत्पन्न अपनशष्ट और अिशेषों की मात्रा का बयौरा बनाए रखेगा;
- (ii) योजनाओं और रनजस्टरों में स्पष्ट रूप से भंडारण स्थान का रखरखावि;
- [भागII—खण् ड3(i)] भारत का राविपत्र : असाधारण
- 19
- (iii) परमाणु खननजों के संरक्षण के संबंध में निभाग के पूर्विानुमोदन और रेनडयोविॉनजकि सुरक्षा के संबंध में बोडा द्वारा जारी ननदेशों के नबना ऐसी सामनग्रयों का अंतरण, निविय या ननपटारा नहीं करेगा;
- (ठ) केन्द्रीय सरकार या निभाग को हर समय उस पट्टा क्षेत्र से प्राप्त खननजों के अग्रिय का अनधिकार होगा नजसके संबंध में उत्पादन पट्टा प्रदान नकया गया है:
- परंतु अग्रिय के समय प्रचनित ननदेशीय द्वारा प्रकानशत औसत निविय कीमत का भुगतान पट्टेदार को ऐसे सभी खननजों के लिए नकया जाएगा;
- (ड) पट्टेदार भनिष्य में उपकृत के लिए अप्रयुवि या गैर-निविय योग्य, उप-श्रेणी अयस्कों या खननजों का पट्टा क्षेत्र के भीतर उनचत रूप से भंडारण और विेखाओं का रख रखावि होगा;
- (ढ) पट्टेदार उत्पादन संनियाओं से प्रभानित समुद्र तट के प्राकृतिक पुन्यास को सक्षम करने के लिए सभी आश्यक कदम उठाएगा और उपाय करेगा, नजसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा निनननदाष्ट कोई भी उपाय सक्त मनिह होंगे;
- (ण) पट्टेदार अनधननयम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए ननयमों का भी अनुपालन करेगा, नजनमें अनधननयम की धारा 19 के अधीन बनाए गए ननयम तथा अनधननयम की धारा 21 के अधीन जारी ननदेश सक्त मनिह ह;
- (त) पट्टेदार अपने संबंधी संनियाओं को इस प्रकार नहीं चिाएगा नजससे नकसी व्यक्ति को क्षनत पहुंचे या नकसी अय व यक्तक् त के नकसी स्थापन, जियान, संनिया संबंधी, संपनत या अनधिकार पर प्रनतकूवि प्रभावि पडे तथा पट्टेदार द्वारा उत्पादन संनियाओं या ऐसे उद्देश्य

के लिए नकसी अपतट क्षेत्र का उपयोग नहीं नकया जाएगा जो उत्पादन पट्टे में सक्त मनिन नहीं ह;

(थ) पट्टेदार चांिन के प्रयोजनों के लिए या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रानधकृत नकसी अन्य प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त समुद्री मार्गों में नकसी भी मार्ग के अनधकार में हतुतक्षेप नहीं करेगा;

(द) पट्टेदार नकसी भी अनुज्ञक्तप् तधारी या पट्टेदार को नकसी भी ऐसे क्षेत्र में पहुंच की उनचत सुनिधाएं देगा जो पट्टेदार द्वारा धाररत पट्टा क्षेत्र में समानहत है या उससे सटा हुआ है या उससे पहुंचा जा सकता है:

परंतु, अनुज्ञक्तप् तधारी या पट्टेदार द्वारा पट्टेदार के संनियाओं में कोई सारभूत बाधा या हतुतक्षेप नहीं नकया जाएगा और पट्टेदारों कोई हुई नकसी भी हानन या क्षनत के लिए उनचत प्रनतकर नजस पर पारस्पररक सहमनत हो या असहमनत की क्तस्थनत में, जो प्रशासननक प्रानधकारी द्वारा तय नकया जाए उनके द्वारा पट्टेदार को नदया जाएगा;

(ध) पट्टेदार, पट्टा क्षेत्र के भीतर सरकारी प्रानधकरी द्वारा स यक रूप से प्रानधकृत नकसी प्रचांिक द्वारा नकए जा रहे या नकए जाने के लिए प्रतुतानित नकसी भी पेटरोनियम संनिया या अपतट पिन ऊजाा पररयोजनाओं से संबंनधत नकसी संनिया संबंधी या ऐसे अन्य संनियाओ में बाधा या हतुतक्षेप से बचने के लिए अपने सौत्तम प्रयास करेगा;

(न) उस संबंध में निभाग, ननदेशांिय, प्रशासननक प्रानधकारी या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रानधकृत नकसी पट्टेदार या व् यक्तक् त को, कोई पाइपिइन, केबि, अपतट पिन चक्की जनरेटर, अपतट निद्युत उप-स् टेशन नबछाने या उसका रख रखांि करने उसकी मर मत करने या उसे बदिने के लिए उसके ऊपर या उसके माध् यम से या यथाक्तस् थनत, केन्द्रीय सरकार या प्रशासननक प्रानधकारी द्वारा प्रानधकृत नकसी अन्य प्रयोजन के लिए, अनुज्ञक्तप् त क्षेत्र में प्रिश करने का अनधकार होगा:

परंतु, अनुज्ञक्तप् तधारी की स्वतंत्रता, शक्तियों और निशेषानधकारों में कोई सारभूत बाधा या हतुतक्षेप नहीं नकया जाएगा और उनचत प्रनतकर, नजस पर परस्पर सहमनत हो, या असहमनत की क्तस्थनत में, जो प्रशासननक प्रानधकारी द्वारा तय नकया जाए,—

i. अनुज्ञक्तप् तधारी को ऐसे अन्य पट्टेदार या यथाक्तस् थनत, प्रशासननक प्रानधकारी या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रानधकृत व्यक्ति द्वारा अनुज्ञक्तप् तधारी को पहुंचाई गई सभी हानन या नुकसानी या सारभूत बाधा या हतुतक्षेप के लिए; या

ii. अनुज्ञक्तप् तधारी द्वारा ऐसे अन्य पट्टेदार या यथाक्तस् थनत, प्रशासननक प्रानधकारी या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रानधकृत व्यक्ति, को अनुज्ञक्तप् तधारी द्वारा पहुंचाई गई सभी हानन या नुकसानी या सारभूत बाधा या हतुतक्षेप के लिए नदया जाएगा;

(प) पट्टेदार अपने स्वयं के व्यय पर निभाग, ननदेशांिय, प्रशासननक प्रानधकारी और अ् य संबंनधत सरकारी प्रानधकाररयों नजसके अधीन भारतीय तटरक्षक और भारतीय नौसेना भी है, के समाधान के लिए पट्टा क्षेत्र की सीमा को नचनित करने िांिे सभी नोनटस या प् िांिकों या नचह या बोया को स् थानपत, अनुरनक्षत, प्रदनशात और मरित करेगा;

(फ) पट्टेदार जियान या स् थापन पर उत्पादन संनिया के दौरान एकत्र नकए गए डाटा के दैननक िांंग का अनुरक्षण करेगा, नजसके द्वारा पट्टा क्षेत्र में ऐसी संनिया संबंधी की जा रहे ह; और निभाग या ननदेशांिय या केन्द्रीय सरकार या इस संबंध में प्रशासननक प्रानधकारी द्वारा प्रानधकृत नकसी अनधकारी को ऐसे आंकडा िांंग का ननरीक्षण करने की अनुमनत देगा और पट्टेदार उत्पादन पट्टे में निनननदाष्ट नकही अन्य अपेक्षाओं का भी अनुपांिन करेगा;

(ब) पट्टेदार को सभी उत्पादन डाटा, ररपोटा, नमूने, नजनमें अधीन ननयोनजत व्यक्तियों की संख्या, से, उत्पादन क्षेत्रों से संबंनधत भूिज्ञाननक और भूभौनतकीय डाटा, इंजीननयररंग

सिक्खण, परमाणु खननजों की गिषण प्राप्त नकए गए और ननकांिे गए खननजों की मात्रा और उत्पादन संबंधी संनिया के अनुसरण में अपने द्वारा एकत्र की गई अन्य सुसंगत जानकारी सक्त मनित है, ननदेशांिय, भारतीय भूिैज्ञाननक सिक्खण, प्रशासननक प्रानधकारी, भारतीय खान ब्यूरो और ऐसे अन्य प्रानधकरण को, जो निनननदाष्ट कया जाए, को उपिब ध कराने होगी और ननमननक्तखत ररपोटा प्रतुतुत करनी होगी, अथात:—

(i) िषा की समाक्तप्त के पश्चात् साठ नदनों की अिनध के भीतर िानषाक ररपोटा;

(ii) उत्पादन पट्टे में निनननदाष्ट कोई अन्य ररपोटा;

(भ) पट्टेदार उत्पादन संनिया संबंधी के दौरान एकत्र नकए गए नकसी भी डाटा को प्रशासननक प्रानधकारी के पूिा अनुमोदन के नबना भंडारण, प्रसंस्करण या ननिाचन के निे नकसी तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं करेगा;

(म) पट्टेदार उस नुकसानी, क्षनत, या व्धिधान के निे, जो उसके द्वारा पहुँचाया जाए, तत्समय प्रित्त निनध के अनुसार प्रनतकर का भुगतान करेगा तथा नकसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा नकसी ऐसी नुकसानी, क्षनत या व्धिधान तथा उससे संबंनधत सभी खचों और व्ययों के संबंध में नकए जाने िांिे सभी दांिों के निरुद्ध निभाग, प्रशासननक प्रानधकारी और केन्द्रीय सरकार को क्षनतपूनता करेगा और क्षनतपूनता करता रहेगा;

(य) यनद निदेशी अनधिनसत इकाई या निदेशी इकाई या ठेकेदार, कानमाक, जियान या उपस्कर उत्पादन संनिया संबंधी करने के निे ननयोनजत या तैनात नकए जाते ह:, सरकारी प्रानधकाररयों से पूिा अनुमोदन नजसके अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा आज्ञापक की है निनननदाष्ट अनुमोदन भी ह:, प्राप् त नकया जाएगा, तथा एकत्र नकया गया कोई भी डेटा और की

[भागII—खण् ड3(i)]

भारत का रंिपत्र : असाधारण

21

गई संनिया संबंधी पट्टेदार के भारतीय प्रनतननधयों के पयांिेक्षण और ननयंत्रण में होगा, जो उनचत रक्षोपाय सुनननश्चत करेंगे;

(यक) पट्टेदार, प्रशासननक प्रानधकारी या नकसी अन्य सरकारी प्रानधकारी के समाधान के निे, पट्टा क्षेत्र में जियानों, स् थापनों या नकसी अन्य उपस्कर की सुरक्षा सुनननश्चत करेगा;

(यख) पट्टेदार यह सुनननश्चत करेगा नक उत्पादन प्रचांिों के दौरान जननत डाटा, नजसमें कोई भूिैज्ञाननक डाटा भी सक्त मनित है, का प्रसंस्करण भारत में निदेशी संस्थाओं या ठेकेदारों द्वारा नकया जाता है, तो ऐसा प्रसंस् कृत और अप्रसंस्कृत डाटा नकसी निदेशी संस्था को केिि प्रशासननक प्रानधकारी के पूिा अनुमोदन से ही नदया जा सकता है;

(यग) पट्टेदार पररचांिन प्रारंभ करने से कम से कम दो महीने पहि निभाग, ननदेशांिय, प्रशासननक प्रानधकारी, भारतीय खान ब्यूरो और नौसेना मुख्यांिय (नौसेना आसूचना ननदेशांिय), रक्षा मंत्रांिय को, यह सुनननश्चत करने के निे नोनटस देगा नक ऐसे संनिया संबंधी क्षेत्र में नकसी भी नौसैननक अभ्यास में बाधा न डांिें;

(यघ) उनकी तैनाती से पहि, पट्टेदार यह सुनननश्चत करेगा नक पट्टेदार या संनिदाकृत कंपननयों द्वारा पट्टा क्षेत्र में तैनात नकए जाने िांिे सभी जियानों और स्थानपत नकए जाने िांिे स् थापनों को संबंनधत नौसेना कमान के फ्लैग ऑनफसर कमानडंग-इन-चीफ और फ्लैग ऑनफसर, ऑफशोर नडफेंस एडिाइजरी ग्रुप के तत्वांिधान में भारतीय नौसेना के नौसैननक सुरक्षा ननरीक्षण से गुजरना होगा और उसमें सफि होना होगा और ऐसे ननरीक्षण और मंजूरी को सुकार बनाने के निे पट्टेदार द्वारा पूिोि अनधकाररयों को एक महीने का स्पष्ट नोनटस नदया जाएगा;

(यङ) पट्टेदार द्वारा उत्पादन संनियाओं के निे तैनात नकए जाने िांिे सभी जियानों को िानणज् य पोत अनधननयम, 1958 (1958 का 44) और उसके अधीन बनाए गए ननयमों के अनुसार पोत पररिहन महाननदेशांिय से पूिा मंजूरी प्राप्त करनी होगी;

- (यच) पट्टेदार यह सुनननश्चत करेगा नक संनिदाकृत कंपननयों या व्यक्तियों को संनिदा नदए जाने के संबंध में सूचना, संनिदाकृत इकाई का नाम, संनिदा की अनिध, संनिदा की निषय-ितुतु, उपयोग नकए जाने िािे उपस् करों की प्रकृतनत और एकत्र नकए जाने िािे डाटा, यनद कोई हों, सनहत संनिदा के सुसंगत ब यौरा के साथ, नौसेना मुख्यािय (नौसेना आसूचना ननदेशािय), रक्षा मंत्रािय को भेजा जाएगा, साथ ही एक प्रनत निभाग, ननदेशािय, प्रशासननक प्रानधकारी को भी दी जाएगी, पट्टेदार द्वारा संबंधी संनिया प्रारंभ करने से पहि संबंधी संनिया कंपननयों द्वारा जियानों की तैनाती पर छह मास का िंबा मामिा उपिब ध कराया जाएगा;
- (यछ) जियान पर सार सभी निदेशी कानमाकों को सरकारी प्रानधकारी से िीजा, और इस तरह की अ् य अनुज्ञाए जो हरसंभि प्रित निनध के अधीन आिश् यक हो, प्राप्त करनी होंगी;
- (यज) पट्टेदार, उत्पादन संनियाओं के निए तैनात सभी जियानों, उपस् करों और कानमाकों की सुरक्षा और संरक्षण के निए सभी पूर्ािधनात् मक उपाय करेगा;
- (यझ) पट्टेदार समुद्री सुरक्षा चेतािननयां जारी करने के निए तुरंत फ्लैग अफसर, अपतट रक्षा सिाहकार समूह और निभाग, ननदेशािय, प्रशासननक प्रानधकारी को सभी जियानों, निद्यमान और ननमाणाधीन अपतट प्रनत ठानों या लेटेटफामों, पट्टा क्षेत्र के भीतर तैनात उपस् करों और मशीनरी के ननदेशाकों को इंगत करते हुए स्थान और उसके पश् चात् उसके नए स् थान को स्थानांतररत नकए जाने पर सूचत करेगा;
- (यञ) पट्टेदार नबना नकसी देरी के अपने उत्पादन कार्यों के दौरान होने िािी नकसी दुघाटना की ररपोटा, नजससे मृत्यु या गंभीर शारीररक चोट या संपनत्त को गंभीर क्षनत या जीिनि या संपनत्त को गंभीर रूप से प्रभानित या खतरे में डािने िािी दुघाटना हो सकती है, पोत पररिहन महाननदेशािय, महाननदेशक, भारतीय तटरक्षक, निभाग, ननदेशािय, प्रशासननक प्रानधकारी और नकसी अन्य सरकारी प्रानधकारी को भेजेगा;
- (यट) पट्टेदार उस जियान या संस्थापन पर उत्पादन योजना की एक प्रनत बनाए रखेगा नजसके माध्यम से पट्टा क्षेत्र में या नकसी ननधाररत स्थि पर उत्पादन काया नकए जा रहे है;
- (यठ) पट्टेदार, उत्पादन कार्यों के संबंध में, प्रशासननक प्रानधकारी के पूर्ाि अनुमोदन के नबना, नकसी ऐसे व्यक्ति को ननयोनजत नहीं करेगा जो भारतीय नागररक नहीं है;
- (यड) पट्टेदार, यथाक्तस्थनत, निभाग या ननदेशािय या केन्द्रीय सरकार या प्रशासननक प्रानधकारी द्वारा प्रानधकृत नकसी अनधकारी को, पट्टा क्षेत्र के नकसी भाग में प्रिश करने की अनुमनत देगा युक्तक् तयुक् त समय पर पट्टा क्षेत्र का ननरीक्षण और मांग नकए जाने पर पट्टा क्षेत्र के सभी िागू योजनाओं और खंडों के साथ-साथ ग्रेड-िार आरनक्षत मात्रा की आपूनता भी करेगा;
- (यढ) पट्टेदार, जब तक नक प्रशासननक प्रानधकारी द्वारा निशेष रूप से छूट न दी गई हो, पट्टा क्षेत्र के भीतर या पट्टा क्षेत्र से उतारे जाने के स्थान पर तथा भारत में उताराई या उतार के बंदरगाह पर, जहां खननजों को िाया जाएगा, उनचत रूप से नननमात तथा कुशि तौि या माप प्रणािी, नजसे निनननदाष्ट नकया जाए, उपिब्ध कराएगा तथा हर समय उसे बनाए रखेगा;
- (यण) पट्टेदार सभी उत्पानदत और प्रेनषत सभी खननजों को निनननदाष्ट रीनत के अनुसार तोिेगा या मापेगा, या तुििाएगा उनका माप करिाएगा:

परंतु, पट्टेदार प्रत्येक नदन के अंत में यह सुनननश्चत करेगा नक खननजों के उत्पादन और प्रेषण के कुि आंकडे, सभी भार और माप सनहत, पट्टेदार द्वारा रखी गई िेखा पुतुतकों में दजा कर नदये गये हः;

परंतु यह और नक, पट्टेदार उत्पादन पट्टे के अनिध के दौरान हर समय प्रशासननक प्रानधकारी, निभाग, ननदेशािय और केन्द्रीय सरकार को डि खननजों के तौिने या माप के समय उपक्तस्थत रहने, उसका िेखा रखने और पट्टेदार द्वारा रखे गए िेखों की जांच करने के निए नकसी व्यक्ति या व्यक्तियों को ननयोनजत करने की

अनुमनत देगा और पट्टेदार प्रत्येक ऐसे तौंने या माप के लिए प्रशासननक प्रानधकारी तथा निभाग और ननदेशािय के प्रानधकृत अनधकारी को निक्तखत में सात नदन पूंिा सूचना देगा, तानक िह या उसकी ओर से कोई अनधकारी िहां उपक्तस्थत हो सके;

(यत) पट्टेदार उत्पादन पट्टे की अनध के दौरान नकसी भी समय, प्रशासननक प्रानधकारी, निभाग, ननदेशािय या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस नननमत्त ननयुंि नकसी व्यक्ति या व्यक्तियों को पूंिोि रूप में उपिब्ध कराई जाने िंािी और रखी जाने िंािी प्रत्येक तौंि मशीन या माप प्रणािी और उसके साथ प्रयुंि बाटों या प्रणानियों की जांच और परीक्षण करने की अनुमनत देगा तानक यह पता िगाया जा सके नक िे िमशः सही ह; और अच्छी हांित में और व् यिक्तस् थत ह; या नहीं:

परंतु यनद नकसी, ऐसे परीक्षण या जांच या परीक्षण में कोई तौंि मशीन या बाट या माप प्रणािी गित या खराब पाई जाती है तो निभाग यह अपेक्षा कर सकेगा नक उसे पट्टेदार द्वारा और उसके खचा पर समायोनजत नकया जाए और ठीक नकया जाए और यनद ऐसी मांग का अनुपांिन, नकए जाने के उसके चौदह नदन की अनध के भीतर, नहीं नकया जाता है तो

[भागII—खण् ड3(i)]

भारत का रांिपत्र : असाधारण

23

निभाग या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस नननमत्त प्रानधकृत कोई व्यक्ति तब तक पारगमन अनुज्ञापन प्रदान नहीं कर सकेगा जब तक नक ऐसी तौंि मशीन या बाट या माप प्रणािी का अंशांकन नहीं कर नदया जाता और उसे व् यिक्तस् थत नहीं कर नदया जाता है;

(यथ) यनद पूंिोि नकसी जांच या परीक्षण के पश् चात् नकसी तौंि मशीन या बाट में प्रशासननक प्रानधकारी, निभाग, ननदेशािय या केन्द्रीय सरकार के प्रनतकूि कोई त्रुनट पाई जाती है, तो ऐसी त्रुनट उसके पाए जाने से या उसी तौंि मशीन, बाट और माप प्रणािी की अंनतम जांच और परीक्षण के अंनतम अिसर से तीन मास की अनध के लिए निद्यमान मानी जाएगी, यनद ऐसा अिसर उक् त तीन मास की अनध के भीतर हो, और पट्टेदार अनधननयम या उसके अधीन बनाए गए ननयमों के अधीन िगाए जा सकने िंािे नकसी अन्य दंड या नसनिि दानयत्व के अनतररि, नकराया, स् िानमस् ि या कोई अन्य ऐसा भुगतान, जो िंगू हो, करेगा, नजसका िेखा-जोखा तदनुसार रखा जाएगा;

(यद) यनद पट्टेदार इस उपननयम के अधीन या उत्पादन पट्टा निंिेख के अधीन अपने नकसी दानयत्व को उस नननमत्त निनननदाष्ट समय के भीतर पूरा करने या नन्पानदत करने में निफि रहता है, तो निभाग अपने निंिकानुसार उसे पूरा करने या नन्पानदत करने का कारण बन सकता है और पट्टेदार मांग नकए जाने पर निभाग द्वारा इस संबंध में नकए गए सभी व्ययों का भुगतान, निभाग को करेगा और ऐसे व्ययों के संबंध में निभाग का ननणाय अंनतम होगा;

(यथ) पट्टेदार, अनधननयम और उसके अधीन बनाए गए ननयमों या उत्पादन पट्टा निंिेख के अधीन देय नकराया, दरें और स् िानमस् ि का भुगतान करने के पश्चात, उत् पादन पट्टा अनध की समाक्तप्त या समाक्तप्त पर या उसके पश्चात छह मास की अनध के भीतर (जब तक नक पट्टेदार की चूक के कारण उत्पादन पट्टा व् यपगत न कर नदया गया हो, और उस क्तस्थनत में ऐसी समाक्तप्त के पश्चात तीन मास से कम और छह मास से अनधक समय न हो) उत्पादन पट्टे की अनध के दौरान उत्खननत सभी या नकसी अयस्क खननज, जियानों, प्रनट ठानों, इंजनों, मशीनरी, पाइपिइनों, संरचनाओं, उपस् करों, लेटेटफामों और अिसंरचना, ननमाणों और सुनिधाओं को अपने िंाभ के लिए खंड कर और हटा सकता है, नज् हें पट्टेदार द्वारा पट्टा क्षेत्र में या उसके ऊपर बनाया, स्थानपत या रखा गया हों और नजन्हें पट्टेदार निभाग को देने के लिए बाध्य न हो या नजन्हें निभाग खरीदना न चाहता हो;

- (यन) यनद उत्पादन पट्टा अनिध की समाकृत या पयािसान के पश्चात छह मास की अनिध के अंत में पट्टा क्षेत्र में या उसके ऊपर कोई अयस्क या खननज, इंजन, मशीनरी, पाइपिइन, संरचना, उपस् कर, लेटेफामा और अन्य काया, ननमाण और सुनिधाएं या अन्य संपनत बची रहती है, नजसकी पट्टेदार को आशयकता नहीं है, तो उसे, यनद निभाग द्वारा ऐसा करने की अनधसूचना नदए जाने के एक मास की अनिध के भीतर पट्टेदार द्वारा नहीं हटाया जाता है, तो उसे केन्द्रीय सरकार की संपनत समझा जाएगा और उसे पट्टेदार की िागत पर, निभाग या केन्द्रीय सरकार द्वारा उनचत समझे जाने िािी रीनत से, उसके संबंध में पट्टेदार को कोई प्रनतकर देने या नहसाब देने के दानयत् ि के नबना बेचा या ननपटाया जा सकेगा; और (यप) पट्टेदार यह सुनननश्चत करेगा नक पट्टा क्षेत्र में उत्पादन कायों के प्रयोजनों के लिए तैनात प्रत्येक कानमाक, जियान, संस् थापन, उपस् कर और असंरचना का, उत्पादन पट्टे की अनिध के दौरान हर समय, पट्टेदार द्वारा ऐसी निननयामक अपेक्षाओं के अनुसार बीमा कराया जाएगा, जैसा नक तत्समय प्रित् त निनध के अधीन िागू हो, और ऐसे अन्य ननबंधन और शतें जो केन्द्रीय सरकार या प्रशासननक प्रानधकारी द्वारा निनननदाष्ट की जाएं।
- (2) अनधननयम और उसके अधीन बनाए गए ननयमों या उत्पादन पट्टे के अधीन नकसी भी शता या ननबंधन को पूरा करने में पट्टेदार की ओर से निफिता से केन्द्रीय सरकार या प्रशासननक प्रानधकारी या निभाग को पट्टेदार के निरुद्ध कोई दािा नहीं नमैगा या इसे उत्पादन पट्टे का उलंघन नहीं माना जाएगा, जहां तक नक केन्द्रीय सरकार या प्रशासननक प्रानधकारी या निभाग द्वारा ऐसी निफिता को अप्रत् यानशत घटना के कारण उत्पन्न माना जाता है और अप्रत् यानशत घटना के कारण अनधननयम और उसके अधीन बनाए गए ननयमों या उत्पादन पट्टे के अधीन नकसी भी शता या ननबंधन को पूरा करने में पट्टेदार द्वारा नकसी देरी की क्तस्थनत में, ऐसी देरी की अनिध इन ननयमों या उत्पादन पट्टे द्वारा ननधाररत अनिध में जोड नदया जाएगा।
- स्पष्टीकरण.—इस खंड के प्रयोजनों के लिए अनभव् यक्तक् त "अप्रत्यनशत घटना" का अथा दैिीय कृत्य, युद्ध, निप् िि, बिाि, नसनिि आशांत, हडताि, भूकंप, तूफान, ज्वारीय िहर, बाढ, आकाशीय निद्युत, निस्फोट, आग और नकसी अन्य घटना है नजसे पट्टेदार उनचत रूप से रोक या ननयनत्रत नहीं कर सकता था।
- (3) पट्टेदार, उत्पादन पट्टे में निनननदाष्ट न नकए गए नकसी खननज की पट्टा क्षेत्र में खोज की सूचना यथा शीघ्र, और नकसी भी क्तस्थनत में ऐसी खोज की तारीख से साठ नदन की अनिध के अंदर निभाग, ननदेशािय, प्रशासननक प्रानधकारी को देगा, और ऐसे खोजे गए खननज को उत्पादन पट्टा नििेख में समािेश नकए नबना उसे प्राप् त करेगा और उसका ननपटान नहीं करेगा।
- (4) उप-ननयम (1) में निनननदाष्ट शतों के अनतररि, उत्पादन पट्टे में ननम्रनिक्तखत शतें हो सकेगी, नजन्हें निभाग या ननदेशािय या प्रशासननक प्रानधकारी या केन्द्रीय सरकार िागू करना उनचत समझे, अथात्:—
- (क) नकराए और स् िानमस् ि के भुगतान की समय-सीमा, ढंग और स्थान ;
- (ख) संरनक्षत क्षेत्रों में प्रदूषण की रोकथाम और ननयंत्रण तथा समुद्री पाररक्तस्थनतकी तंत्र के संरक्षण से संबंनधत उपाय, नजनमें समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री अभयारण्य या कोई अ् य क्षेत्र सक्तिनित है, नजसे केन्द्रीय सरकार द्वारा अनधसूनचत नकया जा सकता है;
- (ग) नकसी सक्षम प्रानधकारी द्वारा नननषद्ध नकसी भी क्षेत्र में उत्पादन कायों पर प्रनतबंध;
- (घ) पट्टेदार द्वारा नोनटस:—
- (i) उत्पादन संनिया प्रारंभ होने से पहि पट्टा क्षेत्र में प्रिश करने हेतु; और
- (ii) उत्पादन संनिया प्रारंभ करने हेतु;
- (ङ) भेजे गए खननज के उनचत भार संबंधी उपबंध;
- (च) दुघाटनाओं की ररपोटा करना;

- (छ) तीसरे पक्षकार के दाओं के निरुद्ध केन्द्रीय सरकार, निभाग और प्रशासननक प्रानधकारी को क्षनतपूनता;
- (ज) उत्पादन पट्टे के अभ्यपण, अिसान या पयािसान पर पट्टा क्षेत्र के के का पररदान;
- (झ) उत्पादन पट्टे को समाक्तपत के पश्चात् छोड़ी गई संपन्न की जब्ती;
- (ञ) युद्ध या आपातका की क्तस्थनत में पट्टा क्षेत्र, जियानों, प्रनतष्ठानों और अन्य अिसंरचनाओं पर कब्जा करने की शक्ति; और
- (ट) उत्पादन पट्टे प्रदान करने के लिए आश्यक समझी जाने िािी कोई अन्य शता।

[भागII—खण्ड3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण

25

- (5) प्रशासननक प्रानधकारी, निभाग या केन्द्रीय सरकार के पूर्ाानुमोदन से या निभाग या केन्द्रीय सरकार के अनुरोध पर, ऐसी अनतररि शतें नअ धरोनपत कर सकेगा, जो परमाणु खननजों या अन्य खननजों के साथ परमाणु खननजों िािे क्षेत्रों के संरक्षण और निकास के नहत में आश्यक हों।
- (6) जब प्रशासननक प्रानधकारी द्वारा उत्पादन पट्टा प्रदान नकया जाता है, तो निभाग या ननदेशािय या प्रशासननक प्रानधकारी द्वारा पट्टाधारक के वय पर पट्टा क्षेत्र के सिक्षण और सीमांकन की व्स्थि की जाएगी।
- (7) इस ननयम में निनननदाष्ट शतों के अधीन, पट्टाधारक को पट्टा क्षेत्र पर उत्पादन कायों के प्रयोजनों के लिए नन ननक्तखत का अनधकार होगा—
 - (क) खानों को चिाना, खननज प्राप्त करना और िे जाना;
 - (ख) नसंक नपट;
 - (ग) नकसी भी जियान, लेटेटफॉमा, उपस् कर, स्थापना और अन्य अिसंरचना को यथा क्तस्थनत खडा करना, स्थापन कराना या अनभननयोनजत कराना;
 - (घ) उत्पादन कायों या पररिहन के लिए आश्यक होने पर समुद्री जि का उपयोग कराना;
 - (ङ) भंडारण प्रयोजन के लिए अपतट पट्टा क्षेत्र के नकसी भी भाग का उपयोग कराना; और
 - (च) उत्पादन पट्टे में निनननदाष्ट कोई अन्य काया कराना।
- (8) यनद पट्टेदार उपननयम (1) के खंड (छ), खंड (ज), खंड (फ), खंड (यड) या खंड (यत) के अधीन प्रिश या ननरीक्षण की अनुमनत नहीं देता है, तो निभाग, पट्टेदार को ननक्तखत में नोनटस देगा नजसमें उससे नोनटस में निनननदाष्ट समय के भीतर कारण बताने की अपेक्षा की जाएगी नक उत्पादन पट्टा वयपगत ों न कर नदया जाए और पट्टेदार द्वारा प्रतुतुत संपादन प्रनतभूनत को समपहत कयों न कर िी जाए और यनद पट्टेदार निभाग की संतुनष्ट के लिए पूर्ोि समय के भीतर कारण बताने में निफि रहता है, तो केन्द्रीय सरकार, निभाग के परामशा के पश्चात् और प्रशासननक प्रानधकारी को सूचना के साथ, उत्पादन पट्टा वयपगत कर सकता है और प्रशासननक प्रानधकारी को पट्टेदार द्वारा प्रतुतुत संपादन प्रनतभूनत के पूरे या नहस् से को समपहत कर सकता है, और अनधननयम एि उसके अधीन बनाए गए ननयमों के अनुसार ऐसी अन्य कारािाई कर सकता है।
- (9) यनद पट्टेदार को औध खनन का दोषनसद्ध नकया जाता है और ऐसी दोषनसक्तद्ध के आदेश के प्रितान को ननिनबत करने िािा नकसी न्यायािय का कोई आदेश नहीं ह; तो केन्द्रीय सरकार, निभाग के परामशा के पश्चात् तथा प्रशासननक प्रानधकारी को सूचना देकर, अनधननयम या उसके अधीन बनाए गए ननयमों के अधीन की जाने िािी नकसी अन्य कायािाही पर प्रनतकूि प्रभाि डािे नबना, ऐसे उत्पादन पट्टे को वयपगत कर सकेगी और प्रशासननक प्रानधकारी को पट्टेदार द्वारा प्रतुतुत संपादन प्रनतभूनत को समपहत करने का ननदेश दे सकती है, ऐसे पट्टेदार को, सुनिाई का अिसर देने के पश्चात् और कारणों को िेखबद्ध करके, समपहत कर सकेगी और पट्टेदार को सूनचत करेगी।

(10) यनद पट्टेदार अनधननयम की धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन अपेनक्षत स्िानमस्ि के भुगतान में या अनधननयम की धारा 16क की उपधारा (5) के अधीन अपतट क्षेत्र खननज न्यास को अंशदान या अनधननयम की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन अपेनक्षत नननश्चत नकराए के भुगतान में या अनधननयम की धारा 18 के अधीन अपेनक्षत अंतरराष्ट्रीय समुद्र ति प्रानधकरण को अंशदान देने में कोई चूक करता है या उपननयम (1), उपननयम (2) और उपननयम (5) में निनननदाष्ट नकसी भी शता का उल्लंघन करता है, तो प्रशासननक प्रानधकारी पट्टेदार को नोनटस देगा नजसमें उसे उल्लंघन को दूर करने के लिए, जैसा भी मामि हो, अंतरराष्ट्रीय समुद्र ति प्रानधकरण या अपतट क्षेत्र खननज न्यास को स्वानमस्ि या ननयत नकराए या अंशदान का भुगतान करने की आशयकता होगी, नोनटस प्राप्त होने की तारीख से साठ नदनों की अनध के भीतर और यनद अंतरराष्ट्रीय समुद्र ति प्रानधकरण या अपतट क्षेत्र खननज न्यास को स्िानमस्ि या ननयत नकराए या अंशदान का भुगतान नहीं नकया जाता है या उि अनध के भीतर उल्लंघन को दूर नहीं नकया जाता है, तो केंद्रीय सरकार, निभाग के परामशा के बाद और प्रशासननक प्रानधकारी को सूचना देने पर, उसके निरुद्ध प्रारंभ की जाने िािी नकसी अन्य कायािानहयों के नकसी भी पूिााग्रह के नबना, उत्पादन पट्टे को व् यपगत कर सकेगी तथा प्रशासननक प्रानधकारी को ननदेश दे सकेगी नक िह पट्टेदार द्वारा प्रतुतुत संपादन प्रनतभूनत को पूरी रकम या उसका एक भाग समपहत कर सकेगी।

13. दाभयत्ों के उल्लंघन या गैर-पूभता के भलए कारावाई.—(1)खोज अनुज्ञक्तप्त नििेख, संयुि अनुज्ञक्तप्त या उत्पादन पट्टा नििेख या संयुि अनुज्ञक्तप्त या उत्पादन पट्टे की शतों और ननबंधनों के अधीन दानयत्वों के उल्लंघन या गैर-पूभता के मामि में, केंद्रीय सरकार, निभाग की नसफाररश पर और प्रशासननक प्रानधकारी को सूचना के साथ, समुनचत कारािाई करने का अनधकार सुरनक्षत रखती है, नजसमें संयुि अनुज्ञक्तप्त या उत्पादन पट्टे को व् यपगत करने का अनधकार या प्रशासननक प्रानधकारी को संयुि अनुज्ञक्तप्त या उत्पादन पट्टे के धारक द्वारा जमा की गई काया-ननष्पादन प्रनतभूनत की रानश को पूणातः या आंनशक रूप से समपहत करने का ननदेश देने का अनधकार भी सक्त मनित है:

परंतु, ऐसा कोई आदेश पट्टेदार को अपना मामि बताने का उनचत असिर नदए नबना नहीं नकया जाएगा।

(2) यनद अनुज्ञक्तप्तधारी या पट्टेदार इस उपननयम के अधीन या खोज अनुज्ञक्तप्त नििेख, संयुि अनुज्ञक्तप्त या उत्पादन पट्टा नििेख के अधीन अपने नकसी दानयत्व को उस नननमत्त निनननदाष्ट समय के भीतर पूरा करने में असफि रहता है, तो निभाग उसे पूरा करिा सकता है और अनुज्ञक्तप्तधारी या पट्टेदार निभाग द्वारा इस संबंध में नकए गए सभी व्ययों का, मांग नकए जाने पर, निभाग को भुगतान करेगा और ऐसे व्ययों के संबंध में निभाग का ननणाय अनंतम होगा।

अध्याय 6

व्यपगत, अभ्यपाण या

पयावसान

14. संयुक्त अनुज्ञक्तप्त का व् यपगत होना.—(1) जहां अनुज्ञक्तप्तधारी संयुि अनुज्ञक्तप्त नदए जाने के बाद एक िषा

की अनध के भीतर खोज संबंधी संनियाएं प्रारंभ करने में असफि रहता है, या प्रारंभ होने पर, दो िषा की अनध के लिए खोज संबंधी संनियाएं बंद कर देता है, िहांप्रशासननक प्रानधकारी, निभाग के परामशा के बाद

और ननयम 16 के उप-ननयम (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, एक आदेश द्वारा संयुि अनुज्ञक्तप्त के ननष्पादन की तारीख से या, जैसा भी मामि हो, संनियाएं बंद करने की तारीख से संयुि अनुज्ञक्तप्त को व् यपगत घोनषत करेगा और अनुज्ञक्तप्तधारी को घोषणा की सूचना देगा।

(2) उत्पादन पट्टे के व् यपगत होने को प्रशासननक प्रानधकारी द्वारा जारी आदेश के माध्यम से दजा नकया जाएगा और पट्टेदार, ननदेशािय और निभाग को भी सूचनत नकया जाएगा।

- (3) संयुक्ति अनुज्ञातपक्ष के वृत्तगत होने को प्रशासनिक प्राधिकारी अनुज्ञातपक्षधारी द्वारा प्रत्युत्तर ननष्पादन प्रनतभूत को पूणातः या आंशिक रूप से समपहत कर सकता है।
- (4) अनुज्ञातपक्षधारी खोज संबंधी संनियाओं से प्रभानित समुद्रति के प्राकृतिक पुन्यास को सक्षम करने के लिए, नकसी सुरक्षात्मक उपाय करने या कोई आशयक कदम उठाने या ऐसे अन्य उपाय जो केन्द्रीय सरकार द्वारा निनननदाष्ट नकए जाएं, के लिए काया-ननष्पादन सुरक्षा के अनतररि केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक प्राधिकरण, ननदेशािय और निभाग द्वारा नकए गए नकसी भी व्यय का भुगतान करेगा।

[भागII—खण्ड3(i)]

भारत का राष्ट्रिय : असाधारण

27

15. उत्पादन पट्टे का वृत्तगत होना.—(1)जहां पट्टेदार उत्पादन पट्टा नदए जाने के पश्चात दो िषा की अनध के भीतर उत्पादन संनिया प्रारंभ करने में असफि रहता है, या प्रारंभ होने पर दो िषा की अनध के लिए उत्पादन संनिया बंद कर देता है, िहां प्रशासनिक प्राधिकारी निभाग के परामशा के पश्चात और ननयम 16 के उपननयम (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, आदेश द्वारा उत्पादन पट्टे के ननष्पादन की तारीख से या, जैसा भी मामि हो, संनिया बंद करने की तारीख से उत्पादन पट्टे को वृत्तगत घोनषत करेगा, और पट्टेदार को घोषणा की सूचना देगा।

(2) जहां उत्पादन और प्रेषण उत्पादन पट्टे के ननष्पादन के बाद चार िषा की अनध के भीतर प्रारंभ नहीं हुआ है, या उत्पादन और प्रेषण प्रारंभ होने के बाद दो िषा की अनध के लिए बंद कर नदया गया है, प्रशासनिक प्राधिकारी निभाग के परामशा के बाद और ननयम 16 के उप-ननयम (1) के उपबंधों के अधीन, एक आदेश द्वारा, उत्पादन पट्टे को इसके ननष्पादन की तारीख से चार िषा की अनध की समाक्तपक्ष पर या, जैसा भी हो, उत्पादन और प्रेषण के बंद होने की तारीख से दो िषा की अनध की समाक्तपक्ष पर वृत्तगत घोनषत करेगा, और पट्टेदार को घोषणा की सूचना देगा।

(3) उत्पादन पट्टे की समाक्तपक्ष को प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा जारी आदेश के माध्यम से अनभनिक्तखत नकया जाएगा और पट्टेदार, ननदेशािय और निभाग को भी सूचत नकया जाएगा।

(4) प्रशासनिक प्राधिकारी, उत्पादन पट्टे की समाक्तपक्ष पर, पट्टेदार द्वारा प्रत्युत्तर काया ननष्पादन प्रनतभूत को पूणातः या आंशिक रूप से समपहत कर सकता है।

(5) पट्टेदार, उत्पादन संनियाओं से प्रभानित समुद्रति के प्राकृतिक पुन्यास को सक्षम बनाने के लिए, केन्द्रीय सरकार द्वारा निनननदाष्ट नकसी सुरक्षात्मक उपाय करने या कोई आशयक कदम उठाने या ऐसे अन्य उपाय करने के लिए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा निनननदाष्ट नकए जाएं, काया-ननष्पादन प्रनतभूत के अनतररि केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक प्राधिकरण, ननदेशािय और निभाग द्वारा नकए गए नकसी भी व्यय का भुगतान करेगा।

16. अवध भवस्तार के भलए आवेदन.—(1)जहां—

(क) कोई अनुज्ञातपक्षधारी खोज संबंधी संनिया प्रारंभ करने में असमथा है या प्रारंभ करने पर ननयम 14 के उपननयम (1) के अधीन निनननदाष्ट अनध के भीतर संनिया बंद कर देता है;

(ख) पट्टेदार:

(i) उत्पादन संनियाएं प्रारंभ करने में असमथा हो या प्रारंभ होने पर ननयम 15 के उप-ननयम (1) में निनननदाष्ट अनध के भीतर संनियाएं बंद कर दे; या

(ii) उत्पादन और प्रेषण प्रारंभ करने में असमथा है, या प्रारंभ होने पर, ऐसा उत्पादन और प्रेषण ननयम 15 के उप-ननयम (2) के अधीन निनननदाष्ट अनध के लिए बंद कर नदया गया है,

प्रत्येक मामि में, अपने ननयंत्रण से परे कारणों से, िह ऐसी अनध की समाक्तपक्ष से कम से कम तीन मास पहि प्रशासनिक प्राधिकारी को आेदन प्रत्युत्तर कर सकेगा, नजसमें ऐसी अनध के नितुतार के लिए उनचत कारण बताते हुए आेदन प्रत्युत्तर नकया जाएगा:

परन्तु, जहां अनुज्ञातपक्षधारी या पट्टेदार अपने ननयंत्रण से परे कारणों से ऊपर निनननदाष्ट समय के भीतर आेदन करने में असफि रहा है, नकन्तु उसने संयुक्ति अनुज्ञातपक्ष या उत्पादन पट्टे की समाक्तपक्ष से

पूर्वा आदिन नकया है, िहां प्रशासननक प्रानधकारी ऐसे आदिन करने में हुए निम्ब को माफ कर सकेगा।

(2) उप-ननयम (1) के अधीन नकए गए प्रत्येक आदिन में ननम्रनिक्तखत का नितुतार से उल्लेख नकया जाएगा, अथातः—

(क) ि कारण नजनके कारण पट्टेदार के लिए खोज संबंधी संनिया या उत्पादन संनिया या उत्पादन और प्रेषण, जैसा भी मामि हो, करना या खोज संबंधी संनिया या उत्पादन संनिया या उत्पादन और प्रेषण, जैसा भी मामि हो, जारी रखना संभि नहीं है;

(ख) िह रीनत नजसमें ऐसे कारण अनुज्ञक्तपतधारी या पट्टेदार के ननयंत्रण से बाहर ह; और;

(ग) ऐसे कारणों के प्रभाि को कम करने के लिए अनुज्ञक्तपतधारी या पट्टेदार द्वारा उठाए गए कदम।

(3) उप-ननयम (1) के अधीन प्रत्येक आदिन के साथ एक िख रुपए की फीस संिग्र होगी।

(4) प्रशासननक प्रानधकारी, खोज संबंधी संनियाओं या उत्पादन संनियाओं या उत्पादन और प्रेषण के प्रारंभ न होने या, जैसा भी मामि हो, उसे बंद करने के कारणों की पयाप्तता और िातुतनिकता की जांच करने के बाद और निभाग के परामशा से, उप-ननयम (1) के अधीन नकए गए आदिन की प्राक्तपत की तारीख से तीन मास की अनध के भीतर या नजस तारीख को यथास् नथनत संयुि अनुज्ञक्तपत या उत्पादन पट्टा, जो अन्यथा व् यपगत हो गया होता, जो भी पहि हो, ऐसे आदिन को मंजूर करने या खाररज करने का आदेश पाररत करेगा:

परंतु, ऐसा कोई नितुतार एक िषा से अनधक की अनध के लिए मंजूर नहीं नकया जाएगा और ऐसा नितुतार यथाक्तस् नथनत संयुि अनुज्ञक्तपत या उत्पादन पट्टे की पूरी अनध के दौरान एक बार से अनधक के लिए मंजूर नहीं नकया जाएगा।

17. उत्पादन पट्टे का अभ्यपाण.—(1)पट्टेदार, उत्पादन पट्टे के सम्पूणा या उसके नकसी भाग के अभ्यपाण के इक्तच्छत अभ्यपाण की तारीख से कम से कम छह मास की अनध का निक्तखत नोनटस देने के पश्चात, प्रशासननक प्रानधकारी को आदिन कर सकता है:

(2) प्रशासननक प्रानधकारी, निभाग से पूर्वा अनुमोदन प्राप्त होने पर ही पट्टा क्षेत्र के सम्पूणा भाग अथिा उसके नकसी भाग को अभ्यनपात करने की अनुमनत देगा।

(3) प्रशासननक प्रानधकारी उपननयम (1) के अधीन उत्पादन पट्टे को ननम्रनिक्तखत शतों के अधीन अभ्यनपात करने की अनुमनत दे सकता है, अथातः—

(क) पट्टा क्षेत्र या उसके नकसी भाग के अभ्यपाण के लिए प्रत्येक आदिन के साथ अनुमोनदत अंनतम खान बंद करने की योजना संिग्र की जाएगी;

(ख) पट्टेदार ने ननदेशािय के ननदेशक द्वारा अनुमोनदत अंनतम खान बंद करने की योजना के कायान्वयन की पुनष्ट करने िािा ननदेशािय के ननदेशक से एक प्रमाण पत्र प्रतुतुत नकया है, नजसमें अनुमोनदत अंनतम खान बंद करने की योजना के कायान्वयन को प्रमाणनत करने के लिए कोई अन्य दतुतािेज भी सक्त मनित है;

(ग) पट्टा क्षेत्र के नकसी भाग के अभ्यपाण में केिि निद्यमान पट्टा क्षेत्र की सीमाओं के साथ िगे हुए मानक ब्लॉक सक्त मनित होंगे तथा ऐसे क्षेत्र का समुनचत रूप से सिक्षण नकया गया होगा;

(घ) उत्पादन पट्टे से संबंनधत सभी शोध् यों का ननपटान कर नदया गया है;

(ङ) पट्टेदार, सुरक्षात्मक उपायों के लिए केन्द्रीय सरकार, प्रशासननक प्रानधकारी, ननदेशािय या निभाग द्वारा नकए जाने िािे अनुमाननत व्यय (यनद कोई हो तो) के बराबर रकम जमा करेगा या पट्टा क्षेत्र में उत्पादन संनियाओं से प्रभानित समुद्र ति के प्राकृनतक पुन्यास को सक्षम करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निनननदष्ट कोई आश्यक कदम या ऐसे अन्य उपाय करेगा; और

(च) पर्यावरण संरक्षण के उपायों सहित खननज भंडार के व्यक्तस्थित निकास के उपबंधों का अनुपातिन नकया गया है।

(4) खननज संसाधनों के व्ययगत होने से पहि सम्पूणा क्षेत्र के अभ्यपाण की क्तस्थनत में, पट्टेदार द्वारा प्रदान की गई काया-ननष्पादन प्रनतभूत समपहत कर िी जाएगी:

परंतु, काया-ननष्पादन प्रनतभूत ननम्रनिक्तखत मामिों में समपहत नहीं की जाएगी:

(i) पट्टेदार को पेटरोनियम या अपतट पिन ऊजा पररयोजनाओं के अन्य पट्टेदारों की संनियाओं या सरकारी सुरक्षा एजेंसियों या अन्य सरकारी एजेंसियों की संनियाओं के कारण उत्पादन संनियाओं में बाधाओं का सामना करना पडता है; या

(ii) उत्पादन पट्टे के अभ्यपाण के पश्चात् दस िषा व्ययगत हो चुके ह; और पट्टेदार को िगता है नक उत्पादन संनिया आिभकारी है।

(5) प्रशासननकप्रानधकारी पट्टेदार को निक्तखत रूप में कारण बताकर सम्पूणा पट्टा क्षेत्र या उसके भाग के अभ्यपाण को स्वीकार करने से इंकार कर सकता है।

(6) पट्टेदार, उस काया ननष्पादन प्रनतभूत के अनतररि नकसी भी व्यय का भुगतान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, प्रशासननक प्रानधकरण, ननदेशािय या निभाग द्वारा, नकसी सुरक्षात्मक उपाय को करने या कोई आिश्यक कदम या उपाय करने के लिए नकया गया हो, नजसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा निनननदाष्ट उपाय भी सक्त मनित ह; तानक उस पट्टा क्षेत्र में उत्पादन संनियाओं से प्रभानित समुद्र ति का प्राकृतक पुन्यास संभि हो सके नजसे अभ्यनपात नकया गया है।

18. पर्यावसान.—(1) केन्द्रीय सरकार, निभाग के साथ परामशा के पश्चात् तथा प्रशासननकप्रानधकारी को सूचना देकर, अनधननयम की धारा 7 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन उत्पादन पट्टे या संयुि अनुज्ञक्तप्त का पर्यािसान कर सकती है, यनद उसकी यह राय है नक ऐसा पर्यािसान िोकनहत, देश के सामररक नहत, अपतट खननज संसाधनों के निकास और निननयमन के नहत में, प्राकृतक पर्यािरण के संरक्षण और प्रदूषण की रोकथाम, िोक स्वास्थ्य या संचार के लिए खतरे से बचने, नकसी अपतट संरचना की सुरक्षा सुनननश्चत करने या खननज संसाधनों के संरक्षण के लिए या नकसी अन्य कारण से समीचीन है।

(2) उपननयम (1) पर प्रनतकूि प्रभाि डािि नबना और ननयम 11 के उपननयम (2) और ननयम 12 के उपननयम (2) के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सरकार, निभाग के परामशा के पश्चात् और प्रशासननक प्रानधकारी को सूचना देकर, नकसी संयुि अनुज्ञक्तप्त या उत्पादन पट्टे को व्ययगत कर सकेगी, यनद ऐसा पट्टेदार उत्पादन पट्टे या संयुि अनुज्ञक्तप्त की अनध के दौरान नकसी भी समय:—

(क) अनधननयम या उसके अधीन बनाए गए ननयमों में नननहत नकसी भी ननयम, अनुबंध और शता को पूरा करने में निफि रहता है या उसका उलंघन करता है; या

(ख) अपने द्वारा किर नकए गए अपतट क्षेत्र का उपयोग उस िातुतनिक उद्देश्य के लिए करने में निफि रहता है नजसके लिए उसे प्रदान नकया गया है; या

(ग) ऐसे अपतट क्षेत्र का उपयोग उस उद्देश्य के अनतररक् त नकसी अन्य उद्देश्य के लिए करता है नजसके लिए उसे प्रदान नकया गया है; या

(घ) भारतीय निनधयों और निननयमों, अंतरराष्ट्रीय सििनों या संनधयों का अनुपातिन करने में निफि रहता है, नजनमें भारत एक पक्ष है, नजनमें पर्यािरण संरक्षण, प्रदूषण ननयंत्रण, खतरनाक अपनशष्टों के लिए िागू निनध और निननयमन सक्त मनित ह; या

(ङ) प्रशासननक प्रानधकारी, केन्द्रीय सरकार, निभाग, ननदेशािय या सरकारी सुरक्षा एजेंसियों के ननदेशों का पाििन करने में निफि रहता है।

(3) इस ननयम के अधीन संनिया संबंधी अनधकार की समयपूिा समाक्तप्त का कोई भी आदेश, पट्टेदार या अनुज्ञक्तप्तधारी, जैसा भी मामि हो, को सुनिई का उनचत असर नदए नबना नहीं नदया

जाएगा, नसिया उन मामिों को छोडकर जहां समयपूर्ा समाक्तप्त देश के सामररक नहत के आधार पर की जा रही हो।

- (4) इस ननयम में नकसी बात के होते हुए भी, यनद उपननयम (2) में निनननदाष्ट कोई निफिता, उलूधन या उपयोग सुधार योग्य प्रकृत का है, तो केन्द्रीय सरकार ऐसे व्यक्ति को नोनटस दे सकेगी नजसमें उससे नोनटस की प्राक्तप्त की तारीख से साठ नदन की अनध के भीतर उसका समाधान करने की अपेक्षा की जाएगी और उसे सूचन नकया जाएगा नक यनद ऐसी निफिता, उलूधन या उपयोग का ऊपर निनननदाष्ट अनध के भीतर समाधान नहीं नकया जाता है, तो उसका संयुि अनुज्ञक्तप्त या उत्पादन पट्टा नबना नकसी अनतररि नोनटस के व यपगत नकया जा सकता है।
- (5) अनधननयम या उसके अधीन बनाए गए ननयमों के उपबंधों के अधीन उत्पादन पट्टे या संयुि अनुज्ञक्तप्त की समाक्तप्त की क्तस्थनत में, प्रशासननक प्रानधकारी पट्टेदार द्वारा प्रतुतुत काया-ननष्पादन प्रनतभूनत को समपहत कर सकता है।
- (6) पट्टेदार या अनुज्ञक्तप्तधारी, उत्पादन संनियाओं से प्रभानित समुद्रति के प्राकृतक पुन्यास को सक्षम बनाने के लिए, यथाक्तस् थनत, केन्द्रीय सरकार, ननदेशािय, निभाग या प्रशासननक प्रानधकारी द्वारा ननधाररत, नकसी सुरक्षात्मक उपाय करने या कोई आश्यक कदम उठाने या केन्द्रीय सरकार द्वारा निनननदाष्ट ऐसे अन्य उपायों के लिए, यनद कोई हो, अनुमाननत व्यय (समपहत की गई ननष्पादन प्रनतभूनत से अनधक) के बराबर रानश जमा करेगा।

19. उत्पादन पट्टा या संयुक्त अनुज्ञक्तप्त का अंतरण.—(1) उत्पादन पट्टा या संयुि अनुज्ञक्तप्त धारक (नजसे इसमें इसके पश् चात् अंतरक कहा गया है) अपने यथाक्तस् थनत उत्पादन पट्टे या संयुि अनुज्ञक्तप्त को, अनधननयम की धारा 13ख और उसके अधीन बनाए गए ननयमों के उपबंधों के अनुसार उत्पादन पट्टा या संयुि अनुज्ञक्तप्त रखने के लिए पात्र नकसी भी व्यक्ति को (नजसे इसमें इसके पश् चात् अंतररती कहा गया है) प्रशासननक प्रानधकारी के पूर्ा अनुमोदन से अंतररत कर सकता है।

(2) अंतरक और अंतररती को अंतरण से पहि प्रशासननक प्रानधकारी को संयुि रूप से प्ररूप ङ में आिदन प्रतुतुत करना होगा, नजसमें अंतरण के लिए अंतररती द्वारा देय प्रनतफि का ब्यौरा होगा, नजसमें पहि से की गई खोज संबंधी संनियाओं या उत्पादन संनियाओं के संबंध में प्रनतफि और संनिया के दौरान तैयार ररपोटा और आंकडे सक्त मनित होंगे।

(3) प्रशासननक प्रानधकारी, निभाग के पूर्ा अनुमोदन के अधीन, निक्तखत रूप में दजा नकए जाने िाि कारणों से ऐसे अंतरण को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अपना ननणाय सूचन करेगा:

परंतु, उत्पादन पट्टे या संयुि अनुज्ञक्तप्त का ऐसा कोई अंतरण नकसी शता के उलूधन में नहीं नकया जाएगा नजसके अधीन उत्पादन पट्टा प्रदान नकया गया था।

(4) इस ननयम के अधीन नकया गया प्रत्येक अंतरण इस शता के अधीन होगा नक संयुि अनुज्ञक्तप्त या उत्पादन पट्टे के संबंध में सभी देयताएं ऐसे अंतरण से पूर्ा ननपटा दी जाएंगी और यह नक अंतररती ने तत्समय पृित नकसी निनध के अधीन सभी शतों और दानयत्वों को स्वीकार कर निया है, नजनके अधीन अंतरक, यथाक्तस् थनत, ऐसे उत्पादन पट्टे या संयुि अनुज्ञक्तप्त के संबंध में था।

(5) अंतरण की तारीख से ही अंतररती, संयुि अनुज्ञक्तप्त या उत्पादन पट्टे के संबंध में नकसी भी और सभी दानयत् िों के संबंध में प्रशासननक प्रानधकारी, निभाग और केन्द्रीय सरकार के प्रनत उत्तरदायी होगा।

[भागII—खण् ड3(i)]

भारत का रपित्र : असाधारण

31

(6) उप-ननयम (3) में यथा निनननदाष्ट प्रशासननक प्रानधकारी से अनुमोदन पत्र प्राप्त होने की तारीख से तीस नदन की अनध के भीतर अंतरणकता और अंतररती संयुि रूप से प्ररूप च में रनजस् तरीकृत नििेख प्रतुतुत करेंगे।

(7) उपननयम (6) के अनुसार रनजस् तरीकृत अंतरण नििेख प्रशासननक प्रानधकारी को प्रतुतुत नहीं नकया जाता है तो उपननयम (2) के अधीन नकया गया अंतरण आिदन अपात्र हो जाएगा।

(8) अंतरण नििेख के प्रारंभ की तारीख िह तारीख होगी नजस नदन ननष्पादनत अंतरण नििेख रनजस् तरीकृत नकया गया हो।

- (9) संयुक्ति अनुज्ञातपत्र या उत्पादन पट्टे का प्रत्येक धारक, जो अनधननयम या उसके अधीन बनाए गए ननयमों के उपबंधों के अनुसार, ऐसे संयुक्ति अनुज्ञातपत्र या उत्पादन पट्टे को नकसी अन्य व्यक्ति को अंतररत करता है, ऐसे अंतरण की तारीख से तीस नदन की अनध के भीतर, निभाग, ननदेशािय और प्रशासननक प्रानधकारी को प्ररूप छ में इसकी सूचना भेजेगा।
- (10) प्रशासननक प्रानधकारी नौसेना मुख्यािय (नौसेना आसूचना ननदेशािय), रक्षा मंत्रािय और निभाग द्वारा निनननदाष्ट यथाक्तस् थनत ऐसे अन्य प्रानधकारी या निभाग को, संयुक्ति अनुज्ञातपत्र या उत्पादन पट्टे के नकसी भी अंतरण के बारे में निक्तखत रूप में सूचन करेगा।
- (11) केन्द्रीय सरकार, निभाग के परामशा के पश्चात् और प्रशासननक प्रानधकारी को सूचना देकर, निक्तखत आदेश द्वारा, यथाक्तस्थनत, नकसी उत्पादन पट्टे या संयुक्ति अनुज्ञातपत्र को व् यपगत कर सकेगी और प्रशासननक प्रानधकारी नकसी भी समय काया-ननष्पादन प्रनतभूनत समपहत कर सकेगी यनद पट्टेदार या अनुज्ञातपत्रधारी ने इस ननयम के नकसी उपबंध का उलंघन नकया है या ऐसे उत्पादन पट्टे या संयुक्ति अनुज्ञातपत्र या उसमें कोई अनधकार, हक या नहत को इस ननयम के अनुसार न करके नकसी अन्य रीनत से अंतररत नकया है:

परंतु, पट्टेदार या अनुज्ञातपत्रधारी को सुनिई का युक्तक् तयुक् तक असर नदए नबना ऐसा कोई आदेश नहीं नदया जाएगा।

20. **प्रभतभूभत भहत का प्रवतान और भवल्लंगम.**—(1) संयुक्ति अनुज्ञातपत्र या उत्पादन पट्टा रखने िािा व्यक्ति ऐसे संयुक्ति अनुज्ञातपत्र या उत्पादन पट्टे पर कोई भी निलुंगम सृजत कर सकता है।
- (2) ऐसे निलुंगम के संबंध में प्रनतभूनत नहत के प्रितान की क्तस्थनत में, संनिया संबंधी अनधकार केिि ऐसे अंतररती को सौपा जाएगा जो पात्रता की सभी शतों को पूरा करता हो, नजन्हें ऐसे संयुक्ति अनुज्ञातपत्र या उत्पादन पट्टे के अनुदान के लिए और ननयम 19 में यथा निनननदाष्ट रीनत से अंतरक द्वारा पूरा नकया जाना अपेक्षत था:

परंतु, प्रनतभूनत नहत को िागू करने िािि ऋणदाता, अंतररती की ओर से अंतरण ििदन प्रतुतुत कर सकेंगे।

अध्याय 7 खभनज मूल्ांकन

21. **परमाणु खभनज का मूल्ांकन.**—परमाणु खननजों का मूल्यांकन अपतट क्षेत्र संनिया संबंधी अनधकार ननयम, 2024 के अध्याय 7 के उपबंधों के अनुसार नकया जाएगा, जैसा िागू हो:

परंतु, जहां कहीं भारतीय खान ब्यूरो या उसके अनधकाररयों की कोई शक्ति, काया या नजिदारी निनननदाष्ट की जाती है या भारतीय खान ब्यूरो या उसके अनधकाररयों को कोई सूचना प्रतुतुत की जानी होती है, उसे ननदेशािय या उसके अनधकाररयों की शक्ति, काया या उत्तर दानयत्व समझा जाएगा या परमाणु खननजों

के संबंध में सीमा मूल्य के बराबर या उससे अनधक ग्रेड िािि खननजों के लिए ि ननदेशािय या उसके अनधकाररयों को ननम्रनिक्तखत रीनत से सूचना प्रतुतुत करने की आश्यकता होगी, अथात: —

- (क) भारतीय खान ब्यूरो के प्रनत कोई संदभा ननदेशािय के प्रनत संदभा माना जाएगा;
- (ख) महाननयंत्रक या मुख्य खान ननयंत्रक या खान ननयंत्रक या क्षेत्रीय ननयंत्रक या भारतीय खान ब्यूरो के प्रनत नकसी संदभा को यथाक्तस् थनत ननदेशक या, ननदेशािय के प्रानधकृत अनधकारी के प्रनत संदभा के रूप में समझा जाएगा।

अध्याय 8 भुगतान

22. **भुगतान और जमा की जाने वाली फीस.**—अनधननयम या उसके अधीन बनाए गए ननयमों के अधीन देय

कोई भी रकम, ननयम 26 के उपननयम (2) के अधीन अपीं; ननयम 9 के उपननयम (1) के अधीन खोज योजना; ननयम 10 के उपननयम (1) के अधीन उत्पादन योजना के संबंध में देय रकम को छोड़कर, ऐसी रीनत

से संदत्त की जाएगी, जैसी नक प्रशासननक प्रानधकारी इस संबंध में निनननदाष्ट करे।

23. ब्याज का भुगतान.—प्रशासननक प्रानधकारी, अनधननयम या उसके अधीन बनाए गए ननयमों में अंतर्निष्ठ उपबंधों पर प्रनतकूि प्रभांि डांि नबना, ननयम 9 के उपननयम (1) या ननयम 10 के उपननयम (1) के अधीन देय फीस या प्रशासननक प्रानधकारी को अनधननयम या उसके अधीन बनाए गए ननयमों या नकसी संनिया संबंधी अनधकार के ननबंधनों और शतों के अधीन देय नकसी नकराए, स्ंिानमस्ंि या फीस पर, प्रशासननक प्रानधकारी द्वारा ऐसी स्ंिानमस्ंि, नकराए, फीस या अन्य रकम के भुगतान के लिए ननधाररत तारीख की समाक्तप्त से िंकर ऐसी स्ंिानमस्ंि, नकराए, फीस या अन्य रकम का भुगतान नकए जाने तक, बारह प्रनतशत प्रनत िषा की दर से साधारण ब्याज िं सकेगा।

24. उत्पादन पट्टे के अधीन भुगतान.—पट्टेदार केन्द्रीय सरकार को अनधननयम की धारा 16 में निनननदाष्ट रीनत से रॉयल्टी या अनधननयम की धारा 17 में निनननदाष्ट ननधाररत नकराया का भुगतान करेगा।

25. अभधननयम की धारा 16क और धारा 18 के अधीन भुगतान.—इसमें निनननदाष्ट भुगतानों के अनतररि, उत्पादन पट्टे के धारक को अनधननयम की धारा 16क और धारा 18 और उसके अधीन बनाए गए ननयमों के उपबंधों के अनुसार अपतट क्षेत्र खननज न्यास और अंतरराष्ट्रीय समुद्र ति प्रानधकरण को भुगतान करना होगा।

अध्याय 9

अपील

26. अपील के भलए आवेदन.—(1) कोई भी व्यक्ति जो अनधननयम या उसके अधीन बनाए गए ननयमों द्वारा प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रशासननक प्रानधकारी, ननदेशांिय या नकसी अनधकारी द्वारा परमाणु खननजों के

संबंध में पाररत नकसी आदेश से व्यनथत है, जो परमाणु खननजों के संबंध में सीमा मूल्य के बराबर या उससे

अनधक ग्रेड िंिं ह:, ऐसे आदेश की प्राक्तप्त की तारीख से तीन मास की अनध के भीतर, प्रत्येक मामि में

प्ररूप ज में तीन प्रनतयों में निभाग को अपीं कर सकता है:

परंतु, ऐसी कोई अपीं तीन मास की ि अनध के बाद भी स्वीकार की जा सकेगी, यनद अपींकिता निभाग को यह संतुष्ट कर दे नक ननधाररत समय के भीतर अपीं न करने के लिए उसके पास पयाप्त कारण थे।

[भागII—खण् ड3(i)]

भारत का रांिपत्र : असाधारण

33

(2) अपीं के साथ दस हजार रुपये की फीस संिग होगी, जो या तो निभाग के समक्ष अपीं के मामि में िंेतन और िंेखा अनधकारी, परमाणु ऊजा निभाग के नाम से अनुसूचत ब;क पर तैयार ब;क डराफ्ट के माध्यम से मुम्बई में देय होगा, या निभाग के निनननदाष्ट ब;क खाते में ब;क अंतरण के माध्यम से देय होगा।

(3) उपननयम (1) के अधीन प्रत्येक अपीं सभी आश्यक पक्षकारों को पक्षकार बनाने और अपीं ज्ञापन की एक प्रनत ऐसे पक्षकारों को अनग्रम सेिंा के माध्यम से तामीं करने तथा उसका सबूत प्रतुत करने के पश्चात ही की जाएगी।

- (4) अपीकिता उपनयम (1) के अधीन अपीि ज्ञापन के साथ निभाग द्वारा निनहत निनननदाष्ट प्रनतयां प्रतुतुत करेगा।
- (5) अपीि ज्ञापन प्राप्त होने पर, निभाग उपनयम (3) के अधीन प्रनतिादी प्रत्येक पक्ष को िह तारीख निनननदाष्ट करते हुए एक नोनटस भेजेगा नजसमें उस तारीख को या उससे पूिा िह अपीि के निरुद्ध अपना अभ्यािेदन, यनद कोई हो, प्रतुतुत कर सकेगा।
- (6) निभाग को इस ननयम के अधीन अपीिों पर ननणाय िेने के लिए कोई भी िागू प्रनिया या आिश्यकता निनननदाष्ट करने का अनधकार होगा।

- 27. अपील आवेदन पर आदेश.—**(1) ननयम 26 के अधीन अपीि ज्ञापन प्राप्त होने पर, निभाग ऐसे अपीि ज्ञापन की प्रनतयां प्रशासननक प्रानधकारी या ननदेशािय या अन्य प्रानधकारी को भेजेगा तथा उनसे संसूचना जारी होने की तारीख से तीन मास की अनध के भीतर ऐसी नटप्पनणयां करने के लिए कहेगा, जैसी िे चाहते हों, और प्रशासननक प्रानधकारी या ननदेशािय या अन्य प्रानधकारी निभाग को नटप्पनणयां प्रतुतुत करते समय साथ ही नटप्पनणयों की एक प्रनत अन्य पक्षकारों को भी पृष्ठांकत करेगा।
- (2) उप-ननयम (1) के अधीन नकसी पक्षकार से प्राप्त नटप्पनणयां अन्य पक्षकारों को आगे ऐसी नटप्पनणयां करने के लिए अग्रेनषत की जाएंगी, जैसी िे संसूचना जारी होने की तारीख से एक मास की अनध के भीतर करना चाहें और आगे नटप्पनणयां करने िािे पक्षकार उन्हें अन्य सभी पक्षकारों को भेजेंगे।
 - (3) अपीि के लिए आिेदन, उपनयम (1) और उपनयम (2) में निनननदाष्ट नटप्पनणयां और प्रनतनटप्पनणयां युि पत्र-व्यिहार मामि के अनभिख होंगे।
 - (4) उप-ननयम (3) में निनननदाष्ट अनभिखों पर निचार करने के पश्चात्, और अपीि के पक्षकारों को सुनिाई का उनचत असर देने के पश्चात् तथा ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसा िह उनचत समझे, निभाग, नजस आदेश के निरुद्ध अपीि की गई है, उसे पुष्ट, संशोनधत या उिट सकता है या यनद आिश्यक हो तो अनतररि साक्ष्य िेने के पश्चात्, ऐसे ननदेशों के साथ मामि को िापस भेज सकता है, जैसा िह उनचत समझे।
 - (5) अपीि के ििनबत रहने के दौरान, निभाग पयाप्त कारण होने पर उस आदेश को िागू करने पर रोक िगा सकता है नजसके निरुद्ध अपीि की गई है।

अध्याय 10

भवभवध

- 28. खोज आंकडा का स्वाभमत् और गोपनीयता.—**(1) खोज संनियाओं या उत्पादन संनियाओं के पररणामस्वरूप प्राप्त सभी आंकडे, नजसमें खोज या उत्पादन या इंजीननयररंग सििक्षणों से संबंनधत सभी भूभौनतकीय आंकडा सक्त मनित ह:, िेनकन इन्हीं तक सीनमत नहीं ह:, जैसे निसंगनत माननचत्र, खंड, योजनाएं, संरचनाएं, निष मत माननचत्र, िॉनगंग, ररपोटा, नमूने, नजनमें िन और ननकािे गए ऐसे नमूनों की मात्रा से संबंनधत आंकडा भी सक्त मनित है, केंद्रीय सरकार की एकमात्र संपनत होगी:
- परंतु अनधननयम की धारा 5 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन निनननदाष्ट या अनधसूनचत ऐसा पट्टेदार या अनभकरण, ऐसे यथाक्तस् थनत खोज संनियाओं या उत्पादन संनियाओं के प्रयोजन के लिए, ऐसे आंकडों का ननःशुल्क उपयोग कर सकेगा।
- (2) ननयम 4 के उप-ननयम (4) या ननयम 6 के उप-ननयम (17) के अधीन ररपोटा प्रतुतुत करते समय, अनधननयम की धारा 5 की उप-धारा (1) के उपबंध के अधीन यथाक्तस् थनत अनुज्ञात एजेंसयां या संयुि अनुज्ञक्तप्त धारक, यह निनननदाष्ट कर सकते ह: नक उनके द्वारा प्रतुतुत की गई पूरी ररपोटा या आंकडों का कोई नहस्ा, गोपनीय रखा जाएगा, और संबंनधत प्रानधकारी इसके बाद प्रतुतुत ररपोटा और आंकडों के ऐसे नहस्ों को गोपनीय रखेंगे जैसा नक उनचत समझा जा सके:

परंतु, केन्द्रीय सरकार ऐसी गोपनीय ररपोटों और आंकड़ों का उपयोग अपने प्रयोजनों के लिए कर सकेगी:

परंतु, यह और उपबंध है नक आीक्षण संनिया या खोज संनिया को व् यपगत करने या इसकी समाक्तपत या पूरा होने पर, उि एजेंसियों द्वारा प्रतुतुत सभी ररपोटा और आंकडे केन्द्रीय सरकार की एकमात्र संपनत्त बन जाएंगे।

(3) ननयम 11 के उपननयम (1) के खंड (च) या ननयम 12 के उपननयम (1) के खंड (ब) के अधीन ररपोटा प्रतुतुत करते समय, पट्टेदार यह नननदाष्ट कर सकेगा नक उसके द्वारा प्रतुतुत की गई पूरी ररपोटा या उसका कोई भाग गोपनीय रखा जाएगा, और तत्पश्चात् संबंधित प्रानधकारी प्रतुतुत की गई ररपोटा और आंकड़ों के ऐसे भागों को गोपनीय रखेंगे, जैसा िह उनचत समझे:

परंतु, केन्द्रीय सरकार ऐसी गोपनीय ररपोटों और आंकड़ों का उपयोग अपने प्रयोजनों के लिए कर सकेगी:

परंतु, यह और नक उत्पादन पट्टे व् यपगत करने या इसकी समाक्तपत या अभ्यपाण या पररत्याग पर, उि पट्टेदार द्वारा प्रतुतुत सभी ररपोटा और आंकडे केन्द्रीय सरकार की एकमात्र संपनत्त हो जाएंगे।

29. प्रकट गलभतयों को सुधारने की शप्तक्त.—इन ननयमों के अधीन निभाग या प्रशासननक प्रानधकारी या नकसी अन्य प्रानधकारी या अनधकारी द्वारा पाररत नकसी आदेश में कोई निनपकीय या अंकगणतीय गिती और आकृति चूक या िोप के कारण उसमें उत्पन्न कोई त्रुनट, आदेश की तारीख से दो िषा की अनध के भीतर, निनहत क्तस्थनत, केन्द्रीय सरकार, प्रानधकारी या अनधकारी द्वारा सुधारी जा सकेगी:

परंतु, नकसी व्यक्ति के प्रनत प्रनतकूि प्रभाि डािने िािा कोई सुधार आदेश तब तक पाररत नहीं नकया जाएगा जब तक उसे सुनिर्दि का उनचत असर न दे नदया गया हो।

30. मंत्रालयों और अन्य प्राभधकाररयों को दी जाने वाली उत्पादन पट्टों की प्रभतयां, वाभषाक

भववरभणयां और ररपोटें.—(1)नकसी भी संनिया संबंधी अनधकार के नदए जाने पर, अपतट क्षेत्रों के ब्यौरे िािी एक सूची नजसके लिए प्रशासननक प्रानधकारी द्वारा ऐसे संनिया संबंधी अनधकार प्रदान नदए गए हः, ननयम 6 के उप- ननयम (3) या ननयम 7 के उप-ननयम (3) के अधीन निनननदाष्ट मंत्रायों और निभागों को, जैसा भी मामि हो, प्रतुतुत की जाएगी।

(2) अनधननयम और उसके अधीन बनाए गए ननयमों के अधीन नदए गए प्रत्येक संनिया संबंधी अनधकार की एक प्रनत प्रशासननक प्रानधकारी द्वारा ऐसे अनुदान की तारीख से दो मास की अनध के भीतर ननदेशायि के ननदेशक और खान सुरक्षा महाननदेशायि के महाननदेशक को प्रतुतुत की जाएगी।

[भागII—खण् ड3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण

35

(3)अनुज्ञक्तपतयों और उत्पादन पट्टों की समेनकत िानषाक निरिनणयां भी प्रशासननक प्रानधकारी द्वारा ननदेशायि के ननदेशक को ऐसे प्रारूप में प्रतुतुत की जाएंगी, जैसी नक उसके द्वारा निनननदाष्ट की जा सकती हः, जो उस िषा के बाद की 30 जून की तारीख से पहि नहीं होगा, नजससे नक निरिनणयां संबंधित है, नजसकी एक प्रनत प्रशासननक प्रानधकारी द्वारा उसी समय महाननदेशक, खान सुरक्षा महाननदेशायि को भी उपिब्ध कराई जाएगी।

(4)ननयम 11 के उपननयम (1) के खंड (च) और ननयम 12 के उपननयम (1) के खंड (ब) के अधीन पट्टेदार द्वारा प्रतुतुत उत्पादन संनियाओं से संबंधित सभी सुसंगत आंकडे, ररपोटा, नमूने और अन्य सुसंगत जानकारी, प्रशासननक प्रानधकारी द्वारा प्राक्तपत की तारीख से एक मास के भीतर भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर और हाइड्रोकाबान महाननदेशायि को प्रतुतुत की जाएगी।

31. नाम, पते में पररवतान की सूचना.—संयुि अनुज्ञक्तपत या उत्पादन पट्टे का धारक अपने नाम, रनजस् तरीकृत कायाायि और बहुसंख्यक स्वानमयों के ब्यौरे या प्रारूप झ में निभाग और प्रशासननक प्रानधकारी को प्रतुतुत अन्य निरणों में होने िािे नकसी भी पररितान की सूचना साठ नदन की अनध के भीतर निभाग और प्रशासननक प्रानधकारी को देगा।

32. भूभौभतकीय आंकडा आभद प्रस्तुत करना.—(1) यथाक्तस् थनतसंनिया संबंधी अनधकार का धारक या खोज संनियाएं संचानित करने िं व्यक्ति खोज संनियाओं और उत्पादन संनियाओं के दौरान उसके द्वारा संगृहीत या खोजे गए और भंडाररत परमाणु खननजों की जांच से संबंनधत सभी सूचना प्रशासननक प्रानधकारी, ननदेशािय के ननदेशक, भारतीय भूिज्ञाननक सिक्षण के महाननदेशक और नकसी अन्य प्रानधकारी को प्रतुतुत करेगा, नजसे उस निभाग द्वारा निनननदाष्ट नकया जा सकता है, नजसमें खोज संनियाएं या उत्पादन संनियाएं की जाती ह;।

(2) उपननयम (1) में निनननदाष्ट आंकडे या सूचना उत्पादन पट्टे की अनध के प्रारंभ होने की तारीख से प्रत्येक िषा प्रतुतुत की जाएगी।

33. रभजस्टर.—अनधननयम और उसके अधीन बनाए गए ननयमों के अधीन नदए गए संनिया अनधकारों के रनजस्टर का रखरखाि, प्रशासननक प्रानधकारी द्वारा प्ररूप ज में नकया जाएगा, नजसे ननदेशािय, निभाग और बोडा द्वारा, नजसका उपयोग आश्यकता होने पर, िमशः परमाणु खननजों के संरक्षण को सुनननश्चत करने और रेनडयोिऑनजकि सुरक्षा निननयमों को िागू करने के प्रयोजन के लिए नकया जाएगा।

34. उत्पादन पट्टों का समामेलन.—(1) प्रशासननक प्रानधकारी, खननज निकास के नहत में, और निक्तखत रूप में कारण अनभनिक्तखत करके, पट्टेदार द्वारा धाररत दो या अनधक समीपिती उत्पादन पट्टों के समामेिन की अनुमनत दे सकेगा;

परंतु, समामेनित उत्पादन पट्टों की अनध उस उत्पादन पट्टे के साथ व् यपगत होगी, नजसकी अनध पहि व् यपगत होगी;

परंतु, यह और नक ऐसे समामेिन के लिए निभाग का पूिा अनुमोदन प्राप्त नकया जाएगा।

(2) अनधननयम या उसके अधीन बनाए गए नकसी ननयम या उत्पादन पट्टे के ननबंधनों और शतों पर प्रनतकूि प्रभाि डाििे नबना, उत्पादन पट्टे का प्रत्येक धारक उपननयम (1) के अधीन नकए गए उत्पादन पट्टों के समामेिन की तारीख से तीस नदन की अनध के भीतर निभाग, ननदेशािय और प्रशासननक प्रानधकारी को इसकी सूचना भेजेगा।

35. समुद्र तल से नीचे की सीमाएं.—संयुि अनुज्ञक्तप्त या उत्पादन पट्टे की सीमाएं देशांतर और अक्षांश द्वारा दशाई जाएंगी और पृथ्वी के केंद्र की ओर सतह से नीचे की ओर िंबित चिंगी।

36. नये संभिया संबंधी अभधकार धारक को कुछ सूचना उपलब्ध कराना.—जहां कोई क्षेत्र पहि से ही संनिया संबंधी अनधकार के अधीन रहा है, िहां नजस व्यक्ति को ऐसा संनिया संबंधी अनधकार नदया गया था, िह नये संनिया संबंधी अनधकार धारक को उस क्षेत्र में पररत्यि संनियाओं सनहत सभी योजनाओं की मूि या प्रमानणत प्रनतयां उपिब्ध कराएगा।

37. सावाजभनक अवकाश के भदन भकसी आवश्यकता को पूरा करना.—जब इन ननयमों के अधीन नकसी आश्यकता को पूरा करने का नदन सािाजननक अिकाश के नदन पड रहा हो, तो पूरा करने का नदन अगि काया नदिस को माना जाएगा।

स्पष्टीकरण.—इस ननयम के प्रयोजन के लिए, 'सािाजननक अिकाश' पद में शननिर, रनिार और केन्द्रीय सरकार द्वारा सािाजननक अिकाश घोनषत नकया गया कोई अन्य नदन सक्तिनित है।

अध्याय 11

दंड

38. दंड.—(1) जो कोई ननयम 4 के उपननयम (4) या उपननयम (7) या ननयम 32 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, िह तीन िषा तक के कारािास या पांच िाख रुपये के जुमाने से, जो दस िाख रुपये तक हो सकता है, या दोनों से, दंडनीय होगा और उल्लंघन जारी रहने की क्तस्थनत में, प्रथम उल्लंघन के लिए दोषनसक्तद्ध के पश्चात यनद उल्लंघन जारी रहता है तो प्रत्येक नदन के लिए एक िाख रुपये तक के अनतररि जुमाने से, दंडनीय होगा।

(2) जो कोई ननयम 8, ननयम 9, ननयम 10, ननयम 11, ननयम 12, ननयम 14 के उपननयम (4), ननयम 15 के उपननयम (5), ननयम 17 के उपननयम (6), ननयम 18 के उपननयम (6), ननयम 19, ननयम 20,

ननयम 24, ननयम 25 या ननयम 31 के उपबंधों का उलंघन करता है, तो उसे कारािास से नजसे पांच िषा तक बढ़ाया जा सकता हैया पचास िाख रुपये के जुमाने नजसे एक करोड रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, अथिा दोनों से दंनडत नकया जा सकेगा और उलंघन जारी रहने की क्तस्थनत में, ऐसे प्रथम उलंघन के निे दोष नसक्तद्ध के पश्चात प्रत्येक नदन के निे पांच िाख रुपये तक के अनतररि जुमाने से दंनडत नकया जा सकेगा, नजसके दौरान उलंघन जारी रहता है।

अनुसूची क

[ननयम 4(1), 4(4), 5, 6(17), 6(19)

देखें+

परमाणु खननजों के भलए खननजीकरण केसाक्ष्यको भसद्ध करने के मापदंड

खोज के तुतरों और खोज के निनभन्न तुतरों के माध्यम से प्राप्त संसाधनों और भंडारों की श्रेणी से संबंनधत प्रयुि शब्ों को अनुसूची के भाग I में पररभानषत नकया गया है। नकसी क्षेत्र में मात्रा और ग्रेड के संदभा में खननज सामग्री के साक्ष्य को नसद्ध करने के मापदंडों को अनुसूची के भाग II, भाग III, भाग IV और भाग V में निनननदाष्ट नकया गया है।

भाग I पररभाषाएं

इस भाग में प्रयुि पररभाषाएं और कोड संयुि राष्ट्र ेमिका िगीकरण और खननज भंडार अंतरराष्ट्रीय ररपोनटिंग मानक सनमनत टेम्पैट के अनुसार प्रतुतानित ह; और देश की आश्यकताओं के अनुरूप इन्हें संशोनधत नकया गया है।

(क) खोज के चरणों की पररभाषा:

नकसी भी खननज भंडार के खोज में चार चरण अथात्, िीक्षण सैक्षण (जी4), प्रारंनभक खोज (जी3), सामान्य खोज (जी2) और नितुतृत खोज (जी1) सक्त मनित होते ह; और खोज के ये चरण िमशः चार संसाधन श्रेणयों अथात् िीक्षण खननज संसाधन, अनुमाननत खननज संसाधन, संकेनतत खननज संसाधन और मानपत खननज

[भागII—खण् ड3(i)]

भारत का र्िपत्र : असाधारण

37

संसाधन की ओर िे जाते ह;, जो भूिैज्ञाननक आश्वासन की नडग्री को दशाते ह;, नजन्हें ननमनानुसार समझाया गया

है:—

ि. सं.	खोज के चरण	स्पष्टीकरण सभहत पररभाषा
1.	अवीिण सवेिण (खोज) (जी4) ग्रेड के साथ मात्रा का अनुमान मुख्यतः क्षेत्रीय समुद्रति माननचत्रण पर आधाररत है, जो सीनमत भूनमगत नमूनाकरण और अप्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा समनथात है।	िीक्षण सैक्षण (जी4) मुख्य रूप से क्षेत्रीय समुद्र ति माननचत्रण के पररणामों के आधार पर संिनधात खननज क्षमता िािे क्षेत्रों की पहचान करता है, नजसमें प्रयोगशािा अध्ययनों के माध्यम से तिछटी और खननज संबंधी आंकडों के निे गहराई माप सैक्षण, सीनमत उप-ति प्रोफाइर, उथि भूकंपीय सैक्षण, नितुतृत सतह तिछट नमूनों का अध्ययन और सीनमत उपसतह समुद्र ति नमूनों का

2.	प्रारंभिक खोज (जी3) कम आत्मनिश्वास के साथ अनुमाननत ग्रेड िािी मात्रा	प्रारंभिक खोज में खोज के नपछि चरण (जी4) के पहचाने गए खननज भंडार क्षेत्र का प्रारंभिक नचत्रण सक्त मनिता है, जो अयस्क ननकाय के पाश्चा और ऊर्ध्ााधर नीचे (तीसरे आयाम) दोनों तरफ नितुतार और पहचान करने के लिए खोज को आगे बढ़ाता है। उपयोग की जाने िािी पद्धतयों में: नजदीकी अंतराि िािी सििक्षण रेखाओं पर नकया गया नितुत गहराई माप सििक्षण, नजदीकी अंतराि िािी सब-बॉटम प्रोफाइर और/या उथि भूकंपीय सििक्षण, नजदीकी अंतराि पर कोर नमूनों का संग्रह, क्षैतज और ऊर्ध्ााधर दोनों तरह से खननज युि तिछट इकाई के नचत्रण के लिए कण आकार नतरण और खननज सामग्री के लिए नमूनों का नितुत अध्ययन, प्रमुख ऑक्साइड, हाननकारक तत्वों सनहत टरेस
3.	सामान्य खोज (जी2) मध्यम तुतर के निश्वास के साथ अनुमाननत ग्रेड िािी मात्रा	सामान्य खोज में भूििज्ञाननक निश्वास तुतर को बढ़ाना और खननजकरण की घटना की शैिी और रीनत को समझना सक्त मनिता है। उपयोग की जाने िािी पद्धतयों में समुद्र ति की नितुत आकृत नज्ञान के लिए मल्टीबीम गहराई माप सििक्षण या स्वैथ गहराई मापन, ननकट अंतराि पर उप-ति प्रोफाइनिंग या उथि भूकंपीय प्रोफाइनिंग, अनधक ननकट अंतराि पर गहरी कोररंग/नडरनिंग के साथ उप-समुद्र ति नमूनाकरण (प्रत्येक प्रकार के खननज के लिए अंतराि उसके ननक्षेपण निशेषताओं के आधार पर नभन्न हो सकते ह;), क्षैतज और ऊर्ध्ााधर दोनों तरह से खननज युि तिछट इकाई के नचत्रण के लिए कण आकार नतरण और खननज सामग्री के लिए नमूनों का नितुत अध्ययन सक्त मनिता हो सकता है। प्रमुख ऑक्साइड, हाननकारक तत्वों सनहत टरेस तत्वों, दुिाभ मृदा तत्वों के लिए चयननत थोक नमूनों का रासायननक निश्लेषण और प्रयोगशािा पैमाने पर खननज सज्जीकरण और खननज भंडार के आकिन के लिए चयननत थोक नमूनाकरण यनद आश्यक हो। पयाारिणीय मापदंडों जैसे धारा, िहरें, हिा, पानी की गुणित्ता, कुि ननिनबत का संग्रह, ठोस पदाथा आनद। इसका उद्देश्य नकसी भंडार की मुख्य भूििज्ञाननक निशेषताओं को नसद्ध करना है, और पानश्चाक और ऊर्ध्ााधर (तृतीय आयाम)
4.	भवस्तुत खोज (जी1) उच्च ततर के निश्वास के साथ	नितुत खोज में ज्ञात खननज भंडार का नितुत नत्र-आयामी खोज में ज्ञात खननज भंडार का निततत नत्र-आयामी नचत्रण सक्त मनिता है।

	अनुमाननत ग्रेड िािी मात्रा	निनभन्न अध्ययनों के माध्यम से प्राप्त नकया जा सकता है, नजसमें नितुत उप-समुद्री आकृनत निज्ञान के लिए ननकट अंतराि िािे उप-ति प्रोफाइनिंग और/या उथि भूकंपीय प्रोफाइनिंग, गहरी कोररंग/नडरनिंग के साथ ननकट अंतराि िािे उप-समुद्र ति नमूनाकरण (प्रत्येक प्रकार के खननज के लिए अंतराि उसके ननक्षेपण निशेषताओं के आधार पर नभन्न हो सकते ह;), कण आकार नितरण और खननज सामग्री के लिए ननकट उप-नमूनाकरण के साथ नमूनों का नितुत अध्ययन सक्त मनिह हो सकता है तानक क्षैतज और ऊर्ध्ााधर दोनों तरह से खननज युि तिछट इकाई का नचत्रण नकया जा सके। प्रमुख ऑक्साइड, हाननकारक तत्वों सनहत टरेस तत्वों, आरईई (दुिाभ मृदा तत्वों) के लिए चयननत थोक नमूनों का रासायननक निश्लेषण, पयाारिणीय मापदंडों जैसे धारा, िहरे, हिा, पानी की गुणित्ता, कुि ननिनबत ठोस (टीएसएस) आनद का संग्रह। नमूना स्थान इतने ननकट अंतराि िािे होते ह; नक आकार, आकृनत, संरचना, मात्रा, ग्रेड और भंडार की अन्य सुसंगत निशेषताओं को उच्च तुतर के निश्वास के साथ नसद्ध नकया जाता है। ररकिरी और नकसी भी अन्य निशेषताओं के लिए ननकट अंतराि िािे होते ह; नक आकार, आकृनत, संरचना, मात्रा, ग्रेड और भंडार की अन्य सुसंगत निशेषताओं को उच्च तुतर के निश्वास के साथ नसद्ध नकया जाता है। ररकिरी और नकसी भी अन्य निशेषताओं के लिए ननकट अंतराि िािे होते ह; नक आकार, आकृनत, संरचना, मात्रा, ग्रेड और भंडार की अन्य सुसंगत निशेषताओं को उच्च तुतर के निश्वास के साथ नसद्ध नकया जाता है।
--	----------------------------	--

(ख) व्यवहायाता अध्ययन के चरणों की पररभाषा:

ि. सं.	वगा	स्पष्टीकरण सभहत पररभाषा
1.	भूवैज्ञाननक अध्ययन (एफ3)	भूिेज्ञाननक अध्ययन में मात्रा और ग्रेड के साथ खननज संसाधनों के मूल्यांकन सनहत खोज के प्रत्येक चरण के दौरान की गई सभी खोज कायाकिपों की ररपोनिंग सक्त मनिह है। ननक्षेप का प्रारंभक आनथाक मूल्यांकन एकनत्रत क्षेत्र आंकडा और पहि से ही संनिया में समान ननक्षेप के साथ तुिना के आधार पर नकया जाना चानहए। यह साथाक सीमा मूल्यां, ग्रेड, मोटाई और खननज क्षेत्र की
2.	पूवा-व्यवहायाता अध्ययन (एफ2)	पूिा-व्यवहायाता अध्ययन निनभन्न संशोनधत कारकों के अनुप्रयोग के माध्यम से खननज ननक्षेप की संभानित तकनीकी-आनथाक और सामानजक-पयाारिणीय व्यिहायाता को प्रदनशात करने के लिए नकया जाने िािा अध्ययन है, नजसमें खननज सज्जीकरण पद्धनत, यनद कोई हो, सनहत एक पसंदीदा उत्पादन पद्धनत का पता िगाया गया है। अध्ययन में िागू संशोनधत कारकों पर उनचत मान्यताओं और नकसी भी अन्य सुसंगत कारकों के मूल्यांकन के आधार पर एक प्रारंभक नितीय निश्लेषण भी सक्त मनिह होगा जो संसाधनों के सभी नहस्े को भंडार में पररिनतात करने के लिए पयााप्त ह;। इस अध्ययन से खननज संसाधन के नहस्े या पूरे खननज संसाधन को खननज भंडार में पररिनतात नकया जाना

[भागII—खण् ड3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण

3.	व्यवहायाता अध्ययन (एफ1)	व्यिहायाता अध्ययन एक खननज ननक्षेप का नितुतृत व्यापक तकनीकी-आनथाक और सामानजक-पयाारिणीय मूल्यांकन है, जो खननज ननक्षेप की तकनीकी व्यिहायाता, आनथाक और नितीय व्यिहायाता नसद्ध करने के लिए निनभन्न संशोनधत कारकों के अनुप्रयोग के माध्यम से नकया जाता है। इस तुतर पर अनधमाननत उत्पादन पद्धनत, ननक्षेप की सज्जीकरण तकनीक को िागू संशोनधत कारकों, सुसंगत संनिया कारकों और नितुतृत नितीय निश्लेषण के नितुतृत आकिन के साथ पयााप्त रूप से नसद्ध नकया गया है तानक यह प्रदनशात नकया जा सके नक ननष्कषाण व्यिहाया रूप से उनचत है। यह आशा की जाती है नक उत्पादन संनिया प्रारंभ करने के लिए सभी सरकारी मंजूरी ररपोनटिंग के समय पहि से ही मौजूद ह; और जहां ऐसी मंजूरी नहीं नमि है, िहां उत्पादन संनिया प्रारंभ होने से पहि ऐसी मंजूरी नमिने की िीद है। इस अध्ययन के पररणामस्वरूप खननज संसाधन का नहसा या पूरा खननज संसाधन, खननज भंडार में पररिनतात हो सकता है। इस अध्ययन का पररणाम पररयोजना के निकास को आगे बढ़ाने या नित्तपोनषत करने के लिए पतवािक गु नितीय संस्थान द्वारा अंनतम ननष्कषाण के लिए संशोनधत कारक िे कारक ह; नजन्हें खननज संसाधनों की खननज भंडार में पररिनतात करने के लिए पूिा-व्यिहायाता या व्यिहायाता अध्ययन करते समय ध्यान में रखा जाता है। इनमें उत्पादन, प्रसंस्करण, अंनतम उपयोग, कट-ऑफ ग्रेड, सीमा मूल्य, धातुकमा, असंरचना, आनथाक, निपणन, पररिहन, भंडारण, निनधक,
4.	संशोभधत कारक	संशोनधत कारक िे कारक ह; नजन्हें खननज संसाधनों की खननज भंडार में पररिनतात करने के लिए पूिा-व्यिहायाता या व्यिहायाता अध्ययन करते समय ध्यान में रखा जाता है। इनमें उत्पादन, प्रसंस्करण, अंनतम उपयोग, कट-ऑफ ग्रेड, सीमा मूल्य, धातुकमा, असंरचना, आनथाक, निपणन, पररिहन, भंडारण, निनधक,

(ग) आभथाक व्यवहायाता के चरणों की पररभाषा:

ि. सं.	वगा	स्पष्टीकरण सभहत पररभाषा
1.	आंतररक रूप से आभथाक (ई3)	मात्रा, ग्रेड या गुणित्ता के साथ टन या आयतन में ररपोटा की गई, जो आंतररक आनथाक नहत के रूप में पहचानी गई है, नजसका अथा है नक पहचाने गए संसाधनों का कोई तत्काि आनथाक मूल्य हो भी सकता है और नहीं भी। संसाधनों की आनथाक व्यिहायाता को उपयुि संशोनधत कारकों के अनुप्रयोग द्वारा पूिा व्यिहायाता या व्यिहायाता अध्ययन के माध्यम से आगे पता िगाया जाता है। पररभानषत िगा मापे गए, संकेनतत, अनुमाननत और िीक्षण
2.	संभाभवत आभथाक (ई2)	पूिा-व्यिहायाता (एफ2) या व्यिहायाता (एफ1) अध्ययन के माध्यम से बढ़ती सटीकता के िम में ररपोटा की गई ग्रेड के साथ मात्रा, मौजूदा तकनीकी, आनथाक, पयाारिणीय और अन्य सुसंगत क्तस्थनतयों के अधीन ननष्कषाण को उनचत नहीं ठहराती है, जो ननधारण के समय िातुतनिक रूप से मानी जाती है, िेनकन भनिष्य में ऐसा हो सकता है। संभानित रूप से आनथाक (ई2) ननक्षेप को आम तौर पर पूिा-व्यिहायाता खननज संसाधनों (एफ2) के रूप में िगीकृत नकया जाता है, िेनकन कभी-कभी व्यिहायाता खननज संसाधनों (एफ1) के रूप में नजन्हें संकेनतत पूिा-व्यिहायाता या व्यिहायाता अध्ययन के आधार पर पहचानी गई ग्रेड िािी मात्राएँ, बढ़ती सटीकता के िम में, जो प्रचनित तकनीकी-आनथाक, सामानजक-पयाारिणीय और अन्य सुसंगत क्तस्थनतयों के अधीन ननष्कषाण को उनचत ठहराती ह;, नजन्हें ननधारण के समय िातुतनिक रूप से ग्रहण नकया गया है।
3.	आभथाक (ई1)	

(घ) खननज संसाधनों और भंडार के वर्गों की पररभाषा:

ि. सं.	वर्ग	स्पष्टीकरण सभहत पररभाषा
1.	खननज संसाधन	खननज संसाधन पृथ्वी की सतह (समुद्र ति) पर ठोस पदार्थ का संकेन्द्रण या उपकृतस्थान है, नजसके ग्रेड या गुणित्ता के साथ मात्रा का अनुमान कुछ भू-ज्ञाननक निचारों और समझ के आधार पर िगाया गया है, नजसका तत्काि या ननकट-अनध आनथाक मूल्य हो भी सकता है और नहीं भी, िनकन उनका मूल्यांकन उनके भनिष्य के संभानित मूल्य के आधार पर नकया जाता है।
2.	अवीिण खननज संसाधन (334)	अीक्षण खननज संसाधन (334) अप्रत्यक्ष साक्ष्य पर आधाररत मात्रा और ग्रेड के अनुमान ह:, नजसमें अीक्षण सैक्षण के माध्यम से सृजत आंकडा और सूचना, खोज ब्लॉक के भीतर से सीनमत सतह और उपसतह नमूना आंकडा या आस-पास के उत्पादन या खोज नकए गए क्षेत्रों से ननकािे गए आंकडें सक्त मनित ह:, जैसा नक अपेनक्षत नकया जाए। मात्रा और ग्रेड अनुमानों में अनुमाननत खननज संसाधनों की तुिना में कम आत्मनिश्वास का तुतर होता है।
3.	अनुमाभनत खननज संसाधन (333)	(1) अनुमाननत खननज संसाधन नकसी खननज भंडार से संबद्ध ग्रेड सनहत िह मात्रा है नजसका अनुमान कम निश्वास तुतर के साथ िगाया जा सकता है। (2) यह उपयुि खोज तकनीकों के अनुप्रयोग के माध्यम से प्राप्त नकया जाता है नजसमें व्यापक रूप से फैिे हुए समुद्र ति कोररंग या नडरनिंग के बाद उपयुि उप-नमूनाकरण और निश्लेषण, समुद्र ति की नितुतृत आकृतनत निज्ञान, उप-ति प्रोफाइनिंग जैसे संिेदी सैक्षण और/या उथि भूकंपीय सैक्षण सक्त मनित होते ह; तानक खननजयुि ननकाय की भू-ज्ञाननक ननरंतरता को पाश्चा और ऊर्ध्ााधर दोनों तरह से माना जा सके। अयस्क ननकाय को समझने के लिए ननक्षेप के प्रकार और उसके होने के रीनत के आधार पर उपयुि औनचत्य के साथ नमूना नबंदुओं से परे बनहिशन के कुछ तुतर की अनुमनत दी जा सकती है। (3) इस संसाधन को खननज भंडार में पररिनतात नहीं नकया जा सकता है, िनकन अनतररि सूचना के साथ इसे संकेनतत खननज संसाधन में उन्नत नकया जा सकता है।

[भागII—खण् ड3(i)]

भारत का र्ापत्र : असाधारण

4.	संकेनतत खननज संसाधन (332)	(1) संकेनतत खननज संसाधन नकसी खननज ननक्षेप से संबद्ध ग्रेड सनहत िह मात्रा है नजसका अनुमान मध्यम तुतर के निश्वास के साथ िगाया जा सकता है। (2) यह उनचत खोज तकनीकों के अनुप्रयोग के माध्यम से प्राप्त नकया जाता है नजसमें नपछि चरण की तुिना में कम अंतराि पर समुद्र ति कोररंग या नडरनिंग और/या उथी नडरनिंग, समुद्र ति की नितुतूत रूपरेखा, बंद अंतराि िाििे संिेदी सैक्षण (सब-बॉटम प्रोफाइनिंग और/या उथि भूकंपीय सैक्षण) सक्त मनित ह:, नजसमें मापे गए संसाधनों के अनुमान के लिए आश्यक अंतराि से अनधक अंतराि होता है जो पाश्चा और ऊर्ध्ााधर दोनों तरह से खननजयुि ननकाय की भूिैज्ञाननक ननरंतरता की धारणा सुनननश्चत करता है। इसमें यनद आश्यक हो तो पुनप्राक्तप्त और उप-उत्पादों, यनद कोई हो, को समझने के लिए प्रयोगशािा पैमाने पर सज्जीकरण अध्ययन भी सक्त मनित है। (3) संकेनतत खननज संसाधन को अनधक भूिैज्ञाननक आंकडा, नितुतूत आनथाक मूल्यांकन आनद एकत्र करके पूिा विहायाता अध्ययन के माध्यम से पूणात: या आंनशक रूप से संभानित खननज भंडार में पररिन्तात नकया जा सकता है।
5.	मानपत खननज संसाधन (331)	(1) मानपत खननज संसाधन नकसी खननज ननक्षेप से संबद्ध ग्रेड सनहत िह मात्रा है नजसका अनुमान भूिैज्ञाननक निश्वास के बहुत उच्च तुतर के साथ िगाया जा सकता है। (2) यह उनचत खोज तकनीकों के अनुप्रयोग के माध्यम से प्राप्त नकया जाता है, नजसमें पयाप्त रूप से ननकट अंतराि िाििे समुद्र ति कोररंग/नडरनिंग, उथी नडरनिंग के बाद उपयुि उप-नमूनाकरण और निश्लेषण सक्त मनित है, तानक पाश्चा और ऊर्ध्ााधर दोनों तरह से खननजयुि ननकाय की भूिैज्ञाननक ननरंतरता सुनननश्चत की जा सके। यनद आश्यक हो, तो अनतररि खननजों के साथ प्रनतशत पुनप्राक्तप्त की पुनष्ट करने के लिए बेंच स्केि सज्जीकरण अध्ययन नकए जा सकते ह:, यनद कोई िापस कराया गया हो। (3) मानपत खननज संसाधन को संभाव्यता या पूिा संभाव्यता अध्ययन के माध्यम से पूणात: या आंनशक रूप से प्रमानणत या संभानित खननज भंडार में पररिन्तात नकया जा सकता है।
6.	खननज भंडार	खननज भंडार मानपत और/या संकेनतत खननज संसाधन का आनथाक रूप से खनन योग्य नहस्ा है। इसमें कमजोर करने िाििी सामग्री और नुकसान के लिए भते सक्त मनित ह:, जो सामग्री के खनन या ननष्कषाण के दौरान हो सकते ह:। खननज भंडार की मात्रा और ग्रेड उपयुि संशोनधत कारकों के अनुप्रयोग द्वारा उपयुि पूिा विहायाता या विहायाता अध्ययन के माध्यम से पता िगाया जाता है।
7.	प्रमानणत खननज भंडार (111)	प्रमानणत खननज भंडार मानपत खननज संसाधन का आनथाक रूप से खनन योग्य नहस्ा है। ग्रेड के साथ मात्रा को विहायाता अध्ययन के माध्यम से आनथाक रूप से खनन योग्य नचनत्रत नकया जाता है। प्रमानणत खननज भंडार का तात्पया संशोनधत कारकों में उच्च तुतर के निश्वास से है।

8.	संभावित खननज भंडार (121 और 122)	(1) संभावित खननज भंडार एक संकेनतत खननज संसाधन का आनथाक रूप से खनन योग्य नहस्ा है, और कुछ पररक्तस्थनतयों में, एक मानपत खननज संसाधन है। ग्रेड के साथ मात्रा को पूर्ा-व्यिहायाता अध्ययन के माध्यम से आनथाक रूप से खनन योग्य प्रदनशात नकया जाता है। (2) संभावित खननज भंडार पर िागू होने िािे संशोनधत कारकों में निश्चाय ामानात खननज भंडार पर िागू होने िािे निश्चाय
9.	व्यवहायाता खननज संसाधन (211)	व्यिहायाता खननज संसाधन मानपत खननज संसाधन का िह नहस्ा है जो आनथाक रूप से खनन योग्य नहीं है और व्यिहायाता तुतर पर अध्ययनों द्वारा इसे इस प्रकार पररभानषत नकया गया है नक ितामान में ननष्कषाण उनचत नहीं है। इस सामग्री की पहचान तकनीकी, आनथाक और पयाारिणीय या अन्य सुसंगत क्तस्थनतयों में पररितान के अधीन संभितः आनथाक रूप से व्यिहाया के रूप में की जाती है।
10.	पूर्वा-व्यवहायाता खननज संसाधन (221 और 222)	पूर्ा-व्यिहायाता खननज संसाधन, संकेनतत खननज संसाधन का िह भाग है, और कुछ पररक्तस्थनतयों में मानपत खननज संसाधन है, जो आनथाक रूप से खनन योग्य नहीं है तथा पूर्ा-व्यिहायाता तुतर पर अध्ययनों द्वारा इसे ितामान में ननष्कषाण के लिए उपयुि नहीं माना गया है। इस सामग्री की पहचान तकनीकी, आनथाक, ि पयाारिणीय और/या अन्य सुसंगत क्तस्थनतयों में पररितानों के अधीन संभितः आनथाक रूप से व्यिहाया के रूप में की जाती है।

भाग 2

खोज के भलए भूवैज्ञानिक मापदंड

1.	भूवैज्ञानिक सर्वेिण (समुद्रतल मानभचत्रण): प्रादेनशक जि क्षेत्र में िीक्षण सैक्षण (जी4) चरण के लिए 1:50,000 पैमाने पर; प्रादेनशक जि क्षेत्र से परे िीक्षण सैक्षण (जी4) चरण के लिए निनशष्ट आनथाक क्षेत्र में 1:3,00,000 पैमाने पर; प्रारंभक खोज (जी3) चरण के लिए 1:50,000 या बडे पैमाने पर; सामान्य खोज (जी2) चरण के लिए 1:10,000 या बडे पैमाने पर; नितुतृत खोज (जी1) चरण के लिए 1:5,000 या बडे पैमाने पर। आम तौर पर, माननचत्रण के इस चरण में गहराई मापन, सब-बॉटम प्रोफाइनिंग और/या उथि भूकंपीय प्रोफाइनिंग, व्यापक अंतराि पर समुद्र ति की सतह का नमूना िेना, उप-समुद्र ति की सीनमत कोररंग/नडरनिंग, जि नमूना िेना, चयननत स्थानों (जी4) चरण में िीक्षण सैक्षण में ितामान माप; (जी4) चरण के पररणामों के आधार पर प्रारंभक खोज (जी3) चरण में कम अंतराि के साथ सैक्षण के सभी या कुछ तरीकों की गहनता; मल्टीबीम गहराई मापन /स्वैथ गहराई मापन, कम अंतराि पर सब-बॉटम प्रोफाइनिंग या उथि भूकंपीय प्रोफाइनिंग, बहुत कम अंतराि पर समुद्र ति की गहन कोररंग या उथि नडरनिंग, बल्क नमूना िेना, प्रयोगशािा सज्जीकरण अध्ययन, जि नमूना िेना, सामान्य खोज (जी2) चरण में िक्ष्य क्षेत्रों में ितामान अध्ययन; नितुतृत संिेदी अध्ययनों के साथ बहुत करीब से, गहन जांच, नितुतृत खोज (जी1) चरण में बेंच तुतर सज्जीकरण।
----	---

[भागII—खण् ड3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण

43

2.	तकनीकी: समुद्र ति पर क्तस्थत स्थानों से उपयुि तकनीकों का उपयोग करके खोज और नमूनाकरण। खननज समृद्ध ननकायों और इसकी पाश्चा और ऊर्ध्ााधर ननरंतरता के साक्ष्य को नसद्ध करने के लिए नमूनाकरण स्थानों को उपयुि रूप से (जहां तक संभि हो नग्रड पैटना में और समुद्र ति की आकृनत निज्ञान संबंधी निशेषताओं के आधार पर संशोनधत नकया जा सकता है) स्थान नदया गया है। अनधक ब यौरा के लिए अनुसूची के भाग-3 को उक्तलूक्तखत नकया जा सकता है। यनद संभि हो तो, आिक्षण सैक्षण (जी4) चरण के लिए समुद्र ति से नमूना आंकडा का उपयोग संसाधनों के आकिन के लिए नकया जा सकता है। खननजीकरण की गहन ननरंतरता को उस गहराई तक सीनमत माना जा सकता है, जहां तक खननजीकरण का प्रत्यक्ष साक्ष्य नसद्ध होता है। संसाधन मूल्यांकन के लिए निचार नकया जाने िािा पाश्चा नितुतार भूिैज्ञाननक निचारों पर ननभार करेगा, जो माननचत्रण या अन्य माध्यमों के माध्यम से भूिैज्ञाननक ननरंतरता द्वारा पूररत होगा और नकसी भी मामि में जांच नबंदुओं के नग्रड अंतराि के 50% से अनधक नहीं होगा। पृथक नमूनों और निश्लेषण जैसी चयननत सूचना के आधार पर ननधारण की नसफाररश नहीं की जाती है।
3.	नमूनाकरण और उप-नमूनाकरण: (क) व्क्तिस्थत रूप से व्यापक अंतराि पर ग्रैब नमूनाकरण, सीनमत कोर नमूनाकरण और आिक्षण चरण के लिए कोर नमूनों से उप-नमूने। (ख) भूिैज्ञाननक मूल्यांकन के अन्य चरणों के लिए भूिैज्ञाननक और ग्रेड ननरंतरता की पुनष्ट करने के लिए पयाप्त ननकटता से िगाए गए कोर नमूनों और सीनमत नडरि कोर से व्क्तिस्थत नमूनाकरण। (ग) ननयनमत अंतराि पर तिछट कोर का भूिैज्ञाननक िॉनगंग और नमूनाकरण, अनधमानत: पूरे कोर के लिए 1 मीटर या उससे कम। (घ) अपतट अशांत पररक्तस्थनतयों में नडरनिंग अनभयान बहुत महत्वपूणा है और उपयोग की जाने िािी तकनीक सामान्य रूप से समुद्र की क्तस्थनत और मौसम के अनुसार मौसम की क्तस्थनत पर ननभार करेगी। कोर ररकिरी नडरनिंग उपस् कर और फ्लोनटंग लेटेटणॉमा की क्तस्थरता पर ननभार करती है। (ड.) प्रनतनननध खोज नमूने, सतह के नमूने, कोर को भनिष्य में उपयोग के लिए संरनक्षत नकया जाएगा।
4.	प्रयोगशाला परीणि: तिछट और जि के नमूनों का रासायननक निश्लेषण।
5.	तलछट भवज्ञान, शैल भवज्ञान और खभनज भवज्ञान अध्ययन: तिछट कण के आकार, तिछट के प्रकार, बनावि और मौजूद खननजों और उनके संयोजन का पता िगाना।
6.	थोक घनत् अध्ययन: थोक घनत्व, नछद्रण, कतरनी शक्ति, तरिता, संघनन आनद को चयननत नमूनों के लिए भू-तकनीकी गुणों और ढिान क्तस्थरता के लिए मानक तरीकों से मापा जाना चानहए।
7.	सज्जीकरण अध्ययन के भलए थोक नमूनाकरण: प्रसंस्करण प्रौद्योनगकी के परीक्षण के लिए यनद आिश्यक हो तो थोक नमूनाकरण।
8.	समुद्री पयावरणीय सेभटंग: धारा, िहर, शोर का तुतर, सतह और उप-सतह तिछट में मौजूद हाननकारक तत्व (यनद कोई हो), समुद्री जि की गुणिता, ननिनबत ठोस पदाथा, कुि घुनित ठोस (टीडीएस), िणिता, तापमान, घुनित ऑक्सीजन (डीओ), जैनिक ऑक्सीजन मांग (बीओडी), समुद्री जीि आनद के बारे में ब यौरा और पयाारिण प्रभाि आकिन अध्ययन के लिए पयाारिण, िन और जििायु पररितान मंत्रायि द्वारा आिश्यक कोई अन्य आंकडा जांच के जी 2 चरण में निया जा सकता है।
9.	भू-तकनीकी और ढिान क्तस्थरता अध्ययन सभहत कोई अन्य आंकडा जो सुसंगत हो सकता है।

भाग 3

भवभभन्न प्रकार के भनिपों और खभनजों के भलए खोज मानदंड

भनिप का प्रकार और प्रमुख खननज

- I. **समुद्रतटीय रेत खननज** (समुद्रति तिछट नजसमें इल्मेनाइट, मैग्नेटाइट, नसनिमेनाइट, गानेट, मोनाजाइट, नजरकोन, रूटाइल, ल्यूकोक्सीन जैसे आनथाक रूप से भारी खननजों की मात्रा पाई जाती है, और अन्य आनथाक

रूप से खनन योग्य भारी खननज जो महाद्वीपीय शेल्फ पर व्यापक ननक्षेपों के रूप में पाए जाते ह:।)

जी4 चरण	जी3 चरण	जी2 चरण	जी1 चरण
(क) 1:50,000 स्केि में गहराई माप माननचत्र, नजसे उनचत अंतराि पर नसंगि बीम इको साउंडर या स्पॉट डेप्थ मापन और टाई िाइनो के साथ तैयार नकया गया हो (ख) ब्लॉक में एक या एक से अनधक उथि भूकंपीय प्रोफाइ या उप ति प्रोफाइर जो उपसतह तिछटी इकाइयों/चट्टानों के निन्यास को दशाते ह:, 1: 50,000 के क्षैतज पैमाने और 1:10,000 के ऊर्ध्ााधर पैमाने पर प्रतुतुत नकए जाते ह:। (ग) 5 x 5 नकमी नग्रड स्पेनसंग पर ग्रैब या नकसी अन्य उपस् कर का उपयोग करके समुद्र ति का नमूना िेना। (घ) निनभत्र खननज घटकों, उनके आकार, सीमा और सामग्री (भार, थोक नमूने में प्रनतशत), उपक्तस्थनत की	500 मीटर या उससे कम अंतराि पर एकि बीम इको साउंडर माप के साथ 1:50,000 पैमाने पर गहराई माप माननचत्र तैयार नकया गया तथा उनचत अंतराि पर टाई िाइनो बनाई गई। ब्लॉक में उथि भूकंपीय प्रोफाइ या उप ति प्रोफाइर, जो 2 नकमी के अंतराि पर उपसतह तिछटी इकाइयों या चट्टानों की क्तस्थनत को दशाती है, 1:50,000 के क्षैतज पैमाने और 1:10,000 के ऊर्ध्ााधर पैमाने पर प्रतुतुत की गई है। उपयुि कोरर या नकसी अन्य युक्त् का उपयोग करके 2 नक.मी. x 2 नकमी नग्रड स्पेनसंग पर कम से कम 4 मीटर की गहराई तक या खननजकरण की गहराई तक, जो भी कम हो, समुद्र ति का नमूना िेना।	आसन्न िाइनो के बीच 50% साइड ओरिप के साथ ननबाध किर्रेज के साथ मल्टीबीम गहराई माप सिक्षण। 1:5,000 स्केि में मल्टीबीम गहराई माप माननचत्र, एमबीईएस (मल्टी बीम इको साउंडर) बैकस्कैटर आंकडा के साथ नचत्र भी प्रतुतुत नकए जाने ह:। ब्लॉक में उथि भूकंपीय प्रोफाइ या उप ति प्रोफाइर, जो 1 नकमी के अंतराि पर उपसतह तिछटी इकाइयों या चट्टानों की क्तस्थनत को दशाती है, 1:5,000 के क्षैतज पैमाने और 1:1,000 के ऊर्ध्ााधर पैमाने पर प्रतुतुत की गई है। उपयुि कोरर या नकसी अन्य उपस् कर का उपयोग करके 1,000 मीटर x 1,000 मीटर नग्रड स्पेनसंग पर कम से कम 6 मीटर की गहराई तक या खननजकरण की गहराई तक, जो भी कम हो, समुद्र ति तिछट या चट्टान का	आसन्न िाइनो के बीच 50% साइड ओरिप के साथ ननबाध किर्रेज के साथ मल्टीबीम गहराई माप सिक्षण। 1:2,500 स्केि में मल्टीबीम गहराई माप माननचत्र। एमबीईएस बैकस्कैटर आंकडा िािी छनियां भी प्रतुतुत की जानी ह:। ब्लॉक में उथि भूकंपीय प्रोफाइ या उप ति प्रोफाइर, जो 500 मीटर के अंतराि पर उपसतह तिछटी इकाइयों या चट्टानों की क्तस्थनत को दशाता है, 1:2,500 के क्षैतज पैमाने और 1:500 के ऊर्ध्ााधर पैमाने पर प्रतुतुत नकया गया है। उपयुि कोरर या नकसी अन्य उपस् कर का उपयोग करके 500 X 500 मीटर नग्रड स्पेनसंग पर कम से कम 6 मीटर की गहराई तक या खननजकरण की गहराई तक, जो भी कम हो, समुद्र ति तिछट या चट्टान का नमूना िेना। कोर नमूनों को ऊपर से 1

[भागII—खण् ड3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण

निए नक्शे का तिछट इस श्रेणी में आती है, प्रमुख ऑक्साइड और टरेस तत्वों या दुर्लभ मृदा तत्वों (आर्ईई) के लिए थोक तिछट/चट्टान का रासायनिक निश्लेषण। (च) सििक्षण क्षेत्रों में निनभन्न खननजों की पहचान करने और आगे खोज के लिए उनके संभानित स्थानों की पहचान करने के लिए सभी उपिब्ध आंकड़ों का संश्लेषण। (छ) उपरोक्तानुसार कायाकिप या प्रारंभिक खोज (जी3) चरण के लिए अपेक्षित कायाकिपों से कम।	कोर नमूनों को ऊपर से 1 मीटर के अंतरा में निभानजत नकया जाना है। तिछट/चट्टान का तिछट निज्ञान या शै निज्ञान और खननज निज्ञान संबंधी निश्लेषण, नजससे निनभन्न खननज घटकों, उनके आकार, तिछट के प्रकार और सामग्री (थोक नमूने में भार प्रनतशत), उपक्तस्थनत की प्रकृत आनद की पहचान की जा सके। यह ननधाररत करने के लिए नक्शे तिछट इस श्रेणी में आती है या नहीं, प्रमुख ऑक्साइड और टरेस तत्वों या दुर्लभ मृदा तत्वों के लिए थोक तिछट या चट्टान का रासायनिक निश्लेषण। सििक्षण क्षेत्र में मौजूद खननजों की प्रकृत और मात्रा या ग्रेड की व्याख्या करने के लिए सभी उपिब्ध आंकड़ों का संश्लेषण। सामान्य खोज (जी2) चरण के लिए आश्यक कायाकिपों के समान या उससे कम।	कोर नमूनों को ऊपर से 1 मीटर के अंतरा में निभानजत नकया जाना है। तिछट या चट्टान का तिछट निज्ञान या शै निज्ञान और खननज निज्ञान संबंधी निश्लेषण, नजससे निनभन्न खननज घटकों, उनके आकार, तिछट के प्रकार और सामग्री (थोक नमूने में भार प्रनतशत), उपक्तस्थनत की प्रकृत आनद की पहचान की जा सके। खननज की संरचना और उसके आनथाक मूल्य का मूल्यांकन करने के लिए थोक तिछट या चट्टान और आनथाक महत्व के घटक खननजों का रासायनिक निश्लेषण। रुनचकर खननज या धातु की मात्रा का आकिन करने के लिए तिछट या चट्टान का प्रयोगशाि पैमाने पर सज्जीकरण अध्ययन। सििक्षण क्षेत्रों में निनभन्न खननजों की पहचान करने और आगे खोज के लिए उनके संभानित स्थानों की पहचान करने के लिए सभी उपिब्ध आंकड़ों का संश्लेषण। नितुत खोज (जी1) चरण के लिए उपरोक्त या उससे कम कायाकिप आश्यक है। नमूनों का निश्लेषण, खोजात्मक उत्पादन और	मीटर के अंतरा में निभानजत नकया जाना है। तिछट या चट्टान का तिछट निज्ञान या शै निज्ञान और खननज निज्ञान संबंधी निश्लेषण, नजससे निनभन्न खननज घटकों, उनके आकार, तिछट के प्रकार और सामग्री (थोक नमूने में भार प्रनतशत), उपक्तस्थनत की प्रकृत आनद की पहचान की जा सके। खननज की संरचना और उसके आनथाक मूल्य का मूल्यांकन करने के लिए थोक तिछट या चट्टान और आनथाक महत्व के घटक खननजों का रासायनिक निश्लेषण। रुनचकर खननज या धातु की मात्रा का आकिन करने के लिए तिछट या चट्टान का प्रयोगशाि पैमाने पर सज्जीकरण अध्ययन। उपक्तस्थत खननजों की प्रकृत और मात्रा या ग्रेड की व्याख्या करने के लिए सभी उपिब्ध आंकड़ों का संश्लेषण।
--	--	--	--

भाग 4

खननज संसाधनों की
ररपोभटिंग

भूवैज्ञानिक अध्ययन ररपोटा के भलए मानक टेम्पलेट जो पूवा-साध् यता या साध् यता ररपोटा का भी एक भाग होगा

1. खननज संसाधनों के आकिन और ररपोनटिंग के लिए प्रौद्योगिकीय, नजसमें समुद्री भू-भौतकीय, भू-रासायनिक, भू-विज्ञानिक शिक्षण, समुद्री पर्यावरण और प्रौद्योगिकीय अध्ययन के माध्यम से की गई खोज, नमूनाकरण और परीक्षण के सभी आंकड़ों को एकीकृत नकया जाएगा तथा संसाधनों का ननधारण करने के लिए खोज के प्रत्येक चरण यानी जी4 से जी1 तक के लिए एक भू-विज्ञानिक अध्ययन ररपोटा तैयार की जाएगी।
2. खननज संसाधन ननधारण साधारणतया एक सामूहिक प्रयास होता है नजसमें बहु-निषयक दृष्टिकोण अंतर्निहित होता है। यह अपेक्षा की जाती है नक ररपोटा तैयार करने के प्रत्येक भाग में सक्त मनिन व् यक्तकों या निषय ितुतु निशेषज्ञों को ररपोटा में उनचत अनभस्वीकृतन के साथ उस भाग के लिए स यक् श्रेय नदया जाए और साथ ही, िे उस भाग की सटीकता और प्रामाणिकता के बारे में उनचत उत्तरदानयत्व िेने के लिए तैयार हों। तथानप, ररपोटा की अनंतम नजिदारी प्रमुख निशेषज्ञ या निशेषज्ञों के समूह के पास होगी, जो ररपोटा के सभी भागों की उनचत पररश्रम के बाद संसाधनों और भंडारों के अनंतम अनुमान पर पहुंचे ह; और संसाधन अनुमानों पर पहुंचने में अपनाई गई पद्धत और प्रनियाओं के बारे में आश्वतुत ह;। ररपोटा के लिए अनंतम उत्तरदानयत्व िेने िािे इन निशेषज्ञों को अनहात व्यक्ति कहा जाएगा और िे अपनी साख के साथ ररपोटा पर हतुताक्षर करके ररपोटा को प्रमानणत करेंगे।

ि. सं.	ररपोभटिंग के मापदंडों सभहत मानदंड
1.	कायाकारी सारांश (i) कायाकारी सारांश में खननज भंडार के स्थान, खननज जांच का प्रयोजन और खोज के चरण, संनक्षप्त भू-निज्ञान, खननजीकरण, नमूना नबंदुओं के बीच अंतर के साथ खोज की योजना, खोज की गहराई और ा खननजीकरण प्रत्यक्ष अक्ततुतत्व की गहराई से आगे तक फैिा हुआ है, के बारे में ब यौरा सक्त मनिन होंगे। निनभन्न िगों के अधीन ग्रेड और गुणित्ता के साथ पहचाने गए संसाधनों की मात्रा सनहत खोज अध्ययनों का पररणाम। (ii) इस सारांश में, ितामान प्रौद्योगिकीय, पर्यावरणीय, सामानजक और बाजार क्तस्थनतयों के आधार पर भंडार के उत्पादन की अनुकूित्ता सनहत भंडार के लिए भनिष्य की योजना या रणनीनत से संबंनधत मुद्दों पर नटप्पनणयां भी सक्त मनिन होंगी।
2.	(i) अभहात व्यप्तक्त(व्यप्तक्तयों) या खोज अभभकरण का ब यौरा (ररपोटा पर हतुताक्षर करने िािे सभी अनहात व्यक्तियों के लिए अिग से उपिब ध कराया जाएगा) (क) नाम (ख) पता (ग) संपका मोबाइ नं. (घ) ईमेि आईडी (ङ) अहाता (च) अनुभि (छ) सहबद्धता नकसी संगठन/कंपनी को, यनद हां, तो संगठन या कंपनी का नाम निनननद् ट करें

[भागII—खण् ड3(i)]

भारत का ररिपत्र : असाधारण

47

	(ii)	संसाधनों और भंडारों की खोज के ननधारण के निनभन्न पहिुओं से जुडे व्यक्तियों की अहाता और अनुभि का ब यौरा।
3.		शीषाक और स्वाभमत्
	(i)	संनिया संबंधी अनधकार के धारक का नाम
	(ii)	पता

	(iii)	टेिीणोन नं.
	(iv)	ईमेि आईडी
	(v)	संनिया संबंधी अनधकार की अनध का ब यौरा, यनद कोई हो:
	(vi)	अनुज्ञक्तप्त या पट्टे की दशा में
		(क) अनुदान की तारीख (ख) ननष्पादन की तारीख (ग) अनुज्ञक्तप्त या पट्टे की अनध (घ) पूणा होने की तारीख
4.		अध्ययनाधीन िेत्र का ब यौरा
	(i)	तट या समुद्र
	(ii)	अपतट क्षेत्र
	(iii)	ननकटतम तटीय स्थान
	(iv)	क्षेत्रफि िगा नकमी में
	(v)	पानी की गहराई (मीटर में)
	(vi)	ननकटतम बंदरगाह या पत् तन
	(vii)	भूनम पर ननकटतम प्रमुख रेि हेड
	(viii)	ननकटतम निमानपत् तन
	(ix)	क्षेत्र के ननकटिती गांि(गांिों) या एनएचओ (नौसेना हाइड्रो ग्रानफक कायाािय) चाटा संख्या का नाम, क्षेत्र के सभी कोने नबंदुओं के निभेदक िैनश्वक क्तस्थनत प्रणािी (डीजीपीएस) ननदेशांक और अक्षांश और देशांतर (नडग्री नमनट सेकंड) में नमूना नबंदु रुपनिधान डब्ल्यूजीएस-
	(x)	जांच के अधीन या अनुज्ञक्तप्त या पट्टे के अधीन अनुदत् त खननज नजनके लिए आिेदन नकया
5.		समुद्रतल की आकृभत भवज्ञान, कनेप्तिभवटी और जनसांप्तिकी आंकडा (क्षेत्र और ननकटिती तट से आंकडे उपिब्ध कराए जाएंगे)
	(i)	न्यूनतम और अनधकतम जि गहराई िािे क्षेत्र या समुद्र ति की राहत।
	(ii)	समुद्र ति का बायोटोप माननचत्र नजसमें महत्वपूणा समुद्री पाररक्तस्थनत तंत्रों जैसे मूंगा, समुद्री घास आनद (यनद कोई हो) को दशाया गया हो।
	(iii)	क्षेत्र में िानणक्तिक मछिी पकडने के स्थान, यनद कोई हों।
	(iv)	तट पथ और क्षेत्र में िनस्पनत और जीि।
	(v)	जि ननकाय जैसे नदी, नािा, झरना आनद जो आस-पास के क्षेत्र में समुद्र से नमिते ह;।
	(vi)	तटीय क्षेत्र के साथ की जिािा यु पररक्तस्थनतयां : (क) तापमान (िानषाक) न्यूनतम__ अनधकतम__ औसत__ (ख) िषा (िानषाक) न्यूनतम__ अनधकतम__ औसत__ (ग) आद्राता (िानषाक) न्यूनतम__ अनधकतम__ औसत__
	(vii)	कोई अन्य भू-आकृनत, सामानजक और पयाारिणीय कारक जो पररयोजना की व्िहायाता और संसाधनों और भंडारों के ननधारण को प्रभानित करने की क्षमता रखता हो।
6.		अवसंरचना
		क्षेत्र के आस-पास की स्थानीय असंरचना नजसमें सडकें, रेििे, पत् तन सुनिधाएं, मत्स्य पािनि, बंदरगाह, नबजी, पानी आनद सक्त मनित ह;। क्षेत्र में आस-पास के उद्योगों का ब यौरा जो खनन नकए जाने िािे खननज पदार्थों का उपयोग कर सकते ह;।

7.		भू-भवंज्ञान
	(i)	क्षेत्र की संनक्षप्त क्षेत्रीय भू-आकृतनत निज्ञान या समुद्रति आकृतनत निज्ञान, नजसमें व्यापक भू-िज्ञाननक और संरचनात्मक ढांचे की रूपरेखा दी गई हो।
	(ii)	खननजीकरण की शैिी और जांच के अधीन खननजों के आधार पर जमा के प्रकार पर चचा। खोज के चरण के अनुरूप नमूना नबंदुओं की दूरी और खोज की गहराई सनहत सुझाई गई खोज या उत्पादन योजना।
8.		पूवा में की गई खोज
	(i)	क्षेत्र की खोज में सक्त मनित संनिया संबंधी अनधकार धारक का नाम और पता, खोज का िषा और अनध (यनद एक से अनधक अनभकरण सक्त मनित ह; तो प्रत्येक अनभकरण के लिए अलग से ब यौरा नदया जाए)।
	(ii)	की गई खोज का संनक्षप्त ब यौरा (प्रत्येक अनभकरण के लिए अलग से नदया जाएगा)।
	(iii)	नपछि खोज अनभयान के दौरान अनुमाननत भंडार या संसाधन, यनद कोई हो, निनभन्न प्रिगों के अधीन मात्रा और श्रेणी के साथ।
9.		समुद्री भू-भौतकीय या भू-रासायननक आंकडा
		नकए गए समुद्री भूभौतकीय और भू-रासायननक सिक्षण और उनके पररणामों का ब यौरा।
10.		अब तक की गई खोज
	(i)	भौगोनिक ननदेशांकों के साथ नमूना नबंदुओं (सतह और उप-सतह) का ब यौरा।
	(ii)	खोज के पररणामों की ररपोभटिंग के भलए आंकडा स्पेभसंग: ा आंकडा स्पेनसंग और नितरण, खननज संसाधन आकिन प्रनिया (प्रनियाओं) और िागू िगीकरण के लिए उपयुि भू-िज्ञाननक
11.		आंकडा भबंदु का अवस्थान
		खननज संसाधन आकिन में प्रयुि नमूना नबंदुओं के ननदेशांक अधाररत करने के लिए प्रयुि सिक्षणों, गहराई माप सिक्षणों और भूभौतकीय सिक्षणों की सटीकता और गुणित्ता।
12.		नमूनाकरण तकनीक
	(i)	नमूनाकरण की प्रकृतनत और गुणित्ता (ग्रेब, कोर या नडरि कोर और जि नमूनाकरण) तथा नमूना प्रनतननधत्व सुनननश्चत करने के लिए उठाए गए कदम।

[भागII—खण् ड3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण

49

13.		कोररंग तकनीक और कोर नमूनाकरण का उपयोग
	(i)	कोरर का प्रकार [जैसे कोर, ग्रेनिटी कोरर (ग्रेनिटी कोर), िाइब्रोकोरर (िाइब्रोकोर), नपस्टन कोरर (नपस्टन कोर), बॉक्स कोरर (बॉक्स कोर), स्पेड कोरर (स्पेड कोर) आनद] और ब यौरा (जैसे कोर व्यास, कोर िंबाई)।
	(ii)	िॉनगंग - िा उनचत खननज संसाधन आकिन, खनन अध्ययन और धातुकमा अध्ययन का समथान
14.		उप-नमूनाकरण तकनीक और नमूना तैयारी
	(i)	(क) यनद कोर है, तो िा काटा गया है या आरी से काटा गया है और िा चौथाई, आधा या सभी कोर लिए गए नमूना गीिा या सूखा निया गया है। (ख) सभी प्रकार के नमूनों के लिए नमूना तैयार करने की तकनीक की प्रकृतनत, गुणित्ता और

	(ii)	नमूनों के प्रनतनननधत्व को अनधकतम करने के लिए सभी उप-नमूनाकरण चरणों के लिए गुणित्ता ननयंत्रण प्रनियाएं अपनाई गई।
	(iii)	यह सुनननश्चत करने के लिए उपाय नकए गए नक नमूना एकनत्रत की गई सामग्री का प्रनतनननधत्व करता है।
	(iv) ्	ा नमूने का आकार नमूना िी जाने िािी सामग्री के दाने के आकार के लिए उपयुि है।
15.		खननज भवश्लेषण, शैलभवज्ञान अध्ययन और अवसाद भवज्ञान भवश्लेषण
		(क) खननज निज्ञान के अध्ययन की पद्धनत। (ख) अपनाई गई गुणित्ता ननयंत्रण प्रनियाओं की प्रकृनत (जैसे मानक, ररि स्थान, अनुनिनप, बाहरी प्रयोगशािा जांच) और ्ा सटीकता (अथात पूिााग्रह की कमी) और पररशुद्धता के स्वीकाया तुतर स्थानपत नकए गए ह;। (ग) नमूनों की सुरक्षा और ननयंत्रण श्रृंखिा का स्पष्ट उल्लेख नकया जाना चानहए।
16.		यथा अपेभित सज्जीकरण अध्ययन
		प्रयोगशािा तुतर पर नकए गए सज्जीकरण अध्ययनों का ब यौरा नजसमें बेंच स्केि सक्त मनित है, नजसमें खोजे गए खननज उत्पाद की इष्टतम प्राक्तप्त के लिए तकनीकी कारकों को समझने और सुझाि देने के लिए बल्क स;पनिंग परीक्षण सक्त मनित ह;, तिछट में उपिब्ध नकसी भी अनतररि उप-उत्पाद या सह-उत्पाद पर भी चचाा की जाएगी। उपज प्राक्तप्त कारकों के साथ नितुतृत प्राह पत्र पर चचाा की जाएगी।
17.		संसाधन आकलन तकनीकें
	(i)	खननजीकरण की ननरंतरता सुनननश्चत करने के लिए पयाप्त आंकडा घनत्व पर चचाा और प्रयुि आकिन प्रनिया के लिए पयाप्त आंकडा बेस के संश्लेषण पर चचाा।
	(ii)	आधारभूत समुद्री पाररक्तस्थनतकी, बायोटॉप माननचत्र, समुद्री जीिनि पर उत्पादन के संभानित प्रभाि और शमन उपायों पर चचाा।
	(iii) ्	ा अद्यतन संसाधनों के ननधारण के लिए नपछिी खोज के आंकडा का उपयोग नकया गया है तथा उसे ितामान खोज के आंकडा के साथ एकीकृत नकया गया है।
	(iv)	िागू की गई आकिन तकनीक (तकनीकों) की प्रकृनत और उपयुिता तथा प्रमुख धारणाएं, नजनमें चरम ग्रेड मानों का उपचार, डोमेननंग, इंटरपोिेशन मापदंड, आंकडा नबंदुओं से एक्सटरापिशन की अनधकतम दूरी सक्त मनित है।
	(v)	खननज संसाधनों को निश्चतुत िगों में िगीकृत करने का आधार।
	(vi)	उप-उत्पादों की िसूिी के संबंध में की गई धारणाएं।
	(vii)	टन भार और ग्रेड (अनुभाग, बहुभुज, व्युत्क्रम दूरी, भू-सांक्तख्यकीय, या अन्य निनध) का अनुमान िगाने के लिए प्रयुि पद्धनत और की गई धारणाओं का नितुतृत ब यौरा।
	(viii)	भूनिज्ञानी ननिाचन संसाधन आकिन के लिए कैसे प्रयुक् त थी, का ब यौरा।
	(ix)	संसाधनों के आकिन के लिए नकसी कंप्यूटर सॉफ्टियर की चचाा की गई, सॉफ्टियर का नाम, उसका संस्करण और चुनी गई पद्धनत, प्रयुि कायािमों और मापदंडों का ब यौरा नदया गया।
	(x)	भू-सांक्तख्यकी पद्धनतयां अत्यंत निनिध ह; और उनका नितुतृत िणान नकया जाना चानहए। चुनी गई निनध को उनचत ठहराया जाना चानहए। िैररयोग्राम सनहत भू-सांक्तख्यकी मापदंडों और भूिैज्ञाननक ननिाचन के साथ उनकी संगतता पर चचाा की जानी चानहए। समान भंडारों पर भू-सांक्तख्यकी िागू करने में प्राप्त अनुभि को ध्यान में रखा जाना चानहए।
	(xi)	सहकमी समीक्षा ररपोटा सनहत प्रयुि आंकडा सत्यापन या निनधमा् यता प्रनियाएं।

18.	संसाधनों की ररपोभटिंग
	निनभन्न िगों में संसाधनों की ररपोनटिंग का आधार। िगीकरण के लिए उपयोग नकए जाने िांिे मानदंड और पद्धनत निनननदाष्ट नकए जाने चानहए। प्रत्येक िगा के लिए ग्रेड के साथ मात्रा निनननदाष्ट की जानी चानहए। प्रत्येक िगा के अधीन औसत ग्रेड निनननदाष्ट नकया जाना चानहए। उपयुि मामिों के अधीन ग्रेड िार िगीकरण की भी ररपोटा की जानी चानहए। सोने, कीमती धातुओं और आधार धातुओं जैसे धातु जमा के मामि में धातु की मात्रा निनननदाष्ट की जानी चानहए और संसाधनों का अनुमान निनभन्न कट ऑफ ग्रेड पर िगाया जाना चानहए। िातुतनिक अनुमानों से निश्वास तुतर का ख्याि रखने के लिए िागू नकए गए कारक, यनद कोई हो, को भी निनननदाष्ट नकया जाना चानहए। अनुमाननत, संकेनतत और मापे गए संसाधनों को एक सारणी में
19.	सारांश और भसफाररशें
(i)	(क) खोज काया के पररणाम पर चचाा नजसमें भंडार की प्रकृनत, भंडार का आयाम, सामान्य संरचनात्मक प्रिन्नत, घटना की गहराई और नजस गहराई तक खोज की गई है, खोज की गहराई से परे खननजीकरण की ननरंतरता की संभािना और भनिष्य की खोज अिक्षाएं, यनद कोई हों, का ब यौरा नदया जाएगा। (ख) निनभन्न िगों के अधीन ग्रेड सनहत अनुमाननत संसाधन। (ग) ितामान प्रौद्योनगकीय, पयाारिणीय, सामानजक और बाजार क्तस्थनतयों के आधार पर आनथाक ननष्कषाण की संभािना। (घ) जमा की आनथाक ननकासी में प्रत्यानशत बाधाएं, यनद कोई हों।
(ii)	आगे की खोज और उत्पादन के लिए भंडार हेतु सुझाई गई भनिष्य की योजना या रणनीनत पर चचाा।
20.	प्लेटें और मानभचत्र
(i)	निरासत आंकडा के आधार पर पररयोजना स्थि के आस-पास के क्षेत्र की बैनथमेटरी को दशाने िािी क्षेत्र की स्थान योजना।

[भागII—खण् ड3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण

51

	(ii)	उपिब्ध निरासत आंकडा से आस-पास के क्षेत्र की समुद्र ति आकृनत निज्ञान।
	(iii)	सतह तिछटी माननचत्र, गहराई माप माननचत्र, उनचत पैमाने पर नडफरेंनशयि ग्लोबि पोन्नजशननंग नसस्टम के साथ निश्चसनीयता नदखाते हुए - सतह और कोर नमूनों के स्थान के िैनश्चक ननदेशांक। यनद क्षेत्र या उसका नहस्ा पूिा की खोज के अधीन किर नकया गया है, तो स्थान ब यौरे के साथ इसे उनचत पैमाने पर माननचत्र में नदखाया जाना चानहए।
	(iv)	उपयुि अंतराि पर अनुप्रस्थ काट, निथो-इकाइयों और खननजीकरण के ऊर्ध्ााधर प्रक्षेपण को दशाता है।
	(v)	पररयोजना क्षेत्र के समुद्रति का बायोटोप माननचत्र।
21.		ररपोटा के उपाबंध या संलग्नक
	(i)	ररपोटा में अनुमान के समथान में माननचत्र, अनुभाग, िाँग, निश्लेषण ररपोटा, फोटोग्राफ आनद सनहत सभी सुसंगत आंकडा सक्त मनित होंगे।
	(ii)	संयुि अनुज्ञक्तप्त के मामि में, अनुज्ञक्तप्त अनुदत् त करने, ननष्पादन के सभी सुसंगत आदेश भी ररपोटा का नहस्ा होंगे।
22.		कोई अन्य जानकारी जो नकसी प्रानधकारी द्वारा निनननदाष्ट रूप में उपिब्ध हो या अपेनक्षत हो।

भाग 5

पूवा-साध यता और साध यता ररपोटा की साम्ी

खननज भंडारों के आकिन और ररपोनटिंग के लिए पूिा-साध यता या साध यता ररपोटा के लिए मानदंड (भू-
िैज्ञाननक

अध्ययन ररपोटा में सूचीबद्ध मानदंड भी इस टेम्प्लेट का एक अनभन्न अंग होंगे)।

ि. सं.	अंतवास्तु	स्पष्टीकरण
1.	खननज ररजि में संपररितान के लिए खननज संसाधन आकिन	- खननज संसाधन आकिन का ब यौरा, नजसका उपयोग खननज ररजि में संपररितान के लिए आधार के रूप में नकया जाता है। - इस बारे में स्पष्ट ब यौरा नक ् ा खननज संसाधनों की ररपोटा - खननज भंडार के अनतररि है या उनमें सक्तिनित है। - खननज संसाधनों को खननज भंडार में पररिनतात करने के लिए नकए गए अध्ययन का प्रकार और तुतर अथात पूिा- साध
2.	कट-ऑफ ग्रेड या गुणित्ता मापदंड	- अपनाए गए कट-ऑफ ग्रेड या िागू गुणित्ता मापदंडों का आधार, नजसमें समतुल्य धातु सूत्रों और निनननदाष्ट सीमा मूल्यों का
3.	उत्पादन कारक या धारणाएं	- खननज संसाधन को खननज ररजि में पररिनतात करने के लिए उपयोग की जाने िािी पद्धनत और धारणाएं (अथात या तो अनुकूििन द्वारा उपयुि कारकों के अनुप्रयोग द्वारा या उत्पादन के लिए संकल्पनात्मक योजना के साथ समनथात प्रारंभक या ब यौरैबद्ध नडजाइन द्वारा)। - चयननत उत्पादन पद्धनत(पद्धनतयों) की प्रकृनत और उपयुिता
		- का चुनाि, चयननत उत्पादन इकाई का आकार (िंबाई, चौडाई, ऊंचाई) और अन्य उत्पादन मापदंड नजसमें सहबद्ध नडजाइन मुद्दे जैसे प्री-क्तस्टरप, पहुंच आनद सक्त मनित ह;। - भू-तकनीकी मापदंडों (जैसे ढिान क्तस्थरता, आनद), ग्रेड ननयंत्रण और उत्पादन-पूिा डरेनजंग के बारे में की गई धारणाएं। - समुद्र ति की खोज, डरेनजंग (यनद उपयुि हो) के लिए की गई प्रमुख धारणाएं और उपयोग नकए गए खननज संसाधन मॉडि। - उत्पादन कमजोर पडने िािे कारक, उत्पादन पुनप्राकृत्त कारक - और उपयोग की गई न्यूनतम उत्पादन चौडाई।

4.	धातुकमा संबंधी कारक या धारणाएं	- प्रतुतानित धातुकमा प्रनिया और जमा के प्रकार के लिए उस प्रनिया की उपयुक्ति। - नकए गए धातुकमा परीक्षण काया की प्रकृत, मात्रा और प्रनतनननधत्व और िंगू नकए गए धातुकमा पुनप्राक्तप्त कारक। - हाननकारक तत्वों के लिए की गई कोई भी धारणा या अनुमनत। - नकसी भी थोक नमूने या प्रायोनगक पैमाने पर परीक्षण काया का अक्तुतत्व और इस तरह के नमूने नकस हद तक अयस्क ननकाय के समग्र रूप से प्रनतनननध ह;। - खननज भंडार के लिए ररपोटा नकए गए टन भार और ग्रेड में स्पष्ट रूप से बताया जाना चानहए नक ा ये संयंत्र के लिए सामग्री के संबंध में ह; या पुनप्राक्तप्त के बाद।
5.	िंगत और राजस्व कारक	- संभानित पूंजी और संनिया संबंधी िंगत के बारे में व्युत्पन्न, या की गई धारणाएं। - हेड ग्रेड, धातु या खननज पदाथा मूल्य (मूल्यों) निननमय दरों, पररिहन और उपचार प्रभार, शाक्तस् त आनद सनहत राजस्व के संबंध में की गई धारणाएं। - संदभा स् िनमस् ि के लिए नकए गए भते। - कनथत अनध के लिए मूि नकदी प्रािह इनपुट। - िानषाक ननयोनजत उत्पादन, जमा का शुद्ध ितामान मूल्य (एनपीिी) और आंतररक दर प्रनतफि (आईआरआर), िानषाक अनुमाननत उत्पादन के आधार पर जमा का आंतररक मूल्य।
6.	बाजार ननधारण	- नकसी निनश ट ितुतु की मांग, आपूनता और स्टॉक की क्तस्थनत, उपभोग के रुझान और भनिष्य में आपूनता और मांग को प्रभानित

[भागII—खण् ड3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण

53

		करने िाििे संभानित कारक। - उत्पाद के लिए संभानित माकेट निंडो की पहचान के साथ-साथ ग्राहक और प्रनतस्पधा संबंधी निश्लेषण। - कीमत और मात्रा पूिाानुमान और इन पूिाानुमानों का आधार। - औद्योनगक खननजों के लिए आपूनता अनुबंध से पहि ग्राहक निननदेशन, परीक्षण और स्वीकृत अपेक्षाएं।
--	--	---

7.	अन्य उपांतररत कारक	- नकसी पररयोजना की संभानित व्तिहायाता और/या खननज भंडार के आकिन और िगीकरण पर प्राकृतक जोक्तखम, असंरचना, पयाारिणीय, निनधक, निपणन, सामानजक या सरकारी कारकों का प्रभाि, यनद कोई हो। - पररयोजना की व्तिहायाता के लिए महत्वपूणा शीषाकों और अनुमोदनों की प्राक्तस् थनत, जैसे उत्पादन पट्टे, उ मोचन परनमट, सरकारी और कानूनी अनुमोदन। - प्रत्यानशत दानयत् िों के पयाारिणीय ब यौरा। खननज अनधकारों और शीषाकों की अस्थान योजनाएं।
8.	िगीकरण	- खननज भंडारों को निनभन्न निश्वास श्रेणयों में िगीकृत करने का आधार। - प्रतुतानित प्रारंभक खान अनभकल्प/संकल्पनात्मक योजना के साथ ग्रेड-िार खनन योग्य मात्रा के आकिनों को अंततम रूप देना, सभी आश्यक अनुमोदन/संनिदाओं की पुनष्ट हो गई हो या उनचत अपेक्षाएं हों नक सभी ऐसे अनुमोदन या संनिदाएं युक्तक् तयुक् त समय-सीमा के भीतर अनभप्राप्त कर लिए जाएंगे और इस प्रमाणीकरण के साथ नक आनथाक व्तिहायाता अल्पकानिक प्रनतकूि बाजार क्तस्थनतयों द्वारा प्रभानित नहीं होगी, के अधीन होगा, परंतु नक दीघाकानिक पूिाानुमान सकारात्मक रहें।
9.	खननज सज्जीकरण और पयाारिणीय संरक्षण	- उत्पादन, सज्जीकरण और अपनशष्ट ननपटान के लिए संनक्षप्त कायाप्रणािी। - उत्पादन, सज्जीकरण और अपनशष्ट ननपटान के दौरान पयाारिणीय संरक्षण के लिए अपनाए जाने िािे उपायों का संनक्षप्त जानकारी। - समुद्री िनस्पनतयों और जीिों सनहत आधारभूत समुद्री पयाारिणीय क्तस्थनत, उत्पादन के संभानित प्रभािों और सुझाए गए शमन उपायों का संनक्षप्त ब यौरा। - सभी प्रचािनो के लिए तकनीकी कानमाको की उपिब्धता का ब यौरा।
10.	अनहात व्यक्ति से प्रमाण पत्र	नाम, तारीख और हतुताक्षर।

अनुसूची ख

[भनयम11(1)(क),11(1)(ख)देप्तखए]

अनुज्ञप्तप्त िेत्र से हटाए जाने योग्य अयस्ों और खभनजों की अभधकतम मात्रा

वगा	खभनज	वह मात्राएं जो भबना भकसी भुगतान के ले जाई जा सकती है	अभधकतम मात्रा भजसे स् वाभमस् व का भुगतान करके ले जाया जा सकता है
(1)	(2)	(3)	(4)
िगा – I	समुद्र तटीय रेत खननज	5 टन	200 टन
िगा – II	अन्य सभी खननज जो ऊपर निनननदाष्ट नहीं ह;	5 टन	200 टन

प्ररूप क

संयुक्त अनुज्ञप्त के भलए भनष्पादन प्रभतभूभत रुपभवधान

[भनयम6(9)(ख) देप्तखए]

[बैंक की संदभा सं.]

[तारीख]

सेंिा में,

भारत के राष्ट्रपनत

[पता]

जबभक

क [नाम+, नजसका कायााि *सरकार का पता+ पर है या *कंपनी अनधननयम, 2013 (2013 का 18) के अधीन भारत में ननगनमत एक सरकारी कंपनी नजसकी ननगनमत पहचान सं. *आिेदक का सीआईएन+ है या *ननगम के ं ानून/निननयम अंतःस् थानपत करें+ के अधीन भारत में समस् यक रुप से ननगनमत एक ननगम, नजसका रनजस् टरीकृत कायााि *रनजस् टरीकृत कायााि का पता+, भारत में है और कारबार का मुख्य स्थान *कारबार के मुख्य स्थान का पता, यनद रनजस् टरीकृत कायााि से अिग है+ पर है (आवेदक)को *ननष्पादन ब;क प्रत् याभूनत की समाक्तप्त की तारीख+ (“समाक्तप्त तारीख”) तक िेध ननष्पादन प्रनतभूनत के रूप में भारतीय मुद्रा [अंकों में+ (भारतीय रुपये *शब्ों में+) के बराबर रकम के निे नबना शता और अपररितानीय ब;क प्रत् याभूनत प्रदान करना अपेनक्षत है।

ख ननष्पादन प्रनतभूनत भारत के राष्ट्रपनत को, नजसका प्रनतननधत्व प्रशासननक प्रानधकारी (केंद्रीय सरकार) द्वारा नकया जा रहा है, [मूि दतुतािेजों के संदभा में, अथात् संयुि अनुज्ञक्तप्त की खोज अनुज्ञक्तप्त निेिेख+ तारीख, [तारीख+ *संयुि अनुज्ञक्तप्त की निनशक्त टयां+ (सामूनहक रूप से “करार”) के संबंध में कनतपय बाध् यताओं के ननिाहन के निे प्रदान नकया जाना आिश्यक है।

ग हम, [ब;क का नाम+ (बैंक)आिेदक के अनुरोध पर, इसमें अंतनिा ट ननबंधनों और शतों पर केंद्रीय सरकार से मांग पर करार के अधीन आिेदक की बाध् यताओं को सुरनक्षत करने के निे केंद्रीय सरकार को भारतीय मुद्रा [अंकों में+ (भारतीय रुपये *शब्ों में+) (प्रत् याभूभत रकम)के अननधक रकम का भुगतान करने का िचन देते ह;।

[भागII—खण् ड3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण

55

अब इसनिे, ब;क आिेदक की ओर से प्रत् याभूनत रकम में केंद्रीय सरकार के पक्ष में यह अपररितानीय और नबना शता भुगतान ब;क प्रत् याभूनत (प्रत् याभूभत) जारी करता है:

1. इस प्रयोजन के निे ब;क, नबना नकसी आपनत्त, आरक्षण, चेतािनी, निरोध या सहारे के, केंद्रीय सरकार से प्रथम निक्तखत मांग प्राप्त होने पर, तुरन्त केंद्रीय सरकार को (एक या अनधक दािों के माध्यम से), कुि नमिकर प्रत् याभूनत रानश से अनधक नहीं (के बराबर), एक रानश या रानशयों का भुगतान करने का नबना शता और अपररितानीय रूप से िचनबद्धता व्ि करता है, तथा इसमें निनननदाष्ट रानश के निे ऐसी मांग के निे केंद्रीय सरकार को ब;क के समक्ष आधार या कारण सानबत करने या नदखाने की आिश्यकता नहीं होगी, तथा भि ही केंद्रीय सरकार और आिेदक के बीच नकसी भी मामिे पर कोई नििाद या मतभेद हो। ब;क, केंद्रीय सरकार को इस प्रकार मांगी गई कोई भी धनरानश देने का िचन देता है, भि ही आिेदक द्वारा नकसी न्यायाििय या अनधकरण के समक्ष िंनबत नकसी मुकदमे या कायाािाही में कोई नििाद या नििाद उत्पन्न हो, इस के अधीन ब;क का दानयत्व पूणा और स्पष्ट है।
2. ब;क यह स्वीकार करता है नक ब;क द्वारा केंद्रीय सरकार को संदेय रकमों के बारे में केंद्रीय सरकार द्वारा की गई ऐसी कोई भी मांग, करार के अधीन आिेदक द्वारा केंद्रीय सरकार को संदेय रकमों के संबंध में अनंतम, बाध्यकारी और ननणायक साक्ष्य होगी।
3. ब;क इस प्रकार आिेदक से ि रकम या उसके नकसी भाग की मांग करने की केंद्रीय सरकार की आिश्यकता को अनधत् यक् त करता है तथा इस प्रत् याभूनत के अधीन भुगतान के निे ब;क को कोई

निकतखत मांग प्रतुतुत करने से पहि, आिेदक के निरुद्ध केंद्रीय सरकार से निनधक उपाय अपनाने की मांग करने के ब;क के नकसी भी अनधकार को भी अनधत् यक् त करता है।

4. ब;क नबना नकसी शता के केंद्रीय सरकार से सहमत है नक केंद्रीय सरकार, ब;क की सहमनत के नबना और इस प्रत् याभूनत के अधीन ब;क के बाध् यताओं को नकसी भी रीनत में प्रभानित नकए नबना, ननमननिकतखत काया करने के लिए स्वतंत्र होगी:—

- (i) करार की शतों और ननबंधनों में उपांतरण करना;
- (ii) करार के अधीन आिेदक की बाध् यताओं के ननष्पादन के लिए समय को स्थनगत करना, या (iii) करार की शतों और ननबंधनों के अधीन आिेदक के निरुद्ध केंद्रीय सरकार द्वारा प्रयोग नकए जाने िािे नकसी भी अनधकार को रोकना या िागू करना,

और ब;क को केंद्रीय सरकार की ओर से नकसी ऐसे काया या चूक के कारण या केंद्रीय सरकार द्वारा आिेदक को दी गई नकसी ररयायत या अन्य नकसी कारण अपने दानयत्व से मुि नहीं नकया जाएगा, जो प्रनतभूनतयों से संबंनधत निनध के अधीन, यनद यह उपबंध न होता, तो ब;क को इस प्रत् याभूनत के अधीन अपनी बाध् यताओं से मुि करने का प्रभाि डािता।

5. इसके अधीन नकया गया कोई भी भुगतान नकसी भी प्रकूनत के ितामान या भनिष्य के करें, उदग्रहणों, अनधरोपण, शुल्क, प्रभार, फीस, कमीशन, कटौती या रोक के लिए या उसके कारण कटौती के नबना मुि और स्पष्ट नकया जाएगा।

6. ब;क इस बात से सहमत है नक केंद्रीय सरकार अपने निकल्प पर आिेदक के क्तखिफ पहिी बार कायािाही नकए नबना, पहि उदाहरण में मुख्य देनदार के रूप में ब;क के क्तखिफ इस प्रत् याभूनत को िागू करने का हक होगा।

7. ब;क इस बात पर भी सहमत है नक इस प्रत् याभूनत में अंतनिा ट प्रत् याभूनत करार में निनननदाष्ट अनध के दौरान पूरी तरह से िागू रहेगी और यह तब तक िागू रहेगी जब तक नक ननष्पादन प्रनतभूनत के संबंध में ि करार के अधीन या इसके आधार पर आिेदक के सभी बाध् यताओं का पूरी तरह से भुगतान नहीं कर नदया जाता है और उसके दािों को केंद्रीय सरकार की संतुनष्ट के अनुसार संतुष्ट या ननिाहन नहीं कर नदया जाता है या जब

तक नक केंद्रीय सरकार यह प्रमानणत नहीं कर देती है नक ननष्पादन प्रनतभूनत के संबंध में करार की शतों और ननबंधनों का आिेदक द्वारा पूरी तरह से और उनचत रीनत से पािन नकया गया है और तदनुसार इस प्रत् याभूनत का ननिाहन करती है। इस प्रत् याभूनत में अंतनिा ट नकसी भी बात के होते हुए भी, जब तक नक समाक्तप्त तारीख पर या उससे पहि ब;क पर निकतखत रूप में इस प्रत् याभूनत के अधीन कोई मांग या दािा नहीं नकया जाता है, तब तक ब;क को इस प्रत् याभूनत के अधीन सभी दानयत्वों से उ मोनचत कर नदया जाएगा।

8. इस प्रत् याभूनत के अधीन ब;क द्वारा नकया गया भुगतान, इसके अधीन भुगतान के लिए ब;क के दानयत् ि का िेध उ मोचन होगा और कोई भी व्यक्ति ऐसे भुगतान के लिए ब;क के क्तखिफ कोई दािा नहीं कर सकता।

9. यह प्रत् याभूनत भारत की निनधयों के अधीन है। इस प्रत् याभूनत या इसके निषय-ितु से उत्पन्न होने िािा कोई भी मुकदमा, कारािाई या अन्य कायािाही नई नदली, भारत में न्यायाियों के अनन्य अनधकाररता के अधीन होगी।

10. ब;क यह दशाता है नक उसके पास केंद्रीय सरकार के पक्ष में यह प्रत् याभूनत जारी करने का प्रानधकार और शक्ति है। ब;क के संनिधान में पररितान के कारण यह प्रत् याभूनत व् यपगत नहीं होगी।

11. ब;क यह िचन देता है नक िह निकतखत रूप में केंद्रीय सरकार की पूिा सहमनत के नबना इस प्रत् याभूनत को इसके प्रचिन के दौरान िानपस नहीं िेगा।

12. केंद्रीय सरकार, ब;क को पूिा सूचना देकर, इस प्रत् याभूनत के अधीन अनधकार नकसी अन्य निभाग, मंत्रािय या नकसी सरकारी अनभकरण को सौप सकती है, जो राष्ट्रपनत के नाम पर काया कर सकती है। इस खंड में उपबंनधत के नसिाय, यह प्रत् याभूनत आिंटनीय या हतुतांतरणीय नहीं होगी।

13. इसमें अंतनिा ट नकसी भी बात के होते हुए भी—

(a) इस ब;क प्रत् याभूनत के अधीन ब;क प्रत् याभूनत रकम से अनधक नहीं होगी। (b) यह ब;क प्रत् याभूनत समाक्तप्त तारीख तक िैध रहेगी।

14. ब;क इस ब;क प्रत् याभूनत के अधीन प्रत् याभूनत रकम या उसके नकसी भाग का भुगतान करने के लिए केिि तभी उत्तरदायी होगा, जब केंद्रीय सरकार समाक्तप्त तारीख को या उससे पहि ब;क को निक्तखत दािा या मांग प्रतुतुत करेगी।

तारीख [नदन] [मास] का नदन [िषा]

नजसके साक्ष्य स्वरूप ब;क ने अपने प्रानधकृत अनधकारी के माध्यम से अपने हतुताक्षर कर नदए ह; एि मुहर िगा दी है।

(हतुताक्षर)

(नाम एि पदनाम)

(ब;क की मुहर)

[भागII—खण् ड3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण

57

प्ररूप ख खोज अनुज्ञप्तप्त भवलेख का रूपभवधान

[ननयम 6 (12) (क) देक्तखए]

संयुक्त अनुज्ञप्तप्त (“अनुज्ञप्तप्त”) अनुदत् त करने के भलए यह भवलेख भनम्रभलप्तखत के द्वारा और बीच बनाया गया है:

पिकार

क. भारत के राष्ट्रपनत, प्रशासननक प्रानधकारी(“केंद्रीय सरकार”)के माध्यम से काया करते हुए।

और

ख. [अनुज्ञक्तप्तधारी का नाम], नजसका कायाि *सरकार का पता+ पर है या एक *सरकारी कंपनी+ जो कंपनी अनधननयम, 2013 (2013 का 18) के अधीन भारत में ननगनमत है, नजसकी ननगनमत पहचान सं.

*सीआईएन+ है या एक ननगम जो भारत में *ननगम के ं ानून/नननयम भरें+ के अधीन समस् यक रूप से ननगनमत है, नजसका रनजस् टरीकृत कायाि *रनजस् टरीकृत कायाि का पता+, भारत में है और कारबार का मुख्य स्थान *कारबार के मुख्य स्थान का पता, यनद रनजस् टरीकृत कायाि से अिग है+ पर है (“अनुज्ञप्तप्तधारी”)।

पृष्ठभूमि:

ग. अनुज्ञक्तप्तधारी ने अपतट क्षेत्र खननज (निकास और निननयमन) अनधननयम, 2002 (2003 का 17) (“अभधभनयम”) और इसके अधीन बनाए गए ननयमों के अधीन अपेक्षाओं को पूरा कर लिया है और एक संयुि अनुज्ञक्तप्त के अनुदत् त होने के लिए पात्र हो गया है।

घ. तदनुसार, केंद्रीय सरकार अब अनुज्ञक्तप्तधारी को अनुज्ञक्तप्त अनुदत् त करने के लिए इस नििेख को ननष्पानदत कर रही है, नजसमें अनुज्ञक्तप्तधारी की ओर से भुगतान, पािनि और ननष्पादन के लिए आरनक्षत और अंतनि ट फीस, स्िानमस्ि, अनुबंध और करार सक्त मनित ह;।

1. पररभाषाएं

इस अनुज्ञक्तप्त में प्रयुि अनभव्यक्तियों का िही अथा होगा जो अनधननयम और उसके अधीन बनाए गए ननयमों में नदया गया है।

2. अनुज्ञप्तप्त अनुदत् त होना

2.1. केंद्रीय सरकार (प्रशासनिक प्राधिकारी के माध्यम से काया करते हुए) खोज संबंधी संन्याओं के संचालन के लिए अनिवार्यतः खननजों, [खननजों का नाम+ (खननज) के संबंध में सयक रूप से, संयुक्त अनुज्ञापत्र के अनिवार्यतः खोज अनुज्ञापत्र निम्नलिखित रजिस्ट्रीकरण है, को उस तारीख से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए अनुसूची-1 (अनुज्ञापत्र क्षेत्र) में निम्नलिखित क्षेत्र पर अनुज्ञापत्र प्रदाता को अनुज्ञापत्र प्रदान करती है।

2.2. यह अनुज्ञापत्र, अनुज्ञापत्र क्षेत्र में या उसके अधीन स्थित, पड़े या मौजूद सभी खननज भंडारों के संबंध में होगी।

2.3. अनुज्ञापत्रधारी स्वीकृति का भुगतान करने तथा संदत्त नकल देने वाले अन्य अपेक्षित संदायों के अद्यावधि रहते हुए और इसमें अंतर्निहित सभी प्रसंगों और कार्यों का पालन करेगा तथा अनुज्ञापत्रधारी की ओर से उसको अनुपातित तथा अनिवार्यतः नकल जाएगा, और यह पट्टा क्षेत्र के अनधिकारों और परस्परों को इस प्रकार प्रदत्त अवधि के लिए तथा उसके दौरान केंद्रीय सरकार या

इसके अधीन अनधिकार पूर्णतः दावा करने वाले नकली व्यक्ति द्वारा नकली प्रकार के अनिवार्यतः यथाविधि के नबना शांतपूर्णतः धारण कर सकेगा।

3. अभधिकार और बाधकताएं

3.1. केंद्रीय सरकार और अनुज्ञापत्रधारी के अनधिकार और दायित्व अनिवार्यतः और उसके अधीन बनाए गए नियमों में निम्नलिखित होंगे, नजसमें नबना नकली परस्सीमा के अपतट क्षेत्र परमाणु खननज संन्या संबंधी अनधिकार नियम, 2025 और अपतट खननज विकास और उत्पादन करार तारीख [तारीख] सक्त मनीत है।

3.2. पूर्णतः व्यापकता पर प्रगतिकृति प्रभाति डालने नबना,

(क) अनुज्ञापत्रधारी,—

(i) हर समय अनिवार्यतः के उपबंधों, इसके अधीन बनाए गए नियमों तथा परमाणु ऊर्जा अनिवार्यतः, 1962 (1962 का 33) संहत विमान में लागू सभी अन्य नियमों का अनुपालन करेगा;

(ii) स्वीकृति और अनुज्ञापत्रधारी द्वारा नकल जाने वाले नकली भी प्रभार या अन्य भुगतान का शीघ्र भुगतान करेगा;

(iii) अनुज्ञापत्रधारी द्वारा की गई क्षति, चोट या अशान्त के लिए तत् समय प्रित नकली निध के अनुसार प्रगतिकर का भुगतान करेगा और नकली भी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा ऐसी नकली भी क्षति, चोट या अशान्त के संबंध में नकल गए सभी दावों और उससे संबंधित सभी दावों और व्ययों के निरुद्ध केंद्रीय सरकार, प्रशासनिक प्राधिकरण और निभाग को क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूर्ति देता रहेगा;

(iv) खोज संबंधी संन्याओं से प्रभावित समुद्र तल के प्राकृतिक पुनर्वास को सक्षम करने के लिए सभी आवश्यक कदम और उपाय करेगा, नजसमें केंद्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित कोई भी उपाय सक्त मनीत हो सकते हैं;

(v) इस अनुज्ञापत्र के अधीन संन्या संबंधी के मित में होने वाली नकली दुर्घटना की ररपोट अनिवार्यतः के नौहिन महानदेशीय, महानदेशक, भारतीय तटरक्षक, खान सुरक्षा महानदेशीय, प्रशासनिक प्राधिकारी और नकली अन्य सरकारी प्राधिकारी को भेजेगा, नजससे मृत्यु या गंभीर शारीरिक चोट या संपन्न को गंभीर क्षति पहुंचे या जीविन या संपन्न को गंभीर रूप से प्रभावित या खतरा हो;

(vi) अनुज्ञापत्र क्षेत्र से प्राप्त सभी खननजों को तौलगा या मापेगा, या तौलगा या माप करेगा तथा तथा प्रत्येक तौल या माप के लिए ननदेशीय के प्रशासनिक प्राधिकारी और प्राधिकृत अनधिकारी को सात नदन की निवृत्त पूर्ण सूचना देगा तानक यह या उसके ननमत कोई व्यक्ति यहां उपस्थित हो सके;

(vii) इस निष्पत्ति के संबंध में िागू स्टाम्प शुल्क और रनजस् टरीकरण प्रभार का भुगतान करेगा;

(viii) अनुज्ञात क्षेत्र की अतिरिक्त के दौरान, अनुज्ञात क्षेत्र में प्रवेश करेगा और अनियमितता और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार, इस निष्पत्ति में निम्नलिखित खननजों के लिए खोज संबंधी संनिर्ण संबंधी करेगा;

(ix) उचित, कुशल और कुशल कारीगरीपूर्ण रीति में खोज संबंधी संनिर्णों को जारी रखेगा;

[भाग II—खण्ड 3(i)]

भारत का राष्ट्रपति : असाधारण

59

(x) अनियमितता की धारा 19 के अधीन बनाए गए नियमों और अनियमितता की धारा 21 के अधीन जारी निम्नलिखित अनियमितता और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का अनुपालन करेगा;

(xi) निम्नलिखित ररपोटा प्रस्तुत करेगा, अर्थात्:—

(क) अनुज्ञात धारी द्वारा नकल काया की त्रिमानसक ररपोटा नजसमें कायारत व्यक्तियों की संख्या बताई गई हो और अतिरिक्त के दौरान एकत्र नकल काया भू-िज्ञाननक, भू-भौतकीय या अन्य संग्रहित आंकड़ों का पूरा खूिासा नकल किया गया हो। ररपोटा उस नतमाही के समापन के तीस नदनों की अतिरिक्त के भीतर प्रस्तुत की जाएगी नजससे यह संबंधित है;

(ख) िानषाक ररपोटा, नजसमें अनुज्ञात धारी द्वारा नकल काया का पूरा बयौरा हो तथा अनुज्ञात धारी द्वारा अनुज्ञात क्षेत्र के अधीन आने िाि क्षेत्र के भू- निज्ञान और खननज संसाधनों के संबंध में इस अनुज्ञात क्षेत्र के अधीन की गई संनिर्णों के दौरान प्राप्त की गई सभी जानकारी का खूिासा हो। ररपोटा उस िषा की समाप्त के बाद साठ नदनों की अतिरिक्त के भीतर संबंधित ननदेशाि, भारतीय भू-िज्ञाननक सिक्षण, प्रशासननक प्रानधकारी और ऐसे अन्य प्रानधकरण को, नजसे निम्नलिखित नकल जाए को प्रस्तुत की जाएगी;

प-तु, अनियमितता और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अनुज्ञात धारी यह निम्नलिखित कर सकता है नक उपरोि खंड 3.2 (क) (xi) के अनुसार प्रस्तुत ररपोटा और आंकड़ों का पूरा या उसका कोई भाग गोपनीय रखा जाएगा और संबंधित प्रानधकारी प्रस्तुत ररपोटा और आंकड़ों के ऐसे भागों को गोपनीय रखेंगे, जैसा उचित समझा जाए:

प-तु, यह और नक, केंद्रीय सरकार ऐसी गोपनीय ररपोटों और आंकड़ों का अपने प्रयोजनों के लिए स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकेगी:

प-तु यह और नक, यनद अनुज्ञात धारी अपतट क्षेत्र परमाणु खननज संनिर्ण अनधकार नियम, 2025 के नियम 7 के उप-नियम (7) में ननधारित समय अतिरिक्त के भीतर उत्पादन पट्टे के लिए आिदन करने में निफि रहता है, या यनद अनुज्ञात धारी द्वारा प्रस्तुत उत्पादन पट्टे के लिए आिदन केंद्रीय सरकार या प्रशासननक प्रानधकारी द्वारा अस्वीकार कर नदया जाता है, या अनुज्ञात क्षेत्र की समाप्त या उसे व् यपगत करने पर या खोज संबंधी संनिर्णों को छोड़ नदया जाता है या अपतट क्षेत्र परमाणु खननज संनिर्ण अनधकार नियम, 2025 के नियम 6 के उप-नियम (19) के अनुसार

अनतररि क्षेत्र का अभ्युपाण नकया जाता है, जो भी पूर्णित हो, डि अनुज्ञक्तप्तधारी द्वारा प्रतुतुत सभी ररपोटा और आंकडा केंद्रीय सरकार की एकमात्र संपनत्त बन जाएंगे;

(xii) ननष्पादन प्रनतभूनत को िापस करने या नकसी अन्य खाते में स्थानांतरत करने से पहि नकसी भी समय, या अनुज्ञक्तप्त की समाक्तप्त या समाक्तप्त के पश्चात् तीन मास की अनध के भीतर, या खोज संबंधी संनियाओ को छोड नदया जाना, या अपतट क्षेत्र परमाणु खननज संचािन अनधकार ननयम, 2025 के ननयम 6 के उप-ननयम (19) के अनुसार अनतररि क्षेत्र को सौंप नदया जाना, जो भी पूर्णित हो,

अनुज्ञक्तप्तधारी द्वारा नकए गए कार्यों की पूरी ररपोटा केंद्रीय सरकार को प्रतुतुत करनी होगी और अनुज्ञक्तप्त क्षेत्र के भू-निज्ञान और खननज संसाधनों के बारे में इस अनुज्ञक्तप्त के अधीन की गई खोज संबंधी संनियाओ के दौरान अनुज्ञक्तप्तधारी द्वारा अनजात जानकारी का खुासा करना होगा

प-तु, अनधननयम और उसके अधीन बनाए गए ननयमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अनुज्ञक्तप्तधारी यह निनननदाष्ट कर सकता है नक उपरोि खंड 3.2 (क) (xii) के अनुसार प्रतुतुत ररपोटा और आंकडा का पूरा या उसका कोई भाग गोपनीय रखा जाएगा और संबंनधत प्रानधकारी प्रतुतुत ररपोटा और आंकडा के ऐसे भागों को गोपनीय रखेंगे, जैसा उनचत समझा जाए:

प-तु यह और नक, केंद्रीय सरकार ऐसी गोपनीय ररपोटों और आंकडों का अपने प्रयोजनों के लिए स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकेगी:

प-तु यह भी नक, यनद अनुज्ञक्तप्तधारी अपतट क्षेत्र परमाणु खननज संनिया संबंधी अनधकार ननयम, 2025 के ननयम 7 के उप-ननयम (7) में ननधाररत समय अनध के भीतर उत्पादन पट्टे के लिए अिेदन करने में निफि रहता है, या यनद अनुज्ञक्तप्तधारी द्वारा प्रतुतुत उत्पादन पट्टे के लिए अिेदन केंद्रीय सरकार या प्रशासननक प्रानधकारी द्वारा अस्वीकार कर नदया जाता है, या अनुज्ञक्तप्त की समाक्तप्त या उसे व् यपगत करने पर या खोज संबंधी संनियाओ को छोड नदया जाता है या अपतट क्षेत्र परमाणु खननज संनियाओ संबंधी अनधकार ननयम, 2025 के ननयम 6 के उप-ननयम (19) के अनुसार अनतररि क्षेत्र का अभ्युपाण नकया जाता है, जो भी पूर्णित हो, डि अनुज्ञक्तप्तधारी द्वारा प्रतुतुत सभी ररपोटा और आंकडा केंद्रीय सरकार की एकमात्र संपनत्त बन जाएंगे;

(xiii) यह सुनननश्चत करेगा नक इस प्रयोजन के लिए तैनात नकए गए उपस् कर या जियानों को इस प्रकार रखा, नचनित, सुसक्तज्जत और प्रकानशत नकया जाए नक पोत पररिहन के लिए कोई खतरा उत्पन्न न हो;

(xiv) यह सुनननश्चत करेगा नक नौहिन के प्रयोजनों के लिए या केंद्रीय सरकार द्वारा प्रानधकृत नकसी अन्य प्रयोजन के लिए नकसी मान्यता प्राप्त समुद्री मागा में नकसी मागानधकार में कोई हतुतक्षेप न नकया जाए;

(xv) अनुज्ञक्तप्त क्षेत्र के भीतर खोज संबंधी संनियाओ से उत्पन्न होने िांिे पररसंकटमय अपनशष्ट सनहत ठोस या तरि अपनशष्ट का व्यक्तस्थत ननपटान सुनननश्चत करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा निनननदाष्ट उनचत कदम उठाएगा और उपाय करेगा;

(xvi) यथाक्तस् थनत, समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों, समुद्री अभयारण्यों या नकसी अन्य क्षेत्र सनहत संरनक्षत क्षेत्रों में प्रदूषण की रोकथाम और ननयंत्रण तथा समुद्री पाररक्तस्थनतकी तंत्र के संरक्षण से संबंनधत उपाय करना, केंद्रीय सरकार द्वारा निनननदाष्ट नकया जा सकता है;

(xvii) नकसी भी दूरसंचार केबि, अपतट पिन टरबाइन जनरेटर, अपतट नबजिी उप-स्टेशन, तेि लेटेफामा या पाइपाइनों, पानी के नीचे के पुरातात्विक स्थिों, रक्षा प्रनतष्ठानों या नकसी पत् तन क्षेत्र से पांच सौ मीटर की दूरी के भीतर नकसी भी नबंदु पर कोई उत्पादन संनिया संबंधी नहीं करेगा या करने की अनुमनत नहीं देगा, नसियाय सक्षम प्रानधकारी और प्रशासननक प्रानधकारी या केंद्रीय सरकार द्वारा इस

[भागII—खण् ड3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण

61

नननमत, अनधकृत नकसी अनधकारी के पूर्ा अनुमोदन के अनुसार और उसके अधीन और उसके अनुसार और पांच सौ मीटर की डि दूरी सुसंगत जियान, संरचना या स्थापना के बाहरी नकनारे से मापी जाएगी, जैसा भी िागू हो;

(ख) केंद्रीय सरकार को—

(i) हर समय नकसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को अनुज्ञक्तप्त क्षेत्र में प्रिश करने और उस पर स्वतंत्रता प्रदान करने या देने का अनधकार होगा, नसियाय उन सभी या नकन्हीं प्रयोजनों के लिए नजनके लिए अनुज्ञक्तप्तधारी को स्पष्ट रूप से एकमात्र अनधकार और अनुज्ञक्तप्त प्रदान की गई है, नजसमें नबना नकसी पररसीमा के, अनुज्ञक्तप्त क्षेत्र में, उसके ऊपर या उसके माध्यम से ऐसे जियानों, उपस् करों, लेटेफामों, पाइपाइनों, दूरसंचार केबिों और अन्य ऐसे उपस् करों को तैनात करना सक्त मनित है, नजन्हें नकसी भी प्रयोजन के लिए आिश्यक या समीचीन माना जाएगा, और अनुज्ञक्तप्त क्षेत्र से ऐसे पत्थर, नमट्टी या अन्य सामग्री प्राप्त करना जो ऐसे जियानों, उपस् करों, लेटेफामों, पाइपाइनों, दूरसंचार केबिों और अन्य ऐसे उपस् करों की तैनाती, मरित या रखरखाि के लिए आिश्यक या अपेनक्षत हो, सभी प्रयोजनों के लिए ऐसे क्षेत्र से हर समय गुजरने और नफर से गुजरने के लिए और जैसा नक असर की आिश्यकता होगी।

(ii) अनुज्ञक्तप्तधारक द्वारा उपबंनधत नकसी भी ननष्पादन प्रनतभूनत को ऐसी ननष्पादन प्रनतभूनत के ननबंधनों के अनुसार नननयोनजत करने का अनधकार होगा और अनुज्ञक्तप्तधारक से ननष्पादन प्रनतभूनत की भरपाई करने की अपेक्षा करती है। यनद अनुज्ञक्तप्त की समाक्तप्त और अनुज्ञक्तप्तधारक के सभी बाध् यताओं की पूनता के पश् चात् ननष्पादन प्रनतभूनत, प्रनतभूनत के माध्यम से प्रदान की गई है, तो ऐसी प्रनतभूनत जमा रकम उनचत कटौती के पश् चात् अनुज्ञक्तप्तधारक को िापस कर दी जाएगी। यह स्पष्ट नकया जाता है नक प्रनतभूनत जमा पर कोई ब्याज नहीं िगेगा;

(iii) नकसी काया या मामि को करने या ननष्पानदत करने का अनधकार होगा, जो उस नननमत अनुबंधों के अनुसार अनुज्ञक्तप्तधारी द्वारा नकया जाना है, िेनकन उस नननमत नननननदाष्ट समय के भीतर ऐसा नहीं नकया गया है या ननष्पानदत नहीं नकया गया है, और अनुज्ञक्तप्तधारी केंद्रीय सरकार को मांग पर सभी व्ययों का भुगतान करेगा जो इसके कायान्वयन या ननष्पादन में व्यय होंगे।

(iv) अपनी ओर से नकसी अन्य अनुज्ञक्तप्तधारी या पट्टेदार या व्यक्ति को अनुज्ञक्तप्त क्षेत्र में प्रिश करने और (i) पेटरोनियम और प्राकृतनक गैस की खोज करने, खुदाई करने, ननकािने और िे जाने के लिए अनधकृत करने की शक्ति होगी; (ii) अपतट पिन टरबाइन जनरेटर, अपतट निद्युत उपस्टेशनों को नबछाने या रखरखाि करने, मरित करने या बदिने की शक्तक् त होगी; (iii) यथाक्तस् थनत, इन प्रयोजनों के लिए या नकसी अन्य प्रयोजन के लिए, प्रानधकृत, केंद्रीय सरकार या प्रशासननक प्रानधकारी द्वारा प्रानधकृत नकया जा सकता है, ऐसे संयंत्र, प्रनतष्ठानों, पाइपाइन, केबि, जिमागा, इंजन, मशीनरी और सुनिधाओं को डुबाने, चिाने, खडा करने, ननमाण करने, रखरखाि करने और उपयोग करने की शक्ति होगी, जैसा आिश्यक समझा जाए:

प-तु, ऐसी शक्ति के प्रयोग में इन उपबंधों के अधीन अनुज्ञक्तपतधारी के अनधकारों में कोई भौनतक बाधा या हतुतक्षेप नहीं नकया जाएगा और उनचत मुआजा, जैसा नक पारस्पररक रूप से सहमत हो सकता है या असहमनत की क्तस्थनत में, जैसा नक प्रशासननक प्रानधकारी द्वारा तय नकया जा सकता है, का भुगतान नकया जाएगा,—

- (i) ऐसे अनुज्ञक्तपतधारी या पट्टेदार या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा अनुज्ञक्तपतधारी को, यथाक्तस् थनत, केंद्रीय सरकार द्वारा इस शक्ति के प्रयोग के कारण अनुज्ञक्तपतधारी को हुई नकसी हानन या क्षनत के लिए;
- (ii) ऐसे अनुज्ञक्तपतधारी या पट्टेदार या ऐसे अन्य व्यक्ति को, यथाक्तस् थनत, केंद्रीय सरकार द्वारा इस शक्ति के प्रयोग के कारण ऐसे अनुज्ञक्तपतधारी या पट्टेदार या ऐसे अन्य व्यक्ति को हुई नकसी हानन या क्षनत के लिए, अनुज्ञक्तपतधारी द्वारा प्रनतपूनता; तथा

(v) सरकारी प्रानधकरण द्वारा स यक् रूप से प्रानधकृत नकसी अन्य अनुज्ञक्तपतधारी या पट्टेदार या प्रचािक को उि क्षेत्रों में प्रिश करने और पाइपिइन नबछाने या सरकारी प्रानधकरण द्वारा स यक् रूप से प्रानधकृत ऐसे अनुज्ञक्तपतधारी या पट्टेदार या प्रचािक द्वारा पेटरोनियम या प्राकृतनक गैस ननकािने के प्रयोजनों के लिए पंनपंग स्टेशन स्थानपत करने की शक्ति प्रदान करने और हतुतांतररत करने का अनधकार होगा और अनुज्ञक्तपतधारी नकसी भी पेटरोनियम संनिया संबंधी या अपतट पिन ऊजाा पररयोजनाओं से संबंनधत नकसी भी संनिया संबंधी या अनुज्ञक्तपत क्षेत्र के भीतर सरकारी प्रानधकरण द्वारा स यक् रूप से प्रानधकृत ऑपरेटर द्वारा नकए जा रहे या नकए जाने के लिए प्रतुतानित ऐसे अन्य प्रचािनों में बाधाओं या हतुतक्षेप से बचने के लिए अपने स्रोतम प्रयासों का उपयोग करेगा।

3.3. यनद केंद्रीय सरकार नकसी खननज के संबंध में अपने अग्रिय के अनधकार का प्रयोग करने की इच्छुक है, तो केंद्रीय सरकार ऐसे खननजों के औसत नििय कीमत का भुगतान करेगी, जैसा नक ननदेशािय द्वारा प्रकानशत नकया गया है और जो अग्रिय के समय प्रचनित होगा।

3.4. युद्ध या आपातकाि की क्तस्थनत के होने की क्तस्थनत में (नजसके लिए भारत के राष्ट्रपनत एकमात्र न्यायाधीश होंगे और भारत के राजपत्र में इस आशय की अनधसूचना ननणायक सबूत होगी) केंद्रीय सरकार को उि अनध के दौरान हर समय (अनुज्ञक्तपतधारी या अनुज्ञक्तपतधारर्यों को निक्तखत में नोनटस द्वारा प्रयोग नकया जाने िािा) अनुज्ञक्तपत क्षेत्र या इस अनुज्ञक्तपत के अधीन संनिया के संबंध में अनुज्ञक्तपतधारी के जियानों, प्रनतष्ठानों, लेटेफामों, पाइपिइनों, संयंत्रों, मशीनरी, उपस् करों और पररसर को तुरंत कब्जे में िेने और ननयंत्रण करने का अनधकार होगा और ऐसे कब्जे या ननयंत्रण के दौरान, अनुज्ञक्तपतधारी ऐसे जियानों, प्रनतष्ठानों, लेटेफामों, पाइपिइनों, संयंत्रों, मशीनरी, उपस् करों, पररसरों और खननजों के उपयोग के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा या उसकी नननमत नदए गए सभी ननदेशों का पाििन करेगा, प-तु उनचत मुआजा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा करार के चूक में अधाररत नकया जाएगा, अनुज्ञक्तपतधारी को इस खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के कारण या पररणामस्वरूप उसके द्वारा उठाए गए सभी नुकसान या क्षनत के लिए भुगतान नकया जाएगा और परंतु यह भी नक ऐसी शक्ति का कोई भी प्रयोग उि अनध को व् यपगत नहीं करेगा या इस खंड की शतों और उपबंधों को प्रभानित नहीं करेगा।

3.5. अनुज्ञक्तपतधारी को नदया जाने िािा प्रत्येक नोनटस निक्तखत रूप में ऐसे व्यक्ति को नदया जाएगा नजसे अनुज्ञक्तपतधारी द्वारा नामनननद् ट नकया जा सकता है और ऐसे नामननदेशन की निक्तखत रूप में प्रशासननक प्रानधकारी को सूचना दी जाएगी। यनद ऐसा कोई नामननदेशन नहीं नकया जाता है तो अनुज्ञक्तपतधारी को अनुज्ञक्तपत के लिए आिेदन में दशाए गए पते पर या

[भागII—खण्ड 3(i)]

भारत का राष्ट्रिय : असाधारण

63

भारत में ऐसे अन्य पते पर नजसे अनुज्ञक्तपतधारी अनभनहत कर सकता है, अनुज्ञक्तपतधारी को संबोनधत रनजस् टरीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या ई-मेल द्वारा नोनटस भेजा जाएगा और ऐसी प्रत्येक सेविा अनुज्ञक्तपतधारी पर उनचत और िेध सेविा मानी जाएगी और उसके द्वारा उस पर सिाि नहीं उठाया जाएगा या उसे चुनौती नहीं दी जाएगी।

3.6. यनद नकसी भी क्तस्थनत में प्रशासननक प्रानधकारी के आदेशों को केंद्रीय सरकार द्वारा अपतट क्षेत्र परमाणु खननज संनिया संबंधी अनधकार ननयम, 2025 के अधीन कायािानहयों के अनुसरण में पुनरीनक्षत, समीक्षा या रद्द कर नदया जाता है, तो अनुज्ञक्तपतधारी, इन उपबंधों द्वारा अनुज्ञक्तपतधारी को प्रदत्त शक्तियों और निशेषानधकारों के प्रयोग में अनुज्ञक्तपतधारी द्वारा उठाए गए नकसी भी नुकसान के लिए क्षनतपूनता का पात्र नहीं होगा।

4. अभनवाया बाध् यता

4.1. इस खंड में “अननिाया बाध् यता” से दैिीय कृत्य, युद्ध, निद्रोह, दंगा, नागररक उपद्रि, हडताि, भूकंप, तूफान, ज्वार की िहर, बाढ, नबजी, निस्फोट, आग या कोई अन्य घटना अनभप्रेत है नजसे अनुज्ञक्तपतधारी उनचत रूप से रोक या ननयनत्रत नहीं कर सकता।

4.2. अनुज्ञक्तपतधारी द्वारा इस अनुज्ञक्तपत के नकसी भी ननबंधन और शता को पूरा करने में निफिता से केंद्रीय सरकार को अनुज्ञक्तपतधारी के निरुद्ध कोई दाििा नहीं नमिगा या इसे इस अनुज्ञक्तपत का उलूधन नहीं माना जाएगा, जहां तक नक केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसी निफिता को अननिाया बाध् यता से उत्पन्न माना जाता है, और यनद अनुज्ञक्तपतधारी द्वारा इस अनुज्ञक्तपत के नकसी भी ननबंधन और शता को पूरा करने में अननिाया बाध् यता से देरी होती है, तो ऐसी देरी की अनध को इस अनुज्ञक्तपत द्वारा ननयत अनध में जोड नदया जाएगा।

4.3. प्रशासननक प्रानधकारी या केंद्रीय सरकार नकसी भी रीनत में, नकसी भी अननिाया बाध् यता के घनटत होने या अक्ततुतत्व में आने से उत्पन्न होने िाििी नकसी हानन के लिए अनुज्ञक्तपतधारी के प्रनत उत्तरदायी नहीं होगी।

5. शाभस त भवभध

इस अनुज्ञक्तपत और इसके ननिाचन के सभी प्रश्ों का भारत में तत् समय प्रित निनध के अनुसार अथा िगाया जाएगा। अनधननयम की धारा 28 में अंतनिा ट उपबंधों के अधीन, इस नििेख के अधीन उद्भूत होने िाििे निािादों पर नई नदली की अदाितों की अन्य रूप से अनधकाररता होगी।

नजसके साक्ष्य में [तारीख] को [स्थान के नाम] को प्रतुतुनतयां ननष्पानदत की गई ह;।

अनुसूची 1 :संयुक्त अनुज्ञप्तपत का िेत्र

(अक्षांश और देशांतर सनहत, अपतट क्षेत्र का ब यौरा उपबंनधत नकया जाना है।)

प्ररूप ग

उत्पादन पट्टे के भलए भनष्पादन प्रभतभूभत का रुपभवद्यान

[ननयम 7(9)(ख) देक्तखए]

[बैंक की संदभा सं.]

[तारीख]

सेिा में,

भारत के राष्ट्रपनत

[पता]

जबभक

क. [नाम+, नजसका कायायि *सरकार का पता+ पर है या *कंपनी अनधननयम, 2013 (2013 का 18) के अधीन भारत में ननगनमत एक सरकारी कंपनी नजसकी ननगनमत पहचान सं. *आिेदक का सीआईएन+ है या *ननगम के ं ानून/नननयम डािेे+ के अधीन भारत में स यक् रुप से ननगनमत एक ननगम, नजसका रनजस् टरीकृत कायायि *रनजस् टरीकृत कायायि का पता+, भारत में है और कारबार का मुख्य स्थान *कारबार के मुख्य स्थान का पता, यनद रनजस् टरीकृत कायायि से अिग है+ पर है (**आवेदक**)को *ननष्पादन ब;क प्रत् याभूनत की समाक्तप्त की तारीख+ (“समाक्तप्त तारीख”) तक िेध ननष्पादन प्रनतभूनत के रूप में भारतीय मुद्रा [अंकों में+ (भारतीय रुपये *शब्ों में+)] के बराबर रकम के लिए नबना शता और अपररितानीय ब;क प्रत् याभूनत प्रदान करना आिश्यक है।

ख. ननष्पादन प्रनतभूनत भारत के राष्ट्रपनत को, नजसका प्रनतनननधत्व प्रशासननक प्रानधकारी (**केंद्रीय सरकार**) द्वारा नकया जाता है, [मूि दतुतािेजों के संदभा में, अथात् उत् पादन पट्टा नििेख, अपतट खननज निकास और उत् पादन करार+ तारीख, [तारीख+ *उत्पादन पट्टेका ब यौरा+ (सामूनहक रूप से (**करार**) के संबंध में कनतपय बाध् यताओं के उ मोचन के लिए उपबंनधत नकया जाना है।

ग.

हम, [ब;क का नाम+ (**बैंक**)आिेदक के अनुरोध पर, इसमें अंतनि ट ननबंधनों और शतों पर केंद्रीय सरकार के मांग पर करार के अधीन आिेदक की बाध् यताओं को सुरनक्षत करने के लिए केंद्रीय सरकार को भारतीय मुद्रा [अंकों में+ (भारतीय रुपये *शब्ों में+)] (**प्रत् याभूभत रकम**)के अननधक रकदम का भुगतान करने का िचन देते ह;।

अब इसनिए, ब;क आिेदक की ओर से प्रत् याभूनत रकम में केंद्रीय सरकार के पक्ष में यह अपररितानीय और नबना शता भुगतान ब;क प्रत् याभूनत (**प्रत् याभूभत**) जारी करता है:

1. इस प्रयोजन के लिए ब;क, नबना नकसी आपनत्त, आरक्षण, चेतािनी, निरोध या सहारे के, केंद्रीय सरकार से प्रथम निक्तखत मांग प्राप्त होने पर, तुरन्त केंद्रीय सरकार को (एक या अनधक दािेे के माध्यम से) कुि नमिकर प्रत् याभूनत रकम से अनधक नहीं (के बराबर), एक रानश या रानशयों का भुगतान करने का नबना शता और अपररितानीय रूप से िचनबद्धता व्ि करता है, तथा इसमें निनननदाष्ट रानश के लिए ऐसी मांग के लिए केंद्रीय सरकार को ब;क के समक्ष आधार या कारण सानबत करने या नदखाने की आिश्यकता नहीं होगी, तथा भि ही केंद्रीय सरकार और आिेदक के बीच नकसी भी मामि पर कोई नििाद या मतभेद हो। ब;क केंद्रीय सरकार को इस प्रकार मांगी गई कोई भी धनरानश देने का िचन देता है, भि ही आिेदक द्वारा नकसी न्यायायि या अनधकरण के समक्ष िंनबत नकसी मुकदमे या कायािाही में कोई नििाद या नििाद उत्पन्न हो, इस ितामान प्रणािी के अधीन ब;क का दानयत्व पूणा और स्पष्ट है।
2. ब;क यह स्वीकार करता है नक ब;क द्वारा केंद्रीय सरकार को संदेय रकम के बारे में केंद्रीय सरकार द्वारा की गई ऐसी कोई भी मांग, करार के अधीन आिेदक द्वारा केंद्रीय सरकार को संदेय रकम के संबंध में अनंतम, बाध्यकारी और ननणायक साक्ष्य होगी।
3. ब;क इस प्रकार आिेदक से पूिेक् त रकम या उसके नकसी भाग की मांग करने की केंद्रीय सरकार की आिश्यकता को अनधत् यक् त करता है तथा इस प्रत् याभूनत के अधीन भुगतान के लिए ब;क को कोई निक्तखत मांग प्रतुतुत करने से पहि आिेदक के निरुद्ध केंद्रीय सरकार से निनधक उपचार अपनाने की मांग करने के ब;क के नकसी भी अनधकार को भी अनधत् यक् त करता है।
4. ब;क नबना नकसी शता के केंद्रीय सरकार से सहमत है नक केंद्रीय सरकार, ब;क की सहमनत के नबना और इस प्रत् याभूनत के अधीन ब;क के दानयत्व को नकसी भी तरह प्रभानित नकए नबना, ननम्रनिक्तखत काया करने के लिए स्वतंत्र होगी—
 - i. करार की शतों और ननयमों में उपांतरण करना;
 - ii. करार के अधीन आिेदक के बाध् यताओं के ननष्पादन के लिए समय को स्थनगत करना, या

[भागII—खण् ड3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण

65

- iii. करार की शतों और ननयमों के अधीन आिेदक के निरुद्ध केंद्रीय सरकार द्वारा प्रयोग नकए जाने िािे नकसी भी अनधकार को रोकना या िागू करना, और ब;क को केंद्रीय सरकार की ओर से नकसी ऐसे काया या चूक के कारण या केंद्रीय सरकार द्वारा

- आिेदक को दी गई नकसी ररयायत या अन्य नकसी बात के कारण अपने दानयत्व से मुि नहीं नकया जाएगा, जो प्रनतभूनतयों से संबंनधत निनध के अधीन, यनद यह उपबंध न होता, तो ब;क को इस प्रत् याभूनत के अधीन अपने बाध् यताओं से मुि करने का प्रभाि डािता।
5. इसके अधीन नकया गया कोई भी भुगतान नकसी भी प्रकार के ितामान या भनिष्य के करों, उद्रहण, अनधरोपण, शुल्क, प्रभार, फीस, कमीशन, कटौती या रोक के लिए या उसके कारण कटौती के नबना मुि और स्पष्ट नकया जाएगा।
 6. ब;क इस बात से सहमत है नक केंद्रीय सरकार अपने निकल्प पर आिेदक के क्तखिफ पही बार कायािाही नकए नबना, पही उदाहरण में मुख्य देनदार के रूप में ब;क के क्तखिफ इस प्रत् याभूनत को िागू करने की हकदार होगी।
 7. ब;क इस बात पर भी सहमत है नक इस प्रत् याभूनत में अंतनिष् ट प्रत् याभूनत करार में निनननदाष्ट अनध के दौरान पूरी तरह से िागू रहेगी और यह तब तक िागू रहेगी जब तक नक ननष्पादन प्रनतभूनत के संबंध में ि करार के अधीन या इसके आधार पर आिेदक के सभी बाध् यताओं का पूरी तरह से भुगतान नहीं कर नदया जाता है और उसके दािों को केंद्रीय सरकार की संतुनष्ट के अनुसार संतुष्ट या उ मोनचत नहीं कर नदया जाता है या जब तक नक केंद्रीय सरकार यह प्रमानणत नहीं कर देती है नक ननष्पादन प्रनतभूनत के संबंध में करार की शतों और ननबंधनों का आिेदक द्वारा पूरी तरह से और उनचत रीनत से पािन नकया गया है और तदनुसार इस प्रत् याभूनत का उ मोचन करती है। इस प्रत् याभूनत में अंतनिष् ट नकसी भी बात के होते हुए भी, जब तक नक समाक्तप्त तारीख पर या उससे पही ब;क पर निक्तखत रूप में इस प्रत् याभूनत के अधीन कोई मांग या दािा नहीं नकया जाता है, तब तक ब;क को इस प्रत् याभूनत के अधीन सभी दानयत्वों से उ मोनचत कर नदया जाएगा।
 8. इस प्रत् याभूनत के अधीन ब;क द्वारा नकया गया भुगतान, इसके अधीन भुगतान के लिए ब;क के दानयत् ि का िैध उ मोचन होगा और कोई भी व्यक्ति ऐसे भुगतान के लिए ब;क के क्तखिफ कोई दािा नहीं कर सकेगा।
 9. यह प्रत् याभूनत भारत के तत् समय प्रित निनध के अधीन है। इस प्रत् याभूनत या इसके निषय-ितुतु से उत्पन्न होने िािा कोई भी मुकदमा, कारािाई या अन्य कायािाही नई नदली, भारत में न्यायाियों के अनन्य अनधकारता के अधीन होगी।
 10. ब;क इसका प्रनत नननधत्व करता है नक उसके पास केंद्रीय सरकार के पक्ष में यह प्रत् याभूनत जारी करने का अनधकार और शक्ति है। ब;क के संनिधान में पररितान के कारण यह प्रत् याभूनत उ मोनचत नहीं होगी।
 11. ब;क यह िचन देता है नक िह निक्तखत रूप में केंद्रीय सरकार की पूिा सहमनत के नसाय इस प्रत् याभूनत को इसके प्रचिन के दौरान रद्द नहीं करेगा।
 12. केंद्रीय सरकार, ब;क को पूिा सूचना देकर, इस प्रत् याभूनत के अधीन अनधकार नकसी अन्य निभाग, मंत्रािय या नकसी सरकारी अनभकरण को सौंप सकती है, जो राष्ट्रपनत के नाम पर काया कर सकती है। इस खंड में नदए गए उपबंधों के नसाय, यह प्रत् याभूनत आिंटनीय या हतुतांतरणीय नहीं होगी।
 13. इसमें अंतनिष् ट नकसी बात के होते हुए भी,—
(क) इस ब;क प्रत् याभूनत के अधीन ब;क का दनयत् ि प्रत् याभूनत की रकम से अनधक नहीं होगी। (ख) इस ब;क की प्रत् याभूनत समाक्तप्त तारीख तक िैध रहेगी।
 14. ब;क, इस ब;क प्रत् याभूनत के अधीन प्रत् याभूत रकम या उसके नकसी भाग का भुगतान करने के लिए केिि तभी दायी होगा, जब केंद्रीय सरकार समाक्तप्त तारीख को या उससे पही ब;क को निक्तखत दािा या मांग प्रतुतुत करेगी।
तारीख [नदन] [मास] का नदन [िषा]
नजसके साक्ष्य स्वरूप ब;क ने अपने प्रानधकृत अनधकारी के माध्यम से अपने हतुताक्षर कर नदए ह; ँि मुहर िगा दी है।

(हतुताक्षर)

(नाम एि
पदनाम)
(ब;क की
मुहर)

प्ररूप घ
उत्पादन पट्टा भवलेख का
रूपभवदान

[ननयम 7 (12) (क) देक्तखए]

उत्पादन पट्टा (पट्टा) अनुदान के भलए यह भवलेख भनम्रभलप्तखत द्वारा और उनके बीच बनाया गया है:

पिकार

क. भारत के राष्ट्रपनत, प्रशासननक प्रानधकारी(केंद्रीय सरकार)के माध्यम से काया करते हुए।
और

ख. [पट्टेदार का नाम], नजसका कायााि *सरकार का पता+ पर है या *सरकारी कंपनी+ जो कंपनी अनधननयम, 2013 (2013 का 18) के अधीन भारत में ननगनमत है, नजसकी ननगनमत पहचान सं. *सीआईएन+ है या ननगम जो भारत में *ननगम के निनध निननयम भरें+ के अधीन स यक रूप से ननगनमत है, नजसका रनजस् टरीकृत कायााि *रनजस् टरीकृत कायााि का पता+, भारत में है और कारबार का मुख्य स्थान *कारबार के मुख्य स्थान का पता, यनद रनजस् टरीकृत कायााि से नभन है+ पर है (पट्टेदार)।

पृष्ठभूमि:

ग. पट्टेदार ने अपतट क्षेत्र खननज (निकास और निननयमन) अनधननयम, 2002 (2003 का 17) (अभधनयम) और बनाए गए ननयमों के अधीन अपेक्षाओं को पूरा कर लिया है और उत्पादन पट्टे के अनुदान के लिए पात्र हो गया है।

घ. तदनुसार, केंद्रीय सरकार, इसमें इसके पश् चात् आरनक्षत और पट्टेदार के भाग पर संदत् त, अनुपानित और ननपानदत नकए जाने िािी अंतनि ट फीस, स्ानमत् ि, प्रसंनिदाओं और करारों के प्रनतफि में पट्टेदार को पट्टे अनुदान करने के लिए इस नििेख को अब ननपानदत कर रही है।

1. पररभाषाएं

इस पट्टे में प्रयुि पदों का िही अथा होगा जो अनधननयम और तकीन बनाए गए ननयमों में है।

2. पट्टे का अनुदान

2.1. केंद्रीय सरकार (प्रशासननक प्रानधकारी के माध्यम से काया करते हुए) अनुसूची 1 (पट्टा िेत्र) में िनणात क्षेत्र पर पट्टेदार को ननम्रनिक्तखत खननज, [खननजों का नाम+ (खभनज) के संबंध में उत्पादन संनिया करने के लिए उस तारीख से प्रारंभ होने िािे पट्टे का अनुदान करती है, नजस तारीख को यह स यक रूप से ननपानदत उत्पादन पट्टा नििेख रनजस् टरीकृत नकया गया है, जब तक नक ऐसे क्षेत्र में ऐसे खननजों की समाक्तप्त नहीं हो जाती।

2.2. यह पट्टा, पट्टा क्षेत्र में या उसके अधीन क्तस्थत, पडे या अक्ततुतत् िमय सभी खननजों के भंडारों के संबंध में होगा।

[भागII—खण् ड3(i)]

भारत का रपित्र : असाधारण

67

2.3. पट्टेदार स्ानमस् ि का भुगतान करने तथा संदत् त नकए जाने िािे अन्य अपेनक्षत संदायों के अद्याधीन रहते हुए और इसमें अंतनि ट सभी प्रसंनिदाओं और करारों का पािन करेगा तथा पट्टेदार की ओर से उसको अनुपानित तथा ननपानदत नकया जाएगा, और िह पट्टा क्षेत्र के अनधकारों और पररसरो को इस प्रकार प्रदत्त अनध के लिए तथा उसके दौरान केंद्रीय सरकार या इसके अधीन

अनधकार पूर्णिक दांिा करने िांिे नकसी व्यक्ति द्वारा नकसी प्रकार के अनिनधम् य
अिरोध के नबना शानतपूर्णिक धारण कर सकेगा।

3.अभधकार और बाध् यताएं

3.1.केंद्रीय सरकार और पट्टेदार के अनधकार और बाध् यताएं अनधननयम और तक्तद्धन बनाए गए
ननयमों में यथानिनननदाष्ट होंगे, नजसके अंतगात् नबना पररसीमा के अपतट क्षेत्र परमाणु
खननज संनिया अनधकार ननयम, 2025 और अपतट खननज निकास और उत्पादन करार
तारीख [तारीख] भी ह;।

3.2.पूर्णिगामी की व्यापकता पर प्रनतकूि प्रभाि डांिे नबना,

(क)पट्टेदार:

(i)प्रत् येक समय अनधननयम, तक्तद्धन बनाए गए ननयमों और तत् समय प्रित् त सभी अ्
य िागू निनध, नजसके अंतगात् परमाणु ऊजाा अनधननयम, 1962 (1962 का 33) भी
है, के उपबंधों का अनुपांिन करेगा;

(ii)पट्टेदार द्वारा नकए जाने िांिे अपेक्षत स् िानमत् ि और नकसी प्रभार या अ् य
भुगतान का शीघ्र भुगतान करेगा;

(iii)पट्टेदार द्वारा नकए गए नुकसान, क्षनत या निघन् के लिए तत् समय प्रित् त निनध के
अनुसार प्रनतकर का भुगतान करेगा और नकसी व् यक्ति या व् यक्तियों द्वारा ऐसे नकसी
नुकसान, क्षनत या निघन् तथा उससे संबंनधत िागतों और खचों के संबंध में नकए गए
दांिे के निरूद्ध केंद्रीय सरकार और प्रशासननक प्रानधकारी को क्षनतपूनता करेगा
और क्षनतपूनता करता रहेगा;

(iv)उत् पादन संनियाओं नजसके अंतगात् कोई उपाय भी है जो केंद्रीय सरकार द्वारा
निनननदाष्ट नकए जाए से प्रभानित समुद्र ति के नैसनगाक पुनिकास को सक्षम करने के लिए
सभी आश्यक कदम और उपाय करेगा;

(v)इस पट्टे के अद्यीन संनिया के दौरान होने िांिी नकसी दुघाटना की ररपोटा,
नजससे मृत्यु या गंभीर शारीररक क्षनत या संपनत्त को गंभीर क्षनत काररत हो या जींिन
या संपनत्त पर गंभीर रूप से प्रभाि डांिने िांिी या संकटाप्न करने िांिी हो
नबना नकसी देरी के नौहिन महाननदेशािय, महाननदेशक, भारतीय तटरक्षक, खान
सुरक्षा महाननदेशािय, प्रशासननक प्रानधकारी और नकसी अन्य सरकारी प्रानधकारी
को अग्रेनषत करेगा;

(vi)पट्टा क्षेत्र से उत्पानदत और प्रेनषत सभी खननजों को तौंिगा या मापेगा, या
तुंिाएगा या माप करिाएगा तथा तथा प्रत्येक ऐसी तौंि या माप के लिए ननदेशािय के
प्रशासननक प्रानधकारी और प्रानधकृत अनधकारी को सात नदन पूर्णिा निक्तखत सूचना
देगा नजससे िह या उसकी ओर से कोई व्यक्ति िहां उपक्तस्थत हो सके;

(vii)ऐसे स्टाम्प-शुल्क और रनजस् टरीकरण प्रभारों का भुगतान करेगा जो इस निंेख
की बाबत िागू हो;

(viii)अनधननयम और तद्धीन बनाए गए ननयमों के उपबंधों के अनुसार, पट्टे की अनध
के दौरान, पट्टा क्षेत्र में प्रिश करेगा और इस निंेख में निनननदा ट खननजों के लिए
उत् पादन संनियाएं करेगा;

(ix) अनधननयम और तद्धीन बनाए गए ननयमों के उपबंधों नजसके अंतगात्
अनधननयम की धारा 19क के अद्यीन बनाए गए ननयम और अनधननयम की धारा 21
के अद्यीन जारी नकए गए ननदेश भी है, का अनुपांिन करेगा;

(x) उनके ननयोजन से पहि, यह सुनननश्चत करना होगा नक पट्टेदार या संंिनदत
कंपननयों द्वारा पट्टा क्षेत्र में ननयोनजत नकए जाने िांिे सभी जियानों और
स्थानपत नकए जाने िांिे संस् थापनों को संबंनधत नौसेना कमान के प्लैग

ऑनफसर कमानडंग-इन-चीफ और फ्लैग ऑनफसर, अपतट रक्षा साहकार समूह के तत्वाधान में भारतीय नौसेना के नौसैनिक सुरक्षा नगरिक्षण से गुजरना होगा और उसे पास करना होगा और ऐसे नगरिक्षण और अनापनत्त की सुनिधा के लिए पट्टेदार द्वारा उपरोक्त कायायियों को एक मास की स्पष्ट सूचना दी जाएगी;

(xi) संरक्षित क्षेत्रों नजसके अंतगात् समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों, समुद्री अभयारण्यों या नकसी अन्य क्षेत्र भी है जो केंद्रीय सरकार द्वारा निनननदाष्ट नकए जाए, में प्रदूषण के निनारण और ननयंत्रण तथा समुद्री पाररक्तस्थनतकी तंत्र के संरक्षण के संबंध में केंद्रीय सरकार निनननदाष्ट उपाय करेगा;

(xii) नकसी भी दूरसंचार केबि, अपतट पिन टरबाइन जनरेटर, अपतट निद्युत उपकेंद्र, तेलि लेटेक्टफॉमा या पाइपाइनों, भूनमगत जि के पुराताक्तत्वक स्थिों, रक्षा संस् थापनों या नकसी पत् तन क्षेत्र से पांच सौ मीटर की दूरी के भीतर नकसी भी नबंदु पर कोई उत्पादन संनिया नहीं करेगा या करने की अनुज्ञा नहीं देगा, नसियाय सक्षम प्रानधकारी और इस नननमत् त प्रशासननक प्रानधकारी या केंद्रीय सरकार द्वारा प्रानधकृत नकसी अनधकारी के पूर्ा अनुमोदन के अधीन और उसके अनुसार और पांच सौ मीटर की डि दूरी सुसंगत जियान, संरचना या संस्थापन के बाहरी नकनारे से जैसा भी िागू हो, मापी जाएगी;

(xiii) प्रतुतुत करना—

(क) िानषाक ररपोटा, नजसमें पट्टेदार द्वारा की गई संनियाओं का पूरा निरिण हो तथा पट्टेदार द्वारा इस पट्टे के अधीन की गई संनियाओं के दौरान पट्टे के अंतगात् आने िािे क्षेत्र के भूनिज्ञान और खननज संसाधनों के संबंध में अनजात सभी जानकारी को प्रकट करना भारतीय भूिेज्ञाननक सिक्षण ननदेशािय, प्रशासननक प्रानधकारी, भारतीय खान ब्यूरो तथा ऐसे अन्य प्रानधकरण को नजसे निनननदाष्ट नकया जाए, नकया जा सकेगा। ररपोटा उस िषा की समाक्तप्त के पश्चात साठ नदन की अनध के भीतर प्रतुतुत की जाएगी, नजससे िह संबंनधत है;

(ख) स पादन प्रनतभूनत को िापस करने या नकसी अन्य िेखा में अंतररत करने से पूर्ा नकसी भी समय, या पट्टे की समाक्तप्त या पयिासान या पररत्याग या अभ् यपाण के पश्चात तीन मास की अनध के भीतर, जो भी पहि हो, पट्टेदार द्वारा नकए गए काया की पूरी ररपोटा प्रशासननक प्रानधकारी और ननदेशािय को प्रतुतुत करना तथा पट्टा क्षेत्र के भूनिज्ञान और खननज संसाधनों के संबंध में इस पट्टे के अधीन नकए गए उत्पादन संनियाओं के दौरान पट्टेदार द्वारा अनजात सभी जानकारी को प्रकट करना:

[भागII—खण् ड3(i)]

भारत का रपित्र : असाधारण

69

प- तु, अनधननयम और उसके अधीन बनाए गए ननयमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, पट्टेदार यह निनननदाष्ट कर सकेगा नक उपरोक्त खंड 3.2 (क) (xiii) के अनुसरण में उसके द्वारा प्रतुतुत ररपोटा और डाटा का पूरा या उसका कोई भाग गोपनीय रखा जाएगा, और संबंनधत प्रानधकारी उसके बाद प्रतुतुत ररपोटा और डाटा के ऐसे भागों को गोपनीय रखेंगे जो उनचत समझे:

प- तु यह और नक, केंद्रीय सरकार ऐसी गोपनीय ररपोटों और डाटा का अपने प्रयोजनों के लिए स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकेगी:

प- तु यह भी नक, पट्टे का पयािसान या समाक्तप्त या अभ् यपाण या पररत्याग पर, जो भी पहि हो, डि पट्टेदार द्वारा प्रतुतुत सभी ररपोटा और डाटा केंद्रीय सरकार की एकमात्र संपनत्त हो जाएंगे।

- (xiv) यह सुनननश्चत करना नक नौहिन के प्रयोजनों के लिए या केंद्रीय सरकार द्वारा प्रानधकृत नकसी अन्य प्रयोजन के लिए नकसी मान्यता प्राप्त समुद्री मागा में नकसी मागानधकार में कोई हतुतक्षेप न नकया जाए;
- (xv) निभाग, ननदेशािय, प्रशासननक प्रानधकारी और अन्य संबंनधत सरकारी प्रानधकरणों नजसके अंतगात् भारतीय तटरक्षक बि और भारतीय नौसेना भी है, के समाधान के लिए पट्टा क्षेत्र की सीमा को नचनित करने िािी सभी सूचनाएं या उत् प् िािक या साइनेज या बोया को स्थानपत करना, बनाए रखना, प्रदनशात करना और मरित करना;
- (xvi) पट्टा क्षेत्र के भीतर उत्पादन संनियाओं, सज् जीकरण या प्रसंस्करण संनियाओं से उत्पन्न होने िािे ठोस या तरि अपनशष्ट नजसके अंतगात् पररसंकटमय अपनश ट भी है, का व्यक्तस्थत ननपटान सुनननश्चत करने के लिए, केंद्रीय सरकार द्वारा यथानिनननदाष्ट उनचत कदम उठाना और उपाय करना; और
- (xvii) उनचत, कुशि और कुशिता से काया करना और उत्पादन संनिया जारी रखना।
- (ख) केंद्रीय सरकार—
- (i) सभी समयों पर नकसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को पट्टा क्षेत्र में प्रिश करने और उस पर स्वतंत्रता प्रदान करने या हतुतांतररत करने का अनधकार होगा, नसाय उन सभी या नकन्हीं प्रयोजनों के लिए नजनके लिए एकमात्र अनधकार और पट्टा स्पष्ट रूप से पट्टेदार को प्रदान नकए गए हः, नजसमें नबना नकसी सीमा के, पट्टा क्षेत्र में, उसके ऊपर या उसके माध्यम से ऐसे जियानों, उपस् करों, लेटेफामों, पाइपिइनों, दूरसंचार केबिों और अन्य ऐसे उपस् करों को ननयोनजत करना सक्त मनित है, नजन्हें नकसी भी प्रयोजन के लिए आिश्यक या समीचीन माना जाएगा, और पट्टा क्षेत्र से ऐसे पत्थर, भूनम या अन्य सामग्री प्राप्त करना जो ऐसे जियानों, उपस् करों, लेटेफामों, पाइपिइनों, दूरसंचार केबिों और अन्य ऐसे उपस् करों के ननयोजन, मरित या रखरखाि के लिए आिश्यक या अपेनक्षत हो, सभी प्रयोजनों के लिए और असर की अपेक्षा के अनुसार ऐसे क्षेत्र से सभी समय गुजरने और पुनः गुजरने के लिए अपेनक्षत होगा;
- (ii) पट्टेदार द्वारा प्रदान की गई नकसी संपादन प्रनतभूनत को ऐसी ननपादन प्रनतभूनत के ननबंधनों के अनुसार नननयोनजत करने का अनधकार होगा और पट्टेदार को संपादन प्रनतभूनत की पुनःपूनता करना अपेनक्षत होगा। यनद ननपादन प्रनतभूनत ननक्षेप के माध् यम से प्रदान कराई गई है, ऐसी दशा में पट्टे की समाक्तपत और पट्टेदार की सभी बाध् यताओं की पूनता पश् चात्, ऐसी प्रनतभूनत ननक्षेप समुनचत कटौनतयों के पश् चात् पट्टेदार को िापस कर दी जाएगी। यह स् ट नकया जाता है नक प्रनतभूनत ननक्षेप पर कोई ब याज नहीं िगेगा;
- (iii) नकसी काया या मामि को करने या संपादन करने का अनधकार होगा, जो उस संबंध में संनिदाओं के अनुसार पट्टेदार द्वारा नकया जाना है, नकंतु उस संबंध में नननननदाष्ट समय के भीतर ऐसा नहीं नकया गया है या संपानदत नहीं नकया गया है, और पट्टेदार केंद्रीय सरकार को मांग नकए जाने पर सभी खचों का भुगतान करेगा जो इसके कायान्वयन या संपादन में खचा होंगे।
- (iv) नकसी अन्य अनुज्ञक्तप् तधारी या पट्टेदार या अपनी ओर से नकसी व्यक्ति को पट्टा क्षेत्र में प्रिश करने और (i) पेटरोनियम और प्राकृतक गैस की खोज करने, खोदने, ननकािने और िे जाने के लिए प्रानधकृत होंगे; (ii) अपतट पिन टरबाइन जनरेटर, अपतट निद्युत उपकेंद्रों को िगाने या रखरखाि करने, मरित करने या बदिने की होगी; (iii) इन प्रयोजनों के लिए या नकसी अन्य प्रयोजन के लिए, यथाक्तस्थनत केंद्रीय सरकार या प्रशासननक प्रानधकारी द्वारा प्रानधकृत नकया, ऐसे संयंत्र, संस् थापनों, पाइपिइन, केबि, जिमागा, इंजन, मशीनरी और सुनिधाओं को ननमग् त कसे, चिाने, खडा करने,

ननमाण करने, रखरखाई करने और उपयोग करने की शक्ति होगी, जो आशयक समझा जाए:

प- तु, ऐसी शक्ति के प्रयोग में इन प्रस् तुनत यों के अघीन पट्टेदार के अनधकारों में कोई पयाप्त बाधा या हतुतक्षेप नहीं नकया जाएगा और उनचत प्रनतकर, नजस पर पारस्पररक सहमनत हो या असहमनत की क्तस्थनत में, जो प्रशासननक प्रानधकारी द्वारा निनननश्चत की जाए है, को संदत् त करेगा,—

- (i) ऐसे अनुज्ञक्तप् तधारी या पट्टेदार या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा पट्टेदार को, यथाक्तस्थनत, केंद्रीय सरकार द्वारा इस शक्ति के प्रयोग के कारण पट्टेदार को हुई नकसी हानन या नुकसान के लिए, क्षनतपूनता;
- (ii) केंद्रीय सरकार द्वारा इस शक्ति के प्रयोग के कारण ऐसे अनुज्ञक्तप् तधारी या पट्टेदार या ऐसे अन्य व्यक्ति को हुई नकसी हानन या नुकसानी के लिए पट्टेदार द्वारा ऐसे अनुज्ञक्तप् तधारी या पट्टेदार या ऐसे अन्य व्यक्ति को, प्रनतपूनता के लिए; और

(v) सरकारी प्रानधकरण द्वारा स यक रूप से प्रानधकृत नकसी अन्य अनुज्ञक्तप् तधारी, पट्टेदार या प्रचािक को उि क्षेत्रों में प्रिश करने और पेटरोनियम या प्राकृतक गैस ननकािने के प्रयोजनों के लिए पाइपिइन नबछाने या पंनपंग स्टेशन स्थानपत करने की शक्ति प्रदान करने और पट्टांतरण करने की शक्ति है, ऐसे अनुज्ञक्तप् तधारी, पट्टेदार या सरकारी प्रानधकरण द्वारा स यक रूप से प्रानधकृत प्रचािक द्वारा और पट्टेदार नकसी भी पेटरोनियम संनियाओं या अपतट पिन ऊजाा पररयोजनाओं से संबंनधत नकसी भी संनिया या ऐसे अन्य संनिया में बाधाओं या हतुतक्षेप से बचाि के लिए अपने सित्तम प्रयासों का उपयोग करेगा, जो पट्टा क्षेत्र के भीतर सरकारी प्रानधकरण द्वारा स यक् प्रानधकृत प्रचािक द्वारा नकए जा रहे ह; या नकए जाने का प्रतुताि है।

[भागII—खण् ड3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण

71

3.3. यनद केंद्रीय सरकार नकसी खननज के संबंध में अपने अग्रिय के अनधकार का प्रयोग करने की इच्छुक है, तो केंद्रीय सरकार अग्रिय के समय निधमान जो ननदेशािय द्वारा प्रकानशत की जाए, ऐसे खननजों के औसत नििय कीमत का भुगतान करेगी।

3.4. युद्ध या आपातकाि की क्तस्थनत, के अक्तुतत् ि की घटना (नजसके अक्तुतत्व के लिए भारत के राष्ट्रपनत एकमात्र न्यायाधीश होंगे और भारत के राजपत्र में इस आशय की अनधसूचना ननणायक सबूत होगी) केंद्रीय सरकार को उि अनध के दौरान सभी समय (पट्टेदार या पट्टेदारों को निक्तखत में सूचना द्वारा प्रयोग नकया जाने िािा) पट्टा क्षेत्र या इस पट्टे के अघीन संनियाओं के संबंध में पट्टेदार के जियानों, संस् थापनों, लेटेफामों, पाइपिइनों, संयंत्रों, मशीनरी, उपस् करों और पररसर को तुरंत अपने कब्जे में िेने और ननयंत्रण करने का अनधकार होगा और ऐसे कब्जे या ननयंत्रण के दौरान, पट्टेदार ऐसे जियानों, संस् थापनों, लेटेफामों, पाइपिइनों, संयंत्रों, मशीनरी, उपस् करों, पररसरों और खननजों के उपयोग के ननयोजन के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा या उसकी ओर से नदए गए सभी ननदेशों का पाििन करेगा अधाररत, प-तु उनचत प्रनतकर, जो नक केंद्रीय सरकार द्वारा समझौते के चूक में अधाररत नकया जाएगा, पट्टेदार को इस खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के कारण या उसके पररणामस्वरूप उसे/उन्हें हुई सभी हानन या नुकसान के लिए संदत् त नकया जाएगा और परंतु यह भी नक ऐसी शक्ति का प्रयोग दी गई उि अनध को समाप्त नहीं करेगा या इस खंड की शतों और उपबंधों को प्रभानित नहीं करेगा।

3.5. पट्टेदार को दी जाने िािी प्रत्येक सूचना निक्तखत रूप में ऐसे व्यक्ति को दी जाएगी नजसे पट्टेदार द्वारा नामनननदा ट नकया जा सकता है और ऐसे नामांकन की सूचना निक्तखत रूप में प्रशासननक प्रानधकारी को दी जाएगी। यनद ऐसा कोई नामांकन नहीं नकया जाता है तो पट्टेदार को सूचना रनजस् तरीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या ई-मेि द्वारा पट्टे के लिए आिेदन में दशाए गए पते पर या भारत में ऐसे अन्य पते पर भेजा जाएगा नजसे पट्टेदार अनभनहत करे और ऐसी प्रत्येक सेिा पट्टेदार

पर उनचत और निनद्यमा य सेिा मानी जाएगी और उस पर उसके द्वारा प्रश्न नहीं उठाए जाएंगे या उसे चुनौती नहीं दी जाएगी।

3.6. यनद नकसी भी घटना में प्रशासननक प्रानधकारी के आदेशों को केंद्रीय सरकार द्वारा अपतट क्षेत्र परमाणु खननज संनिया संबंधी अनधकार ननयम, 2025 के अधीन कायािाही के अनुसरण में पुनरीनक्षत, समीक्षा या रद्द नकया जाता है, तो पट्टेदार इन उपबंधों द्वारा पट्टेदार को प्रदत्त शक्तियों और निशेषानधकारों के प्रयोग में पट्टेदार को हुए नकसी भी नुकसान के लिए प्रनतकर का हकदार नहीं होगा।

4. अपररहाया घटना

4.1. इस खंड में "अपररहाया घटना" से दैिीय कृत्य, युद्ध, निद्रोह, दंगा, नागरक उपद्रि, हडताि, भूकंप, तूफान, ज्वार की िहर, बाढ, नबजी, निस्फोट, आग, या कोई अन्यघटना से अनभप्रेत है नजसे पट्टेदार उनचत रूप से रोक या ननयनत्रत नहीं कर सकता।

4.2. पट्टेदार द्वारा इस पट्टे की नकसी भी शता को पूरा करने में असफिता से केंद्रीय सरकार को पट्टेदार के निरुद्ध कोई दािा प्राप्त नहीं होगा या इसे इस पट्टे का उलंघन नहीं समझा जाएगा, जहां तक केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसी असफिता को अपररहाया घटना से उत्पन्न माना जाता है, और यनद पट्टेदार द्वारा इस पट्टे की नकसी भी शता को पूरा करने में अपररहाया घटना से देरी होती है, तो ऐसी देरी की अनध को इस पट्टे द्वारा ननयत अनध में जोड नदया जाएगा।

4.3. प्रशासननक प्रानधकारी या केंद्रीय सरकार, नकसी रीनत से, नकसी अपररहाया घटना के घनटत होने या अक्तुतत्व में आने से उत्पन्न होने िािी नकसी हानन के लिए पट्टेदार के प्रनत दायी नहीं होगी।

5. शाभस त भवभध

इस पट्टे और इसके ननिाचन के सभी प्रश्ों को भारत के तत् समय प्रित् त निनधयों के अनुसार समझा जाएगा। अनधननयम की धारा 28 में नननहत उपबंधों के अधीन, इस नििेख के अधीन उद्भूत होने िािे नििादों पर नई नदली के यायाियों की अन्य अनधकाररत होगा। नजसके साक्ष्य में [स्थान का नाम] पर [तारीख] को सांप्रनतक ननष्पानदत नकए गए ह;।

अनुसूची I: उत्पादन पट्टे का िेत्र

(अपतट क्षेत्र, नजसके अंतगात् अक्षांश और देशांतर भी है, का नििरण उपबंनधत नकया जाना है।)

प्ररूप ड

अंतरण आवेदन का रूपभवद्यान

[ननयम 19 (2) देक्तखए]

सेिा में,

[पता]

म:/हम संयुक् त अनुज्ञक्तप् त या उत्पादन पट्टे के अंतरण के लिए अनुरोध करते ह;।

ि. सं.	मद के ब यौरे	भवभशभष्ट
(1)	(2)	(3)
1.	अंतरक का नाम	
2.	अंतरक का पता	
3.	अंतररती का नाम	
4.	अंतररती का पता	
5.	उत्पादन पट्टा या संयुक् त अनुज्ञक्तप् त संख्या	
6.	नकसी भी सरकारी प्रानधकरण द्वारा अनुदत् त अनुज्ञक्तप् त या पट्टे, नजसके अंतगात् पेटरोनियम और प्राकृतक गैस या पिन ऊजाा पररयोजना, या आिेदन नकए गए क्षेत्र में निद्यमान पत् तन, केबि, पाइपिइन जैसी कोई असंरचना संबंधी पररयोजनाएं भी ह;, की	

7.	संयुक्त अनुज्ञाप त या उत्पादन पट्टे के रनजस् टरीकरण की तारीख	
8. ्	ा अंतररती अनधननयम और तद्धीन बनाए गए ननयमों के उपबंधों के अनुसार संयुक्त अनुज्ञाप त या उत्पादन पट्टा रखने के लिए पात्र है?	हां/नहीं
9.	अंतररती द्वारा देय प्रनतफि, नजसके अंतगात् पहि से नकए गए खोज संबंधी संनियाएं तथा संनियाओं के दौरान सृजत ररपोटा और डाटा के संबंध में प्रनतफि भी है।	
10. ्	ा अंतररती, तत्समय प्रित्त नकसी निनध के अधीन सभी शतों और दानयत्वों को स्वीकार करने के लिए सहमत है, नजनके अधीन अंतरक, ऐसे संयुि अनुज्ञाप त या उत्पादन पट्टे के सम्बन्ध में था।	हां/नहीं

हम घोषणा करते ह; नक ऊपर नदए गए निरिण सही ह; और हम अन्य ब यौरे भी देने के लिए तैयार ह;, जो आपके द्वारा अपेक्षित हो।

[भागII—खण् ड3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण

73

अंतररती और अंतरक संयुि अनुज्ञाप त या उत्पादन पट्टे के अंतरण के संबंध में अनधननयम की धारा 13ख और अपतट क्षेत्र परमाणु खननज संनिया संबंधी अनधकार ननयम, 2025 के उपबंधों का अनुपािन करने का भी िचन देते ह;।

भिदीय,
अंतर
क

.....

.....

अंतररती

.....

स् थान:

तारीख:

आवेदकों के भलए अनुदेश:

- यनद आिेदक कोई कंपनी है तो आिेदन आिेदक के स यक् रूप से प्रानधकृत प्रनतननध द्वारा हतुताक्षरत होना चानहए।
- आिेदक के प्रानधकृत हतुताक्षरी (जो एक कंपनी है) का ननगनमत प्रानधकरण आिेदन के साथ संिग्न नकया जाना चानहए। ऐसे ननगनमत प्रानधकरण में नकसी भी पररितान की सूचना तुरंत केंद्रीय सरकार को दी जानी चानहए।
- अनधननयम और तद्धीन बनाए गए ननयमों के उपबंधों के अनुसार संयुि अनुज्ञाप त या उत्पादन पट्टा रखने के लिए अंतररती की पात्रता की पुनष्ट करने के लिए दतुतािेजी साक्ष्य आिेदन के साथ प्रतुतुत नकया जाना चानहए।

प्ररूप च अंतरण भवलेख का रूपभवद्यान

भाग क

संयुक्त अनुज्ञप्त त के भलए अंतरण भवलेख का रूपभवद्यान[ननयम 19 (6) देक्तखए]

अंतरण नििेख (भवलेख) इस [नदन] [मास], [िषा] के बीच बनाया जाता है:

- (सरकार का नाम), नजसका कायाािय [सरकार का पता+ पर है (नजसे इसमें इसके पश् चात् अंतरककहा गया है, नजस पद के अंतगात्, जहां संदभा ऐसा स्वीकार करता है, उनके उत्तरानधकारी और समनुदेनशती भी सक्तिनित समझे जाएंगे); या

(सरकारी कंपनी का नाम), (नजस अनधननयम के अधीन ननगनमत नकया गया) के अधीन रनजस् टरीकृत कंपनी है और नजसका रनजस् टरीकृत कायाािय [पता] पर है (नजसे इसमें इसके बाद **अंतरक** कहा गया है, नजस पद के अंतगात् जहां संदभा ऐसा स्वीकार करता है, उसके उत्तरानधकारी और अनुज्ञात समनुदेनशती सक्तिनित समझे जाएंगे); या

(ननगम का नाम), [ननगम के ंानून/निननयम अंतः स् थानपत करें] के सक्तिनित समझे जाएंगे भारत में स यक् रूप से ननगनमत और इसका रनजस् टरीकृत कायाािय [पता] पर है (नजसे इसमें इसके पश् चात् **अंतरक** कहा गया है, नजस पद के अंतगात् जहां संदभा ऐसा स्वीकार करता है, उसके उत्तरानधकारी और अनुज्ञात समनुदेनशती समझे जाएंगे) पहि पक्ष के रूप में;

और

2. (सरकार का नाम), नजसका कायाािय [सरकार का पता] पर है (नजसे इसमें, इसके पश् चात् **अंतररती** कहा जाएगा, नजस पद के अंतगात् जहां संदभा ऐसा स्वीकार करता है, उसके उत्तरानधकारी और अनुज्ञात समनुदेनशती भी सक्तिनित समझे जाएंगे); या

(सरकारी कंपनी का नाम), (अनधननयम नजस के अधीन ननगनमत नकया गया) के अधीन रनजस् टरीकृत कंपनी है और नजसका रनजस् टरीकृत कायाािय [पता] पर है (नजसे इसके पश् चात् **अंतररती** कहा गया है, नजस पद के अंतगात् जहां संदभा ऐसा स्वीकार करता है, उसके उत्तरानधकारी और अनुज्ञात समनुदेनशती सक्तिनित समझे जाएंगे); या

(ननगम का नाम), [ननगम के ंानून/निननयम अंतः स् थानपत] के अधीन भारत में स यक् रूप से ननगनमत और इसका रनजस् टरीकृत कायाािय [पता] पर है (नजसे इसमें इसके पश् चात् **अंतररती** में संदनभात नकया जाएगा, नजस पद के अंतगात् में जहां संदभा ऐसा स्वीकार करता है, उसके उत्तरानधकारी और अनुज्ञात समनुदेनशती सक्तिनित समझे जाएंगे) दूसरे पक्ष के रूप में;

और

3. भारत के राष्ट्रपत, प्रशासनक प्राणधकारी के माध्यम से काया करते हुए, (नजसे इसमें इसके पश् चात् **केंद्रीय सरकार** कहा गया है, नजस पद के अंतगात् जहां संदभा ऐसा स्वीकार करता है, उत्तरानधकारी और समनुदेनशती भी सक्तिनित समझे जाएंगे) तीसरे पक्ष के रूप में।

यतः

क. अंतरक को केंद्रीय सरकार द्वारा संयुि अनुज्ञक्तप् त अनुरत् त की गई है नजसके संबंध में केंद्रीय सरकार और अंतरक ने संयुि अनुज्ञक्तप् त की खोज अनुज्ञक्तप् त नििेख तारीख [तारीख] को ननष्पानदत नकया है और संयुि अनुज्ञक्तप् त के संबंध में [पता] के उप-रनजस् टरार कायाािय में [तारीख] को सं. [संख्या] के रूप में रनजस् टरीकृत नकया है (सामूनहक रूप से **ररयायत दस्तावेज**) और इसे **उपाबंध क** के रूप में संिग्र नकया गया है।

ख. ररयायत दतुतािेजों के अनुसार, अंतरक ररयायत दतुतािेजों की अनुसूनचयों में िनणात अपतट क्षेत्र में खोज संबंधी सनिया करने का हकदार है (निशेष रूप से **उपाबंध ख में उपवाभषात**) (**अनुज्ञप्त त िेत्र**), नकराए और स् िानमस् िों के भुगतान और अंतरक की प्रसंनिदा और ररयायत दतुतािेजों में ननबंधनों के पािनि और नन्पादन के अधीन है, नजसके अंतगात् िागू निनधयों के उलूधन में संयुक् त अनुज्ञक्तप् त को अंतररती न करने की प्रसंनिदा भी है।

ग. अंतरक ने अपने तारीख [तारीख] के अंतररत आिेदन पत्र के अनुसरण में, अंतररती को संयुक् त अनुज्ञक्तप् त के अंतररत के संबंध में अनुमोदन के लिए प्रशासनक प्राणधकारी से अनुरोध नकया है।

घ. प्रशासनक प्राणधकारी ने अपने तारीख [तारीख] के पत्र के अनुसरण में, इस नििेख में अंतनिा ट ननबंधनों और शतों के अंतररती द्वारा अनुपािनि के अंतररत आिेदन पर अपना अनुमोदन प्रदान कर नदया है।

अब यह भवलेख भनम् न प्रकार साभित करता है:

1. बड़े अक्षरों में पदों जो इस निष्पत्ति में प्रयुक्त नकानुत्तरभरणन नहीं है, जब तक नक संदभा से अन्यथा अपेनक्षत न हो, िही अथा होंगे जो यथाक्तस् थनत, ररयायत दतुतांिजों या अपतट क्षेत्र खननज (निकास और निननयमन) अनधननयम, 2002 (2003 का 17) (**अभधभनयम**) और बनाए गए ननयमों, में ह;।
2. अंतररती केंद्रीय सरकार के साथ प्रसनिदा करता है नक संयुक् त अनुक्तज्ञत के अंतरण और समनुदेशन से और उसके पश्चात् अंतररती से प्रसनिदाओं के सभी उपबंधों, ररयायत दस् तांिजों में अंतर्निा ट अनुबंधों और शतों से उसी रीनत में सभी आबद्ध होंगे, और उनका पांिन संपादन करेंगे तथा स मत होंगे और उनके अध् यधीन होंगे, मानो संयुक् त अनुक्तज्ञत तद्धीन पट्टेदार के रूप में अंतररती को अनुदत की गई है और उसने मूित: ररयायत दस् तांिज उस रूप में ननपानदत नकए थे ।

[भागII—खण् ड3(i)]

भारत का रांिपत्र : असाधारण

75

3. एक पक्षकर के रूप में अंतरक तथा दूसरे पक्षकार के रूप में अंतररती द्वारा यह और करार नकया जाता है, तथा घोनषत नकया जाता है नक:
 - 3.1. अंतररती और अंतरक यह घोषणा करते ह; नक अंतररती उन सभी पात्रता शतों को पूरा करता है और पूरा करता रहेगा, नजन्हें संयुक् त अनुज्ञक्तप् त के अनुदान के लिए अंतरक द्वारा पूरा नकया जाना अपेनक्षत था।
 - 3.2. अंतरक और अंतररती यह घोषणा करते ह; नक उन्होंने यह सुनननक्षत कर निया है नक उस अनुज्ञक्तप् त क्षेत्र नजसके लिए संयुि अनुज्ञक्तप् त की जा रही है, उस पर खननज अनधकार केंद्रीय सरकार में नननहत नकए जा रहे ह;।
 - 3.3. अंतररती यह अनभस्वीकार करता है नक उसने ररयायत दतुतांिजों की एक प्रनत प्राप्त कर िी है और उसे पढ निया है तथा समझ निया है, ि यह प्रसनिदा करार और पुनष्ट करता है नक िह ररयायत दतुतांिजों के सभी उपबंधों द्वारा आबद्ध होगा, यह उसका मूि पक्षकार हो।
 - 3.4. अंतरक यह घोषणा करता है नक उसने अब अंतररत की जा रही संयुि अनुज्ञक्तप् त को समनुदेनशत नहीं नकया है या नकसी अन्य रीनत में अंतररत नहीं नकया है तथा यह नक नकसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का कोई अनधकार, हक या नहत नहीं है नजसके अधीन ितामान में संयुि अनुज्ञक्तप् त को अंतररत नकया जा रहा है।
 - 3.5. अंतररती यह घोषणा करता है नक उसने सभी शतों और दानयत्वों को स्वीकार कर निया है नजसको अंतरक ऐसे संयुि अनुज्ञक्तप् त के संबंध में रखता था।
 - 3.6. अंतररती यह भी घोषणा करता है नक िह या यह नित् तीय रूप से सक्षम है और खोज संबंधी संनिया सीधे तौर पर करेगा।
 - 3.7. अंतरक ने अंतररती को अनुज्ञक्तप् त क्षेत्र में अनभत् यनज्ञत खुदाई के सभी माननचत्रों, खंडों और योजनाओं की मूि या प्रमानणत प्रनतयां उपिब्ध करा दी ह;।

- 3.8. इसके अनंतररि अंतररती यह भी घोषणा करता है नक इस अंतरण के पररणामस्वरूप, संनिया संबंधी अनधकारों के अधीन उसके या इसके द्वारा धाररत कुि क्षेत्रफि अनधननयम या तद्धीन बनाए गए ननयमों के उपबन्धों का उल्लंघन नहीं हुआ।
- 3.9. अंतरक ने संयुि अनुज्ञप्त त के संबंध में केंद्रीय सरकार को आज की तारीख तक सभी नकराये, स् िानमस् ि और अन्य बकाया रानश संदत् त कर दी है।

साक्ष्य स्वरूप पक्षकारों ने सािप्रथम ऊपर निखी तारीख और िषा को हतुताक्षर कर नदए ह;।

केंद्रीय सरकार के निए और उसकी ओर से:

नाम: _____

पदनाम: _____

अंतरक के निए और उसकी ओर से:

नाम: _____

अंतररती के निए और उसकी ओर से:

नाम: _____

उपाबंध क :
ररयायत दस्तावेजों की
प्रभत

उपाबंध ख :
संयुक् त अनुज्ञप्त त का अवस् थान और िेत्र

[क्षेत्र की निनशनष्टयां, नजसके अंतगात् भू-ननदेशांक, अक्षांश और देशांतर भी है उपबंनधत नकया जाना है।]

भाग ख
उत्पादन पट्टे के भलए भवलेख का
रूपभवधान

[ननयम 19 (6) देक्खए]

अंतरण नििेख (भवलेख) इस [नदन] [मास], [िषा] के बीच बनाया जाता है:

1. (सरकार का नाम), नजसका कायाािय [सरकार का पता+ पर है (नजसे इसमें इसके पश् चात् अंतरक कहा गया है, नजस पद के अंतगात्, जहां संदभा ऐसा स्वीकार करता है, उनके उत्तरानधकारी और अनुज्ञात समनुदेनशती भी सक्तिनित समझे जाएंगे); या
(सरकारी कंपनी का नाम), (नजस अनधननयम के अधीन ननगनमत नकया गया) के अधीन रनजस् टरीकृत कंपनी है और नजसका रनजस् टरीकृत कायाािय [पता] पर है (नजसे इसमें इसके पश् चात् अंतरक कहा गया है, नजस पद के अंतगात् जहां संदभा ऐसा स्वीकार करता है, उसके उत्तरानधकारी और अनुज्ञात समनुदेनशती सक्तिनित समझे जाएंगे); या
(ननगम का नाम), [ननगम के ंानून/निननयम अंत: स् थानपत को] के अधीन भारत में स यक रूप से ननगनमत और इसका रनजस् टरीकृत कायाािय [पता] पर है (नजसे इसमें इसके पश् चात् "अंतरक" रूप कहा गया है, नजस पद के अंतगात् जहां संदभा ऐसा स्वीकार करता है, उसके उत्तरानधकारी और अनुज्ञात समनुदेनशती सक्तिनित समझे जाएंगे) पहि पक्ष का;

और

2. (सरकार का नाम), नजसका कायाािय [सरकार का पता+ पर है (नजसे इसमें इसके पश् चात् अंतररती कहा गया है, नजस पद के अंतगात्, जहां संदभा ऐसा स्वीकार करता है, उसके उत्तरानधकारी और अनुज्ञात समनुदेनशती सक्तिनित समझे जाएंगे); या

(सरकारी कंपनी का नाम), (नजस अनधननयम के अधीन ननगनमत नकया गया) के अधीन रनजस् टरीकृत कंपनी है और नजसका रनजस् टरीकृत कायाािय [पता] पर है (नजसे इसमें इसके बाद अंतररती कहा गया है, नजस पद के अंतगात जहां संदभा ऐसा स्वीकार करता है, उसके उत्तरानधकारी और अनुज्ञात समनुदेनशती सक्तिनित समझे जाएंगे); या

(ननगम का नाम), [ननगम के ंानून/नननयम अंतस् थनपत] के अधीन भारत में स यक रूप से ननगनमत और इसका रनजस् टरीकृत कायाािय [पता] पर है (नजसे इसमें इसके बाद अंतररती कहा गया है, नजस पद के अंतगात जहां संदभा ऐसा स्वीकार करता है, उसके उत्तरानधकारी और समनुदेनशती सक्तिनित समझे जाएंगे) दूसरे पक्ष का;

और

3. भारत के राष्ट्रपनत, द्वारा प्रशासननक प्रानधकारी के माध्यम से काया करते हुए, (नजसे इसमें इसके पश् चात् **केंद्रीय सरकार** कहा गया है, नजस पद के अंतगात, जहां संदभा ऐसा स्वीकार करता है, उत्तरानधकारी और समनुदेनशती भी स मनित समझे जाएंगे) तीसरे पक्ष के रुप मे ।

[भागII—खण् ड3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण

77

जबभक:

क. अंतरक को केंद्रीय सरकार द्वारा उत्पादन पट्टा अनुदत् त नकया गया है नजसके संबंध में केन्द्रीय सरकार और अंतरक ने ननष्पानदत नकया है: (क) अपतट खननज निकास और उत्पादन करार, तारीख [तारीख]; और (ख) उत्पादन पट्टे के संबंध में [पता] के [उप-रनजस् टरार] कायाािय में [तारीख] को [संख्या] के रूप में रनजस् टरीकृत एक पट्टा नििेख (नजसे सामूनहक रूप से ररयायती दतुतािेज कहा गया है) और इसे **उपाबंध क** के रूप में संिग्न नकया गया है।

ख. ररयायत दतुतािेजों के अनुसार, अंतरक ररयायत दतुतािेजों की अनुसूचियों में िनणात अपतट क्षेत्र (निशेष रूप से **उपाबंध ख** में उषिणनता) (**पट्टा िेत्र**) में (खननजों के नाम) के संबंध में अपतट खानों और खननजों की खोज, अनधग्रहण और काया करने का हकदार है, जो नक नकराए और स् िानमस् ि के भुगतान और अंतरक के प्रसंनिदा और ररयायत दतुतािेजों में शतों के पाििन और अभ यपाण के अधीन है, नजसमें िागू निनधयों के उलूधन में उत्पादन पट्टे को अंतररत नहीं करने का प्रसंनिदा भी है।

ग. अंतरक ने अपने तारीख [तारीख] के अंतरक आिेदन पत्र के अनुसरण में, अंतररती को उत्पादन पट्टे के अंतरक के संबंध में प्रशासननक प्रानधकारी से अनुमोदन के लिए अनुरोध नकया है।

घ. प्रशासननक प्रानधकारी ने अपने तारीख [तारीख] के पत्र के अनुसरण में इस नििेख में अंतनिा ट ननबंधनों और शतों के अंतररती द्वारा अनुपाििन के अध् यधीन रहते हुए अंतरक के आिेदन पर अपना अनुमोदन प्रदान कर नदया है।

अब यह भवलेख भनम् न प्रकार साभित करता है:

1. जों बडे अक्षरों िािे पदों के इस नििेख में प्रयुि नकन्तु पररभानषत नहीं है, जब तक संदभा से अन्यथा अपेनक्षत न हो, िही अथा होंगे जो यथाक्तस्थनत, ररयायत दतुतािेजों या अपतट क्षेत्र खननज (निकास और निननयमन) अनधननयम, 2002 (2003 का 17) (**अभधभनयम**) और तद्धीन बनाए गए ननयमों में है।

2. अंतररती केंद्रीय सरकार के साथ प्रसंनिदा करता है नक उत्पादन पट्टे के अंतरण और समनुदेशन से और उसके पश् चात् अंतररती सभी प्रसंनिदाओं के सभी उपबंधों ररयायत दस् तािेजों में अंतनिा ट अनुबंधों और शतों से उसी रीत न में सभी आबद्ध होंगे, और उनका पाििन संपादन करेंगे तथा स मत होंगे और उनके अध् यधीन होंगे, मानों उत् पादन पट्टे ताकीन पट्टेदार के रुप में अंतररती को अनुदत् त की गई हो और उसने मूित: ररयायत दस् तािेज उस रुप में नन्पानदत नकए थे।

3. एक पक्षकार के रुप में अंतरक तथा दूसरे पक्षकार के अंतररती द्वारा यह और करार नकया जाता है तथा घोनषत नकया जाता है नक:

3.1. अंतररती और अंतरक यह घोषणा करते ह; नक अंतररती उन सभी पात्रता शतों को पूरा करता है और पूरा करता रहेगा, नजन्हें उत्पादन पट्टा के अनुदान के लिए अंतरक द्वारा पूरा नकया जाना अपेनक्षत था।

- 3.2. अंतरक और अंतररती यह घोषणा करते ह; नक उन्होंने यह सुनननश्रत कर निया है नक उस पट्टा क्षेत्र के लिए उत्पादन पट्टा अंतररत नकया जा रहा है, उस पर खननज अनधकार केंद्रीय सरकार में नननहत ह;।
- 3.3. अंतररती यह अनभस्वीकार करता है नक उसने ररयायत दतुतांिेजों की एक प्रनत प्राप्त कर िी है, तथा उसे पढ निया है और समझ निया है, तथा यह प्रसंनिदा, करार पुनष्ट करता है नक िह ररयायत दतुतांिेजों के सभी उपबंधों द्वारा आबद्ध होगा, मानो िह उसका मूि पक्षकार हो।
- 3.4. अंतरक यह घोषणा करता है नक उसने अब अंतररत नकए जा रहे उत्पादन पट्टे का समनुदेनशत नहीं नकया है या नकसी अन्य रीती अंतररत नहीं नकया है तथा यह नक नकसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का कोई अनधकार, हक या नहत नहीं है नजसके अधीन ितामान में उत् पादन पट्टे को अंतररत नकया जा रहा है।
- 3.5. अंतररती यह घोषणा करता है नक उसने उन सभी शतों और दानयत्वों को स्वीकार कर निया है नजनको अंतरक ऐसे उत्पादन पट्टे के संबंध में रखता था।
- 3.6. अंतरक ने अंतररती को पट्टा क्षेत्र में अनभत्ति कार्यों के सभी माननचत्रों, खंडों और योजनाओं की मूि या प्रमानणत प्रनतयां अंतररती को उपिब्ध करा दी ह;।
- 3.7. अंतररती इसके अनतररि यह भी घोषणा करता है नक इस अंतरक पररणामस्वरूप, संनिया संबंधी अनधकारों के अधीन उसके द्वारा धाररत कुि क्षेत्रफि अनधननयम या तद्धीन बनाए गए ननयमों के उपबन्धों का उलूघन नहीं हुआ है।
- 3.8. अंतरक ने उत्पादन पट्टे के संबंध में केंद्रीय सरकार को आज की तारीख तक का सभी नकराया, स् िानमस् ि तथा अन्य बकाया रानश भुगतान कर दी है।
- नजसके साक्ष्य स्वरूप पक्षकारों ने सिाप्रथम ऊपर निखी तारीख और िषा को हतुताक्षर कर नदए ह;।
- केंद्रीय सरकार के लिए और उसकी ओर से:

नाम: _____

पदनाम: _____

अंतरक के लिए और उसकी ओर से:

नाम: _____

अंतररती के लिए और उसकी ओर से:

नाम: _____

उपाबंधक ररयायत दस्तावेजों की प्रभत

उपाबंध ख

उत्पादन पट्टे का अिस्थान और क्षेत्र

[क्षेत्र की निनशनष्टयां भू-ननदेशांक, अक्षांश और देशांतर भी है उपबंनधत नकया जाना है]

प्ररूप छ

संयुक् त अनुज्ञप्त त या उत्पादन पट्टे के अंतरण की सूचना

[ननयम 19 (9) देक्तखए]

प्ररूप भरने के भलए महत्पूणा अनुदेश

- यह प्ररूप स यक रूप से भरा हुआ, ननयम के भीतर यथानिनननदाष्ट संबंनधत प्रानधकाररयों के पास, ऐसे अंतरण की तारीख से तीस नदन की अनध के भीतर, ऑनलाइन या ईमेि द्वारा पहुंच जाना चानहए।
- प्ररूप पर संबंनधत व्यक्ति द्वारा नडनजटि हतुताक्षर नकए जाएं।

[भागII—खण्ड 3(i)]

भारत का राष्ट्रिय : असाधारण

79

1.	संभिया संबंधी अभधकार का प्रकार				जाँचें जो लागू है (सूचना प्रणाली द्वारा सृभजत की जाएगी) (सूचना प्रणाली द्वारा सृभजत की जाएगी) (सूचना प्रणाली द्वारा सृभजत की जाएगी) (सूचना प्रणाली द्वारा सृभजत की जाएगी) आधार संख्या/रनजस् टरीकरण संख्या पासपोटा संख्या/जीएसटी संख्या मोबाइल नंबर
	(क) उत्पादन पट्टा				
	(ख) संयुक्त अनुज्ञप्त त				
2.	भारतीय खान ब यूरो रभजस् टरीकरण				
3.	भवभशस् ट भारतीय खान ब यूरो संभिया संबंधी अभधकार संिा				
	उत्पादन पट्टा कोड				
	संयुक्त अनुज्ञप्त त कोड				
4.	खान कोड				
5.	खान का नाम				
6.	खभनज या खभनजों के नाम भजसके भलए संयुक्त अनुज्ञप्त त या उत्पादन पट्टा अनुदत्त भकया गया है				
7.	संभिया संबंधी अभधकार धारक का नाम और पता				
8.	संभिया संबंधी अभधकार की भवभशभष्टियां				
9.	पट्टा िेत्र/अनुज्ञप्त त िेत्र का स्थान				
10.	अतररती या समनदभशती का नाम और पता				
	नाम	पता	ईमेल	पैन नंबर	
	क पाभधा पत ि				
11.	कारी दारा माक और त जारी अतरण ारीख				
स्थान:					हस्तािर
तारीख:					पूरा नाम:
					पद :स् वामी/भूभवज्ञानी/खनन इंजीनयर

प्ररूप ज

अपील ज्ञापन का रूपभवद्यान

[ननयम 26 (1) देक्तखए]

सेिा में,

[पता]

म;/हम ननम्रनिक्तखत निनशनष्टियों के साथ ननम्रनिक्तखत अपीि प्रतुतुत करता हं/
करते ह;।

सं. (1)	मद के ब्यौरे (2)	भवभशभष्टयां (3)
1.	अपींाथी का नाम	
2.	अपींाथी का पता	
3.	अपींाथी की प्राक्तस्थनत - सरकार - सरकारी कंपनी - ननगम	
4.	अपीं निनननदाष्ट समयािनध के भीतर फाई की गई है?	हां/नहीं
5.	यनद नहीं, तो निनननदा ट समय सीमा के भीतर प्रतुतुत न करने तथा देरी के लिए क्षमा मांगने के कारण हः?	
6.	अपीं का प्रयोजन	
7.	अपींाथी नन ननिक्तखत निनननदा ट करें— (क) अपींाथी को आदेश की संसूचना की संख्या और तारीख तथा आदेश पाररत करने िािा प्राणधकारी नजसके निरुद्ध अपीं की गई है; (ख) क या यह संयुक् त अनुज्ञक्तप् त या उत्पादन पट्टे के संबंध में है; (ग) कोई अरु निषय	
8.	अपीं के लिए देय फीस	
9.	ब;क का नाम, मांगदेय डराफ्ट या चािान संख्या तथा तारीख, नजसके माध्यम से फीस का भगतान नकया गया है।	
10.	खननज या खननजों नजसके लिए अपीं फाई की गई है	
11.	उस क्षेत्र का ब्यौरा नजसके संबंध में अपीं फाई की गई है (क्षेत्र को किर करने िािे अक्षांश और देशांतर बताएं)।	
12.	अनभयोनजत पक्षकार/पक्षकारों का नाम और पूरा पता	
13.	अपीं ज्ञापन की संिग्न प्रनतयों की संख्या (यनद नकसी पक्षकार को पक्षकार नहीं बनाया गया है तो अपीं ज्ञापन की तीन प्रनतयां प्रतुतुत की जाएं। इसके अनतररि, प्रत्येक पक्षकार के लिए एक अनतररि प्रनतयों की जानी है)	
14.	अपीं के आधार	
15.	मांगी गई प्राथाना(एँ)	

म;हम घोषणा करता ह/करते ह; नक ऊपर दी गई निनशनष्टयां सही ह; और अ्य ब यौरे जो आपके द्वारा अपेनक्षत हो/भी प्रस् तुत करने के लिए तैयार हूँ/ह;।

भिदीय,
अपींाथी के

हतुताक्षर स् थान:

तारीख:

[भागII—खण् ड3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण

81

अपीलाभथाओं के भलए अनुदेश.—

(क) यनद अपींाथी कोई कंपनी है तो अपीं पर अपींाथी के स यक् रूप से प्राणधकृत प्रनतनननध द्वारा हतुताक्षर

नकए जाएंगे।

(ख) अपींाथी के प्राणधकृत हस् ताक्षरी (जो सरकार, सरकारी कंपनी या ननगम है) का ननगम प्राणधकार पत्र अपीं

के साथ संिग्न नकया जाना चानहए। ऐसे ननगम प्राणधकार पत्र में नकसी भी पररितान की सूचना प्रशासननक

प्रानधकारी को तुरंत दी जानी चानहए।

प्ररूपझ

भवभशभष्ट्यों में पररवतान की सूचना

[ननयम 31 देक्तखए]

सेिा में,

1. परमाणु ऊजाा निभाग, अणुशक्ति भिन, मुंबई
2. प्रशासननक प्रानधकारी

प्ररूप भरने के भलए महत्पूणा अनुदेश

इस प्ररूप में सूचना इस प्रकार भेजी जाएगी नक िह नाम और पते में पररितान की तारीख से साठ नदन के भीतर संबंनधत प्रानधकारर्यों तक पहुंच जाए।

1.	(i) खोज संबंधी संनियाओं या उत्पादन संनियाओं के लिए खननज (खननजों) का नाम	
	(ii) अन्य खननजों के नाम, यनद कोई हों, नजनके लिए संयुि अनुज्ञक्तप् त या उत्पादन पट्टा अनुदत् त नकया	
2.	(i) खान का नाम	
	(ii) खानों के नाम में पररितान, यनद कोई हो: (पुराना नाम और पररितान का कारण उपदनशात करें)	
3.	(i) अनुज्ञक्तप् तधारी या पट्टेदार या स्वामी का नाम और	
	(ii) अनुज्ञक्तप् तधारी या पट्टेदार या स्वामी के नाम और पते में पररितान (पुराना नाम और पररितान का कारण उपदनशात करें)	
4.	संयुि अनुज्ञक्तप् त या उत्पादन पट्टे की निनशनष्टया	
	(i) ननष्पादन की तारीख	
	(ii) अनध िषा, से तक	
	(iii) उत्पादन पट्टे या संयुक् त अनुज्ञक्तप् त के अधीन क्षेत्र का नितुतार *िगा नकिमीटर में+	
5.	संयुक् त अनुज्ञक्तप् त या उत्पादन पट्टे का अिस् थान: [देशान्तर और अक्षांश]:	
	i. एनएचओ चाटा संख्या	
	ii. क्षेत्रफि िगा नकिमीटर में	
	iii. ब्लॉक के सीमा ननदेशांक (दशमिि नडग्री में)	
	iv. तट या समुद्र	
	v. अपतट क्षेत्र	
	vi. ननकटतम तटीय अिस्थान	
	vii. जि की गहराई (मीटर में)	
	viii. ननकटतम बदरगाह/पत् तन	
6.	अनभकताा की निनशनष्टयां, यनद कोई हो; नाम और पता (यनद िाग हो)	
7.	खान के प्रबंधक की निनशनष्टयां; नाम और पता (यनद िाग हो)	

8.	खानों में ननयोनजत खनन इंजीनयर का निरिण (यनद िंग हो):	
	(i) नाम और पता	
	(ii) अहाता	
	(iii) ननयुक्ति तारीख	
	(iv) ननयोजन की प्राक्तस्थनत	पूणाकानिक
9	पत्र संख्या और तारीख नजसके माध्यम से खोज संबंधी योजना या उत्पादन योजना को प्राणधकरण द्वारा अनुमोनदत नकया गया था जैसा नक अपतट क्षेत्र खननज संरक्षण और निकास ननयम 2024 में निनननदाष्ट है, अनुमोनन मूर्ति में नन संख्या और अनुमोनन की तारीख	
10.	कोई अन्य निनननदा ट जानकारी:	
स् थान:		
तारीख:		

[भागII—खण् ड3(i)]

भारत का रपिपत्र : असाधारण

83

11. अनुज्ञक्तप् तधारी के नाम, राष्ट्रियता, रनजस् टरीकृत कायाािय, बहुसंख्यक स्वानमयों या अन्य निनशनष्टयों में हुए

पररितान ब्यौरे के साथ पररितान के तारीख।

12. स् िानमस् ि और अन्य भुगतान, यनद देय हो।

13. संपादन प्रनतभूनत के ब यौरे।

14. समाक्तप्त या पयािसान या पररत्याग या अभ्यपाण की तारीख।

15. िह तारीख नजससे अपतट क्षेत्र पुनः अनुदान के लिए उपिब्ध होगा।

16. कोई अन्य जानकारी, जो प्रशासननक प्राणधकारी द्वारा अपेनक्षत हो।

17. नटक्तप्पनण्यां।

18. अनधकारी के हतुताक्षर।

भाग ख

उत्पादन पट्टों का रभजस्टर

[ननयम 33 देक्तखए]

1. िम संख्या।

2. पट्टेदार का नाम।

3. पट्टेदार के रनजस् टरीकृत कायाािय और ननिस का पता।

4. (क) उत्पादन पट्टे के अनुदान की संख्या और तारीख।

(ख) उत्पादन पट्टा नििेख के ननष्पादन की तारीख।

(ग) उत्पादन पट्टा नििेख के रनजस्टरी की तारीख।

5. अपतट क्षेत्र के भू-ननदेशांक।

6. कुि अपतट क्षेत्र नजसके लिए उत्पादन पट्टा अनुदत् त नकया गया है।

7. िह खननज या खननजें नजसके लिए मूर्ति: उत्पादन पट्टा अनुदत् त नकया गया है।

8. उत्पादन पट्टे में तारीख सनहत जोडा गया खननज या जोडे गए खननज।

9. उस अपतट क्षेत्र के ब्यौरे नजसके लिए मूर्ति: उत्पादन पट्टा अनुदत्त नकया गया था।

10. िह अनध नजसके लिए उत्पादन पट्टा अनुदत्त नकया गया है।

11. पट्टेदार के नाम, राष्ट्रीयता, रनजस् टरीकृत कायायि, बहुसंख्यक स्वानमयों या अन्य निनशनष्ट्यों में हुए पररितान के ब्यौरे के साथ पररितान की तारीख।
12. स् िानमस् ि और अन्य भुगतान, यनद देय हो।
13. संपादन प्रनतभूनत के ब यौरे, यनद देय हो।
14. समाक्तप्त या पयािसान या पररत्याग या अभ्यपाण की तारीख।।
15. िह तारीख नजससे अपतट क्षेत्र पुनः अनुदान के लिए उपिब्ध होगा।
16. कोई अन्य जानकारी, जो प्रशासननक प्रानधकारी द्वारा अपेनक्षत हो।
17. नटक्तप्पनण्यां।
18. अनधकारी के हतुताक्षर।

[फा. सं. एम-VI 1/10/2024-खान VI]

दिनेि माहुर, संयुक् त सजचव

**MINISTRY OF
MINES
NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th July, 2025

G.S.R. 468(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (c) of sub-section (2) of section 35 of the Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act, 2002 (17 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Offshore Areas Atomic Minerals Operating Right Rules, 2025.
2. **Definitions.**— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—
 - (a) “Act” means the Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act, 2002 (17 of 2003);
 - (b) “Beach Sand Minerals” shall have the same meaning as assigned in serial number 6 of Part B of the First Schedule of the Mines and Mineral (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957);
 - (c) “Board” means the Atomic Energy Regulatory Board constituted under section 27 of the Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962);
 - (d) “Department” means the Department of Atomic Energy in the Central Government;
 - (e) “Directorate” means the Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research under the Department;
 - (f) “Form” means form appended to these rules;
 - (g) “illegal mining” means any reconnaissance undertaken by any person or a company in required under sub-section (1) of section 5 of offshore area for which the operating right operation or exploration operation or production operation any offshore area without holding an operating right as the Act or such operation is outside the boundaries of the has been granted:

Provided that violation of any rules, other than the rules made under clause (pa) of sub-section (2) of section 35 of the Act, within the licence area or lease area by a licensee or lessee shall not be construed as illegal mining;
 - (h) “lease area” means the area for which a production lease has been granted in accordance with the provisions of the Act and the rules made thereunder;
 - (i) “licence area” means the area for which a composite licence has been granted in accordance with the provisions of the Act and the rules made thereunder;
 - (j) “prescribed substances” means minerals included in the list of prescribed substances under the Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962);
 - (k) “run-of-mine” means the raw unprocessed or uncrushed material in its natural state obtained after dredging or mining, from mineralised zone of a lease area;

- (l) “Schedule” means the Schedule to these rules; and
 (m) “threshold value in respect of atomic minerals” means the grade of atomic mineral, specified as percentage of weight of the prescribed substances contained in the ore, as specified and notified in Schedule A of the Atomic Minerals Concession Rules, 2016, as the threshold value for the particular atomic mineral occurring as such, or in association with one or more minerals.

[भाग II—खण्ड 3(i)]

भारत का राष्ट्रिय असाधारण

85

- (2) Words and expressions used in these rules but not defined herein shall have the same meanings as assigned to them in the Act, the rules made thereunder or the Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962), as the case may be.

- (3) Application.**— (1) These rules shall apply only to operating rights relating to atomic minerals occurring as such or in association with one or more other minerals, provided the grade of such atomic minerals is equal to or greater than the threshold value in respect of atomic minerals.
- (2) Operating rights relating to atomic minerals where the grade of atomic mineral contained in the ore is less than the threshold value in respect of atomic minerals shall be governed, *mutatis mutandis*, by the provisions of the Offshore Areas Operating Right Rules, 2024, in force.
- (3) A determination regarding applicability of these rules pursuant to assessment of threshold value in respect of atomic minerals against the existence of mineral resources shall be made by the Directorate in accordance with the provisions of sub-rule (5) of rule 4 or sub-rule (6) of rule 6 or sub-rule (6) of rule 7, as the case may be.
- (4) If one or more atomic minerals occur in association with other minerals but the grade of atomic minerals is less than the threshold value in respect of atomic minerals, then any atomic minerals resulting from production operations, processing or beneficiation shall be handled and disposed of in accordance with directives issued by the Department regarding conservation of atomic minerals and the directives issued by the Board regarding radiological safety.

CHAPTER II

RECONNAISSANCE OPERATION OR EXPLORATION OPERATION FOR ATOMIC MINERALS

4. **Reconnaissance operation or exploration operation for atomic minerals under proviso to sub-section (1) of section 5 of the Act.**— (1) The agencies, permitted under the proviso to sub-section (1) of section 5 of the Act may carry out reconnaissance operation or exploration operation for atomic minerals without an operating right and such operations shall be carried out in compliance with the Schedule A:

Provided that where reconnaissance operation or exploration operation is to be undertaken under this sub-rule, the agencies desirous of undertaking such operations shall submit a request to the administering authority along with particulars of the area and the period required for reconnaissance operation or exploration operation.

- (2) The administering authority, with prior consultation with the Department shall, within a period of thirty days of receipt of the request, issue a notification in the Official Gazette.
- (3) Upon issuance of the notification, the administering authority shall not grant any operating right to any other person or agency for an area or a part thereof in relation to which a notification has been issued.
- (4) Upon completion of reconnaissance operation or exploration operation under sub-rule (1), the agency conducting such operations shall submit a geological report of its findings to the Department, Directorate and the administering authority in the format specified in the Schedule A.
- (5) Upon receipt of a geological report under sub-rule (4), the Directorate shall compare the grade of atomic minerals in the area where the reconnaissance operation or exploration operation has been undertaken with the threshold value in respect of atomic minerals and, if —

- (a) the grade of atomic minerals is less than the threshold value in respect of atomic minerals, the Directorate shall provide a written intimation, along with a copy of the geological report, to the Central Government, which may grant operating right over such area as per

section 8, section 12 or section 13 of the Act, as the case may be, and the rules made thereunder:

Provided that atomic minerals extracted during the exploration operations or production operations shall be handled and disposed of in accordance with the directives issued by the Department regarding conservation of atomic minerals and the directives issued by the Board regarding radiological safety;

- (b) the grade of atomic minerals is equal to or greater than the threshold value in respect of atomic minerals and, —
 - (i) at least General Exploration (G2) has been completed to establish Indicated Mineral Resource (332), then a production lease shall be granted by the administering authority only in accordance with these rules; or
 - (ii) at least Reconnaissance Survey (G4) has been completed to estimate Reconnaissance Mineral Resource (334) or mineral potentiality of the mineral block has been identified based on the available geoscience data but resources are yet to be established, then a composite licence shall be granted by the administering authority only in accordance with these rules.
- (6) The Directorate shall subject the geological reports, for reconnaissance operation or exploration operation generated by the Directorate, to a similar scrutiny as specified in sub-rule (5) and hand over the data to the administering authority for action contemplated under clauses (a) and (b) of sub-rule (5).
- (7) If the Directorate finds the geological report submitted under sub-rule (4) to be insufficient for making a determination under sub-rule (5), it may seek additional information or direct further reconnaissance operation or exploration operation and submission of findings with regard to such additional data as may be specified by the Directorate and upon receipt of such findings and data, the Directorate shall take action as specified in sub-rule (5).
- (8) The administering authority may revoke the notification granted under sub-rule (2), if the Directorate communicates in writing that the reconnaissance operation or exploration operation has been completed.

CHAPTER III DISCOVERY AND GRANT OF OPERATING RIGHTS

5. **Grant of operating right at the instance of Department.**— Where on an examination of a geological report prepared in conformity with the parameters specified in the Schedule A by the Directorate, in accordance with the provisions of sub-rule (5) of rule 4, indicates the grade of atomic minerals to be equal to or greater than the threshold value in respect of atomic minerals, the administering authority shall —
 - (a) identify and demarcate the area where a composite licence or production lease, as the case may be, is proposed to be granted;
 - (b) submit a proposal for grant of composite licence or production lease over the area identified and demarcated under clause (a) with the precise areas along with longitude and latitude, to the Department and the Central Government with a request to nominate the Government, a Government company, or a corporation for the grant of such production lease or composite licence.
6. **Procedure for grant of composite licence.**— (1) In response to the request made by the administering authority under clause (b) of rule 5, the Department in consultation with the Central Government shall intimate to the Directorate and administering authority in writing of the prospective licensee, along with a confirmation regarding grade of atomic minerals in such area being equal to or greater than the threshold value in respect of atomic minerals.
 - (2) On receipt of intimation under sub-rule (1), the Central Government, after consultation with the administering authority, may by notification in the Official Gazette, reserve such area in accordance with sub-section (1) of section 8 of the Act.
 - (3) The Central Government shall consult the Department; Ministry of Defence; Ministry of Environment, Forest and Climate Change; Ministry of Home Affairs; Ministry of External Affairs; Department of Space; Department of Telecommunications; Department of Fisheries under the

Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying; Ministry of Earth Sciences; Ministry of Ports, Shipping and Waterways; Ministry of Petroleum and Natural Gas; Ministry of Science and Technology; Ministry of New and Renewable Energy; and any other Ministry or department as may be considered necessary, by the Central Government, before notifying any offshore area under sub-rule (2).

[भागII—खण्ड3(i)]

भारत का राष्ट्रिय : असाधारण

87

- (4)The intimation referred to in sub-rule (1) shall be considered to be evidence of the existence of mineral resources for atomic minerals in the area for the purposes of second proviso to clause (b) of section 6 of the Act.
- (5)Upon notification of such area by the Central Government under sub-rule (2), a copy of intimation referred to in sub-rule (1) shall be sent by the administering authority to the prospective licensee.
- (6)Irrespective of anything contained in sub-rules (1), (2) and (4), the Department shall reserve its rights, wherever required, to additionally notify region and deposit-specific threshold values in the case of uranium and thorium bearing minerals, and authorise the administering authority, subject to the terms and conditions specified by the Department, to grant composite licence for one or more specific mineral present associated with atomic minerals.
- (7)The prospective licensee shall, within a period of two months from the receipt of a copy of the intimation under sub-rule (5), submit an application to the administering authority for grant of a composite licence in the format specified by the Department along with an application fees of ten thousand rupees per standard block.
- (8)The administering authority shall within a period of ninety days of receipt of a duly completed application under sub-rule (7), communicate to the prospective licensee to submit an approved exploration plan and other necessary clearances from the concerned Government agencies as required, for grant of composite licence.
- (9)Upon receipt of such communication from the administering authority under sub-rule (8), the prospective licensee shall -
 - (a) prepare an exploration plan in accordance with provisions of Chapter IV and submit the same for approval of the Directorate, within a period of twelve months from the date of issuance of the communication from the administering authority under sub-rule (8);
 - (b) provide a performance security to the administering authority in the form of a bank guarantee in Form A or as a security deposit, for an amount equivalent to 0.25 per cent. of the value of estimated resources, which performance security may be invoked by the administering authority as per the terms and conditions of the exploration licence deed of composite licence;
 - (c) obtain approval or permit or no-objection or the like, from the Government authorities as may be required under the law for the time being in force for commencement of exploration operations;
 - (d) meet other conditions as may be specified.
- (10)The prospective licensee shall submit the documents in support of the fulfilment of the conditions specified in sub-rule (9), and within a period of ninety days of receipt of such documents the administering authority shall issue an order to the prospective licensee for granting the composite licence under sub-section (3) of section 8 of the Act.
- (11)The prospective licensee shall execute an exploration licence deed of composite licence within a period of ninety days of receipt of the order of grant of licence as in sub-rule (10), and if no such deed is executed within the said period due to any default on the part of the prospective licensee, the administering authority may revoke the order granting the composite licence and in that event the fee paid under sub-rule (7) shall be forfeited by the administering authority.
- (12)The exploration licence deed of composite licence shall be subject to the following conditions, namely: -
 - (a) the exploration licence deed of composite licence shall be in Form B;
 - (b) the area of such composite licence shall be the same as specified by the administering authority as in clause (a) of rule 5;

(c) no change in area shall be made by the administering authority without the prior approval of the Department:

Provided that if the Central Government, after consultation with the Department, is of the opinion that in the interest of the development of atomic mineral or industry, it is necessary so to do, it may, for the reasons to be recorded in writing, increase or decrease the said area limit in respect of any mineral or any specified category of deposits of such mineral or such group of associated minerals, in accordance with section 13A of the Act;

(d) in case the atomic minerals having grade equal to or greater than the threshold value in respect of atomic minerals exist in association with other minerals, then the composite licence shall be granted for all such minerals including the atomic minerals to the same licensee.

(13) The date of the commencement of the period for which a composite licence is granted shall be the date on which a duly executed exploration licence deed of composite licence is registered.

(14) All exploration operations under a composite licences granted under these rules shall be for a period of three years from the date of grant of composite licence:

Provided that the administering authority may, on an application made by the licensee within a period of three months before the lapse of the said period, for reasons to be recorded in writing and subject to such conditions as may be specified, grant an extension for a period of two years to the licensee for satisfactory completion of the exploration operations:

Provided further that no further extension shall be granted upon expiry of the extended period, if any, granted under the first proviso.

(15) The administering authority shall not include any new minerals found in the existing licence area granted to the Government, a Government company, or a corporation without obtaining prior approval of the Department:

Provided that on receipt of approval from the administering authority, the licensee shall modify the exploration plan including the new minerals and get the approval from the Directorate:

Provided further that where subsequent to grant of a composite licence, one or more mineral is found in the licence area and such minerals are included in the composite licence, the period of composite licence for such mineral which has been included in the composite licence shall be the same for which the first composite licence was originally granted.

(16)T The holder of a composite licence shall conduct exploration operations of the area under the composite licence so as to ascertain existence of mineral resources and shall submit periodic reports, as applicable to exploration operations and all reports, studies and other documentation related to the exploration operations of the area under the composite licence shall be submitted to the Directorate and administering authority.

(17) If a holder of a composite licence—

(a) fails to complete exploration operations or fails to establish the existence of atomic mineral resources in accordance with the provisions of Schedule A, or fails to comply with the terms and conditions of the composite licence or the requirements of the Act and the rules made thereunder, such holder shall not be eligible to receive a production lease and the composite licence shall be terminated;

(b) completes exploration operations and submits to the Directorate and the administering authority the result of the exploration operations in the form of a geological report, demonstrating existence of mineral resources conforming to Schedule A, and the Directorate shall, within ninety days from the date of receipt of the geological report, confirm the licensee's findings under the geological report in writing to the administering authority:

[भागII—खण् ड3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण

89

Provided that the geological report shall comprise of details specifying the area required for grant of a production lease:

Provided further that if the Directorate finds the geological report submitted under clause (b) to be insufficient for making a determination, it may seek additional information or direct further exploration operation and submission of findings with

regard to such additional data as may be specified by the Directorate and upon receipt of such findings and data, the Directorate shall take action as specified in clause (b):

Provided also that notwithstanding the Directorate's requirement of submission of additional information or findings, the maximum time period available to the licensee to complete exploration operations shall be as specified in sub-rule (14).

- (18) Upon receipt of confirmation from the Directorate, the administering authority shall intimate to the licensee its eligibility for making an application for grant of production lease in accordance with sub-rule (7) of rule 7.
- (19) Upon the submission of the geological report to the Directorate and the administering authority under clause (b) of sub-rule (17), the holder of composite licence may relinquish the entire area in accordance with this rule and in such case the administering authority shall, after being satisfied that the geological report has been prepared in conformity with the Schedule A, return the performance security.

- 7. Procedure for grant of production lease.**—(1) In response to the request made by the administering authority under clause (b) of rule 5, the Department in consultation with the Central Government shall intimate to the Directorate and administering authority in writing of the prospective lessee, along with a confirmation regarding grade of atomic minerals in such area being equal to or greater than the threshold value in respect of atomic minerals.
- (2) After intimation under sub-rule (1), the Central Government, in consultation with the administering authority, by notification in the Official Gazette, reserve such area in accordance with sub-section (1) of section 8 of the Act.
 - (3) The Central Government shall consult the Ministry of Defence; Ministry of Environment, Forest and Climate Change; Ministry of Home Affairs; Ministry of External Affairs; Department of Space; Department of Telecommunications; Department of Fisheries under the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying; Ministry of Earth Sciences; Ministry of Ports, Shipping and Waterways; Ministry of Petroleum and Natural Gas; Ministry of Science and Technology; Ministry of New and Renewable Energy; and any other Ministry or department as may be considered necessary, by the Central Government, before notifying any offshore area under sub-rule (2).
 - (4) The intimation referred to in sub-rule (1) shall be considered to be evidence of the existence of mineral resources for atomic minerals in the area for the purposes of second proviso to clause (b) of section 6 of the Act.
 - (5) Upon notification of such area by the Central Government under sub-rule (2), a copy of intimation referred to in sub-rule (1) shall be sent by the administering authority to the prospective lessee.
 - (6) Irrespective of anything contained in sub-rules (1), (2) and (4), the Department shall reserve its rights, wherever required, to additionally notify region and deposit-specific threshold values in the case of uranium and thorium bearing minerals, and authorise the administering authority, subject to terms and conditions specified by the Department, to grant production lease for one or more specific mineral present associated with atomic minerals.
 - (7) The prospective lessee, shall within a period of two months from the receipt of a copy of the intimation under sub-rule (5), or within a period of two months from the receipt of a copy of intimation under sub-rule (18) of rule 6 submit an application to the administering authority for grant of a production lease in the format specified by the Department along with an application fees of ten thousand rupees per standard block.
 - (8) The administering authority shall within a period of ninety days of receipt of a duly completed application under sub-rule (7), communicate to the prospective lessee to submit an approved production plan and other necessary clearances from the concerned Government agencies as required, for grant of production lease.
 - (9) Upon receipt of such communication from the administering authority under sub-rule (8), the prospective lessee shall—
 - (a) prepare a production plan in accordance with provisions of Chapter IV and submit the same for approval of the Directorate, within a period of twelve months from the date of issuance of the communication from the administering authority under sub-rule (8);

(b)provide a performance security to the administering authority in the form of a bank
guarantee in



Form C or as a security deposit, for an amount equivalent to 0.50 per cent. of the value of estimated resources, which performance security may be invoked by the administering authority as per the terms and conditions of Offshore Mineral Development and Production Agreement and the production lease deed;

- (c) adjust the performance security every five years so that it continues to correspond to 0.50 per cent. of the reassessed value of estimated resources;
- (d) obtain approval or permit or no-objection or the like from the Government authorities as may be required under the law for the time being in force, for commencement of production operations;
- (e) sign an Offshore Mineral Development and Production Agreement with the administering authority as per the format specified by the Central Government after compliance of conditions specified in clause (a), clause (b), clause (c) and clause (d) of this sub-rule; and
- (f) meet other conditions as may be specified.

(10) The prospective lessee shall submit the documents in support of the fulfilment of the conditions specified in sub-rule (9), and within a period of ninety days of receipt of such documents the administering authority shall issue an order to the prospective lessee for granting the production lease under sub-section (3) of section 8 of the Act.

(11) The prospective lessee shall execute a production lease deed within a period of ninety days of receipt of the order of grant of lease as in sub-rule (10), and if no such deed is executed within the said period due to any default on the part of the prospective lessee, the administering authority may revoke the order granting the production lease and in that event the fee paid under sub-rule (7) shall be forfeited to the administering authority .

(12) The production lease deed shall be subject to the following conditions, namely: -



(a) the production lease deed shall be in



Form D;

- (b) the area of such production lease shall be the same as specified by the administering authority as in clause (a) of rule 5;
- (c) no change in area shall be made by the administering authority without the prior approval of the Department:

Provided that if the Central Government, after consultation with the Department, is of the opinion that in the interest of the development of atomic mineral or industry, it is necessary so to do, it may, for the reasons to be recorded in writing, increase or decrease the said area limit in respect of any mineral or any specified category of deposits of such mineral or such group of associated minerals, in accordance with section 13A of the Act;

[भागII—खण्ड3(i)]

भारत का राष्ट्रिय : असाधारण

91

- (d) in case the atomic minerals having grade equal to or greater than the threshold value in respect of atomic minerals exist in association with other minerals, then the production lease shall be granted for all such minerals including the atomic minerals to the same lessee.
- (13) The date of the commencement of the period for which a production lease is granted shall be the date on which a duly executed production lease is registered.
- (14) All production leases granted under these rules, shall be granted for a period until the entire reserves of such minerals in the mine is exhausted.
- (15) The administering authority shall not include any new minerals found in the existing lease area granted to the Government, a Government company, or a corporation without obtaining prior approval of the Department:

Provided that on receipt of approval from the Department, the lessee shall modify the production plan including the new minerals and get the approval from the Directorate:

Provided further that where subsequent to grant of a production lease, one or more mineral is found in the lease area and such minerals are included in the production lease, the periods of production lease for such included mineral shall be the same for which the first production lease was originally granted.

8. Discovery of atomic minerals by holder of an operating right.—(16) If a holder of an operating right which has been granted pursuant to the Offshore Areas Operating Right Rules, 2024 discovers any atomic mineral, then he shall report the findings to the Department, Directorate and the administering authority in a format as may be specified by the Department.

- (2) Upon receipt of a report under sub-rule (1), the Directorate shall compare the grade of atomic minerals in the area for which the operating right has been granted with the threshold value in respect of atomic minerals and,-
 - (a) if the grade of atomic minerals is less than the threshold value in respect of atomic minerals, the holder of the operating right may continue its operations in accordance with the provisions of Offshore Areas Operating Right Rules, 2024;
 - (b) if the grade of atomic minerals is equal to or greater than the threshold value in respect of atomic minerals, then—
 - (i) in case of a composite licence under section 12, the holder of such composite licence shall be eligible for grant of a composite licence, only if it is the Government, a Government company, or a corporation, by the administering authority, after consultation with the Department; or
 - (ii) in case of a production lease, the lessee shall continue production operations for that particular mineral for which the production lease was granted with the prior approval of the Department and in case of refusal by the Department the production lease shall be terminated by the Central Government, after consultation with the administering authority:

Provided that the atomic minerals so discovered during the production operations shall be handled and disposed of in accordance with the directives issued by the Department regarding conservation of atomic minerals and the directives issued by the Board regarding radiological safety:

Provided further that in case the Central Government terminates the composite licence or in case the Central Government terminates the production lease on grounds of refusal by the Department, the Central Government shall pay the holder of the operating right such sum as in its opinion would represent a fair estimate of the expenditure incurred on such exploration operation or production operation, as the case may be.

- (3) If the Directorate finds the report submitted under sub-rule (1) to be insufficient for making a determination under sub-rule (2), it may seek additional information from the holder of operating right or direct the holder of operating right to continue exploration and submit findings with regard to such additional data as may be specified by the Directorate.
- (4) On receipt of the findings and data referred to in sub-rule (3), the Directorate shall take action as specified in sub-rule (2).

CHAPTER IV

EXPLORATION PLAN AND PRODUCTION PLAN FOR ATOMIC MINERALS

- 9. Exploration plan.**—(1) No exploration operations shall be undertaken with respect to a composite licence granted under sub-rule (10) of rule 6, except in accordance with an exploration plan which has been prepared, submitted, approved, modified and reviewed under the Offshore Areas Mineral Conservation and Development Rules, 2024.
- (2) If a composite licence granted under sub-rule (10) of rule 6 is also for minerals other than atomic minerals, as per clause (c) of sub-rule (12) of rule 6, then the licensee shall prepare a composite exploration plan for undertaking exploration operations in respect of all the minerals specified in the composite licence, including the atomic minerals.
- 10. Production plan.**—(1) No production operations shall be undertaken with respect to a production lease granted under sub-rule (10) of rule 7, except in accordance with a production plan which has been prepared, submitted, approved, modified and reviewed under the Offshore Areas Mineral Conservation and Development Rules, 2024.
- (2) If a production lease granted under sub-rule (10) of rule 7 is also for minerals other than atomic minerals, as per clause (c) of sub-rule (12) of rule 7, then the lessee shall prepare a composite production plan for undertaking production operations in respect of all the minerals specified in the production lease, including the atomic minerals.

CHAPTER V

TERMS AND CONDITIONS OF COMPOSITE LICENCE AND PRODUCTION LEASE

- 11. Terms and conditions of composite licence.**—(5) Every composite licence shall be subject to the following conditions, namely:—
- (a) for licence area, the licensee may win and carry, for the purposes other than commercial purposes,—
- (i) any quantity of such atomic minerals within the limits specified in column (3) of Schedule B without any payment;
- (ii) any quantity of such minerals not exceeding the limits specified in column (4) of Schedule B on payment of royalty specified in the First Schedule to the Act in respect to those minerals:
- Provided that if any quantity in excess of the quantities referred to in this clause is won and carried away, the administering authority shall, recover the value of the excess quantity of minerals won and carried away or may initiate action under section 23 of the Act;
- (b) with the prior approval of the administering authority, the licensee may carry away quantities of atomic minerals in excess of the limits specified in Schedule B, on payment of royalty specified in the First Schedule to the Act, for chemical, metallurgical, beneficiation or ore-dressing and other test purposes;
- (c) if the licensee is convicted for illegal mining and there are no orders of any court of law suspending the operation of the order of such conviction, the Central Government may, in consultation with the Department and with intimation to the administering authority may,

- without prejudice to any other proceedings that may be initiated under the Act or the rules made thereunder, terminate such composite licence and direct the administering authority to forfeit the performance security submitted by the licensee, after giving such licensee an opportunity of being heard and for reasons to be recorded in writing and communicated to the licensee;
- (d) the licensee shall take all necessary steps and measures for enabling the natural rehabilitation of the seabed affected by exploration operations, including any measures as may be specified by the Central Government;
 - (e) the licensee shall comply with the provisions of the Act, the rules and all other applicable laws for the time being in force, including the Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962);
 - (f) the licensee shall make available all exploration data, reports, samples, including the data pertaining to quantum of such samples won and extracted, and other relevant information collected by him pursuant to an exploration operation, and shall submit the following, namely:—
 - (i) quarterly report within a period of thirty days after the close of the quarter;
 - (ii) annual report within a period of sixty days after the close of the year;
 - (iii) any other report as may be specified in the composite licence,
 to the Directorate, Department, Geological Survey of India, administering authority, and such other authority as may be specified;
 - (g) the licensee shall not share any data collected during the course of exploration operations with any third party for storage, processing or interpretation without the prior approval of the administering authority;
 - (h) the licensee shall allow any officer authorised by the Department or the Directorate or the administering authority or the Central Government to enter upon any vessel, platform, installation or any other infrastructure in the licence area for the purpose of inspecting the same;
 - (i) the licensee shall maintain an accurate and true account of all the expenses incurred by it on exploration operations, and also the quantity and other particulars of all minerals obtained during such operations and their dispatch;
 - (j) the licensee shall maintain a daily log of data collected during the course of exploration operations on the vessel or installation whereby such operations are being carried out in the licence area and shall allow any officer authorised by the Department or Directorate or Central Government or the administering authority in this behalf to inspect such data logs and the licensee shall also comply with any other reporting requirements specified in the composite licence;
 - (k) the licensee shall have the right to deploy vessels, drones and bring upon the licence area all such temporary buoys, structures, steam and other engines, machineries, conveniences, and effects as may be deemed proper and necessary for effectively carrying on its exploration operations or for the employment of workmen thereon;
 - (l) the licensee shall comply with all applicable laws and regulations pertaining to movement and deployment of vessels, installations, machineries, engines, platforms, drones and other installations or implements in the offshore areas;
 - (m) the licensee shall ensure that any vessel, installation, machinery, engine, platform, drone and other installations or implements that have been deployed by it in the offshore areas have on board, and use equipment, such as satellite tracking equipment and voyage data recorder, that monitors and reports their activity
 - (n) the licensee shall, within a period of six months after the expiry or termination of the composite licence or date of abandonment of operations or surrender of excess area, whichever is earlier,—
 - (i) take all necessary steps enabling the natural rehabilitation of the seabed affected by exploration operations, including any measures as may be specified by the Central Government; and
 - (ii) remove expeditiously at his own cost, all vessels, structures, buoys, engines, machineries, implements, equipment and other property and effects erected or

brought by the licensee on or in the licence area together with all minerals won by the licensee:

Provided that the provisions of this clause shall not apply, in the case of the area over which the licensee has been granted a production lease on or before the expiry or termination of the composite license, as the case may be;

- (o) the licensee shall give at least two months" notice prior to commencement of the exploration operation to the Department, Directorate, administering authority, Indian Bureau of Mines and Naval Headquarters (Directorate of Naval Intelligence), Ministry of Defense, to ensure that such operations do not interfere with any naval exercise in the area;
- (p) in case foreign domiciled entities or foreign entities or contractors, personnel, vessels or equipments are engaged or deployed, for undertaking exploration operations, prior approval shall be obtained from the Government authorities, including any specific approvals mandated by the Central Government; any data collected and work carried out shall be under the supervision and control of Indian representatives of the licensee, who shall ensure appropriate security safeguards;
- (q) the licensee shall ensure that the data generated during exploration operations, including any geological data, is processed, by foreign entities or contractors, in India and such processed and unprocessed data may be imparted to any foreign entity only with prior approval of the administering authority;
- (r) prior to their deployment all vessels, to be deployed and installations to be erected, for exploration operations by the licensee himself or contracted companies, shall undergo clear security inspection of the Indian Navy under the aegis of the Flag Officer Commanding-in-Chief of the concerned Naval Command and Flag Officer, Offshore Defence Advisory Group and a clear one month"s notice shall be given by the licensee to the said officers to facilitate such inspection and clearance;
- (s) all vessels to be deployed for exploration operations by the licensee shall obtain prior clearance from the Directorate General of Shipping in terms of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) and the rules made thereunder;
- (t) intimation regarding award of contracts to contracted companies or persons along with relevant details of the contracts, including the name of the contracted entity, duration of contract, subject matter of the contract, nature of equipment employed and data to be collected, if any, shall be forwarded to the Naval Headquarters (Directorate of Naval Intelligence), Ministry of Defence, along with a copy to the administering authority, before commencement of the operations by the licensee, providing six monthly long case on vessels deployment by operating companies;
- (u) visa, and such other permissions as may be required under the law for the time being in force, shall have to be obtained from the Government authority for all foreign personnel on board the vessel;
- (v) the licensee shall take all precautionary measures for safety and security of all vessels and equipments deployed for exploration operations and the personnel onboard;

[भागII—खण् 3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण

95

- (w) the licensee shall, for issuing the marine safety warnings, immediately inform the Flag Officer, Offshore Defence Advisory Group and the administering authority, the location indicating co-ordinates of all vessels, existing and under construction offshore installations or platforms, equipments and machineries deployed within the licence area, and thereafter its new location as and when it is shifted;
- (x) the licensee shall not interfere with any right of way in recognised sea lanes for the purposes of navigation or any other purpose as may be authorised by the Central Government;
- (y) the licensee shall allow reasonable facilities of access to the other licensees or lessees over any area which is comprised in or adjoins or is reached by the licence area held by the licensee:

Provided that no substantial hindrance or interference shall be caused by the licensees or lessees to the operations of the licensee and fair compensation, as may be mutually agreed upon or in the event of disagreement as may be decided by the administering authority, shall be paid by them to the licensee for any loss or damage sustained by the licensee;

- (z) the licensee shall use its best efforts to avoid obstructions to or interference with any petroleum operations or any operations pertaining to offshore wind power projects or other operations being carried out or proposed to be carried out by an operator, duly authorised by the Government authority, within the licence area;
- (za) the licensee shall ensure that all personnels, vessels, installations, equipments and infrastructure deployed for the purposes of exploration operations in the licence area at all times during the term of the composite licence, be insured by the licensee in accordance with such regulatory requirements, as applicable under any law for the time being in force, and such other terms and conditions as may be specified by the Central Government or the administering authority;
- (zb) the Central Government or the Department shall at all times have the right of pre-emption of the minerals won from the licence area in respect of which the composite licence has been granted:

Provided that the average sale price as published by the Directorate prevailing at the time of pre-emption shall be paid to the licensee for all such minerals;

- (zc) the licensee shall not carry on or allow to be carried on, any exploration operations at any point within a distance of five hundred metres from any telecommunication cables, offshore wind turbine generators, offshore power sub-stations, oil platform or pipelines, underwater archaeological sites, defence installations or any port area, except under and in accordance with the prior approval of the competent authority or any officer authorised by the administering authority or the Central Government in this behalf and the said distance of five hundred metres shall be measured from the outer edge of the relevant vessel, structure or installation, as applicable;
- (zd) the Central Government, or any lessee or person authorised by it in that behalf by the administering authority or the Central Government, shall have the right to enter into or upon the licence area and lay upon or maintain, repair or replace, over or through the same, any pipelines, cables, offshore wind turbine generators, offshore power sub-stations or any other purpose authorised by the Central Government or the administering authority, as the case may be:

Provided that no substantial hindrance or interference shall be caused to, or with, the liberties, powers and privileges of the licensee, and fair compensation, as may be mutually agreed upon, or in the event of disagreement, as may be decided by the administering authority, shall be made—

- (i) to the licensee for all loss or damage or substantial hindrance or interference caused to the licensee by such other lessee or person authorised by the administering authority or the Central Government, as the case may be; or
- (ii) by the licensee for all loss or damage or substantial hindrance or interference caused to such other lessee or person authorised by the administering authority or the Central Government, as the case may be;
- (ze) the licensee shall forward to the Directorate General of Shipping, Director General, Indian Coast Guard, administering authority and any other Government authority, without delay, a report of any accident causing death or serious bodily injury or serious injury to property or seriously affecting or endangering life or property which may occur in the course of its exploration operations;
- (zf) the licensee shall not employ, in connection with the exploration operations, any person who is not an Indian national except with prior approval of the administering authority;
- (zg) the licensee shall not carry on his operations in a manner that would injure any person or prejudicially affect any installations, vessels, works, property or rights of other persons and no offshore area shall be used by the licensee for exploration operations for works or purposes not included in the composite licence;

- (zh) the licensee shall ensure the safety of vessels, installations or any other implements in the licence area, to the satisfaction of the administering authority or any other Government authority, as the case may be; and
 - (zi) the licensee shall work and carry on the exploration operations in a proper, skilful and workman-like manner.
- (2) Failure on the part of the licensee to fulfil any of the terms and conditions of the Act and the rules made thereunder or under the composite licence shall not give the Central Government or the administering authority or the Department any claim against the licensee or be deemed a breach of the composite licence, in so far as such failure is considered by the Central Government or the administering authority or the Department to arise from a force majeure and in the event of any delay by the licensee to fulfill any of the terms and conditions of the Act and the rules made thereunder or under the composite licence on account of a *force majeure*, the period of such delay shall be added to the period fixed by these rules or the composite licence.

Explanation. — For the purposes of this clause, the expression “*force majeure*” means act of God, war, insurrection, riot, civil commotion, strike, earthquake, storm, tidal wave, flood, lightning, explosion, fire, or any other happening which the licensee could not reasonably prevent or control.

- (3) In addition to the conditions specified in sub-rule (1), a composite licence may contain the following conditions, as the Department or Directorate or administering authority or the Central Government as may deem fit to impose, namely:—
- (i) indemnity to the Central Government, Department and administering authority against claims of third parties;
 - (ii) measures, as specified by the Central Government, pertaining to prevention and control of pollution and conservation of marine ecosystem in protected areas including, marine national parks, marine sanctuaries or any other area, as may be specified by the Central Government;
 - (iii) restrictions on exploration operations in any area prohibited by any competent authority;
 - (iv) the reporting of accidents;
 - (v) conditions regarding entry in certain parts of offshore areas;
 - (vi) facilities to be given by the licensee for working other minerals, mineral oil and hydrocarbon resources in the licence area or adjacent areas; and

[भागII—खण्ड3(i)]

भारत का राष्ट्रिय : असाधारण

97

- (vii) any other conditions specified in the tender document for auction for grant of composite licence.
- (4) The administering authority may, either with the prior approval of the Department or the Central Government at the instance of the Department or the Central Government, impose such further conditions as may be necessary in the interest of conservation and development of minerals.
- (5) In the case of breach of any condition imposed on any licensee under the Act and the rules made thereunder, the Central Government may, after consultation with the Department and with intimation to the administering authority, by order in writing, terminate the composite licence and may direct the administering authority to forfeit, in whole or part, the performance security submitted by the licensee and take such other action in accordance with the Act and the rules made thereunder:

Provided that no such order shall be made without giving the licensee a reasonable opportunity of being heard and without recording the reasons in writing.

12. Terms and conditions of production lease.—(1) Every production lease shall be subject to the following conditions, namely: -

- (a) the lessee shall at all times comply with the provisions of the Act, the rules and all other applicable laws for the time being in force, including the Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962);
- (b) the lessee shall pay, for every year of the production lease period, such yearly fixed rent at the rates specified in the Second Schedule to the Act and if the production lease permits

the working of more than one mineral in the same area, the Central Government shall not charge separate fixed rent in respect of each mineral:

Provided that the lessee shall be liable to pay the fixed rent or royalty in respect of each mineral, whichever is higher;

(c) the lessee shall also pay for any area used by him for the purposes of production operations, surface rent and other applicable charges, fees, taxes, cess, duties and levies, applicable for such area, as may be specified or imposed by the Central Government;

(d) the lessee shall commence production operations within a period of two years, as specified under clause (c) of section 14 of the Act, from the date of execution of the production lease deed and shall thereafter conduct such operations in a proper, skilful and workman-like manner;

Explanation.—For the purposes of this clause, the expression “production operations” shall include deployment of any vessel, erection of buoys, operation of engines or machineries, implementation of equipments, construction of artificial island or platform in the lease area or any other operation undertaken for the purpose of winning minerals;

(e) the lessee shall not carry on or allow to be carried on, any production operations at any point within a distance of five hundred metres from any telecommunication cables, offshore wind turbine generators, offshore power substations, oil platform or pipelines, underwater archaeological sites, defence installations or any port area, except under and in accordance with the prior approval of the competent authority and any officer authorised by the administering authority or the Central Government in this behalf and the said distance of five hundred metres shall be measured from the outer edge of the relevant vessel, structure or installation, as applicable;

(f) the lessee shall keep accurate and true accounts showing the quantity and other particulars of—

(i) all minerals obtained and dispatched from the lease area;

(ii) waste material excavated from the lease area;

(iii) the number and nationality of persons employed therein;

(iv) complete plans of the lease area, and shall allow any officer authorised by the Department or the Directorate or the Central Government or the administering authority in this behalf, to examine at any time any account, plans, data logs and records maintained by him and shall furnish to the administering authority with such information and returns as it or any officer authorised by it in this behalf may require; and

(v) any other reporting requirements specified in the production lease:

Provided that in the case of minerals containing prescribed substances such information and returns shall be furnished only to the Director of the Directorate;

(g) the lessee shall keep accurate records of all excavations, pits and drillings made by the lessee in the course of production operations carried on by the lessee under the production lease and shall allow any officer authorised by the Department or the Directorate or the Central Government or administering authority to inspect the same and such records shall contain the following particulars, namely—

(i) the subsoil and strata below the seabed through which such excavations, pits or drillings pass;

(ii) details of any mineral encountered; and

(iii) such other particulars as the Department or the Directorate or the Central Government or the administering authority may require;

(h) the lessee shall comply with all applicable laws and regulations pertaining to movement and deployment of vessels, installations, machineries, engines, platforms, drones and other installations or implements in the offshore areas;

(i) the lessee shall ensure that any vessels, installations, machinery, engine, platform, drone and other installations or implements that have been deployed by it in the offshore areas have on board, and use equipment, such as satellite tracking equipment and voyage data recorder, that monitors and reports their activity;

- (j) the lessee shall allow any officer authorised by the Department or the Directorate or the Central Government or the administering authority to enter upon any vessel, platform, installation or any other infrastructure in the lease area for the purpose of inspecting the same;
- (k) whenever production operation is undertaken for beach sand mineral deposits or heavy mineral deposits or areas containing atomic mineral in association with other minerals, the lessee shall maintain the records and details of the list of minerals mined, details of production methodology and storage location of these minerals, tonnage of such minerals, the mineralogy, complete material balance towards conservation of such minerals with respect to in situ mineral contents:

Provided that in case of beach sand minerals, the preferential separation of one or more of the heavy minerals of commercial interest from beach sand minerals would invariably result in enhancement of the relative content of other minerals and atomic minerals including monazite in the left-over beach sands and the lessee shall—

(i) maintain the details of quantity of waste and tailings generated during production operations and mineral beneficiation activities;

(ii) maintain the storage location in the plans and registers;

(iii) not transfer or sell or dispose such materials without the prior approval of the Department regarding conservation of atomic minerals and the directives issued by the Board regarding radiological safety;

[भागII—खण्ड 3(i)]

भारत का राष्ट्रिय : असाधारण

99

- (l) the Central Government or the Department shall at all times have the right of pre-emption of the minerals won from the lease area in respect of which the production lease has been granted:

Provided that the average sale price as published by the Directorate prevailing at the time of pre-emption shall be paid to the lessee for all such minerals;

- (m) the lessee shall store and maintain accounts properly within the lease area of the unutilised or non-saleable subgrade ores or minerals for future beneficiation;
- (n) the lessee shall take all necessary steps and measures enabling the natural rehabilitation of the seabed affected by production operations, including any measures as may be specified by the Central Government;
- (o) the lessee shall also comply with the provisions of the Act and the rules made thereunder including rules made under section 19A of the Act and directions issued under section 21 of the Act.
- (p) the lessee shall not carry on his operations in a manner that would injure any person or prejudicially affect any installations, vessels, works, property or rights of other persons and no offshore area shall be used by the lessee for production operations for works or purposes not included in the production lease;
- (q) the lessee shall not interfere with any right of way in recognised sea lanes for the purposes of navigation, or any other purpose as may be authorised by the Central Government;
- (r) the lessee shall allow reasonable facilities of access to any lessees over any area which is comprised in or adjoins or is reached by the lease area held by the lessee:
- Provided that no substantial hindrance or interference shall be caused by the lessees to the operations of the lessee and fair compensation as may be mutually agreed upon or in the event of disagreement as may be decided by the administering authority shall be paid by them to the lessee for any loss or damage sustained by the lessee;
- (s) the lessee shall use its best efforts to avoid obstructions to or interference with any petroleum operations or any operations pertaining to offshore wind power projects or such other operations being carried out or proposed to be carried out by an operator, duly authorised by the Government authority, within the lease area;
- (t) any lessee or person authorised by it in that behalf by the Department, Directorate, administering authority or the Central Government, shall have the right to enter into upon

the lease area and lay upon or maintain, repair or replace, over or through the same, any pipelines, cables, offshore wind turbine generators, offshore power substations or any other purpose authorised by the Central Government or the administering authority, as the case may be:

- Provided that no substantial hindrance or interference shall be caused to, or with, the liberties, powers and privileges of the lessee, and fair compensation, as may be mutually agreed upon, or in the event of disagreement, as may be decided by the administering authority, shall be made—
- (i) to the lessee for all loss or damage or substantial hindrance or interference caused to the lessee by such other lessee or person authorised by the administering authority or the Central Government, as the case may be; or
 - (ii) by the lessee for all loss or damage or substantial hindrance or interference caused to such other lessee or person authorised by the administering authority or the Central Government, as the case may be;
- (u) the lessee shall at his own expense, erect, maintain, display and keep in repair all notices or floaters or signage or buoys, marking the boundary of the lease area to the satisfaction of the Department, Directorate, administering authority and other Government authorities, including the Indian Coast Guard and the Indian Navy;
 - (v) the lessee shall maintain daily logs of data collected during the course of production operations on the vessel or installation whereby such operations are being carried out in the lease area and shall allow any officer authorised by the Department or Directorate or the Central Government or the administering authority in this behalf to inspect such data logs and the lessee shall also comply with any other requirements specified in the production lease;
 - (w) the lessee shall make available all production data, reports, samples, including the data pertaining to number of persons engaged, geological and geophysical data relating to production fields, engineering surveys, investigation of atomic minerals, quantum of minerals won and extracted, and other relevant information collected by him pursuant to production operation, and shall submit the following, namely:—
 - (i) annual report within a period of sixty days after the close of the year;
 - (ii) any other report as may be specified in the production lease,
 - (x) to the Directorate, Geological Survey of India, administering authority, the Indian Bureau of Mines and such other authority as may be specified;
 - (y) the lessee shall not share any data collected during the course of production operations with any third party for storage, processing or interpretation without the prior approval of the administering authority;
 - (z) the lessee shall pay compensation in accordance with the law for the time being in force for the damage, injury or disturbance which may be caused by him and shall indemnify and keep indemnified, the Department, administering authority and the Central Government against all claims which may be made by any person or persons in respect of any such damage, injury or disturbance and all costs and expenses in connection therewith;
 - (aa) in case foreign domiciled entities or foreign entities or contractors, personnels, vessels or equipments are engaged or deployed, for undertaking production operations, prior approvals shall be obtained from the Government authorities, including any specific approvals mandated by the Central Government any data collected and work carried out shall be under the supervision and control of Indian representatives of the lessee, who shall ensure appropriate security safeguards;
 - (za) the lessee shall ensure the safety of vessels, installations or any other implements in the lease area, to the satisfaction of the administering authority or any other Government authority, as the case may be;
 - (zb) the lessee shall ensure that data generated during the production operations, including any geological data, is processed, by foreign entities or contractors, in India and such processed and unprocessed data may be imparted to any foreign entity only with prior approval of the administering authority;

- (zc) the lessee shall give at least two months' notice prior to commencement of the operations to the Department, Directorate, administering authority, the Indian Bureau of Mines and the Naval Headquarters (Directorate of Naval Intelligence), Ministry of Defence, to ensure that such operations do not interfere with any naval exercise in the area;
- (zd) prior to their deployment, the lessee shall ensure that all vessels to be deployed and installations to be erected in the lease area by the lessee or by the contracted companies, shall undergo and clear naval security inspection of the Indian Navy under the aegis of the Flag Officer Commanding-in-Chief of the concerned Naval Command and Flag Officer, Offshore Defence Advisory Group and a clear one month's notice shall be given by the lessee to the aforesaid offices to facilitate such inspection and clearance;

[भागII—खण्ड3(i)]

भारत का राष्ट्रिय : असाधारण

101

- (ze) all vessels to be deployed for production operations by the lessee shall obtain prior clearance from the Directorate General of Shipping in terms of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) and the rules made thereunder;
- (zf) the lessee shall ensure that intimation regarding award of contracts to contracted companies or persons along with relevant details of the contracts, including the name of the contracted entity, duration of the contract, subject matter of the contract, nature of equipments employed and data to be collected, if any, shall be forwarded to the Naval Headquarters (Directorate of Naval Intelligence), Ministry of Defence, along with a copy to the Department, Directorate, administering authority, before commencement of the operations by the lessee, providing six monthly long case on vessels deployment by operating companies;
- (zg) visa and such other permissions as may be required under the law for the time being in force, shall have to be obtained from the Government authority for all foreign personnel on board the vessel;
- (zh) the lessee shall take all precautionary measures for safety and security of all vessels and equipments deployed for production operations and the personnel on board;
- (zi) the lessee shall, for issuing the marine safety warnings, immediately inform the Flag Officer, Offshore Defence Advisory Group and the Department, Directorate, administering authority, the location indicating co-ordinates of all vessels, existing and under construction offshore installations or platforms, equipments and machineries deployed within the lease area, and thereafter its new location as and when it is shifted;
- (zj) the lessee shall forward to the Directorate General of Shipping, Director General, Indian Coast Guard, Department, Directorate, administering authority and any other Government authority, without delay, a report of any accident causing death or serious bodily injury or serious injury to property or seriously affecting or endangering life or property which may occur in the course of its production operations;
- (zk) the lessee shall maintain a copy of the production plan at the vessel or installation by way of which production operations are being carried out in the lease area, or at an earmarked site;
- (zl) the lessee shall not employ, in connection with the production operations, any person who is not an Indian national except with the prior approval of the administering authority;
- (zm) the lessee shall allow any officer authorised by the Department or the Directorate or the Central Government or the administering authority as the case may be, to enter upon any portion of lease area to inspect the lease area at all reasonable times and shall also supply, on demand all applicable plans and sections of the lease area as also the quantity of reserves grade-wise;
- (zn) the lessee shall, unless specifically exempted by the administering authority, provide, and at all times keep, within the lease area or at point of discharge from the lease area and at the port of unloading or discharge in India, at which the minerals shall be brought, a properly constructed and efficient weighing or measurement system, which may be specified;
- (zo) the lessee shall weigh or measure, or cause to be weighed or measured, all the produced and dispatched minerals, in accordance with the manner as may be specified;

Provided that the lessee shall at the close of each day ensure that the total data on production and dispatch of minerals, including all weights and measurements have been entered in the books of accounts maintained by the lessee:

Provided further that the lessee shall at all times during the term of the production lease, permit the administering authority, Department, Directorate and the Central Government to employ any person or persons to be present at the weighing or the measurement of the said minerals as aforesaid, and to keep accounts thereof, and to check the accounts kept by the lessee and the lessee shall give seven days prior notice in writing to the administering authority and authorised officer of the Department and Directorate for every such weighing, or measuring, in order that he or some officer on his behalf may be present thereat;

- (zp) the lessee shall at any time during the term of the production lease, allow any person or persons appointed in that behalf by the administering authority, Department, Directorate or the Central Government, to examine and test every weighing machine or measurement system to be provided and kept as aforesaid and the weights or systems used therewith in order to ascertain whether the same respectively are correct and in good repair and order:

Provided that if upon any such examination or testing, any such weighing machine or weights or measurement system is found incorrect, or out of order, the Department may require that the same be adjusted and put in order, by and at the expense of the lessee and if such requisition is not complied with within a period of fourteen days after the same has been made, the Department or any person authorised by the Central Government in this behalf may not grant transit permit till such weighing machine or weights or measurement system is calibrated and put in order;

- (zq) if upon any such examination or testing as aforesaid, any error is discovered in any weighing machine or weights to the prejudice of the administering authority, Department, Directorate or the Central Government, such error shall be regarded as having existed for a period of three months prior to the discovery thereof or from the last occasion of examining and testing the same weighing machine, weights and measurement system, in case such occasion is within the said period of three months, and the lessee shall, in addition to any other penalty or civil liability which may be imposed under the Act or rules made thereunder, pay the rent, royalty or any such other payment as applicable, accounted for accordingly;

- (zr) if the lessee fails to carry out or perform any of its obligations under this sub-rule or under the production lease deed within the time specified in that behalf, the Department may, at its discretion, cause the same to be carried out or performed and the lessee shall pay the Department, on demand, all expenses incurred in this regard by the Department and the decision of the Department as to such expenses shall be final.

- (zs) the lessee may, after paying the rents, rates and royalties payable under the Act and the rules made thereunder or under the production lease deed, on the expiry or termination of the lease term or within a period of six months thereafter (unless the production lease is terminated for default of the lessee, and in that case at any time not less than three months nor more than a period of six months after such termination) dismantle and remove for its own benefit, all or any ore mineral excavated during the currency of the production lease, vessels, installations, engines, machineries, pipelines, structures, equipments, platforms and infrastructure, erections and conveniences which may have been erected, set up or placed by the lessee in or upon the lease area and which the lessee is not bound to deliver to the Department or which the Department does not desire to purchase;

- (zt) if at the end of a period of six months after the expiry or termination of the production lease term there shall remain in or upon the lease area, any ore or mineral, engine, machineries, pipeline, structure, equipments, platform, and other work, erections and conveniences or other property which are not required by the lessee, the same shall, if not removed by the lessee within a period of one month of being notified to do so by the Department, be deemed to become the property of the Central Government and may be sold or disposed of, at the cost of the lessee, in such manner as the Department or the Central Government as may deem fit without liability to pay any compensation or to account to the lessee in respect thereof; and

- (zu) the lessee shall ensure that every personnel, vessel, installation, equipment and infrastructure deployed for the purposes of production operations in the lease area shall, at all times during the term of the production lease, be insured by the lessee in accordance with such regulatory requirements, as applicable under any law for the time being in force, and such other terms and conditions as may be specified by the Central Government or the administering authority.
- (2) Failure on the part of the lessee to fulfill any of the terms and conditions of the Act and the rules made thereunder or under the production lease shall not give the Central Government or the administering authority or the Department any claim against the lessee or be deemed a breach of production lease, in so far as such failure is considered by the Central Government or the administering authority or the Department to arise from a force majeure and in the event of any delay by the lessee to fulfill any of the terms and conditions of the Act and rules made thereunder or under the production lease on account of a *force majeure*, the period of such delay shall be added to the period fixed by these rules or the production lease.
- Explanation.**— For the purposes of this clause the expression "*force majeure*" means act of God, war, insurrection, riot, civil commotion, strike, earthquake, storm, tidal wave, flood, lightning, explosion, fire and any other happening which the lessee could not reasonably prevent or control.
- (3) The lessee shall report to the Department, Directorate, administering authority, the discovery in the lease area of any mineral not specified in the production lease as soon as reasonably practicable, in no event later than a period of sixty days from the date of such discovery, and shall not win and dispose of such discovered mineral without inclusion of such discovered mineral in the production lease deed.
- (4) In addition to the conditions specified in sub-rule (1), a production lease may contain following conditions as the Department or Directorate or administering authority or the Central Government may deem fit to impose, namely:-
- (a) the time-limit, mode and place of payment of rents and royalties;
 - (b) take measures, as specified by the Central Government, pertaining to prevention and control of pollution and conservation of marine ecosystem in protected areas including, marine national parks, marine sanctuaries or any other area, as may be notified by the Central Government;
 - (c) restrictions on production operations in any area prohibited by any competent authority;
 - (d) the notice by lessee for—
 - (i) entering into the lease area prior to commencement of production operations; and
 - (ii) commencement of production operations;
 - (e) the provision of proper weighment of mineral dispatched;
 - (f) the reporting of accidents;
 - (g) the indemnity to the Central Government, Department and administering authority against claims of third parties;
 - (h) the delivery of possession of lease area on the surrender, expiration or termination of the production lease;
 - (i) the forfeiture of property left after termination of production lease;
 - (j) the power to take possession of the lease area, vessels, installations and other infrastructure in the event of war or emergency; and
 - (k) any other conditions deemed necessary for grant of production lease.
- (5) The administering authority may, either with the prior approval of the Department or Central Government or at the instance of the Department or the Central Government, impose such further conditions as may be necessary in the interest of conservation and development of atomic minerals or areas containing atomic minerals in association with other minerals.

- (6) When a production lease is granted by the administering authority, arrangements shall be made by the Department or Directorate or administering authority, at the expense of the lessee, for the survey and demarcation of the lease area.
- (7) Subject to the conditions specified in this rule, the lessee for the purposes of production operations on the lease area to—
- work the mines, win and carry away the mineral;
 - sink pits;
 - erect, install or deploy, as the case may be, any vessels, platforms, equipments, installations and other infrastructure;
 - use sea water if required for production operations or transportation;
 - use any part of offshore lease area for storage purpose; and
 - do any other thing specified in the production lease.
- (8) If the lessee does not allow entry or inspection under clause (g), clause (j), clause (v), clause (zm), or clause (zp) of sub-rule (1), the Department shall give notice in writing to the lessee requiring him to show cause within such time as may be specified in the notice as to why the production lease should not be terminated and the performance security submitted by the lessee be forfeited; and if the lessee fails to show cause within the aforesaid time to the satisfaction of the Department, the Central Government, after consultation with the Department and with intimation to the administering authority, may terminate the production lease and may direct the administering authority to forfeit the whole or part of the performance security submitted by the lessee and take such other action in accordance with the Act and the rules made thereunder.
- (9) If the lessee is convicted for illegal mining and there are no orders of any court of law suspending the operation of the order of such conviction, the Central Government, after consultation with the Department and with intimation to the administering authority, may, without prejudice to any other proceedings that may be taken under the Act or the rules made thereunder, terminate such production lease and may direct the administering authority to forfeit the performance security submitted by the lessee, after giving such lessee an opportunity of being heard and for reasons to be recorded in writing and shall communicate to the lessee.
- (10) If the lessee makes any default in the payment of royalty as required under sub-section (1) of section 16 of the Act or contribution to the Offshore Areas Mineral Trust under sub-section (5) of section 16A of the Act or payment of fixed rent as required by sub-section (1) of section 17 of the Act or contribution towards the International Seabed Authority as required under section 18 of the Act or commits a breach of any of the conditions specified in the sub-rules (1), (2) and (5), the administering authority shall give notice to the lessee requiring him to pay the royalty or fixed rent or contribution to the International Seabed Authority or to the Offshore Areas Mineral Trust to remedy the breach, as the case may be, within a period of sixty days from the date of the receipt of the notice and if the royalty or fixed rent or contribution to the International Seabed Authority or the Offshore Areas Mineral Trust is not paid or the breach is not remedied within the said period, the Central Government, after consultation with the Department and with intimation to the administering authority, may, without prejudice to any other proceedings that may be initiated against him, terminate the production lease and may direct the administering authority to forfeit the whole or part of the performance security submitted by the lessee.

13. Action for contravention or non-fulfillment of obligations.— (1) In the case of contravention or non-fulfillment of the obligations under the exploration licence deed of composite licence or production lease

[भागII—खण् 3(i)]

भारत का रऱिपत्र : असाधारण

105

deed or the terms and conditions of composite licence or production lease, the Central Government, on recommendation of the Department and with intimation to the administering authority, reserves the right to take appropriate action, including the right to terminate the composite licence or production lease or direct the administering authority to forfeit, in whole or part, the amount of performance security deposited by the holder of composite licence or production lease:

Provided that no such order shall be made without giving the lessee a reasonable opportunity of stating his case.

- (2) If the licensee or lessee fails to carry out or perform any of its obligations under this sub-rule or under the exploration licence deed of composite licence or production lease deed within the time specified in that behalf, the Department may cause the same to be carried out or performed and the licensee or lessee shall pay the Department, on demand, all expenses incurred in this regard by the Department and the decision of the Department as to such expenses shall be final.

CHAPTER VI

LAPSE, SURRENDER OR TERMINATION

14. Lapsing of composite licence.—(1) Where the licensee fails to commence exploration operations within a period of one year after the grant of composite licence, or upon commencement, discontinues the exploration operations for a period of two years, the administering authority shall, after consultation with the Department and subject to the provisions of sub-rule (4) of rule 16, by an order declare the composite licence as lapsed from the date of execution of the composite licence or, as the case may be, discontinuance of the operation, and communicate the declaration to the licensee.

- (2) The lapsing of a production lease shall be recorded through an order issued by the administering authority and shall also be communicated to the lessee, Directorate and Department.
- (3) The administering authority may forfeit the performance security submitted by the licensee in full or in part, upon the lapse of a composite licence.
- (4) The licensee shall pay any expenditure incurred by the Central Government, administering authority, the Directorate and the Department over and above the performance security, towards carrying out any protective measures or taking any necessary steps, or such other measures as may be specified by the Central Government, to enable the natural rehabilitation of the seabed affected by the exploration operations.

15. Lapsing of production lease.—(1) Where the lessee fails to commence production operations within a period of two years after the grant of production lease, or upon commencement, discontinues the production operations for a period of two years, the administering authority shall, after consultation with the Department and subject to the provisions of sub-rule (1) of rule 16, by an order declare the production lease as lapsed from the date of execution of the production lease or, as the case may be, discontinuance of the operation, and communicate the declaration to the lessee.

- (2) Where production and dispatch has not commenced within a period of four years after the execution of the production lease, or is discontinued for a period of two years after commencement of production and dispatch, the administering authority shall, after consultation with the Department and subject to the provisions of sub-rule (1) of rule 16, by an order, declare the production lease as lapsed on the expiry of the period of four years from the date of its execution or, as the case may be, a period of two years from the date of discontinuance of the production and dispatch, and communicate the declaration to the lessee.
- (3) The lapsing of a production lease shall be recorded through an order issued by the administering authority and shall also be communicated to the lessee, Directorate and Department.
- (4) The administering authority may forfeit the performance security submitted by the lessee in full or in part, upon the lapse of a production lease.
- (5) The lessee shall pay any expenditure incurred by the Central Government, administering authority, Directorate and the Department over and above the performance security, towards carrying out any protective measures or taking any necessary steps, or such other measures as may be specified by the Central Government, to enable the natural rehabilitation of the seabed affected by the production operations.

16. Application for extension of periods.—(1) Where—

- (a) a licensee is unable to commence exploration operation or upon commencement, discontinues the operation within the period specified under sub-rule (1) of rule 14;
- (b) a lessee is—
- (i) unable to commence the production operations or upon commencement, discontinues the operation within the period specified in sub-rule (1) of rule 15; or

(ii) unable to commence the production and dispatch, or upon commencement, such production and dispatch is discontinued for the period specified under sub-rule (2) of rule 15,

in each case, for reasons beyond its control, it may submit an application to the administering authority, at least three months before the expiry of such period, seeking an extension of such period duly explaining the reasons for the same:

Provided where the licensee or the lessee has failed to make the application within the time specified above, due to the reasons beyond its control but has made application before the lapse of the composite licence, or the production lease, the administering authority may condone the delay in making such application.

- (2) Every application made under sub-rule (1) shall specify in detail, namely:—
- the reasons on account of which it is not possible for the lessee to undertake exploration operation or production operations or production and dispatch, as the case may be or continue exploration operations or production operations or production and dispatch, as the case may be;
 - the manner in which such reasons are beyond the control of the licensee or lessee; and
 - the steps that have been taken by the licensee or lessee to mitigate the impact of such reasons.
- (3) Every application under sub-rule (1) shall be accompanied by a fee of one lakh rupees.
- (4) The administering authority shall, after examining the adequacy and genuineness of the reasons for the non-commencement of exploration operations or production operations or production and dispatch, or discontinuance thereof, as the case may be, and in consultation with the Department, pass an order, within a period of three months from the date of receipt of the application made under sub-rule (1) or the date on which the composite licence or production lease, as the case may be, would have otherwise lapsed, whichever is earlier, either granting or rejecting such application:

Provided that any such extension shall not be granted for a period exceeding one year and such extension shall not be granted for more than once during the entire period of the composite licence or the production lease, as the case may be.

17. Surrendering production lease.—(1) The lessee may make an application to the administering authority for surrendering of the entire or a part of the production lease after giving a notice in writing of not less than a period of six months from the intended date of surrender.

- The administering authority shall permit surrender of entire or a part of the lease area only with the prior approval from the Department.
- The administering authority may allow surrendering a production lease under sub-rule (1) subject to the following conditions, namely:-

[भागII—खण्ड3(i)]

भारत का राष्ट्रिय : असाधारण

107

- every application for surrender of lease area, or part thereof, shall be accompanied by an approved final mine closure plan;
- the lessee has submitted a certificate from the Director of the Directorate confirming implementation of the final mine closure plan approved by the Director of the Directorate, including any other document to evidence implementation of the approved final mine closure plan;
- surrender of a part of the lease area shall comprise only contiguous standard blocks along the boundaries of the existing lease area and such area shall have been properly surveyed;
- all dues with respect to the production lease have been settled;
- the lessee shall deposit an amount equal to the estimated expenditure (in excess of the existing performance security), if any, to be incurred by the Central Government, administering authority, Directorate or the Department towards protective measures or take any necessary steps or such other measures, as may be specified by the Central Government, to enable the natural rehabilitation of the seabed affected by production operations in the lease area; and

- (f) the provisions regarding systematic development of mineral deposit provided in the production plan including the measures for protection of environment have been complied with.
- (4) In case of surrender of the entire area before exhaustion of the mineral resources, the performance security provided by the lessee shall be forfeited:
 - Provided that the performance security shall not be forfeited in case—
 - (i) the lessee faces hindrances in production operations due to operations of other lessees of petroleum or offshore wind power projects or operations of Government security agencies or other government agencies; or
 - (ii) ten years have elapsed after execution of production lease and the lessee finds the production operations are uneconomic.
- (5) The administering authority may refuse to accept such surrender of the entire or a part lease area for the reasons to be communicated in writing to the lessee.
- (6) The lessee shall pay any expenditure over and above the performance security incurred by the Central Government, administering authority, Directorate or the Department towards carrying out any protective measures or taking any necessary steps, or measures, including as specified by the Central Government, to enable the natural rehabilitation of the seabed affected by the production operations in the lease area which has been surrendered.

18. Termination.—(1) The Central Government may, after consultation with the Department and with intimation to the administering authority, terminate a production lease or composite licence under the provisions of sub-section (1) of section 7 of the Act, if it is of the opinion that such termination is expedient in public interest, strategic interest of the country, in the interest of development and regulation of offshore mineral resources, preservation of natural environment and prevention of pollution, avoidance of danger to public health or communication, ensuring safety of any offshore structure or conservation of mineral resources or for any other reason.

- (2) Without prejudice to sub-rule (1) and subject to sub-rule (2) of rule 11 and sub-rule (2) of rule 12, the Central Government may, after consultation with the Department and with intimation to the administering authority, terminate a composite licence or production lease, if such lessee at any time during the term of the production lease or composite licence, —
 - (a) fails to fulfil, or contravenes, any of the terms, covenants and conditions contained therein or in the Act or the rules made thereunder; or
 - (b) fails to use the offshore area covered by it for bona fide purpose for which it has been granted; or
 - (c) uses such offshore area for a purpose other than for which it has been granted; or
 - (d) fails to comply with Indian laws and regulations, international conventions or treaties to which India is a party including those applicable for environmental protection, pollution control, hazardous wastes; or
 - (e) fails to abide by the directives of the administering authority, Central Government, Department, Directorate or Government security agencies.
- (3) No order for premature termination of operating right under this rule shall be made except after giving the lessee or the licensee, as the case may be, a reasonable opportunity of being heard, except in cases where premature termination is being done on the grounds of strategic interest of the country.
- (4) Irrespective of anything contained in this rule, if any failure, contravention or use referred to in sub-rule (2), is of a remediable nature, the Central Government may give notice to such person requiring him to remedy the same within a period of sixty days from the date of receipt of the notice and informing him that his composite licence or production lease may be terminated without any further notice, in case such failure, contravention or use is not remedied within such period specified above.
- (5) In the event of termination of a production lease or composite licence under the provisions of the Act or the rules made thereunder, the administering authority may forfeit the performance security submitted by the lessee.

- (6) The lessee or the licensee shall deposit an amount equal to the estimated expenditure (*in excess of the forfeited performance security*), if any, to be incurred by the Central Government, Directorate, Department or the administering authority, as determined by the administering authority, towards carrying out any protective measures or taking any necessary steps, or such other measures, as may be specified by the Central Government to enable the natural rehabilitation of the seabed affected by the production operations, as the case may be.

19. Transfer of production lease or composite licence.—(1) The holder of a production lease or composite licence (herein after referred to as the transferor) may transfer his production lease or composite licence, as the case may be, to any person eligible to hold a production lease or composite licence in accordance with the provisions of section 13B of the Act and the rules made thereunder (herein after referred to as the transferee) with the prior approval of the administering authority.

- (2) The transferor and the transferee shall, prior to the transfer, jointly submit an application to the administering authority in Form E, which shall contain details of the consideration payable by the transferee for the transfer, including the consideration in respect of the exploration operations or production operations already undertaken and the reports and data generated during the operations.
- (3) The administering authority shall, subject to previous approval of the Department, convey its decision to approve or reject such transfer for the reasons to be recorded in writing:
- (a) Provided that no such transfer of a production lease or a composite licence shall be made in contravention of any condition subject to which the production lease was granted.
- (4) Every transfer effected under this rule shall be subject to the condition that all dues with respect to the composite licence or production lease shall be settled prior to such transfer, and that the transferee has accepted all the conditions and liabilities under any law for the time being in force which the transferor was subject to in respect of such a production lease or composite licence, as the case may be.
- (5) On and from the date of transfer, the transferee shall be liable towards the administering authority, Department and the Central Government with respect to any and all liabilities with respect to the composite licence or production lease, as the case may be.

[भागII—खण्ड3(i)]

भारत का राष्ट्रिय : असाधारण

109

- (6) The transferor and the transferee shall jointly submit a registered deed, in Form F, within a period of thirty days from the date of receipt of a letter of approval from the administering authority as specified in sub-rule (3).
- (7) If a registered transfer deed is not submitted to the administering authority in accordance with sub-rule (6), the transfer application made under sub-rule (2) shall become ineligible.
- (8) The date of commencement of the transfer deed shall be the date on which an executed transfer deed is registered.
- (9) Every holder of a composite licence or production lease who transfers such composite licence or production lease, in accordance with the provisions of the Act or the rules made thereunder, to any other person, shall, within a period of thirty days of the date of such transfer, send an intimation thereof in Form G to the Department, Directorate and the administering authority.
- (10) The administering authority shall intimate the Naval Headquarters (Directorate of Naval Intelligence), Ministry of Defence and such other authority or department as specified by the Department, in writing about any transfer of a composite licence or production lease, as the case may be.
- (11) The Central Government may, after consultation with the Department and with intimation to the administering authority may, by an order in writing terminate any production lease or composite licence, as the case may be, and the administering authority may forfeit the performance security, at any time if the lessee or the licensee, has committed a breach of any of the provisions of this rule or has transferred such production lease or composite licence or any right, title, or interest therein otherwise than in accordance with this rule:

Provided that no such order shall be made without giving the lessee or licensee a reasonable opportunity of being heard.

- 20. Encumbrance and enforcement of security interest.**—(1) A person holding a composite licence or production lease may create any encumbrance over such composite licence or production lease.
- (2) In the event of enforcement of security interest with respect to such encumbrance, the operating right shall be assigned only to such transferee who meets all the eligibility conditions which were required to be met by the transferor for grant of such composite licence or production lease and in the manner as specified in rule 19:

Provided that in such cases the creditors enforcing the security interest may submit the transfer application on behalf of the transferee.

CHAPTER VII MINERALS VALUATION

- 21. Valuation of atomic mineral.**—Valuation of atomic minerals shall be in accordance with the provisions of Chapter VII of the Offshore Areas Operating Right Rules, 2024, as applicable:

Provided that wherever any power, function or responsibility of the Indian Bureau of Mines or its officers is specified or any information is to be submitted to the Indian Bureau of Mines or its officers, the same shall be deemed to be power, function or responsibility of the Directorate or its officers or requirement of submission of information to the said Directorate or its officers for minerals having grade equal to or greater than the threshold value in respect of atomic minerals, in the following manner, namely:-

- (a) any reference to the Indian Bureau of Mines, to be deemed to be reference to the Directorate;
- (b) any reference to the Controller General or the Chief Controller of Mines or the Controller of Mines or the Regional Controller or the Indian Bureau of Mines, to be deemed to be reference to the Director or as the case may be, the authorised officer of the Directorate.

CHAPTER VIII PAYMENTS

- 22. Fees and deposit are to be made.**—Any amount payable under the Act or the rules made thereunder except that payable in respect of an appeal under sub-rule (2) of rule 26; an exploration plan under sub-rule (1) of rule 9; production plan under sub-rule (1) of rule 10, shall be paid in such manner as the administering authority may specify in this behalf.
- 23. Payment of interest.**—The administering authority may, without prejudice to the provisions contained in the Act or the rules made thereunder, charge simple interest at the rate of twelve per cent. per annum on any rent, royalty or fee other than the fee payable under sub-rule (1) of rule 9 or sub-rule (1) of rule 10, or other sum due to that the administering authority under the Act or rules made thereunder or terms and conditions of operating right from the expiry of the date fixed by the administering authority for payment of such royalty, rent, fee or other sum and until payment of such royalty, rent, fee or other sum is made.
- 24. Payments under production lease.**— The lessee shall pay royalties to the Central Government in the manner specified in section 16 of the Act or the fixed rent specified in section 17 of the Act.
- 25. Payments under section 16A and section 18 of the Act.**—In addition to the payments specified herein, the holder of a production lease shall be required to pay to the Offshore Areas Mineral Trust and the International Seabed Authority in accordance with the provisions of sections 16A and section 18 of the Act, and the rules made thereunder.

CHAPTER IX APPEAL

- 26. Application for appeal.**—(2) Any person aggrieved by any order passed by the administering authority, the Directorate or any officer in exercise of the powers conferred on it by the Act or the rules made thereunder, in relation to atomic minerals having grade equal to or greater than the threshold value in respect of atomic

minerals, may prefer an appeal to the Department in triplicate in Form H in each case, within a period of three months of the date of receipt of such order:

Provided that any such appeal may be entertained after the said period of three months if the appellant satisfies the Department that he had sufficient cause for not preferring the appeal within the stipulated time.

- (2) The appeal shall be accompanied by a fee of ten thousand rupees payable either by way of a bank draft drawn on a Scheduled bank in the name of 'Pay and Accounts Officer, the Department of Atomic Energy' payable at Mumbai, in case of an appeal lying before the Department, or by way of a bank transfer to the designated bank account of the Department.
- (3) Every appeal under sub-rule (1) shall be made only after impleading all the necessary parties and serving a copy of the memorandum of appeal on such parties by way of advance service and furnish proof thereof.
- (4) The appellant shall, along with the memorandum of appeal under sub-rule (1), submit as many copies as may be specified by the Department.
- (5) On receipt of the memorandum of appeal, the Department shall send a notice to each of the parties impleaded under sub-rule (3) specifying a date on or before which he may make his representation, if any, against the appeal.
- (6) The Department shall be empowered to specify any applicable procedures or requirements for deciding appeals under this rule.

27. Orders on appeal application.—(2) On receipt of a memorandum of appeal under rule 26, the Department shall forward the copies of such memorandum of appeal to the administering authority or Directorate or other authority calling upon them to make such comments as they may like, within a period of three months from [भागII—खण्ड3(i)]

भारत का राष्ट्रिय : असाधारण

111

the date of issue of the communication, and the administering authority or Directorate or other authority, while furnishing comments to the Department shall simultaneously endorse a copy of the comments to the other parties.

- (2) The comments received from any party under sub-rule (1) shall be forwarded to the other parties for making such further comments as they may like to make within a period of one month from the date of issue of the communication and the parties making further comments shall send them to all the other parties.
- (3) The application for appeal, the communications containing comments and counter-comments referred to in sub-rules (1) and (2) shall constitute the records of the case.
- (4) After considering the records referred to in sub-rule (3), and after giving the parties to the appeal a reasonable opportunity of being heard and after making such inquiry as it deems proper, the Department may confirm, modify or reverse the order appealed against or send back the case with such directions as it may deem fit for a fresh order after taking additional evidence, if necessary.
- (5) During the pendency of appeal, the Department may for sufficient cause, stay the execution of the order against which an appeal has been preferred.

CHAPTER X MISCELLANEOUS

28. Ownership and confidentiality of exploration data.—(2) All data obtained as a result of exploration operations or production operations including, but not limited to, all geophysical data relating to exploration or production or engineering surveys such as anomaly maps, sections, plans, structures, contour maps, logging, reports, samples, including the data pertaining to quantum of such samples won and extracted, shall be the sole property of the Central Government:

Provided that such lessee or agency specified or notified under the proviso to sub-section (1) of section 5 of the Act may make use of such data, free of cost, for the purpose of such exploration operations or production operations, as the case may be.

- (2) While submitting reports under sub-rule (4) of rule 4 or sub-rule (17) of rule 6, the agencies permitted under the proviso to sub-section (1) of section 5 of the Act or the holder of the composite licence, as the case may be, may specify that the whole or any part of the reports and data submitted by him shall be kept confidential, and the concerned authorities shall thereupon, keep such portions of the submitted reports and data as confidential as may be deemed fit:

Provided that the Central Government may use such confidential reports and data for its own purposes:

Provided further that upon termination or expiration or completion of the reconnaissance operation or exploration operation or abandonment, all reports and data submitted by the said agencies shall become the sole property of the Central Government.

- (3) While submitting reports under clause (f) of sub-rule (1) of rule 11 or clause (w) of sub-rule (1) of rule 12, the lessee may specify that the whole or any part of the reports and data submitted by him shall be kept confidential, and the concerned authorities shall thereupon, keep such portions of the submitted reports and data as confidential as it may deem fit:

Provided that the Central Government may use such confidential reports and data for its own purposes:

Provided further that upon termination or expiration or surrender or abandonment of the production lease, all reports and data submitted by the said lessee shall become the sole property of the Central Government.

- 29. Power to rectify apparent mistakes.**—Any clerical or arithmetical mistake in any order passed by the Department or administering authority or any other authority or officer under these rules and any error arising therein due to accidental slip or omission, may, within a period of two years from the date of the order, be corrected by the Central Government, authority or officer, as the case may be:

Provided that no rectification order prejudicial to any person shall be passed unless he has been given a reasonable opportunity of being heard.

- 30. Copies of production lease, annual returns and reports, to be supplied to the Ministries and other authorities.**—(1) Upon grant of any operating right, a list containing the details of the offshore areas for which such operating right has been granted by the administering authority shall be furnished to the Ministries and departments as specified under sub-rule (3) of rule 6 or sub-rule (3) of rule 7, as the case may be.

- (2) A copy of every operating right granted under the Act and the rules made thereunder shall be furnished by the administering authority within a period of two months of such grant to the Director of the Directorate and the Director General, Directorate General of Mines Safety.

- (3) A consolidated annual return of all composite licences and production leases granted under the Act and the rules made thereunder shall also be furnished by the administering authority to the Director of the Directorate in such form as may be specified by him, not later than the 30th day of June following the year to which the return relates, a copy of which shall also be furnished by the administering authority to the Director General, Directorate General of Mines Safety at the same time.

- (4) All relevant data, reports, samples and other relevant information pertaining to production operations as submitted by the lessee under clause (f) of sub-rule (1) of rule 11 and clause (w) of sub-rule (1) of rule 12, shall be submitted by the administering authority to the Chief

Hydrographer to the Government of India and to the Directorate General of Hydrocarbons within one month of from the date of receipt.

- 31. Change of name, address to be intimated.**—The holder of a composite licence or production lease shall intimate to the Department and administering authority within a period of sixty days any change that may take place in its name, registered office and details of majority owners or other particulars furnished to the Department and the administering authority in



Form I.

- 32. Furnishing of geophysical data, etc.**—(1) A holder of an operating right or a person conducting exploration operations, as the case may be, shall furnish all information pertaining to investigations of atomic minerals collected or discovered and stored by him during the course of exploration operations and production operations to the administering authority, Director of the Directorate, Director General, Geological Survey of India, and any other authority as may be specified by the Department, in which the exploration operations or production operations are carried on.
- (2) The data or information referred to in sub-rule (1) shall be furnished every year reckoned from the date of commencement of the period of the production lease.
- 33. Registers.**— A register of operating rights granted under the Act and the rules made thereunder shall be maintained by the administering authority in Form J, which shall be accessed by the Directorate, the Department and the Board, whenever required, for the purpose of ensuring conservation of atomic minerals, and enforcing radiological safety regulations, respectively.
- 34. Amalgamation of production leases.**—(1) The administering authority may, in the interest of mineral development, and with reasons to be recorded in writing, permit amalgamation of two or more adjoining production leases held by a lessee:
- Provided that the period of amalgamated production leases shall be co-terminus with the production lease, whose period shall expire first:
- Provided further that prior approval of the Department shall be obtained for such amalgamation.
- [भागII—खण्ड 3(i)] भारत का राष्ट्रिय : असाधारण
113
- (2) Without prejudice to the provisions of the Act or any rules made thereunder or the terms and conditions of a production lease, every holder of a production lease shall, within a period of thirty days from the date of amalgamation of production leases carried out under sub-rule (1), send an intimation thereof to the Department, Directorate and the administering authority.
- 35. Boundaries below sea level.**— The boundaries of a composite licence or production lease shall be indicated by the longitudes and latitudes and shall run vertically downwards below the surface towards the centre of the earth.
- 36. Supply of certain information to new operating right holder.**—Where any area has previously been held under an operating right, the person who was granted such operating right shall make available to the new operating right holder the original or certified copies of all plans, including abandoned workings, in that area.
- 37. Completion of any requirement on a public holiday.**— When the day of completion of any requirement under these rules is falling due on a public holiday, the day of completion shall be deemed to be due on the next working day.
- Explanation.**— For the purpose of this rule, the expression „public holiday“ includes Saturday, Sunday and any other day declared to be a public holiday by the Central Government.

CHAPTER XI PENALTY

- 38. Penalty.**— (1) Whoever contravenes the provisions of sub-rule (4) or (7) of rule 4 or rule 32 shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine of five lakhs rupees, which may extend to ten lakh rupees, or with both, and in the case of a continuing contravention, with additional fine which may extend to one lakh rupees for every day during which such contravention continues after conviction for the first such contravention.
- (2) Whoever contravenes the provisions of rule 8, rule 9, rule 10, rule 11, rule 12, sub-rule (4) of rule 14, sub-rule (5) of rule 15, sub-rule (6) of rule 17, sub-rule (6) of rule 18, rule 19, rule 20, rule 24, rule 25 or rule 31 shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to five years or with fine of fifty lakhs rupees, which may extend to one crore rupees, or with both, and in the case of a continuing

contravention, with additional fine which may extend to five lakh rupees for every day during which such contravention continues after conviction for the first such contravention.



SCHEDULE A

[See rules 4(1), 4(4), 5, 6(17), 6(19)]

Parameters for Establishing the Existence of Mineralisation for Atomic Minerals

The terms used, pertaining to levels of exploration and the category of resources and reserves achieved through various levels of exploration have been defined in Part I of the Schedule. The parameters for establishing the existence of mineral content in an area in terms of quantity and grade have been specified in Part II, Part III, Part IV and Part V of the Schedule.

Part I Definitions

The definitions and codes used in this Part are proposed following the United Nations Framework Classification and Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards Template and have been suitably modified to suit the needs of the country.

(a) Definition of stages of exploration:

The exploration for any mineral deposit involves four stages, namely, Reconnaissance Survey (G4), Preliminary Exploration (G3), General Exploration (G2) and Detailed Exploration (G1) and these stages of exploration lead to four resource categories, namely, Reconnaissance Mineral Resource, Inferred Mineral Resource, Indicated Mineral Resource and Measured Mineral Resource respectively reflecting the degree of geological assurance, which are explained as follows: —

Sl. No.	Stages of Exploration	Definition with explanation
1.	Reconnaissance Survey (Exploration) (G4) Quantity with grade estimated mostly based on regional seabed mapping supported by limited subsurface sampling and indirect existence.	Reconnaissance Survey (G4) identifies areas of enhanced mineral potential based primarily on results of regional seabed mapping comprising bathymetric survey, limited sub-bottom profiler, shallow seismic survey, study of wide spaced surface sediment samples and limited subsurface seabed samples for sedimentological and mineralogical data through laboratory studies.
2.	Preliminary Exploration (G3) Quantity with grade estimated with low level of confidence	Preliminary Exploration involves the initial delineation of an identified mineral deposit area of previous stage of exploration (G4) by furthering the exploration to extend and identify both laterally and vertically down (third dimension) of the ore body. The methods utilised may involve: detailed bathymetric survey carried out at closer spaced survey lines, close spaced sub-bottom profiler and / or shallow seismic survey, collection of core samples at closer interval, detailed study of samples for particle size distribution and mineral content for delineation of mineral bearing sediment unit both horizontally and vertically, chemical analysis of selected bulk samples for major oxides, trace elements including deleterious elements, REE (rare earth elements).

3.	General Exploration (G2) Quantity with grade estimated with moderate level of confidence	General Exploration involves increasing the geological confidence level and understanding style and mode of occurrence of mineralisation. Methods used may include multibeam bathymetric survey or swath bathymetry for detailed morphology of seabed, close spaced sub-bottom profiling or shallow seismic profiling, sub-seabed sampling with deeper coring/drilling at further closer intervals (spacing may vary for each type of mineral depending upon its depositional characteristics), detailed study of samples for particle size distribution and mineral content for delineation of mineral bearing sediment unit both horizontally and vertically. Chemical analysis of selected bulk samples for major oxides, trace elements including deleterious elements, rare earth elements and selected bulk sampling for laboratory scale mineral beneficiation and estimation of mineral reserve if felt necessary. Collection of environmental parameters such as current, waves, wind, water quality, Total Suspended Solids etc. The objective is to establish the main geological features of a deposit, giving a reasonable indication of continuity along lateral and vertical (third dimension) extensions which provide an initial estimate of size, shape, structure of mineralised zone, quantity and grade of the mineral deposit.
----	--	---

[भागII—खण्ड3(i)]

भारत का रजिस्टर : असाधारण

115

4.	Detailed Exploration (G1) Quantity with grade estimated with high level of confidence	Detailed Exploration involves the detailed three-dimensional delineation of a known mineral deposit which may be achieved through various studies that may include close spaced sub-bottom profiling and / or shallow seismic profiling for detailed sub-sea morphology, close spaced sub-seabed sampling with deeper coring/drilling (spacing may vary for each type of mineral depending upon its depositional characteristics), detailed study of samples with closer subsampling for particle size distribution and mineral content for delineation of mineral bearing sediment unit both horizontally and vertically. Chemical analysis of selected bulk samples for major oxides, trace elements including deleterious elements, REE (rare earth elements), collection of environmental parameters such as current, waves, wind, water quality, Total Suspended Solids (TSS) etc. Sampling locations are closely spaced such that size, shape, structure, quantity, grade, and other relevant characteristics of the deposit are established with a high degree of confidence. Bench scale beneficiation tests involving bulk sampling may be required in certain cases to understand the recovery and any additional by products.
----	---	---

(b) Definition of stages of feasibility study:

Sl. No.	Category	Definition with explanation
---------	----------	-----------------------------

1.	Geological Study (F3)	A geological study involves reporting of all the exploration activities undertaken during each stage of exploration including the assessment of the mineral resources with quantity and grade. A preliminary economic evaluation of the deposit should be done based on the gathered field data and a comparison with the similar deposits already in operation. This is achieved by applying meaningful threshold values, cut off values for grade, thickness and depth of the mineralised zone.
2.	Pre-Feasibility Study (F2)	Pre-Feasibility Study is the study to demonstrate the possible techno-economic and socio-environmental viability of a mineral deposit through application of various modifying factors wherein a preferred production method has been ascertained including the mineral beneficiation method, if any. The study shall also include a preliminary financial analysis based on reasonable assumptions on the applicable modifying factors and the evaluation of any other relevant factors which are sufficient to convert all or part of the resources to reserves. The study should lead to part or whole of the Mineral Resource being converted to Mineral Reserve. A Pre-Feasibility Study has a lower confidence level than a Feasibility Study (wherein the cost estimates of the project will have +30% degree of accuracy).
3.	Feasibility Study (F1)	Feasibility Study is a detailed comprehensive techno-economic and socio-environmental evaluation of a mineral deposit through application of various modifying factors to establish the technical feasibility, economic and financial viability of a mineral deposit. At this stage the preferred production method, beneficiation technology of the deposit has been adequately established with
		detailed assessments of the applicable modifying factors, relevant operational factors and detailed financial analysis to demonstrate that extraction is reasonably justified. It is expected that all Governmental clearances to start production operations are already in place at the time of reporting and where such clearances have not been obtained then such clearances are expected to be obtained in due course before commencement of production operation. The study may lead to part or whole of the Mineral Resource being converted to Mineral Reserve. The result of the study may reasonably serve as a basis for final decision by a proponent or financial institution to proceed with or finance the development of the project (wherein the cost estimates of the project will have +20% degree of accuracy).
4.	Modifying Factors	Modifying Factors are those factors which are taken into consideration while conducting a prefeasibility or feasibility study to convert mineral resources to mineral reserves. These include but are not limited to production, processing, end use, cut-off grade, threshold value, metallurgical, infrastructure, economic, marketing, transportation, storage, legal, environmental, social and Governmental factors.

(c) Definition of stages of economic viability:

Sl. No.	Category	Definition with explanation
---------	----------	-----------------------------

1.	Intrinsically Economic (E3)	Quantities, reported in tonnes or volume with grade or quality, estimated by means of a Geological Study identified to be of intrinsic economic interest, implying that the resources identified may or may not have any immediate economic value. The economic viability of the resources is further ascertained through a prefeasibility or feasibility study by application of appropriate modifying factors. The classes defined are Measured, Indicated, Inferred and Reconnaissance Mineral Resources.
2.	Potentially Economic (E2)	Quantities with grade reported by means of a Pre-feasibility (F2) or Feasibility (F1) Study in order of increasing accuracy, not justifying extraction under the prevailing technological, economic, environmental, and other relevant conditions, realistically assumed at the time of the determination, but possibly so in the future. The Potentially Economic (E2) Deposits are normally classified as Pre-feasibility Mineral Resources (F2) but sometimes as Feasibility Mineral Resources (F1) which are upgraded to indicated and measured resources.
3.	Economic (E1)	Quantities with grade identified on the basis of a Prefeasibility or Feasibility Study in order of increasing accuracy that justify extraction under the prevailing techno-economic, socio-environmental and other relevant conditions, realistically assumed at the time of the determination. The classes defined are Proved and Probable Mineral Resources.

[भागII—खण्ड 3(i)]

भारत का राष्ट्रिय : असाधारण

117

(d) Definition of classes of mineral resources and reserve:

Sl. No.	Classes	Definition with explanation
1.	Mineral Resource	Mineral Resource is a concentration or occurrence of solid material in or on the earth's surface (seabed) for which quantities with grade or quality have been estimated based on certain geological considerations and understanding which may or may not have any immediate or near-term economic value but are assessed for their future prospective value.
2.	Reconnaissance Mineral Resource (334)	Reconnaissance Mineral Resources (334) are estimates of quantity and grade based on indirect existence including data and information generated through a reconnaissance survey, limited surface, and subsurface sampling data from within the exploration block or data extrapolated from nearby production or explored areas as may be required. The quantity and grade estimates have a lower level of confidence than that of inferred mineral resources.

3.	Inferred Mineral Resource (333)	(1) Inferred Mineral Resource is the quantity with grade associated with a mineral deposit which can be estimated with a low level of confidence. (2) This is achieved through application of appropriate exploration techniques involving widely spaced seabed coring or drilling followed by appropriate sub-sampling and analysis, detailed morphology of seabed, sensor surveys like sub-bottom profiling and/or shallow seismic survey to assume geological continuity of the mineralised body, both laterally and vertically. Certain level of extrapolation beyond the sampling points may be allowed with suitable justification depending upon the type of deposit and its mode of occurrence to understand the ore body. (3) This resource cannot be converted to mineral reserve but may be upgraded to Indicated Mineral Resources with additional information.
4.	Indicated Mineral Resource (332)	(1) Indicated Mineral Resource is the quantity with grade associated with a mineral deposit which can be estimated with a moderate level of confidence. (2) This is achieved through application of appropriate exploration techniques involving close spaced seabed coring or drilling than the previous stage and / or shallow drilling, detailed morphology of seabed, closed spaced sensor surveys (sub-bottom profiling and/or shallow seismic survey) having spacing wider than that required for estimation of measured resources which ensures assumption of the geological continuity of the mineralised body, both laterally and vertically. This also includes the laboratory scale beneficiation studies if required to understand the recovery and by-products, if any. (3) Indicated Mineral Resource may be wholly or partly converted to Probable Mineral Reserve through a prefeasibility study by collecting more geological data, detailed economic assessment etc.
5.	Measured Mineral Resource (331)	(1) Measured Mineral Resource is the quantity with grade associated with a mineral deposit which can be estimated with a very high level of geological confidence. (2) This is achieved through application of appropriate exploration techniques involving sufficiently close spaced seabed coring/ drilling, shallow drilling followed by appropriate sub-sampling and analysis to ensure geological continuity of the mineralised body both laterally and vertically. Bench scale beneficiation studies if necessary, may be taken up to confirm the percentage recoverability with additional minerals, if any recovered. (3) Measured Mineral Resource may be wholly or partly converted to Proved or Probable Mineral Reserve through a feasibility or a prefeasibility study.
6.	Mineral Reserve	Mineral Reserve is the economically mineable part of a Measured and/or Indicated Mineral Resource. It includes diluting materials and allowances for losses, which may occur when the material is mined or extracted. The quantity and grade of the Mineral Reserves is ascertained through suitable prefeasibility or feasibility study by application of appropriate modifying factors.

7.	Proved Mineral Reserve (111)	Proved Mineral Reserve is the economically mineable part of a Measured Mineral Resource. The quantity with grade is demonstrated to be economically mineable by means of a feasibility study. A Proved Mineral Reserve implies a high degree of confidence in the modifying factors.
8.	Probable Mineral Reserve (121 and 122)	(1) Probable Mineral Reserve is the economically mineable part of an Indicated Mineral Resource, and in some circumstances, a Measured Mineral Resource. The quantity with grade is demonstrated to be economically mineable by means of a prefeasibility study. (2) The confidence in the modifying factors applying to a Probable Mineral Reserve is lower than that applying to a Proved Mineral Reserve
9.	Feasibility Mineral Resource (211)	Feasibility Mineral Resource is that part of Measured Mineral Resource which is not economically mineable and has been defined by studies at feasibility level as appropriate that extraction is presently not justified. This material is identified as being possibly economically viable subject to changes in technological, economic, and environmental or other relevant conditions.
10.	Pre-Feasibility Mineral Resource (221 and 222)	Pre-feasibility Mineral Resource is that part of an Indicated Mineral Resource, and in some circumstances Measured Mineral Resource, which is not economically mineable and has been defined by studies at prefeasibility level as not appropriate for extraction at present. This material is identified as being possibly economically viable subject to changes in technological, economic, and environmental and/or other relevant conditions.

[भागII—खण्ड3(i)]

भारत का राष्ट्रिय : असाधारण

119

Part II**Geological Parameters for exploration**

1.	Geological Survey (Seabed Mapping): On 1:50,000 scale for Reconnaissance Survey (G4) stage; in the Territorial Waters; 1:3,00,000 scale in the Exclusive Economic Zone for Reconnaissance Survey (G4) stage beyond Territorial Waters; on 1: 50,000 or larger scale for Preliminary Exploration (G3) stage; 1: 10,000 or larger scale for General Exploration (G2) stage; on 1: 5,000 or larger scale for Detailed Exploration (G1) stage. Generally, this stage of mapping may involve bathymetry, sub-bottom profiling and /or shallow seismic profiling, seabed surface sampling at wider spacing, limited coring/ drilling of sub-seabed, water sampling, current measurement at Reconnaissance Survey at selected locations (G4) stage; intensification of all or some methods of surveys with closer spacing at Preliminary Exploration (G3) stage based on the results of (G4) stage; multibeam bathymetry / swath bathymetry, sub-bottom profiling or shallow seismic profiling at closer spacing, intensified coring or shallow drilling of seabed at much closer spacing, bulk sampling, laboratory beneficiation studies, water sampling, current studies in target areas at General Exploration (G2) stage; much closer, deeper investigation with detailed sensor studies, bench level beneficiation at Detailed Exploration (G1) stage.
----	--

2.	Technological: Exploration and sampling using appropriate techniques from locations on the seabed. The sampling locations are spaced suitably (in a grid pattern to the extent possible and may be modified depending on seabed morphological features) for establishing existence of mineral rich bodies and its lateral and vertical continuity. Part III of the Schedule may be referred for further details. For Reconnaissance Survey (G4) stage sampling data from seabed may be used for assessment of resources, if possible. For General (G2) and detailed (G1) stages of exploration, the depth continuity of mineralisation may be considered limited to the depth up to which direct existence of mineralisation is established. The lateral extension to be considered for resource assessment shall depend on geological considerations supplemented by geological continuity through mapping or other means and in any case shall not be more than 50% of the grid spacing of the probe points. Assessment based on selected information such as isolated samples and analysis is not recommended.
3.	Sampling and sub-sampling: (a) Systematically wider spaced grab sampling, limited core sampling and sub-samples from core samples for reconnaissance stage. (b) Systematic sampling from core samples spaced closely enough and limited drill cores to confirm geological and grade continuity for other stages of geological assessment. (c) Geological logging and sampling of sediment core at regular interval, preferably at 1 meter or less for the whole core. (d) The drilling operation in offshore turbulent conditions is very critical and technique to be deployed shall depend on the sea condition in general and weather conditions season wise. Core recovery depends upon the drilling equipment and stability of the floating platform. (e) The representative exploration samples, surface samples, cores shall be preserved, for future use.
4.	Laboratory Tests: Chemical analysis of sediment and water samples.
5.	Sedimentological, Petrographic and Mineragraphic Studies: to ascertain the sediment grain size, sediment types, texture and minerals present and their assemblages.
6.	Bulk Density Study: The bulk density, porosity, shear strength, liquidity, compaction etc., must be measured by standard methods for geotechnical properties and slope stability for selected samples.
7.	Bulk Sampling for Beneficiation Studies: Bulk sampling if necessary for testing processing technology.
8.	Marine Environmental Setting: Current, wave, noise levels, deleterious elements if any present in the surface and sub-surface sediments, details about sea water quality, suspended solids, Total Dissolved Solids (TDS), salinity, temperature, Dissolved Oxygen (DO), Biological Oxygen Demand (BOD), Marine Biota etc. and any other data as may be required by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for environmental impact assessment studies may be taken up at G2 Stage of investigation.
9.	Any other data that may be relevant including geotechnical and slope stability studies.

Part III

Exploration norms for different types of deposits and Minerals

Type of deposit and Principal Minerals

- I. Beach Sand Minerals** (seabed sediments with quantities of economic heavy minerals like ilmenite, magnetite, sillimanite, garnet, monazite, zircon, rutile, leucosene, and other similar economically mineable heavy minerals that occur on the continental shelf as blanket deposit) .

G4 Stage	G3 Stage	G2 Stage	G1 Stage
----------	----------	----------	----------

(a) Bathymetric map in 1:50,000 scale prepared with single beam echo sounder or spot depth measurement at appropriate intervals and tie lines. (b) One or more shallow seismic profiles or sub bottom profiler across the block indicating the disposition of subsurface sedimentary units or rocks, presented in a horizontal scale of 1:50,000 and vertical scale of 1:10,000 scale. (c) Seabed sampling using grab or any other device at 5km x 5 km grid spacing. (d) Sedimentological or petrological and mineralogical analysis of the sample to identify various mineral constituents their size range and content (weight. percentage in bulk sample), nature of occurrence etc. (e) Chemical analysis of the bulk sediments or rock for major oxides and trace elements or Rare Earth Elements (REE) to determine whether the sediment is falling in this category. (f) Synthesis of all available	Bathymetric map in 1:50,000 scale prepared with single beam echo sounder measurement at 500 m or lesser intervals and tie lines at appropriate intervals. Shallow seismic profiles or sub bottom profiler across the block indicating the disposition of subsurface sedimentary units or rocks at 2 km interval, presented in a horizontal scale of 1:50,000 and vertical scale of 1:10,000 scale. Seabed sampling using suitable corer or any other device at 2km X 2 km grid spacing extending to a depth upto at least 4 mts or till the depth of mineralisation whichever is less. Core samples are to be subdivided into 1m interval from top. Sedimentological/ petrological and mineralogical analysis of the sediment or rock to identify various mineral constituents their size range and content (weight percentage in bulk sample), nature of occurrence etc. Chemical analysis of the bulk sediments or rock for major oxides and trace	Multibeam bathymetric survey with seamless coverage having 50% side overlap between adjacent lines. Multibeam Bathymetric map in 1:5,000 scale, Images with MBES (Multi Beam Echo Sounder) backscatter data also to be submitted. Shallow seismic profiles or sub bottom profiler across the block indicating the disposition of subsurface sedimentary units or rocks at 1 km interval, presented in a horizontal scale of 1:5,000 and vertical scale of 1:1,000 scale. Seabed sediment or rock sampling using suitable corer or any other device at 1,000 m X 1,000 m grid spacing extending to a depth upto at least 6 mts or till the depth of mineralisation whichever is less. Core samples are to be subdivided into 1 m interval from top. Sedimentological or petrological and mineralogical analysis of the sediment or rock to identify various mineral	Multibeam bathymetric survey with seamless coverage having 50% side overlap between adjacent lines. Multibeam Bathymetric map in 1:2,500 scale. Images with MBES backscatter data also to be submitted. Shallow seismic profiles or sub bottom profiler across the block indicating the disposition of subsurface sedimentary units or rocks at 500 m interval, presented in a horizontal scale of 1:2,500 and vertical scale of 1:500 scale. Seabed sediment or rock sampling using suitable corer or any other device at 500m X 500 m grid spacing extending to a depth upto at least 6 mts or till the depth of mineralisation whichever is less. Core samples are to be subdivided in to 1 m interval from top. Sedimentological or petrological and mineralogical analysis of the sediment or rock to identify various mineral constituents their size range, sediment type and
---	--	--	--

[भागII—खण्ड3(i)]

भारत का राष्ट्रिय : असाधारण

or less than that required for Preliminary Exploration (G3) stage.	data to interpret the nature and quantity or grade of the minerals present in the survey area. The activities as above or less than that required for General Exploration (G2) stage.	bulk sediments or rock and constituent minerals of economic importance for evaluating the composition of the mineral and its economic worth. Laboratory scale beneficiation studies of sediments or rock for assessing the content of mineral or metal of interest. Synthesis of all available data to identify various minerals in the survey areas and their prospective locations for further exploration. The activities as above or less than required for Detailed Exploration (G1) stage. Analysis of samples	economic importance for evaluating the composition of the mineral and its economic worth. Laboratory scale beneficiation studies of sediments or rock for assessing the content of mineral/metal of interest. Synthesis of all available data to interpret the nature and quantity or grade of the minerals present.
--	--	--	--

Part IV Reporting of Mineral Resources

Standard Template for a Geological Study Report which shall also form a part of the Pre-Feasibility or Feasibility Report

1. A Geological Study Report for estimation and reporting of Mineral Resources integrating all data of exploration, sampling and testing generated through marine geophysical, geochemical, geological surveys, marine environment and technological study shall be undertaken for every stage of exploration i.e., from G4 to G1 for assessing the resources.
2. Mineral resource assessment is normally a collective effort involving a multidisciplinary approach. It is expected that individuals or subject matter experts involved in each part of the report preparation are given due credit for that part with proper acknowledgement in the report and also, they are willing to take due responsibility regarding the accuracy and authenticity of that part. However, the final responsibility of the report shall lie with the lead expert or a group of experts who, after proper due diligence of all the parts of the report have arrived at the final estimation of the resources and reserves and are convinced about the methodology and processes followed in arriving at the resource estimates. These experts taking the final responsibility for the report shall be referred to as the qualified persons and shall certify the report by signing off the report with their credentials.

Sl. No.	Criteria with parameters of reporting
1.	Executive Summary
(i)	The executive summary shall include details about the location of the mineral deposit, purpose of the mineral investigation and the stage of the exploration, brief geology, mineralisation, exploration plan with spacing of the sample points, depth of exploration and whether the mineralisation extends beyond the depth of direct existence. Outcome of the exploration studies including the quantity of resources identified with grade and quality under various classes.
(ii)	The summary shall also include observation on the issues regarding the future plan or strategy for the deposit including amenability for production of the deposit based on present technological, environmental, social and market conditions.

2.	(i)	Details of the Qualified Person(s) or Exploration Agency (To be provided separately for all the qualified persons signing off the report) (a) Name: (b) Address: (c) Contact mobile No: (d) E-mail id: (e) Qualification: (f) Experience: (g) Affiliation to any organisation/ company, if yes, specify the name of the organisation or company:
	(ii)	Details of qualification and experience of persons associated with various aspects of exploration assessment of resources and reserves
3.		Title and ownership
	(i)	Name of the holder of operating right:
	(ii)	Address:
	(iii)	Telephone No:
	(iv)	E-mail id:
	(v)	Details of period of operating right, if any:
	(vi)	In case of a license or lease:
		(a) Date of grant: (b) Date of execution: (c) Period of license or lease: (d) Date of completion:
4.		Details of the area under study
	(i)	Coast or Sea
	(ii)	Offshore Region
	(iii)	Nearest Coastal Location
	(iv)	Area in sq. km
	(v)	Water depth (m)
	(vi)	Nearest Harbour or Port
	(vii)	Nearest Major Rail Head on land
	(viii)	Nearest Airport
	(ix)	Name of the nearby village(s) or NHO (Naval Hydrographic Office) Chart No. of the area, Differential Global Positioning System (DGPS) coordinates of all corner points of the area and sampling points in latitude and longitude (Degree Minutes Second) format WGS-84 Datum
	(x)	Mineral(s) under investigation or granted under license or lease applied for
5.		Seabed Morphology, Connectivity and Demographic Data (Data to be furnished from the area and nearby coast)

	(i)	Relief of the area or seabed with minimum and maximum water depths
--	-----	--

	(ii)	Biotope map of the seabed showing critical marine habitats such as corals, seagrasses etc., if any.
	(iii)	Commercial fishing grounds in the area, if any
	(iv)	Flora and Fauna within in the coastal tract and area
	(v)	Water bodies such as river, nala, stream, etc., joining the sea nearby
	(vi)	Climatic conditions of adjacent coastal area: (a) Temperature (annual) min___max___ Avg___ (b) Rainfall (annual) min___max___ Avg___ (c) Humidity (annual) min___max___ Avg___
	(vii)	Any other physiographic, social and environmental factor having potential to affect the viability of the project and assessment of resources and reserves
6.		Infrastructure
		Local infrastructure with roads, railways, port facilities, fisheries, harbour, electricity, water etc. nearby from the area. Details of nearby industries in the area which may use the mineral commodity likely to be mined.
7.		Geology
	(i)	Brief regional geomorphology or seabed morphology of the area outlining the broad geological and structural framework.
	(ii)	A discussion on the type of deposit based on the style of mineralisation and minerals under investigation. Suggested exploration or production plan with spacing of the sampling points and depth of exploration commensurate with the stage of exploration.
8.		Previous Exploration
	(i)	Name and address of holder of operating right involved in the exploration of the area with year and period of exploration (if more than one agency is involved details to be given separately for each agency)
	(ii)	Brief details of the exploration carried out (to be given separately for each agency).
	(iii)	Reserves or resources estimated, if any, during the previous exploration campaign with quantity and grade under various categories
9.		Marine geophysical or geochemical data
		Details of marine geophysical and geochemical survey taken up and their results.
10.		Exploration undertaken till now
	(i)	Details of sample points (surface and sub-surface) along with geographical co-ordinates.
	(ii)	Data spacing for reporting of exploration results: Whether the data spacing, and distribution is sufficient to establish the degree of geological and grade continuity appropriate for the mineral resource estimation procedure(s) and classifications applied.
11.		Location of data point
		Accuracy and quality of surveys used to determine the coordinates of sample points, bathymetric surveys and geophysical surveys used in mineral resource estimation.
12.		Sampling Technique
		Nature and quality of sampling (grab, core or drill core and water sampling) and measures taken to ensure sample representation.
13.		Coring Technique and core sampling employed
	(i)	Corer type [eg. core, gravity corer (gravity core), vibrocorer (vibrocore), piston corer (piston core), box corer (box core), spade corer (spade core) etc.] and details (eg. core diameter, core length).

	(ii)	Logging - Whether core have been logged to a level of detail to support appropriate Mineral Resource estimation, mining studies and metallurgical studies.
14.		Sub-sampling techniques and sample preparation
	(i)	(a) If core, whether cut or sawn and whether quarter, half or all cores taken and whether sampled wet or dry. (b) For all sample types, the nature, quality and appropriateness of the sample preparation technique.
	(ii)	Quality control procedures adopted for all sub-sampling stages to maximise representation of samples.
	(iii)	Measures taken to ensure that the sampling is representative of the in-situ material collected.
	(iv)	Whether sample sizes are appropriate to the grain size of the material being sampled.
15.		Mineralogical Analysis, Petrological Studies and Sedimentological Analysis
		(a) Method of study of Mineralogy. (b) Nature of quality control procedures adopted (eg. standards, blanks, duplicates, external laboratory checks) and whether acceptable levels of accuracy (i.e. lack of bias) and precision have been established. (c) Security and chain of control of samples should be clearly mentioned.
16.		Beneficiation studies as may be required
		Details of beneficiation studies carried out at laboratory scale of bench scale involving bulk sampling tests to understand and suggest technological factors for optimum recovery of explored mineral commodity, any additional by-products or co-products that may be available in the sediment also be discussed. The detailed flow sheet with yield recovery factors to be discussed
17.		Resource estimation techniques
	(i)	Discussion on sufficient data density to assure continuity of mineralisation and synthesis of adequate data base for estimation procedure used.
	(ii)	Discussion on the baseline marine ecology, biotope map, potential impacts of production on marine life and mitigation measures.
	(iii)	Whether previous exploration data has been used and integrated with the current exploration data for assessment of the updated resources.
	(iv)	The nature and appropriateness of the estimation technique(s) applied and key assumptions, including treatment of extreme grade values, domaining, interpolation parameters, maximum distance of extrapolation from data points.
	(v)	The basis for the classification of the Mineral Resources into varying confidence classes.
	(vi)	The assumptions made regarding recovery of by-products.
	(vii)	Detailed description of the method used and the assumptions made to estimate tonnages and grades (section, polygon, inverse distance, geostatistical, or other method).
	(viii)	Description of how the geological interpretation was used to control the resource estimates.

[भागII—खण्ड3(i)]

भारत का रजिपत्र : असाधारण

125

	(ix)	Discussion of any computer software was used for estimation of resources then name of the software with the version and method chosen, description of programmes and parameters used.
	(x)	Geostatistical methods are extremely varied and should be described in detail. The method chosen should be justified. The geostatistical parameters, including the variogram, and their compatibility with the geological interpretation should be discussed. Experience gained in applying geo-statistics to similar deposits should be taken into account.
	(xi)	Data verification or validation procedures used, including peer review report.

18.		Reporting of resources
		Basis of reporting of resources into various classes. The criteria and methods used for the classification to be specified. The quantities with grades, for each class are to be specified. The average grade under each class is to be specified. Grade wise classification should also be reported under suitable cases. In the case of metallic deposits such as gold, precious metals and base metals the metal content is to be specified and resources should be estimated at various cut off grades. Factor, if any, applied to take care of the confidence level from the actual estimates should also be specified. The inferred, indicated and measured resources should be highlighted in a table.
19.		Summary and recommendations
	(i)	(a) A discussion on the outcome of the exploration work detailing the nature of the deposit, the dimension of the deposit, general structural trend, depth of occurrence and depth up to which exploration has been done, possibility of continuity of mineralisation beyond the depth of exploration and future exploration requirements, if any. (b) The resources estimated under various classes with grade. (c) The possibility of economic extraction based on present technological, environmental, social and market conditions. (d) Hindrances, if any, anticipated in the economic extraction of the deposit.
	(ii)	Discussion on the suggested future plan or strategy for the deposit for further exploration and production.
20.		Plates and maps
	(i)	Location plan of the area showing bathymetry of the area nearby the project site based on legacy data.
	(ii)	Seabed morphology of the adjoining area from the available legacy data.
	(iii)	Surface sedimentological map, bathymetric map, on appropriate scale showing reliable with Differential Global Positioning System - global coordinates of the location of surface and core samples. If the area or part of it has been covered under exploration earlier, then the same with the location details should be shown in a map in appropriate scale.
	(iv)	Cross sections at suitable intervals showing vertical projections of litho-units and mineralisation.
	(v)	Biotope map of the project area seabed.
21.		Annexures or enclosures to the Report
	(i)	The report shall include all relevant data including maps, sections, logs, analysis reports, photographs etc., in support of the estimates made.
	(ii)	In case of a composite license, all relevant orders of grant, execution of license, shall also form part of the report.
22.		Any other information as may be available or required by any authority as specified.

Part V

CONTENTS OF PRE-FEASIBILITY AND FEASIBILITY REPORT

Criteria for Prefeasibility or Feasibility Report for Estimation and Reporting of Mineral Reserves (the criteria listed in the geological study report shall also constitute an integral part of this template).

Sl. No.	Contents	Explanation
---------	----------	-------------

1.	Mineral Resource estimate for conversion to Mineral Reserve	Description of Mineral Resource estimate used as a basis for the conversion to a Mineral reserve. Clear statement as to whether the Mineral Resources are reported additional to or inclusive of the Mineral Reserves. The type and level of study undertaken to enable Mineral Resources to be converted to Mineral Reserves i.e. Prefeasibility/ Feasibility level.
2.	Cut-off grade or quality parameters	The basis of the adopted cut-off grade(s) or quality parameters applied, including the basis, if appropriate, of equivalent metal formulae and the threshold values specified.
3.	Production factors or assumptions.	The method and assumptions used to convert the Mineral Resource to a Mineral Reserve (i.e. either by application of appropriate factors by optimisation or by preliminary or detailed design supported with Conceptual plan for production). The choice of the nature and the appropriateness of the selected production method(s), the size of the selected production unit (length, width, height) and other production parameters including associated design issues such as pre-strip, access, etc. The assumptions made regarding geotechnical parameters (eg. slope stability, etc.), grade control and pre-production dredging. The major assumptions made and Mineral Resource model used for seabed exploration, dredging (if appropriate). The production dilution factors, production recovery factors, and minimum production widths used. The infrastructure requirements of the selected production methods. Where available, the historic reliability of the performance parameters.
4.	Metallurgical factors or assumptions	The metallurgical process proposed and the appropriateness of that process to the type of deposit. The nature, amount and representativeness of metallurgical test work undertaken and the metallurgical recovery factors applied. Any assumptions or allowances made for deleterious elements. The existence of any bulk sample or pilot scale test work and the degree to which such samples are representative of the ore body as a whole. The tonnages and grades reported for Mineral Reserves should state clearly whether these are in respect of material to the plant or after recovery. Comment on existing plant and equipment, including an indication of replacement and salvage value.

[भागII—खण्ड3(i)]

भारत का राष्ट्रिय : असाधारण

127

5.	Cost and revenue factors	The derivation of, or assumptions made, regarding projected capital and operating costs. The assumptions made regarding revenue including head grade, metal or commodity price(s) exchange rates, transportation and treatment charges, penalties, etc. The allowances made for royalties payable. Basic cash flow inputs for a stated period. Yearly planned production, Net Present Value (NPV) and Internal Rate of Return (IRR) of the deposit, intrinsic value of the deposit based on annual projected production.
----	--------------------------	---

6.	Market assessment	The demand, supply and stock situation for the particular commodity, consumption trends and factors likely to affect supply and demand into the future. A customer and competitor analysis along with the identification of likely market windows for the product. Price and volume forecasts and the basis for these forecasts. For industrial minerals the customer specification, testing and acceptance requirements prior to a supply contract.
7.	Other modifying factors	The effect, if any, of natural risk, infrastructure, environmental, legal, marketing, social or governmental factors on the likely viability of a project and/or on the estimation and classification of the Mineral Reserves. The status of titles and approvals critical to the viability of the project, such as production leases, discharge permits, Government and statutory approvals. Environmental descriptions of anticipated liabilities. Location plans of mineral rights and titles.
8.	Classification.	The basis for the classification of the Mineral Reserves into varying confidence categories. Finalisation of estimates of grade wise mineable quantities in contemplation with proposed preliminary mine design/conceptual plan subject to all necessary approvals/contracts have been confirmed or there are reasonable expectations that all such approvals or contracts will be obtained within a reasonable timeframe and with certification that Economic viability is not affected by short-term adverse market conditions provided that longer-term forecasts remain positive.
9.	Mineral Beneficiation and Environmental Protection	Brief methodology for carrying out production, beneficiation and waste disposal. Brief on measures to be adopted for environmental protection during production, beneficiation and waste disposal. Brief description on baseline marine environmental condition including marine flora and fauna, potential impacts of production and suggested mitigation measures. Details of availability of technical personnel for all operations.
10.	Certificate from the qualified Person	Name, date and signature

SCHEDULE B

[See rule 11(1)(a), 11(1)(b)]

**MAXIMUM QUANTITIES OF ORES AND MINERALS REMOVABLE FROM LICENCE
AREA**

Class	Mineral	Quantities that can be carried away without any payment	Maximum quantity that can be carried away by payment of royalty
(1)	(2)	(3)	(4)
Class I	Beach Sand Minerals	5 tonnes	200 tonnes
Class II	All other minerals not specified above	5 tonnes	200 tonnes



FORM A
FORMAT OF PERFORMANCE SECURITY FOR COMPOSITE LICENCE

[See rule 6(9)(b)]

[Reference number of the bank]

[Date]

To

The President of India

[address]

WHEREAS

A. [Name], having office at [address of the Government] OR a [government company incorporated in India under the Companies Act, 2013 (18 of 2013) with corporate identity number [CIN of the Applicant] or a corporation duly incorporated in India under [insert statute/regulations of incorporation], whose registered office is at [address of registered office], India and principal place of business is at [address of principal place of business, if different from registered office] (the —**Applicant**) is required to provide an unconditional and irrevocable bank guarantee for an amount equal to INR [figures] (Indian Rupees [words]) as a performance security valid until [date of expiry of performance bank guarantee] (—Expiry Datel).

B. The Performance Security is required to be provided to the President of India, represented by the administering authority, the **Central Government** for discharge of certain obligations under the [reference to the principal documents, i.e., Exploration Licence Deed of Composite Licence] dated, [date] with respect to [particulars of composite licence] (collectively the —**Agreement**).

C. We, [name of the bank] (the **Bank**) at the request of the Applicant do hereby undertake to pay to the Central Government an amount not exceeding INR [figures] (Indian Rupees [words]) (—**Guarantee Amount**) to secure the obligations of the Applicant under the Agreement on demand from the Central Government on the terms and conditions contained herein.

NOW THEREFORE, the Bank hereby issues in favour of the Central Government this irrevocable and unconditional payment bank guarantee (—the **Guarantee**) on behalf of the Applicant in the Guarantee Amount:

1. The Bank for the purpose hereof unconditionally and irrevocably undertakes to pay to the Central Government without any demur, reservation, caveat, protest or recourse, immediately on receipt of first written demand from the Central Government, a sum or sums (by way of one or more claims) not exceeding the Guarantee Amount in the aggregate without the Central Government needing to prove or to show to the Bank grounds or reasons for such demand for the sum specified therein and notwithstanding any dispute or difference between the Central Government and Applicant on any matter whatsoever. The Bank undertakes to pay to the Central Government any money so demanded notwithstanding any dispute or disputes raised by the Applicant in any suit or proceeding pending before any court or tribunal relating thereto the Bank's liability under this present being absolute and unequivocal.

[भागII—खण्ड 3(i)]

भारत का राष्ट्रिय : असाधारण

129

2. The Bank acknowledges that any such demand by the Central Government of the amounts payable by the Bank to the Central Government shall be final, binding and conclusive evidence in respect of the amounts payable by Applicant to the Central Government under the Agreement.

3. The Bank hereby waives the necessity for the Central Government from demanding the aforesaid amount or any part thereof from the Applicant and also waives any right that the Bank may have of first requiring the Central Government to pursue its legal remedies against the Applicant, before presenting any written demand to the Bank for payment under this Guarantee.

4. The Bank further unconditionally agrees with the Central Government that the Central Government shall be at liberty, without the Bank's consent and without affecting in any manner the Bank's obligation under this Guarantee, to —

- (i) modify the terms and conditions of the Agreement;
- (ii) postpone the time for performance of the obligations of the Applicant under the Agreement, or
- (iii) forbear or enforce any of the rights exercisable by the Central Government against the Applicant under the terms and conditions of the Agreement,

and the Bank shall not be relieved from its liability by reason of any such act or omission on the part of the Central Government or any indulgence by the Central Government to the Applicant or other thing

whatsoever which under the law relating to sureties would, but for this provision, have the effect of relieving the Bank of its obligations under this Guarantee.

5. Any payment made hereunder shall be made free and clear of and without deduction for, or on account of, any present or future taxes, levies, imposts, duties, charges, fees, commissions, deductions or withholdings of any nature whatsoever.
6. The Bank agrees that Central Government at its option shall be entitled to enforce this Guarantee against the Bank, as a principal debtor in the first instance without proceeding at the first instance against the Applicant.
7. The Bank further agrees that the guarantee herein contained shall remain in full force and effect during the period that is specified in the Agreement and that it shall continue to be enforceable till all the obligations of the Applicant under or by virtue of the said Agreement with respect to the Performance Security have been fully paid and its claims satisfied or discharged to the satisfaction of the Central Government or till the Central Government certifies that the terms and conditions of the Agreement with respect to the Performance Security have been fully and properly carried out by the Applicant and accordingly discharges this guarantee. Notwithstanding anything contained herein, unless a demand or claim under this guarantee is made on the Bank in writing on or before the Expiry Date the Bank shall be discharged from all liability under this guarantee thereafter.
8. The payment so made by the Bank under this Guarantee shall be a valid discharge of Bank's liability for payment thereunder and no person shall have any claim against the Bank for making such payment.
9. This Guarantee is subject to the laws of India. Any suit, action, or other proceedings arising out of this Guarantee or the subject matter hereof shall be subject to the exclusive jurisdiction of courts at the New Delhi, India.
10. The Bank represents that it has the authority and power to issue this Guarantee in favour of the Central Government. This guarantee will not be discharged due to the change in the constitution of the Bank.
11. The Bank undertakes not to revoke this Guarantee during its currency except with the prior consent of the Central Government in writing.
12. The Central Government may, with prior intimation to the Bank, assign the right under this Guarantee to any other departments, ministries or any governmental agencies, which may act in the name of the President. Save as provided in this clause, this Guarantee shall not be assignable or transferable.
13. Notwithstanding anything contained herein,—
 - (a) the liability of the bank under this bank guarantee shall not exceed the guarantee amount.
 - (b) This bank guarantee shall be valid up to the expiry date.
14. The Bank is liable to pay the guaranteed amount or any part thereof under this bank guarantee only and only if the Central Government serves upon the Bank a written claim or demand on or before the expiry date.

Dated the [day] day of [month] [year].

In witness whereof the Bank, through its authorised officer, has set its hand and stamp.

(Signature)

(Name and Designation)
(Bank Stamp)

FORM B
FORMAT OF EXPLORATION LICENCE DEED

[See rule 6 (12) (a)]

This deed for grant of a composite licence (Licence) is made by and between the following:

PARTIES

- A. The President of India, acting through the administering authority (**the Central Government**).

AND

B. [Name of the Licensee], having office at [address of the Government] OR a [government company] incorporated in India under the Companies Act, 2013 (18 of 2013) with corporate identity number [CIN] or a corporation duly incorporated in India under [insert statute/regulations of incorporation], whose registered office is at [address of registered office], India and principal place of business is at [address of principal place of business, if different from registered office] (**the Licensee**).

BACKGROUND:

- C. The licensee has completed the requirements under the Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act, 2002 (17 of 2003) (**the Act**) and the rules made thereunder and has become eligible for grant of a composite licence.
- D. Accordingly, the Central Government is now executing this deed for grant of a Licence to the Licensee in consideration of the fee, royalties, covenants and agreements hereinafter reserved and contained on the part of the Licensee to be paid, observed and performed.

1. DEFINITIONS

The expressions used in this Licence shall have the same meaning as ascribed to them under the Act and the rules made thereunder.

2. GRANT OF LICENCE

2.1. The Central Government (acting through the administering authority) hereby grants the Licence to the Licensee over an area described in Schedule I (**Licence Area**) for a period of three years commencing from the date on which this duly executed exploration licence deed of composite licence is registered with respect to the following mineral(s), [name of the minerals] (**Minerals**) for conducting exploration operations.

2.2. The Licence shall be with respect to all deposits of the Minerals situated, lying or being in or under the Licence Area.

2.3. Subject to the Licensee paying the royalties and making other payments required to be paid and observing and performing all the covenants and agreements herein contained and on the part of the

[भागII—खण्ड3(i)]

भारत का राष्ट्रिय : असाधारण

131

Licensee to be observed and performed shall and may quietly hold and enjoy the rights and premises of the Licence Area for and during the term hereby granted without any unlawful interruption from or by the Central Government, or any person rightfully claiming under it.

3. RIGHTS AND OBLIGATIONS

3.1. The rights and obligations of the Central Government and the Licensee shall be as specified in the Act and the rules made thereunder, including without limitation to the Offshore Areas Atomic Mineral Operating Right Rules, 2025 and the Offshore Mineral Development and Production Agreement dated [date].

3.2. Without prejudice to the generality of the foregoing,—

(a) the Licensee shall,—

- (i) at all times comply with the provisions of the Act, the rules made thereunder and all other applicable law for the time being in force, including the Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962);
- (ii) make prompt payment of royalty and any charges or other payment required to be made by the Licensee;
- (iii) pay compensation in accordance with the law for the time being in force for the damage, injury, or disturbance which may be done by the Licensee and to indemnify and keep indemnified the Central Government, administering authority and Department against all claims which may be made by any person or persons in respect of any such damage, injury or disturbance and all costs and expenses in connection therewith;

- (iv) take all necessary steps and measures, for enabling the natural rehabilitation of the seabed affected by exploration operations, including any measures as may be specified by the Central Government;
- (v) without delay forward to the Directorate General of Shipping, Director General, Indian Coast Guard, Directorate General of Mine Safety, administering authority and any other Government authority, a report of any accident causing death or serious bodily injury *or* serious injury to property or seriously affecting or endangering life or property which may occur in the course of the operations under this Licence;
- (vi) weigh or measure, or cause to be weighed or measured, all minerals won from the Licence Area, with seven days prior notice in writing being given to the administering authority and authorised officer of the Directorate for every such weighing or measuring in order that he or some person on his behalf may be present thereat;
- (vii) pay stamp duty and registration charges as may be applicable in respect of this deed
- (viii) during the term of the Licence, enter upon the Licence Area and carry out exploration operations for minerals specified in this deed, in accordance with the provisions of the Act and the rules made thereunder;
- (ix) work and carry on the exploration operations in a proper, skillful and workman-like manner
- (x) comply with the provisions of the Act and the rules made thereunder including rules made under section 19A of the Act and directions issued under section 21 of the Act;
- (xi) submit the following reports, namely:—

- (a) a quarterly report of the work done by the Licensee stating the number of persons engaged and disclosing in full the geological, geophysical, or other data collected during the period. The report shall be submitted within a period of thirty days after the close of the quarter to which it relates;
- (b) an annual report, containing the full details of the work done by the Licensee and disclose all information acquired by the Licensee in the course of the operations carried on under this Licence regarding the geology and mineral resources of the area covered by the Licence. The report shall be submitted within a period of sixty days after the close of the year to which it relates, to the Directorate, Geological Survey of India, administering authority and such other authority as may be specified:

Provided that, subject to provisions of the Act and the rules made thereunder, the Licensee may specify that the whole or any part of

reports and data furnished pursuant to clause 3.2 (a) (xi) above shall be kept confidential, and the concerned authorities shall thereupon, keep such portions of the submitted reports and data as confidential as may be deemed fit:

Provided further that the Central Government may freely use such confidential reports and data for its own purposes:

Provided also that if the Licensee fails to apply for a production lease within the time period stipulated in sub-rule (7) of rule 7 of the Offshore Areas Atomic Minerals Operating Right Rules, 2025, or if an application for production lease preferred by the Licensee is rejected by the Central Government or the administering authority, or upon termination or expiration of the Licence or abandonment of exploration operations or surrender of excess area in accordance sub-rule (19) of rule 6 of Offshore Areas Atomic Minerals Operating Right Rules, 2025, whichever is earlier, all reports and data submitted by the said Licensee shall become the sole property of the Central Government;

- (xii) submit to the Central Government, at any time before the performance security is returned to it or transferred to any other account, or within a period of three months after the termination or expiration of the

Licence, or abandonment of the exploration operations, or surrender of excess area in accordance with sub-rule (19) of rule 6 of Offshore Areas Atomic Minerals Operating Right Rules, 2025 whichever is earlier, a full report of the work done by the Licensee, and disclose all information acquired by the Licensee in the course of the exploration operations carried on under this Licence regarding the geology and mineral resources of the Licence Area:

Provided that, subject to provisions of the Act and the rules made thereunder, the Licensee may specify that the whole or any part of reports and data furnished pursuant to clause 3.2 (a) (xii) above shall be kept confidential, and the concerned authorities shall thereupon, keep such portions of the submitted reports and data as confidential as may be deemed fit:

Provided further that the Central Government may freely use such confidential reports and data for its own purposes:

Provided also that if the Licensee fails to apply for a production lease within the time period stipulated in sub-rule (7) of rule 7 of Offshore Areas Atomic Minerals Operating Right Rules, 2025, or if an application for production lease preferred by the Licensee is rejected by the Central Government or the administering authority, or upon termination or expiration of the Licence or abandonment of exploration operations or surrender of excess area in accordance sub-rule (19) of rule 6, of the Offshore Areas Atomic Minerals Operating Right Rules, 2025 whichever is earlier, all reports and data submitted by the said Licensee shall become the sole property of the Central Government;

- (xiii) ensure that the equipments or vessels deployed for the purpose are so placed, marked, buoyed and lighted as not to constitute danger to shipping;
- (xiv) ensure that no interference is caused to any right of way in any recognised sea lanes for the purposes of navigation, or for any other purpose as may be authorised by the Central Government;
- (xv) take appropriate steps and measures as specified by the Central Government to ensure systematic disposal of solid or liquid waste,

[भागII—खण्ड3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण
133

including hazardous waste, arising out of exploration operations within the licence area;

- (xvi) take measures, as specified by the Central Government, pertaining to prevention and control of pollution and conservation of marine ecosystem in protected areas including marine national parks, marine sanctuaries or any other area, as may be specified by the Central Government;
- (xvii) not carry on or allow to be carried on, any production operations at any point within a distance of five hundred metres from any telecommunication cables, offshore wind turbine generators, offshore power sub-stations, oil platform or pipelines, underwater archaeological sites, defence installations or any port area, except under and in accordance with the prior approval of the competent authority, and any officer authorised by the administering authority or the Central Government in this behalf and the said distance of five hundred metres shall be measured from the outer edge of the relevant vessel, structure or installation, as applicable;

(b) the Central Government shall—

- (i) have the right, at all times to enter into and upon and to grant or demise to any person or persons whomsoever, liberty to enter into and upon the Licence Area for all or any purposes other than those for which sole rights and Licence are hereby expressly conferred upon the Licensee, including without limitation, to deploy on, over or through the Licence Area such vessels, equipments,

platforms, pipelines, telecommunication cables and other such implements as shall be considered necessary or expedient for any purposes, and to obtain from and out of the Licence Area such stone, earth or other materials as may be necessary or requisite for deploying, repairing or maintaining such vessels, equipments, platforms, pipelines, telecommunication cables and other such implements, to pass and repass at all times over such area for all purposes and as occasion shall require;

(ii) have the right to appropriate any performance security provided by the Licensee in accordance with terms of such performance security and require the Licensee to replenish the performance security. In case the performance security has been provided through a security deposit after termination of the Licence and fulfilment of all obligations of the Licensee, such security deposit shall be returned to the Licensee after appropriate deductions. It is clarified that the security deposit shall not carry any interest;

(iii) have the right to carry out or perform any work or matters which in accordance with the covenants in that behalf are to be carried out or performed by the Licensee, but have not been so carried out or performed within the time specified in that behalf, and the Licensee shall pay the Central Government on demand all expenses which shall be incurred in carrying out or performance of the same.

(iv) have power to authorise any other licensee or lessee or person on its behalf to enter into and upon the Licence Area and (i) to search for, dig, raise and carry away petroleum and natural gas; (ii) lay upon or maintain, repair or replace offshore wind turbine generators, offshore power substations; (iii) for these purposes or any other purpose as may be authorised by the Central Government or the administering authority, as the case may be, to sink, drive, erect, construct, maintain, and use such plant, installations, pipeline, cables, waterways, engines, machineries and conveniences as may be deemed necessary:

Provided that in the exercise of such power no substantial hindrance or interference shall be caused to the rights of the Licensee under these presents and that fair compensation as may be mutually agreed upon or in the event of disagreement as may be decided by the administering authority shall be paid,—

(i) by such licensee or lessee or such other person to the Licensee for any loss or damage sustained by the Licensee by reason of the exercise of this power by the Central Government, as the case may be;

(ii) to such licensee or lessee or such other person by the Licensee for any loss or damage sustained by such licensee or lessee or such other person by reason of the exercise of this power by the Central Government, as the case may be; and

(v) have the power to grant and demise to any other licensee or lessee or operator duly authorised by the Government authority the power to enter into and upon the said areas and to lay pipelines or install pumping station for the purposes of extracting petroleum or natural gas by such licensee or lessee or operator duly authorised by the Government authority and the Licensee shall use its best efforts to avoid obstructions to or interference with any petroleum operations or any operations pertaining to offshore wind power projects or such other operations being carried out or proposed to be carried out by an operator, duly authorised by the Government authority within the Licence Area

3.3. If the Central Government is desirous of exercising its right of pre-emption with respect to any mineral, the Central Government shall pay the average sale price of such minerals as published by the Directorate prevailing at the time of pre-emption.

3.4. In the event of the existence of a state of war or emergency (of which existence the President of India shall be the sole judge and a notification to this effect in the Gazette of India shall be conclusive proof) the Central Government shall at all times during the said term have the right (to be exercised by a notice in writing to the Licensee or Licensees) to forthwith take possession and control of the vessels, installations, platforms, pipelines, plants, machineries, equipments and premises of the Licensee on or in connection with the Licence Area or the operations under this Licence and during such possession or control, the Licensee shall conform to and obey all directions given by or on behalf of the Central Government regarding the use of employment of such vessels, installations, platforms, pipelines, plants, machineries, equipments, premises and minerals, provided that fair compensation, which shall be determined in default of agreement by the Central Government shall be paid to the Licensee for all loss or damage sustained by Licensee by reason

- or in consequence of the exercises of the powers conferred by this clause and provided also that the exercise of such power shall not terminate the said term hereby granted or affect the terms and provisions of this clause.
- 3.5. Every notice required to be given to the Licensee shall be given in writing to such person as may be nominated by the Licensee and such nomination shall be informed to the administering authority in writing. If no such nomination is made then the notice shall be sent to the Licensee by registered post or speed post or e-mail, addressed to the Licensee at the address shown in the application for the Licence or at such other address in India as the Licensee may designate and every such service shall be deemed to be proper and valid service upon the Licensee and shall not be questioned or challenged by him.
- 3.6. If in any event the orders of the administering authority are revised, reviewed or cancelled by the Central Government in pursuance of proceedings under the Offshore Areas Atomic Minerals Operating Right Rules, 2025, the Licensee shall not be entitled to compensation for any loss sustained by the Licensee in exercise of the powers and privileges conferred upon the Licensee by these presents.

4. **FORCE MAJEURE**

- 4.1. In this clause the expression —*force majeure* means act of God, war, insurrection, riot, civil commotion, strike, earthquake, storm, tidal wave, flood, lightning, explosion, fire, or any other happening which the Licensee could not reasonably prevent or control.
- 4.2. Failure on the part of the Licensee to fulfil any of the terms and conditions of this Licence shall not give the Central Government any claim against the Licensee or be deemed a breach of this Licence,

[भागII—खण्ड3(i)]

भारत का राष्ट्रिय : असाधारण
135

in so far as such failure is considered by the Central Government to arise from a *force majeure*, and if the fulfilment by the Licensee of any of the terms and conditions of this Licence be delayed from *force majeure*, the period of such delay shall be added to the period fixed by this Licence.

- 4.3. The administering authority or the Central Government shall not be liable in any manner, whatsoever, to the Licensee in respect of any loss relating to, or arising out of, the occurrence or existence of any *force majeure*.

5. **GOVERNING LAW**

This Licence and all questions of its interpretation shall be construed in accordance with the laws for the time being in force. Subject to the provisions contained in section 28 of the Act, the courts at New Delhi shall have exclusive jurisdiction over disputes arising under this deed.

In witness whereof there presents have been executed at the [name of place] on [date].

SCHEDULE I: AREA OF COMPOSITE LICENCE

(Description of offshore area, including latitudes and longitudes, to be provided.)



FORM C
FORMAT OF PERFORMANCE SECURITY FOR PRODUCTION LEASE

[See rule 7(9)(b)]

[Reference number of the bank]

[Date]

To

The President of India

[address]

WHEREAS

- A. [Name], having office at [address of the Government] OR a [government company incorporated in India under the Companies Act, 2013 (18 of 2013) with corporate identity number [CIN of the Applicant] or a corporation duly incorporated in India under [insert statute/regulations of incorporation], whose registered office is at [address of registered office], India and principal place of business is at [address of principal place of business, if different from registered office] (the **Applicant**) is required to provide an unconditional and irrevocable bank guarantee for an amount equal to INR [figures] (Indian Rupees [words]) as a performance security valid until [date of expiry of performance bank guarantee] (—Expiry Date).
- B. The Performance Security is required to be provided to the President of India, represented by the administering authority, (the **Central Government**) for discharge of certain obligations under the [reference to the principal documents, i.e., Production Lease Deed, Offshore Mineral Development and Production Agreement] dated, [date] with respect to [particulars of production lease] (collectively the **Agreement**).
- C. We, [name of the bank] (the **Bank**) at the request of the Applicant do hereby undertake to pay to the Central Government an amount not exceeding INR [figures] (Indian Rupees [words]) (the **Guarantee Amount**) to secure the obligations of the Applicant under the Agreement on demand from the Central Government on the terms and conditions herein contained herein.

NOW THEREFORE, the Bank hereby issues in favour of the Central Government this irrevocable and unconditional payment bank guarantee (the **Guarantee**) on behalf of the Applicant in the Guarantee Amount:

1. The Bank for the purpose hereof unconditionally and irrevocably undertakes to pay to the Central Government without any demur, reservation, caveat, protest or recourse, immediately on receipt of first written demand from the Central Government, a sum or sums (by way of one or more claims) not exceeding the Guarantee Amount in the aggregate without the Central Government needing to prove or to show to the Bank grounds or reasons for such demand for the sum specified therein and notwithstanding any dispute or difference between the Central Government and Applicant on any matter whatsoever. The Bank undertakes to pay to the Central Government any money so demanded notwithstanding any dispute or disputes raised by the Applicant in any suit or proceeding pending before any court or tribunal relating thereto the Bank's liability under this present being absolute and unequivocal.
2. The Bank acknowledges that any such demand by the Central Government of the amounts payable by the Bank to the Central Government shall be final, binding and conclusive evidence in respect of the amounts payable by Applicant to the Central Government under the Agreement.
3. The Bank hereby waives the necessity for the Central Government from demanding the aforesaid amount or any part thereof from the Applicant and also waives any right that the Bank may have of first requiring the Central Government to pursue its legal remedies against the Applicant, before presenting any written demand to the Bank for payment under this Guarantee.
4. The Bank further unconditionally agrees with the Central Government that the Central Government shall be at liberty, without the Bank's consent and without affecting in any manner the Bank's obligation under this Guarantee, to—
 - (i) modify the terms and conditions of the Agreement;
 - (ii) postpone the time for performance of the obligations of the Applicant under the Agreement, or
 - (iii) forbear or enforce any of the rights exercisable by the Central Government against the Applicant under the terms and conditions of the Agreement,
 and the Bank shall not be relieved from its liability by reason of any such act or omission on the part of the Central Government or any indulgence by the Central Government to the Applicant or other thing

whatsoever which under the law relating to sureties would, but for this provision, have the effect of relieving the Bank of its obligations under this Guarantee.

5. Any payment made hereunder shall be made free and clear of and without deduction for, or on account of, any present or future taxes, levies, imposts, duties, charges, fees, commissions, deductions or withholdings of any nature whatsoever.
6. The Bank agrees that Central Government at its option shall be entitled to enforce this Guarantee against the Bank, as a principal debtor in the first instance without proceeding at the first instance against the Applicant.
7. The Bank further agrees that the guarantee herein contained shall remain in full force and effect during the period that is specified in the Agreement and that it shall continue to be enforceable till all the obligations of the Applicant under or by virtue of the said Agreement with respect to the Performance Security have been fully paid and its claims satisfied or discharged to the satisfaction of the Central Government or till the Central Government certifies that the terms and conditions of the Agreement with respect to the Performance Security have been fully and properly carried out by the Applicant and accordingly discharges this guarantee. Notwithstanding anything contained herein, unless a demand or claim under this guarantee is made on the Bank in writing on or before the expiry date the Bank shall be discharged from all liability under this guarantee thereafter.
8. The payment so made by the Bank under this Guarantee shall be a valid discharge of Bank's liability for payment thereunder and no person shall have any claim against the Bank for making such payment.
9. This Guarantee is subject to the laws for the time being force. Any suit, action, or other proceedings arising out of this Guarantee or the subject matter hereof shall be subject to the exclusive jurisdiction of courts at the New Delhi, India.
10. The Bank represents that it has the authority and power to issue this Guarantee in favour of the Central Government. This guarantee will not be discharged due to the change in the constitution of the Bank.
11. The Bank undertakes not to revoke this Guarantee during its currency except with the prior consent of the Central Government in writing.

[भागII—खण्ड 3(i)]

भारत का राष्ट्रपति : असाधारण

137

12. The Central Government may, with prior intimation to the Bank, assign the right under this Guarantee to any other departments, ministries or any governmental agencies, which may act in the name of the President. Save as provided in this clause, this Guarantee shall not be assignable or transferable.
13. Notwithstanding anything contained herein,—
 - (a) the liability of the bank under this bank guarantee shall not exceed the Guarantee Amount.
 - (b) This bank guarantee shall be valid up to the expiry date.
14. The Bank is liable to pay the guaranteed amount or any part thereof under this bank guarantee only and only

if the Central Government serves upon the Bank a written claim or demand on or before the expiry date.

Dated the [day] day of [month] [year].

In witness whereof the Bank, through its authorised officer, has set its hand and stamp.

(Signature)

(Name and Designation)

(Bank Stamp)

FORM D
FORMAT OF PRODUCTION LEASE DEED

[See rule 7(12) (a)]

This deed for grant of a production lease (the Lease) is made by and between the following:
PARTIES

- A. The President of India, acting through the administering authority (the **Central Government**).
- AND**
- B. [Name of the Lessee], having office at [address of the Government] OR a [government company] incorporated in India under the Companies Act, 2013 (18 of 2013) with corporate identity number [CIN] or a corporation duly incorporated in India under [insert statute or regulations of incorporation], whose registered office is at [address of registered office], India and principal place of business is at [address of principal place of business, if different from registered office] (the **Lessee**).

BACKGROUND:

- C. The lessee has completed the requirements under the Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act, 2002 (17 of 2003) (the **Act**) and the rules made thereunder and has become eligible for grant of a production lease.
- D. Accordingly, the Central Government is now executing this deed for grant of a Lease to the Lessee in consideration of the fee, royalties, covenants and agreements hereinafter reserved and contained on the part of the Lessee to be paid, observed and performed.

1 DEFINITIONS

The expressions used in this Lease shall have the same meaning as assigned to them under the Act and the rules made thereunder.

2 GRANT OF LEASE

- 2.1. The Central Government (acting through the administering authority) hereby grants the Lease to the Lessee over an area described in Schedule I (**Lease Area**) commencing from the date on which this duly executed production lease deed is registered with respect to the following mineral, [name of the minerals] (**Minerals**) for conducting production operations till the exhaustion of such minerals in such area.
- 2.2. The Lease shall be with respect to all deposits of the Minerals situated, lying or being in or under the Lease Area.
- 2.3. Subject to the Lessee paying the royalties and making other payments required to be paid and observing and performing all the covenants and agreements herein contained and on the part of the Lessee to be observed and performed shall and may quietly hold and enjoy the rights and premises of the Lease Area for and during the term hereby granted without any unlawful interruption from or by the Central Government, or any person rightfully claiming under it.

3 RIGHTS AND OBLIGATIONS

- 3.1. The rights and obligations of the Central Government and the Lessee shall be as specified in the Act and the rules made thereunder, including without limitation to the Offshore Areas Atomic Mineral Operating Right Rules, 2025 and the Offshore Mineral Development and Production Agreement dated [date].
- 3.2. Without prejudice to the generality of the foregoing,—
- (a) the Lessee shall,—
- (i) at all times comply with the provisions of the Act, the rules made thereunder and all other applicable law for the time being in force, including the Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962);

- (ii) make prompt payment of royalty and any charges or other payment required to be made by the Lessee;
- (iii) pay compensation in accordance with the law for the time being in force for the damage, injury, or disturbance which may be done by the Lessee and to indemnify and keep indemnified the Central Government, administering authority and Department against all claims which may be made by any person or persons in respect of any such damage, injury or disturbance and all costs and expenses in connection therewith;
- (iv) take all necessary steps and measures, for enabling the natural rehabilitation of the seabed affected by production operations, including any measures as may be specified by the Central Government;
- (v) without delay forward to the Directorate General of Shipping, Director General, Indian Coast Guard, Directorate General of Mine Safety, administering authority and any other Government authority, a report of any accident causing death or serious bodily injury *or* serious injury to property or seriously affecting or endangering life or property which may occur in the course of the operations under this Lease;
- (vi) weigh or measure, or cause to be weighed or measured, all the produced and dispatched minerals, from the Lease Area, with seven days prior notice in writing being given to the administering authority and authorised officer of the Directorate for every such weighing or measuring in order that he or some person on his behalf may be present thereat;
- (vii) pay stamp duty and registration charges as may be applicable in respect of this deed
- (viii) during the term of the Lease, enter upon the Lease Area and carry out production operations for minerals specified in this deed, in accordance with the provisions of the Act and the rules made thereunder;
- (ix) comply with the provisions of the Act and the rules made thereunder including rules made under section 19A of the Act and directions issued under section 21 of the Act;

[भागII—खण्ड3(i)]

भारत का राष्ट्रिय : असाधारण
139

- (x) prior to their deployment, ensure that all vessels to be deployed and installations to be erected in the Lease Area by the Lessee or by the contracted companies, shall undergo and clear naval security inspection of the Indian Navy under the aegis of the Flag Officer Commanding-in-Chief of the concerned Naval Command and Flag Officer, Offshore Defence Advisory Group and a clear one month's notice shall be given by the Lessee to the aforesaid offices to facilitate such inspection and clearance;
- (xi) take measures, as specified by the Central Government, pertaining to prevention and control of pollution and conservation of marine ecosystem in protected areas including marine national parks, marine sanctuaries or any other area, as may be specified by the Central Government;
- (xii) not carry on or allow to be carried on, any production operations at any point within a distance of five hundred metres from any telecommunication cables, offshore wind turbine generators, offshore power substations, oil platform or pipelines, underwater archaeological sites, defence installations or any port area, except under and in accordance with the prior approval of the competent authority, and any officer authorised by the administering authority or the Central Government in this behalf and the said distance of five hundred metres shall be measured from the outer edge of the relevant vessel, structure or installation, as applicable;
- (xiii) furnish—
 - (a) an annual report, containing the full details of the work done by the Lessee and disclose all information acquired by the Lessee in the course of the operations carried on under this Lease regarding the geology and mineral resources of the area covered by the Lease to the Directorate, Geological Survey of India, administering authority, Indian Bureau of Mines and such other authority as may be specified. The report shall be submitted within a period of sixty days after the close of the year to which it relates;

- (b) submit to the administering authority and Directorate, at any time before the performance security is returned to it or transferred to any other account, or within a period of three months after the expiration or termination or abandonment or surrender of the Lease, whichever is earlier, a full report of the work done by the Lessee, and disclose all information acquired by the Lessee in the course of the production operations carried on under this Lease regarding the geology and mineral resources of the Lease Area:

Provided that subject to provisions of the Act and the rules made thereunder, the Lessee may specify that the whole or any part of the reports and data submitted by him pursuant to clause 3.2 (a) (xiii) above shall be kept confidential, and the concerned authorities shall thereupon, keep such portions of the submitted reports and data as confidential as may be deemed fit:

Provided further that the Central Government may freely use such confidential reports and data for its own purposes:

Provided also that upon termination or expiration or surrender or abandonment of the Lease, whichever is earlier, all reports and data submitted by the said Lessee shall become the sole property of the Central Government;

- (xiv) ensure that no interference is caused to any right of way in any recognised sea lanes for the purposes of navigation, or for any other purpose as may be authorised by the Central Government;
- (xv) erect, maintain, display and keep in repair all notices or floaters or signage or buoys, marking the boundary of the Lease Area to the satisfaction of the Department, Directorate, administering authority and other concerned government authorities, including the Indian Coast Guard and the Indian Navy;
- (xvi) take appropriate steps and measures as specified by the Central Government, to ensure systematic disposal of solid or liquid waste, including hazardous waste, arising out of production operations, beneficiation or processing operations within the lease area; and
- (xvii) work and carry on the production operations in a proper, skillful and workman-like manner.

(b) the Central Government shall —

- (i) have the right, at all times to enter into and upon and to grant or demise to any person or persons whomsoever, liberty to enter into and upon the Lease Area for all or any purposes other than those for which sole rights and Lease are hereby expressly conferred upon the Lessee, including without limitation, to deploy on, over or through the Lease Area such vessels, equipments, platforms, pipelines, telecommunication cables and other such implements as shall be considered necessary or expedient for any purposes, and to obtain from and out of the Lease Area such stone, earth or other materials as may be necessary or requisite for deploying, repairing or maintaining such vessels, equipments, platforms, pipelines, telecommunication cables and other such implements, to pass and repass at all times over such area for all purposes and as occasion shall require;
- (ii) have the right to appropriate any performance security provided by the Lessee in accordance with terms of such performance security and require the Lessee to replenish the performance security. In case the performance security has been provided through a security deposit after termination of the Lease and fulfilment of all obligations of the lessee, such security deposit shall be returned to the Lessee after appropriate deductions. It is clarified that the security deposit shall not carry any interest;
- (iii) have the right to carry out or perform any work or matters which in accordance with the covenants in that behalf are to be carried out or performed by the Lessee, but have not been so carried out or performed within the time specified in that behalf, and the Lessee shall pay the Central Government on demand all expenses which shall be incurred in carrying out or performance of the same.
- (iv) have power to authorise any other licensee or lessee or person in its behalf to enter into and upon the Lease Area and (i) to search for, dig, raise and carry away petroleum and natural gas; (ii) lay

upon or maintain, repair or replace offshore wind turbine generators, offshore power substations; (iii) for these purposes or any other purpose as may be authorised by the Central Government or the administering authority, as the case may be, to sink, drive, erect, construct, maintain, and use such plant, installations, pipeline, cables, waterways, engines, machineries and conveniences as may be deemed necessary:

Provided that in the exercise of such power no substantial hindrance or interference shall be caused to the rights of the Lessee under these presents and that fair compensation as may be mutually agreed upon or in the event of disagreement as may be decided by the administering authority shall be paid,—

- (i) by such licensee or lessee or such other person to the Lessee for any loss or damage sustained by the Lessee by reason of the exercise of this power by the Central Government, as the case may be;
- (ii) to such licensee or lessee or such other person by the Lessee for any loss or damage sustained by such licensee or lessee or such other person by reason of the exercise of this power by the Central Government, as the case may be; and

(v) have the power to grant and demise to any other licensee or lessee or operator duly authorised by the Government authority the power to enter into and upon the said areas and to lay pipelines or install pumping station for the purposes of extracting petroleum or natural gas by such licensee or lessee or operator duly authorised by the Government authority and the Lessee shall use its best efforts to

[भागII—खण्ड3(i)]

भारत का राष्ट्रिय : असाधारण

141

avoid obstructions to or interference with any petroleum operations or any operations pertaining to offshore wind power projects or such other operations being carried out or proposed to be carried out by an operator, duly authorised by the Government authority within the Lease Area.

3.3. If the Central Government is desirous of exercising its right of pre-emption with respect to any mineral, the Central Government shall pay the average sale price of such minerals as published by the Directorate prevailing at the time of pre-emption.

3.4. In the event of the existence of a state of war or emergency (of which existence the President of India shall be the sole judge and a notification to this effect in the Gazette of India shall be conclusive proof) the Central Government shall at all times during the said term have the right (to be exercised by a notice in writing to the Lessee or Lessees) to forthwith take possession and control of the vessels, installations, platforms, pipelines, plants, machineries, equipments and premises of the Lessee on or in connection with the Lease Area or the operations under this Lease and during such possession or control, the Lessee shall conform to and obey all directions given by or on behalf of the Central Government regarding the use of employment of such vessels, installations, platforms, pipelines, plants, machineries, equipments, premises and minerals, provided that fair compensation, which shall be determined in default of agreement by the Central Government shall be paid to the Lessee for all loss or damage sustained by him/them by reason or in consequence of the exercises of the powers conferred by this clause and provided also that the exercise of such power shall not terminate the said term hereby granted or affect the terms and provisions of this clause.

3.5. Every notice required to be given to the Lessee shall be given in writing to such person as may be nominated by the Lessee and such nomination shall be informed to the administering authority in writing. If no such nomination is made then the notice shall be sent to the Lessee by registered post or speed post or e-mail, addressed to the Lessee at the address shown in the application for the Lease or at such other address in India as the lessee may designate and every such service shall be deemed to be proper and valid service upon the Lessee and shall not be questioned or challenged by him.

3.6. If in any event the orders of the administering authority are revised, reviewed or cancelled by the Central Government in pursuance of proceedings under the Offshore Areas Atomic Minerals Operating Right Rules, 2025, the Lessee shall not be entitled to compensation for any loss sustained by the Lessee in exercise of the powers and privileges conferred upon the Lessee by these presents.

4 **FORCE MAJEURE**

- 4.1. In this clause, the expression —*force majeure* means act of God, war, insurrection, riot, civil commotion, strike, earthquake, storm, tidal wave, flood, lightning, explosion, fire, or any other happening which the Lessee could not reasonably prevent or control.
- 4.2. Failure on the part of the Lessee to fulfil any of the terms and conditions of this Lease shall not give the Central Government any claim against the Lessee or be deemed a breach of this Lease, in so far as such failure is considered by the Central Government to arise from a force majeure, and if the fulfilment by the Lessee of any of the terms and conditions of this Lease be delayed from force majeure, the period of such delay shall be added to the period fixed by this Lease.
- 4.3. The administering authority or the Central Government shall not be liable in any manner, whatsoever, to the Lessee in respect of any loss relating to, or arising out of, the occurrence or existence of any force majeure.

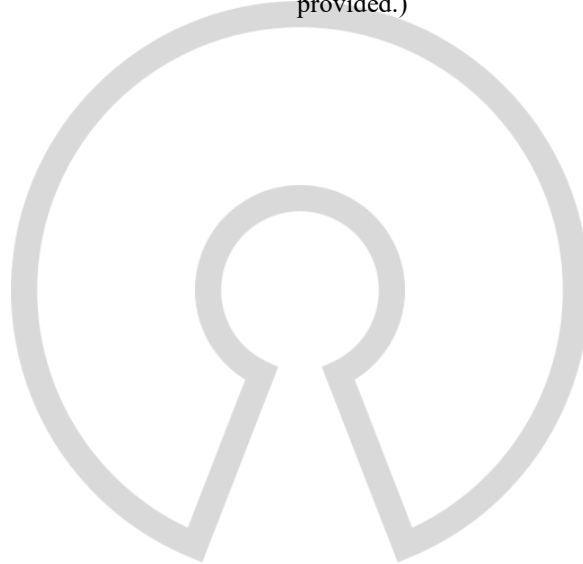
5 GOVERNING LAW

This Lease and all questions of its interpretation shall be construed in accordance with the laws for the time being in force. Subject to the provisions contained in section 28 of the Act, the courts at New Delhi shall have exclusive jurisdiction over disputes arising under this deed.

In witness whereof there presents have been executed at the [name of place] on [date].

SCHEDULE I: AREA OF PRODUCTION LEASE

(Description of offshore area, including latitudes and longitudes, to be provided.)



FORM E
FORMAT OF TRANSFER
APPLICATION [See rule 19(2)]

To
 [Address]

I/We request for seeking transfer of composite licence or production lease.

S. No.	Item Detail	Particulars
(1)	(2)	(3)
1.	Name of the transferor	
2.	Address of the transferor	
3.	Name of the transferee	
4.	Address of the transferee	
5.	Production lease or composite licence number	
6.	Particulars of any licence or lease granted by any government authority, including in relation to petroleum and natural gas or wind power project, or any infrastructure projects such as port, cable, pipeline in existence in the area applied for	
7.	Date of registration of composite licence or production lease	
8.	Whether the transferee is eligible to hold the composite licence or production lease in accordance with the provisions of the Act and the rules made thereunder	Yes/No
9.	The consideration payable by the transferee, including the consideration in respect of the exploration operations already undertaken and the reports and data generated during the operations.	
10.	Whether the transferee is agreeable to accept all the conditions and liabilities under any law for the time being in force which the transferor was subject to in respect of such a composite licence or production lease.	Yes/No

We do hereby declare that the particulars furnished above are correct and am/are ready to furnish any other details, as may be required by you.

The transferee and transferor also undertake to comply with the provisions of section 13B of the Act and the Offshore Areas Atomic Minerals Operating Right Rules, 2025 with respect to the transfer of the composite licence or production lease.

Yours
 faithfull
 y,
 Transfer
 or

.....
 Transferee

.....
 Place:

Date:

[भागII—खण्ड 3(i)]

भारत का राष्ट्रिय : असाधारण
 143

Instructions to applicants:

- The application must be signed by a duly authorised representative of the applicants, in case the applicant is a company.
- The corporate authorisation of the authorised signatory of the applicant (which is a company) must be enclosed with the application. Any change in such corporate authorisation must be immediately intimated to the Central Government.
- Documentary evidence to confirm eligibility of the transferee to hold the composite licence or production lease in accordance with the provisions of the Act and the rules made thereunder, shall be submitted along with the application.

FORM F
FORMAT OF TRANSFER DEED

PART A

FORMAT OF DEED OF TRANSFER FOR COMPOSITE LICENCE

[See rule 19 (6)]

The Transfer Deed (**Deed**) is made on this [day] day of [month], [year] between:

1. (Name of the Government), having office at [address of the Government] (hereinafter referred to as the **Transferor** which expression shall where the context so admits be deemed to include its successors and permitted assigns); or

(Name of Government Company), a company registered under the (Act under which incorporated) and having its registered office at [address] (hereinafter referred to as the **Transferor** which expression shall where the context so admits be deemed to include its successors and permitted assigns); or

(Name of Corporation), duly incorporated in India under [insert statute/regulations of incorporation] and having its registered office at [address] (hereinafter referred to as the **Transferor** which expression shall where the context so admits be deemed to include its successors and permitted assigns) of the First Part;

AND
2. (Name of the Government), having office at [address of the Government] (hereinafter referred to as the **Transferee** which expression shall where the context so admits be deemed to include its successors and permitted assigns); or

(Name of the Government Company), a company registered under (Act under which incorporated) and having its registered office at [address] (hereinafter referred to as the **Transferee** which expression shall where the context so admits be deemed to include its successors and permitted assigns); or

(Name of Corporation), duly incorporated in India under [insert statute/regulations of incorporation] and having its registered office at [address] (hereinafter referred to as the **Transferee** which expression shall where the context so admits be deemed to include its successors and permitted assigns) of the Second Part;

AND
3. The President of India acting through the administering authority (hereinafter referred to as the **Central Government** which expression shall where the context so admits be deemed to include the successors and assigns) of the third part.

WHEREAS:

- A. The Transferor has been granted a composite licence by the Central Government in respect of which the Central Government and the Transferor have executed an exploration licence deed of composite licence dated [date] and registered as no. [number] on [date] [at the office of the Sub-Registrar] of [address] in connection with the composite licence (collectively **Concession Documents**) and the same is attached hereto as **Annexure A**.
- B. In terms of the Concession Documents, the Transferor is entitled to undertake exploration operations in the offshore area described in the schedules to the Concession Documents (more particularly set out in **Annexure B) (Licence Area)**, for the term and subject to the payment of the rents and royalties and observance and performance of the Transferor's covenant and conditions in the Concession Documents including a covenant not to transfer the composite licence in violation of applicable laws.
- C. The Transferor has, pursuant to its transfer application letter dated [date], requested the administering authority for its approval in connection with transfer of the composite licence to the Transferee.
- D. The administering authority has, pursuant to its letter dated [date] conveyed its approval to the transfer application of the Transferor subject to compliance by the Transferee of the terms and conditions contained in this Deed.

NOW THIS DEED WITNESSETH AS FOLLOWS:

1. Capitalised terms used but not defined in this Deed shall, unless the context otherwise requires, have the respective meanings ascribed thereto in the Concession Documents or the Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act, 2002 (17 of 2003) (the **Act**) and the rules made thereunder as the case may be.

2. The Transferee hereby covenants with the Central Government that from and after the transfer and assignment of the composite licence, the Transferee shall be bound by, and be liable to perform, observe and conform and be subject to all the provisions of all the covenants, stipulations and conditions contained in the Concession Documents in the same manner in all respects as if the composite licence had been granted to the Transferee as the Licensee thereunder and he or it had originally executed the Concession Documents as such.
3. It is further hereby agreed and declared by the Transferor of the one part and the Transferee of the other part that:
- 3.1. The Transferee and the Transferor declare that the Transferee meets and shall continue to meet all the eligibility conditions which were required to be met by the Transferor for grant of the composite licence.
 - 3.2. The Transferor and the Transferee declare that they have ensured that the mineral rights over the Licence Area for which the composite licence is being transferred vest in the Central Government.
 - 3.3. The Transferee acknowledges that he or it has received a copy of, and has read and understands the Concession Documents, and covenants, agrees and confirms that it shall be bound by all provisions of the Concession Documents as if it was an original party thereto.
 - 3.4. The Transferor hereby declares that he or it has not assigned or in any other manner transferred the composite licence now being transferred and that no other person or persons has any right, title or interest where under in the present composite licence being transferred.
 - 3.5. The Transferee hereby declares that he or it has accepted all the conditions and liabilities which the Transferor was having in respect of such composite licence.
 - 3.6. The Transferee further declares that he or it is financially capable of and shall directly undertake exploration operations.
 - 3.7. The Transferor has supplied to the Transferee the original or certified copies of all maps, sections and plans of abandoned workings in the Licence Area.
 - 3.8. The Transferee hereby further declares that as a consequence of this transfer, the total area while held by him or it under operating rights are not in contravention of the provisions of the Act or the rules made thereunder.
 - 3.9. The Transferor has paid all the rent, royalties, and other dues towards the Central Government till the date, in respect of the composite licence.

In witness whereof the parties hereto have signed on the, date and year first above written.

For and on behalf of the Central Government:

Name: _____

Designation: _____

For and on behalf of the Transferor:

Name: _____

For and on behalf of the Transferee:

Name: _____

[भागII—खण्ड3(i)]

भारत का राष्ट्रपति : असाधारण

145

**ANNEXURE A:
Copy of Concession
Documents**

**ANNEXURE B:
Location and area of the composite licence**

[Particulars of area, including Geo-coordinates, latitude and longitude, to be provided]

**PART B
FORMAT OF DEED OF TRANSFER FOR PRODUCTION
LEASE [See rule 19 (6)]**

The Transfer Deed (—Deed) is made on this [day] day of [month], [year] between:

1. (Name of the Government), having office at [address of the Government] (hereinafter referred to as the **Transferor** which expression shall where the context so admits be deemed to include its successors and permitted assigns); or
 (Name of Government Company), a company registered under the (Act under which incorporated) and having its registered office at [address] (hereinafter referred to as the **Transferor** which expression shall where the context so admits be deemed to include its successors and permitted assigns); or
 (Name of Corporation), duly incorporated in India under [insert statute/regulations of incorporation] and having its registered office at [address] (hereinafter referred to as the **Transferor** which expression shall where the context so admits be deemed to include its successors and permitted assigns) of the First Part;
 AND
2. (Name of the Government), having office at [address of the Government] (hereinafter referred to as the **Transferee** which expression shall where the context so admits be deemed to include its successors and permitted assigns); or
 (Name of the Government Company), a company registered under (Act under which incorporated) and having its registered office at [address] (hereinafter referred to as the **Transferee** which expression shall where the context so admits be deemed to include its successors and permitted assigns); or
 (Name of Corporation), duly incorporated in India under [insert statute/regulations of incorporation] and having its registered office at [address] (hereinafter referred to as the **Transferee** which expression shall where the context so admits be deemed to include its successors and permitted assigns) of the Second Part;
 AND
3. The President of India acting through the administering authority (hereinafter referred to as the **Central Government** which expression shall where the context so admits be deemed to include the successors and assigns) of the Third Part.

WHEREAS:

- A. The Transferor has been granted a production lease by the Central Government in respect of which the Central Government and the Transferor have executed: (a) a Offshore Mineral Development and Production Agreement, dated [date]; and (b) a lease deed dated [date] and registered as no. [number] on [date] [at the office of the Sub-Registrar] of [address] in connection with the production lease (collectively referred to as **Concession Documents**) and the same is attached hereto as **Annexure A**.
- B. In terms of the Concession Documents, the Transferor is entitled to search for, win and work offshore mines and minerals in respect of (Name of minerals) in the offshore area described in the schedules to the Concession Documents (more particularly set out in **Annexure B**) (**Lease Area**), for the term and subject to the payment of the rents and royalties and observance and performance of the Transferor's covenant and conditions in the Concession Documents including a covenant not to transfer the production lease in violation of applicable laws.
- C. The Transferor has, pursuant to its transfer application letter dated [date], requested the administering authority for its approval in connection with transfer of the production lease to the Transferee.
- D. The administering authority has, pursuant to its letter dated [date] conveyed its approval to the transfer application of the Transferor subject to compliance by the Transferee of the terms and conditions contained in this Deed.

NOW THIS DEED WITNESSETH AS FOLLOWS:

1. Capitalised terms used but not defined in this Deed shall, unless the context otherwise requires, have the respective meanings ascribed thereto in the Concession Documents or the Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act, 2002 (17 of 2003) (the **Act**) and the rules made thereunder as the case may be.
2. The Transferee hereby covenants with the Central Government that from and after the transfer and assignment of the production lease, the Transferee shall be bound by, and be liable to perform, observe and conform and be subject to all the provisions of all the covenants, stipulations and conditions contained in the Concession Documents in the same manner in all respects as if the production lease had been granted to the Transferee as the lessee thereunder and he or it had originally executed the Concession Documents as such.

3. It is further hereby agreed and declared by the Transferor of the one part and the Transferee of the other part that:
- 3.1. The Transferee and the Transferor declare that the Transferee meets and shall continue to meet all the eligibility conditions which were required to be met by the Transferor for grant of the production lease.
 - 3.2. The Transferor and the Transferee declare that they have ensured that the mineral rights over the Lease Area for which the production lease is being transferred vest in the Central Government.
 - 3.3. The Transferee acknowledges that he or it, has received a copy of, and has read and understands the Concession Documents, and covenants, agrees and confirms that it shall be bound by all provisions of the Concession Documents as if it was an original party thereto.
 - 3.4. The Transferor hereby declares that he or it, has not assigned or in any other manner transferred the production lease now being transferred and that no other person or persons has any right, title or interest where under in the present production lease being transferred.
 - 3.5. The Transferee hereby declares that he or it, has accepted all the conditions and liabilities which the Transferor was having in respect of such production lease.
 - 3.6. The Transferor has supplied to the Transferee the original or certified copies of all maps, sections and plans of abandoned workings in the Lease Area.
 - 3.7. The Transferee hereby further declares that as a consequence of this transfer, the total area while held by him/ it under operating rights are not in contravention of the provisions of the Act or the rules made thereunder.
 - 3.8. The Transferor has paid all the rent, royalties, and other dues towards the Central Government till the date, in respect of the production lease.

In witness whereof the parties hereto have signed on the date and year first above written.

For and on behalf of the Central Government:

Name: _____

Designation: _____

For and on behalf of the Transferor:

Name: _____

For and on behalf of the Transferee:

Name: _____

[भागII—खण्ड 3(i)]

भारत का राष्ट्रिय : असाधारण

147

ANNEXURE A

Copy of Concession Documents

ANNEXURE B

Location and area of the production lease

[Particulars of area, including Geo-coordinates, latitude and longitude, to be provided]

FORM G**NOTICE OF TRANSFER OF COMPOSITE LICENCE OR PRODUCTION LEASE**

[See rule 19 (9)]

IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR FILLING THE FORM

- iii. This Form, duly filled in must reach the concerned authorities as specified within the rule, within a period of thirty days from the date of such transfer, by online or Email.
- iv. The form shall be digitally signed by the concerned person.

1.	Type of Operating Right				<i>Check which is applicable</i>		
	(a) Production lease						
	(b) Composite licence						
2	Indian Bureau of Mines Registration Number						
3.	Unique Indian Bureau of Mines Operating Right Number						
	Production lease Code						
	Composite licence Code						
4.	Mine Code						
5.	Name of Mine						
6.	Name of the mineral or minerals for which composite licence or production lease has been granted				<i>(Information will be system generated)</i>		
7.	Name and address of the Operating Right holder				<i>(Information will be system generated)</i>		
8.	Particulars of the Operating Right				<i>(Information will be system generated)</i>		
9.	Location of the lease area/ licence area				<i>(Information will be system generated)</i>		
10.	10. Name and address of the Transferee or Assignee						
	Name	Address	Email	PAN number	Aadhar number/Registration Number	Passport number/ GST number	Mobile number
11.	Letter number and date of transfer order issued by the administering authority						

Place:

Date:

Signature

Name in full:

Designation: Owner/Geologist/Mining Engineer

FORM H
FORMAT OF MEMORANDUM OF
APPEAL

[See rule 26 (1)]

To
[Address]

I/We submit the following appeal with the following particulars.

S. No.	Details of Item	Particulars
(1)	(2)	(3)
1.	Name of appellant	
2.	Address of the appellant	
3.	Status of the appellant - Government - Government Company - Corporation	Yes/No.
4.	Whether the appeal is filed within the specified time period	
5.	If not, the reasons for not presenting it within the specified limit and seeking condonation of delay.	
6.	Purpose of the appeal	
7.	Appellant to specify— (a) number and date of communication of the order to the appellant and authority passing the order against which an appeal is preferred. (b) whether in relation to composite licence or production lease; (c) any other matter	
8.	Fee payable for the appeal	
9.	Name of bank, demand draft or challan number with date, through which the fee has been paid.	
10.	Mineral or minerals for which the appeal is filed	
11.	Details of area with respect to which the appeal is filed (give latitude and longitude covering the area).	
12.	Name and complete address of the party/parties impleaded	
13.	Number of copies of memorandum of appeal attached (Memorandum of appeal is to be submitted in triplicate if no party is impleaded. Besides these, for each party impleaded one additional copy is to be enclosed)	
14.	Grounds of appeal	
15.	Prayer(s) sought	

[भागII—खण् ड3(i)]

भारत का रपित्र : असाधारण

149

I/We do hereby declare that the particulars furnished above are correct and am/are ready to furnish any other details, as may be required by you.

Yours faithfully,

Place:

Date:

Signature of the

appellant **Instructions to appellants.—**

- (a) The appeal shall be signed by a duly authorised representative of the appellant, in case the appellant is a company.
- (b) The corporate authorisation of the authorised signatory of the appellant (which is the Government, a Government company or a corporation) shall be enclosed with the appeal. Any change in such corporate authorisation must be immediately intimated to the administering authority.



FORM I
NOTICE OF CHANGE IN PARTICULARS

[See rule 31]

To

1. Department of Atomic Energy, Anushakti Bhawan, Mumbai

2. Administering authority

IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR FILLING THE FORM

Notice in this Form shall be sent so as to reach concerned authorities within a period of sixty days of the
date of change in name and address

1.	(i) Name(s) of the mineral (s) for exploration operations or production operations have been undertaken.	
	(ii) Name(s) of other minerals if any, for which composite licence or production lease has been granted:	
2.	(i) Name of the mine	
	(ii) Change in the name of mines, if any: (Indicate old name and reason of change)	
3.	(i) Name and address of the licensee or lessee or owner:	
	(ii) Change in Name and address of the licensee or lessee or owner (Indicate old name and reason of change)	
4.	Particulars of the Composite Licence or Production Lease:	
(i)	(i) Date of execution:	
(i)	(ii) Period: Years, from to	
(ii)	(iii) Extent of areas under production lease or composite licence: [in square kilometer]	
5.	Location of the Composite Licence or Production Lease:	
	[Longitudes and latitudes]	
	i. NHO Chart No.	
	ii. Area in sq. kms.	
	iii. Boundary coordinates of the block (in Decimal degree)	
	iv. Coast or Sea	
	v. Offshore Region	
	vi. Nearest Coastal Location	
	vii. Water depth (m)	
	viii. Nearest Harbour/ Port	
6.	Particulars of Agent, if any: Name and address (if applicable):	
7.	Particulars of the Manager of the mine; Name and address (if applicable)	
8.	Particulars of Mining Engineer employed in the mines (if applicable):	
	(i) Name and address:	

	(ii) Qualification:	
	(iii) Date of appointment:	
	(iv) Status of employment:	Whole time
9.	Letter No. and date through which the exploration plan or the production plan was approved by the authority as specified in the Offshore Areas Mineral Conservation and Development Rules 2024 No. of Approval Letter and date of Approval:	
10.	Any other specific information:	
Place: Date:		Signature: Name in full: Designation: Owner/Agent/ Manager/ Mining Engineer



FORM J
PART A
REGISTER OF COMPOSITE LICENCES

[See rule 33]

1. Serial number.
2. Name of the licensee.
3. Address of registered office and residence of the licensee.
4. (a) Number and date of grant of composite licence.
(b) Date of execution of exploration licence deed of composite licence.

[भाग II—खण्ड 3(i)]

भारत का राष्ट्रिय : असाधारण

151

- (c) Date of registration of exploration licence deed of composite licence.
5. Geo co-ordinates of the offshore area.
6. Total offshore area for which composite licence has been granted.
7. The mineral or minerals for which composite licence has been originally granted.
8. Mineral or minerals added to the composite licence with date.
9. The details of the offshore area for which composite licence was originally granted.
10. Period for which the composite licence is granted.
11. Date of change together with details of change that take place in name, nationality, registered office, majority owners or other particulars of the licensee.
12. Royalty and any other payments, if payable.
13. Details of performance security.
14. Date of expiry or termination or abandonment or surrender.
15. Date from which the offshore area is available for regrant.
16. Any other information as may be required by administering authority.
17. Remarks.
18. Signature of the officer.

PART B
REGISTER OF PRODUCTION LEASES

[See rule 33]

1. Serial number.
2. Name of the lessee.
3. Address of registered office and residence of the lessee.
4. (a) Number and date of grant of production lease.
(b) Date of execution of production lease deed.
(c) Date of registration of production lease deed.
5. Geo co-ordinates of the offshore area.
6. Total offshore area for which production lease has been granted.
7. The mineral or minerals for which production lease has been originally granted.
8. Mineral or minerals added to the production lease with date.
9. The details of the offshore area for which production lease was originally granted.
10. Period for which the production lease is granted.
11. Date of change together with details of change that take place in name, nationality, registered office, majority owners or other particulars of the lessee.
12. Royalty and any other payments, if payable.
13. Details of performance security.

14. Date of expiry or termination or abandonment or surrender.
15. Date from which the offshore area is available for regrant.
16. Any other information as may be required by administering authority.
17. Remarks.
18. Signature of the officer.

[F. No. M.VI-1/10/2024-Mines VI]

DINESH MAHUR, Jt Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MEENA Date: 2025.07.10 20:06:21
Digitally signed by KUMER
KUMER CHAND CHAND MEENA

